VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

जुलाई 2022

मासिक समसामयिकी

8468022022 | 9019066066 www.visionias.in

DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI

फाउंडेशन कोर्स
सामान्य अध्ययन
प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2023
इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम
• प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
• मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
• एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
• अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
• योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
• नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
• सीसैट कक्षाएं
• PT 365 कक्षाएं
• MAINS 365 कक्षाएं
• PT टेस्ट सीरीज
• मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
• निबंध टेस्ट सीरीज
• सीसैट टेस्ट सीरीज
• निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
• करेंट अफेयर्स मैगजीन
लाइव / ऑनलाइन कक्षाएं भी उपलब्ध
Scan the QR CODE to download VISION IAS app
DELHI: 15 SEPT, 1 PM | 2 AUG, 9 AM
LUCKNOW: 7 JULY | 9 AM
JAIPUR: 16 AUG | 4 PM

ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़
देश के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम के इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम का लाभ उठाएं
प्रारंभिक
✓ सामान्य अध्ययन ✓ सीसैट
for PRELIMS 2022: 7 Aug
प्रारंभिक 2022 के लिए 7 अगस्त
for PRELIMS 2023: 21 Aug
प्रारंभिक 2023 के लिए 21 अगस्त
मुख्य
✓ सामान्य अध्ययन ✓ निबंध ✓ दर्शनशास्त्र
for MAINS 2022: 7 Aug
मुख्य 2022 के लिए 7 अगस्त
for MAINS 2023: 21 Aug
मुख्य 2023 के लिए 21 अगस्त
Scan the QR CODE to download VISION IAS app

विषय-सूची

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance) ***7***

1.1. सहकारिता (Cooperatives) 7

1.2. भुला दिए जाने का अधिकार (Right to be Forgotten: RTBF) 9

1.3. विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (Foreign Contribution Regulation Act: FCRA) 11

1.4. मॉडल टेनेंसी एक्ट, 2021 (Model Tenancy Act, 2021) 13

1.5. सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक (National Standards for Civil Service Training Institutions: NSCSTI) 16

1.6. प्रेस एवं पत्रिका पंजीकरण विधेयक (Registration of Press and Periodicals Bill) 18

1.7. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts) 19

1.7.1. संसदीय समितियों के कार्यकाल को बढ़ाने का सुझाव (Increasing Tenure of House Committees) 19

1.7.2. राष्ट्रपति का चुनाव (Election of the President) 20

1.7.3. मतदाताओं का पंजीकरण (Registration of Electors) 21

1.7.4. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण {District Legal Services Authorities (DLSAs)} 21

1.7.5. वर्ष 2022 से नागरिकों के लिए टेली-लॉ सेवा को निःशुल्क किया जा रहा है (Tele-law service to be made free of cost for citizens from 2022) 21

1.7.6. उपासना स्थल अधिनियम (Places of Worship Act) 22

1.7.7. परिवार न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022 {The Family Courts (Amendment) Act, 2022} 22

1.7.8. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण {Central Consumer Protection Authority (CCPA)} 22

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) ***24***

2.1. भारत- इजरायल- संयुक्त अरब अमीरात- संयुक्त राज्य अमेरिका (I2U2) {India- Israel- United Arab Emirates - USA (I2U2)} 24

2.2. चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (China Pakistan Economic Corridor: CPEC) 26

2.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts) 28

2.3.1. जापान के पूर्व प्रधान मंत्री शिंजो आबे की हत्या {Former Japan Prime Minister (PM) Shinzo Abe Assassinated} 28

2.3.2. एक देश, दो प्रणाली (One Country, Two Systems) 28

2.3.3. अनाज के निर्यात को फिर से शुरू करने का रूस और यूक्रेन समझौता (Russia-Ukraine deal To Resume Grain Exports) 29

2.3.4. S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट (Sanctions Waiver For S-400 Missile System) 29

 ©Vision IAS

2.3.5. आपूर्ति श्रृंखला मंत्रिस्तरीय मंच 2022 (2022 Supply Chain Ministerial Forum) 30
2.3.6. एशिया एनर्जी ट्रांजिशन इनीशिएटिव (Asia Energy Transition Initiative) 31

3. अर्थव्यवस्था (Economy) *32*

3.1. वस्तु और सेवा कर (GST) के पांच वर्ष पूरे हुए {Five Years of Goods and Services Tax (GST)} 32

3.2. मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (Inflation Targeting) 34

3.3. भारतीय रुपये में गिरावट (Indian Rupee Depreciation) 36

3.4. वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (Financial Services Institution Bureau: FSIB) 39

3.5. ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business: EoDB) 40

3.6. डिजिटल इंडिया (Digital India) 43

3.7. एनर्जी पॉवर्टी (Energy Poverty) 45

3.8. जिला खनिज प्रतिष्ठान (District Mineral Foundation: DMF) 47

3.9. विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) के लिए पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना {Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS) for DISCOMS} 49

3.10. भारत की जैव-अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 (India's Bioeconomy Report 2022) 52

3.11. प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण (PMFME) योजना {Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME) Scheme} 55

3.12. प्रारूप कॉफी (संवर्धन और विकास) विधेयक, 2022 {Draft Coffee (Promotion and Development) Bill, 2022}... 58

3.13. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts) 60
3.13.1. भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की स्थिति {Trend on Foreign Direct Investment (FDI) in India} 60
3.13.2. ऑफ बजट उधारियां {Off-Budget Borrowings (O-BBs)} 60
3.13.3. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) को मजबूत करने के लिए योजनाएं {Schemes To Strengthen Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)} 61
3.13.4. राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (National Apprenticeship Promotion Scheme: NAPS) 62
3.13.5. स्टार्ट-अप इकोसिस्टम्स को समर्थन पर राज्यों की रैंकिंग प्रक्रिया 2021 के परिणाम घोषित किए गए (Ranking of States' Exercise 2021 on support to Start-up Ecosystems declared) 62
3.13.6. ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 (Global Findex Database 2021) 63
3.13.7. भारतीय रिज़र्व बैंक-डिजिटल भुगतान सूचकांक {Reserve Bank of India – Digital Payments Index (RBI-DPI)} 64
3.13.8. भारत नवाचार सूचकांक का तीसरा संस्करण {3rd edition of India Innovation Index (III) 2021} 64
3.13.9. तकनीकी मंदी (Technical Recession) 65
3.13.10. विंडफॉल टैक्स (Windfall tax) 65

 ©Vision IAS

3.13.11. लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल (Landlord Port Model) 65
3.13.12. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), प्राकृतिक खेती और फसल विविधीकरण के लिए समिति का गठन {Panel for Minimum Support Price (MSP), Natural Farming and Crop Diversification} 66
3.13.13. 11वीं कृषि संगणना (2021-2022) {11th Agriculture Census (2021-2022)} 67
3.13.14. खाद प्रबंधन (Manure Management) 67
3.13.15. मोटे अनाज (Millets) 68
3.13.16. अफीम बाज़ार (Opium Market) 68
3.13.17. प्याज के भंडारण पर ग्रैंड चैलेंज (Grand Challenge on Onion Storage) 69
3.13.18. भारतमाला परियोजना कार्यक्रम {Bharatmala Pariyojana programme (BMP)} 69

4. सुरक्षा (Security) ***70***

4.1. पूर्वोत्तर में विद्रोह का सीमा-पारीय संपर्क (Trans-border Linkages to North-East Insurgency) 70
4.2. थिएटर कमान (Theatre Commands) 72
4.3. धन-शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act: PMLA) 74
4.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts) 76
4.4.1. स्प्रिंट चैलेंजेज (Sprint Challenges) 76
4.4.2. प्रथम स्वदेशी विमानवाहक पोत (IAC) विक्रांत {First Indigenous Aircraft Carrier (IAC) Vikrant} 77
4.4.3. स्वदेशी स्टेल्थ ड्रोन (Indigenous Stealth Drone) 77
4.4.4. भारत-जापान मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज {India-Japan Maritime Partnership Exercise (MPX)} 78

5. पर्यावरण (Environment) ***79***

5.1. IPBES आकलन रिपोर्ट: वन्य प्रजातियों का संधारणीय उपयोग (IPBES Assessment Report: Sustainable Use of Wild Species) 79
5.2. प्रोजेक्ट टाइगर (Project Tiger) 81
5.3. बच्चों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव (Impact of Climate Change on Children) 84
5.4. अपतटीय पवन ऊर्जा (Offshore Wind Energy) 86
5.5. भूजल संदूषण (Groundwater Contamination) 88
5.6. शुष्कता विसंगति आउटलुक सूचकांक (Aridity Anomaly Outlook Index) 90
5.7. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts) 94
5.7.1. स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण तक पहुंच सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषित (Access to Clean and Healthy Environment as Universal Human Right) 94
5.7.2. संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन (UN Ocean Conference: UNOC) 94
5.7.3. उष्ण कटिबंध के ऊपर ओजोन छिद्र (Ozone Hole Over The Tropics) 95

 ©Vision IAS

5.7.4. पांच नई आर्द्रभूमियों को 'अंतर्राष्ट्रीय महत्व' का दर्जा मिला (5 Wetlands Get 'International Importance' Tag) .96
5.7.5. रेडियोकार्बन डेटिंग या कार्बन-14 डेटिंग (Radiocarbon Dating or Carbon-14 Dating)................................97
5.7.6. राइट टू रिपेयर (Right to Repair)..97
5.7.7. 'हरित ऊर्जा मुक्त पहुंच' नियम (Green Energy Open Access Rules) 98
5.7.8. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (Great Indian Bustard: GIB) 98
5.7.9. मोनार्क तितली (Monarch Butterfly)...99
5.7.10. हिम तेंदुआ (Snow Leopard) 99
5.7.11. लाइट-मेंटल्ड अल्बाट्रॉस (फोबेट्रिया - पैल्पब्रेट) {Light-mantled Albatross (Phoebetria palpebrate)} 99
5.7.12. आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2022 के लिए वैश्विक मंच {Global Platform for Disaster Risk Reduction 2022 (GP2022)}...100
5.7.13. तटरेखा अपरदन (Coastline Erosion) 100
5.7.14. भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना (India's Largest Floating Solar Power Project) 101
5.7.15. एशिया-पैसिफ़िक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 (Asia Pacific Sustainability Index 2021)..........................101

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues) ***102***

6.1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 {National Education Policy (NEP), 2020}...102
6.1.1. भारत में उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता (Quality of Higher Education in India)...105

6.2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक {State Ranking Index (SRI) for National Food Security Index}..107

6.3. प्रारूप राष्ट्रीय दिव्यांगजन नीति {Draft National Policy on Persons with Disabilities (PwDs)} 110

6.4. प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पी.एम. स्वनिधि) (Prime Minister Street Vendors Atmanirbhar Nidhi: PM SVANidhi)..113

6.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts)...115
6.5.1. विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति (SOFI) रिपोर्ट, 2022 {The State of Food Security And Nutrition in The World (Sofi) Report, 2022} 115
6.5.2. वैश्विक लैंगिक अंतराल (GGG) रिपोर्ट, 2022 {Global Gender Gap (GGG) Report, 2022}......................116
6.5.3. प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन क्षमता {Replacement Level Fertility (RLF)}...117
6.5.4. बाल श्रम (Child Labour) 117

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology) ***119***

7.1. क्रिस्पर-कैस 9 (CRISPR-CAS 9)..119

7.2. अंतरिक्ष पर्यटन (Space Tourism) 122

7.3. राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम, 2022 (National Anti-Doping ACT, 2022) 124

7.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts)...127

7.4.1. ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (Polar Satellite Launch Vehicle: PSLV) 127
7.4.2. जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (James Webb Space Telescope: JWST) 127
7.4.3. डार्क मैटर डिटेक्टर LUX-ZEPLIN (LZ) {LUX-ZEPLIN (LZ) Dark Matter Detector} 128
7.4.4. पेंटाक्वार्क और टेट्राक्वार्क (Pentaquarks and Tetraquarks) 129
7.4.5. फाइबराइजेशन (Fiberisation) 129
7.4.6. तिहान (टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनॉमस नेविगेशन) {TiHAN (Technology Innovation Hub on Autonomous Navigation)} 130
7.4.7. क्रिप्टोजैकिंग (Cryptojacking) 130
7.4.8. बैटरी प्रमाणन और गुणवत्ता नियंत्रण (Battery certification and Quality Control) 130
7.4.9. जीनोमिक्स तक त्वरित पहुंच पर रिपोर्ट (Report on Accelerating Access to Genomics) 131
7.4.10. 'औषधि, चिकित्सा उपकरण और प्रसाधन सामग्री विधेयक-2022' का प्रारूप (Draft ‘Drug, Medical Devices, and Cosmetics Bill-2022’) 131
7.4.11. मंकीपॉक्स (Monkeypox) 132
7.4.12. अफ्रीका का पहला मलेरिया टीका (Africa's 1st Malaria Vaccine) 133
7.4.13. सुर्ख़ियों में रहे प्रमुख वायरस (Viruses in News) 133
7.4.14. सुर्ख़ियों में रहे प्रमुख रोग (Diseases in News) 134
7.4.15. बायोप्लास्टिक (Bioplastics) 134
7.4.16. पोप-फेम (POP-FAME) 134

8. संस्कृति (Culture) ***136***

8.1. अल्लूरी सीताराम राजू (Alluri Sitarama Raju) 136

8.2. भारत के राजकीय प्रतीक (National Symbols of India) 137
8.2.1. भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन (Amendments To Flag Code of India) 138
8.2.2. भारत का राजकीय प्रतीक (State Emblem of India) 138

8.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts) 139
8.3.1. अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (ICH) की सुरक्षा के लिए अभिसमय {Convention for Safeguarding of Intangible Cultural Heritage (ICH)} 139
8.3.2. वर्ष 2022 में विश्व के 50 सर्वश्रेष्ठ स्थान (World's 50 Greatest Places of 2022) 140
8.3.3. मानगढ़ पहाड़ी (Mangarh hillock) 140
8.3.4. कनगनहल्ली (Kanaganahalli) 141
8.3.5. सफेद प्याज (White Onion) 141
8.3.6. भारतीय ज्ञान प्रणाली’ (IKS) पहल {Indian Knowledge Systems (IKS) initiative} 141
8.3.7. फील्ड्स मेडल (Fields Medal) 142

 ©Vision IAS

9. नीतिशास्त्र (Ethics) 143

9.1. भारत में मद्यपान (Alcoholism in India) 143

10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News) 146

10.1. मिशन वात्सल्य (Mission Vatsalya) 146

10.2. मिशन शक्ति (Mission Shakti) 147

नोट:

प्रिय छात्रों,

करेंट अफेयर्स को पढ़ने के पश्चात् दी गयी जानकारी या सूचना को याद करना और लंबे समय तक स्मरण में रखना लेखों को समझने जितना ही महत्वपूर्ण है। मासिक समसामयिकी मैगज़ीन से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, हमने निम्नलिखित नई विशेषताओं को इसमें शामिल किया है:

विभिन्न अवधारणाओं और विषयों की आसानी से पहचान तथा उन्हें स्मरण में बनाए रखने के लिए मैगज़ीन में बॉक्स, तालिकाओं आदि में विभिन्न रंगों का उपयोग किया गया है।

पढ़ी गई जानकारी का मूल्यांकन करने और उसे स्मरण में बनाए रखने के लिए प्रश्न एक महत्वपूर्ण उपकरण हैं। इसे सक्षम करने के लिए हम प्रश्नों के अभ्यास हेतु मैगज़ीन में प्रत्येक खंड के अंत में एक स्मार्ट क्विज़ को शामिल कर रहे हैं।

विषय को सुगमता पूर्वक समझने और सूचना के प्रतिधारण को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार के इन्फोग्राफिक्स को भी जोड़ा गया है। इससे उत्तर लेखन में भी सूचना के प्रभावी प्रस्तुतीकरण में मदद मिलेगी।

सुर्ख़ियों में रहे स्थानों और व्यक्तियों को मानचित्र, तालिकाओं और चित्रों के माध्यम से वस्तुनिष्ठ तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इससे तथ्यात्मक जानकारी को आसानी से स्मरण रखने में मदद मिलेगी।

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

1.1. सहकारिता (Cooperatives)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने नई दिल्ली में सहकारिता के 100वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में भाग लिया।

अन्य संबंधित तथ्य:

- इस समारोह का आयोजन **सहकारिता मंत्रालय** और **भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (NCUI)**[1] द्वारा किया गया था।
    - NCUI **सहकारी आंदोलन का प्रतिनिधित्व करने वाला शीर्ष संगठन है।** इसकी स्थापना वर्ष 1929 में अखिल भारतीय सहकारी संस्थान संघ[2] के रूप में हुई थी। **वर्ष 1961 में इसका पुनर्गठन** किया गया था।
- इस आयोजन का **मुख्य थीम** था- **सहकारिता के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत और एक बेहतर विश्व का निर्माण करना**[3] **।**

सहकारिता के बारे में

- **परिभाषा:** सहकारी समिति **समान आवश्यकता वाले व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संगठन** है। समिति में शामिल लोग **साझा आर्थिक हितों की प्राप्ति** के लिए एक साथ कार्य करते हैं।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य **समाज के गरीब वर्गों के हितों पर ध्यान केंद्रित करते हुए** अपने सदस्यों को सहायता प्रदान करना होता है। सहकारी समिति स्वयं सहायता और पारस्परिक सहायता के सिद्धांत पर आधारित होती है।
- **कार्यप्रणाली:** सहकारी समितियों के गठन से **लोग एक समूह के रूप में एकजुट होते हैं। वे अपने व्यक्तिगत संसाधनों को एकत्रित** करते हैं तथा उनका सर्वोत्तम तरीके से उपयोग करते हैं। उसके बाद जो लाभ प्राप्त होता है, उसे सभी आपस में साझा करते हैं।
    - सहकारी समिति में लोग **अपनी इच्छा के अनुसार प्रवेश कर सकते हैं।** साथ ही, वे सहकारी समिति छोड़ने के लिए भी स्वतंत्र होते हैं, लेकिन वे **अपनी हिस्सेदारी को हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं।**

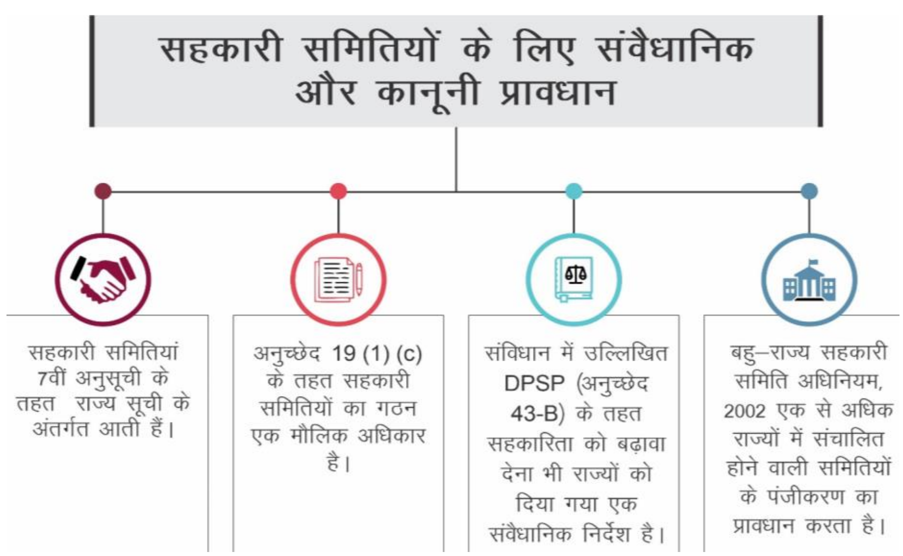

- **प्रासंगिकता:** विश्व भर में 30 लाख से अधिक सहकारी समितियां हैं। **विश्व की 12 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या सहकारी समितियों से जुड़ी हुई है।** अगर विश्व की सभी सहकारी समितियों को जोड़ दिया जाए तो उनका मौद्रिक योग विश्व की **पांचवी सबसे बड़ी आर्थिक इकाई** के बराबर होगा।

---

[1] National Cooperative Union of India

[2] All India Cooperative Institutes Association

[3] Building a Self-Reliant India and a Better World through Co-operatives

 ©Vision IAS

- **भारत में कार्यरत विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियां:** उपभोक्ता सहकारी समितियां; उत्पादकों की सहकारी समितियां; सहकारी ऋण समितियां; सहकारी कृषि समितियां; आवास सहकारी समिति; विपणन सहकारी समिति; इत्यादि।
    - **विश्व की 300 सबसे बड़ी सहकारी समितियों** में भारत की तीन समितियां- **अमूल, इफको (IFFCO)** और **कृभको (KRIBHCO)** शामिल हैं।

भारत में सहकारिता के समक्ष चुनौतियां

- **लोकतांत्रिक भावना की कमी:**
    - **सरकारी हस्तक्षेप:** सहकारी समितियों के लिए वित्त का प्रमुख स्रोत सरकार है। साथ ही, सरकार अलग-अलग नियमों के माध्यम से सहकारी समितियों के काम-काज को विनियमित करती है।
    - **राजनीतिकरण:** कई सहकारी समितियों में समाज के स्थानीय रूप से शक्तिशाली सदस्यों का वर्चस्व होता है, जिनकी मजबूत राजनीतिक पकड़ होती है। इसके परिणामस्वरूप आंतरिक कलह, प्रतिद्वंद्विता एवं आम सदस्यों की समिति में रुचि की कमी जैसी समस्याएं सामने आती हैं।
- **क्षेत्रीय असंतुलन:** महाराष्ट्र और गुजरात की तुलना में पूर्वोत्तर क्षेत्रों, पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा में सहकारी समितियां विकसित नहीं हैं।
- **व्यापक स्तर पर आर्थिक गतिविधियों का अभाव:** अधिकांश सहकारी समितियां कुछ सदस्यों तक ही सीमित होती हैं। इनका संचालन केवल एक या दो गांवों तक ही सीमित होता है। इस वजह से उनके संसाधन सीमित रह जाते हैं।
- **अपर्याप्त मानव संसाधन:** कुशल कर्मचारियों की कमी और कुशल कर्मियों को आकर्षित करने के लिए सहकारी संस्थाओं की अक्षमता सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इसलिए, सहकारिता में पेशेवर विशेषज्ञता का अभाव पाया जाता है।
- **सहकारी बैंकों के समक्ष चुनौतियां:**
    - **दोहरा विनियमन:** सहकारी बैंकों पर दो तरीके से नियंत्रण रखा जाता है। इनके ऊपर **स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़** एवं **भारतीय रिज़र्व बैंक** दोनों के विनियमन लागू हैं। इसके परिणामस्वरूप विनियमन में अस्पष्टता आती है औए ये बैंक जवाबदेहिता की कमी से ग्रस्त हो जाते हैं।
    - **बिगड़ती बैलेंस शीट:** कई सहकारी बैंकों के पास वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में अधिक गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (NPAs) हैं।
        - उदाहरण के लिए, **केरल में सहकारी बैंकों का NPA 38% पर है,** जबकि वाणिज्यिक बैंकों का NPA दिसंबर 2021 तक कुल अग्रिमों का केवल 3.99% था।

भारत में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदम

- **सहकारिता मंत्रालय:** "सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने एवं सहकारी समितियों को एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करने" हेतु सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई है।
- **बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020:** यह अव्यवस्था की स्थिति में RBI को सहकारी बैंकों के बोर्ड्स को भंग करने और उस पर नियंत्रण की शक्ति देता है। इसके अतिरिक्त यह सहकारी बैंकों को इक्विटी या प्रिफेरेंस शेयरों के पब्लिक इश्यू और प्राइवेट प्लेसमेंट के ज़रिए धन एकत्र करने की अनुमति देता है।
- **राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (National Agricultural Co-operative Marketing Federation: NAFED):** यह राज्यों में विपणन सहकारी समितियों को उनके मार्केटिंग व्यवसाय को विकसित करने और उनके सदस्यों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में मदद करने के लिए सहायता करता है।
- **राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (National Co-operative Development Corporation: NCDC):** इसकी स्थापना वर्ष 1963 में की गई थी। यह मार्केटिंग, प्रसंस्करण, भंडारण आदि से संबंधित योजनाओं में सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करता है। यह सहकारी चीनी, सहकारी कताई और बुनाई मिलों की शेयर पूंजी के संबंध में ऋण और सब्सिडी सहायता प्रदान करता है।
- **सुप्रीम कोर्ट द्वारा 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2011 के कुछ प्रावधानों को रद्द करना:** इस अधिनियम के जरिये सहकारिता को संरक्षण देने के लिए **अनुच्छेद 19(1)(c) में संशोधन** और उनसे संबंधित **अनुच्छेद 43 B और भाग IX B को सम्मिलित किया गया था।** न्यायालय ने घोषणा की कि संविधान का **भाग IXB** केवल तभी तक प्रभावी है, जब तक यह विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बहुराज्यीय सहकारी समितियों से संबंधित है।
    - **संविधान के भाग IXB** में सहकारी समितियों के परिचालन से संबंधित प्रावधानों को निर्धारित किया है।

- **गवर्नेंस संबंधी मुद्दे:** इसमें आधुनिक बैंकिंग पद्धतियों का अभाव, कॉर्पोरेट प्रशासन के ढीले मानक, राजनीतिक प्रभाव आदि शामिल हैं।
    - उदाहरण के लिए- खराब गवर्नेंस के परिणामस्वरूप **पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक (PMC)** विफल हो गया।

सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने की दिशा में आगे की राह

- **लोकतांत्रिक भावना को बढ़ावा देना:** लोकतांत्रिक भावना सहकारिता की आत्मा है। साथ ही, राजनीतिक प्रभाव को कम करने और सहकारी समितियों की समावेशिता को बढ़ाने के लिए भी यह आवश्यक है। निम्नलिखित उपायों के ज़रिए वस्तुनिष्ठता और पारदर्शिता को बढ़ावा देकर इसे सुनिश्चित किया जा सकता है:
    - सहकारी समितियों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के दायरे में लाना।
    - सहकारी समितियों के निदेशक को हर साल अपनी संपत्ति घोषित करने के लिए बाध्य करना।
    - सदस्यों के बीच उनके अधिकारों के साथ-साथ सहकारी समितियों के उद्देश्य के बारे में जागरूकता पैदा करना।
    - मूल्य-आधारित शिक्षा प्रदान करना, जो किशोरावस्था से ही लोगों के बीच नैतिक व्यवहार और सहयोग की भावना सुनिश्चित करती हो।
- **बहुउद्देशीय समितियों को बढ़ावा देना:** बहुउद्देशीय समितियां अपने सदस्यों की जरूरतों के बारे में एक संतुलित और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्हें पूरा कर सकती हैं। ऐसा करने के लिए, कमजोर और अक्षम समितियों को समाप्त कर मजबूत एवं कुशल समितियों के साथ उनका विलय कर दिया जाना चाहिए।
- **बुनियादी ढांचे का विकास:** एक पारदर्शी, जवाबदेह और कुशल प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से गवर्नेंस, बैंकिंग और व्यवसायों का डिजिटलीकरण करना।
- **कुशल कर्मचारी:** सहकारी समितियों के कर्मचारियों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, तकनीकी और व्यावसायिक संस्थानों के छात्रों को सहकारिता का प्रशिक्षण प्रदान करना। साथ ही, सहकारी समितियां बनाने के इच्छुक ऐसे लोगों को प्रशिक्षण देना, जिन्हें सहकारी समितियों से संबंधित कार्यप्रणाली एवं अनिवार्यताओं के बारे में जानकारी नहीं है।

1.2. भुला दिए जाने का अधिकार (Right to be Forgotten: RTBF)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को, **सर्च इंजन और इंटरनेट से एक दम्पति से जुड़ी जानकारियों को हटाने का निर्देश दिया है।**

अन्य संबंधित तथ्य

- याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर संतोष व्यक्त किया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध उसकी जानकारी शर्मिंदगी व सामाजिक कलंक का कारण बनती है। इससे उसकी निजता का भी उल्लंघन होता है।
- याचिकाकर्ता ने **'भुला दिए जाने के अधिकार (RTBF)'** और **'सूचना को हटा दिए जाने के अधिकार' (Right of Eraser)** को निजता के अधिकार का अभिन्न हिस्सा बताया था।
- यह निर्देश **निजता के अधिकार और RTBF के दायरे का विस्तार** करता है।

> **RTBF की तुलना में निजता का अधिकार**
>
> निजता के अधिकार (संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत) में ऐसी जानकारी शामिल होती है, जो सार्वजनिक नहीं है। दूसरी ओर, RTBF में ऐसी जानकारी को हटाना शामिल है, जो एक निश्चित समय पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध थी, लेकिन अब किसी तीसरे पक्ष को उक्त जानकारी तक पहुंचने की अनुमति नहीं है।

RTBF के बारे में

- RTBF वस्तुतः इंटरनेट और सर्च इंजन, डेटाबेस, वेबसाइट्स या किसी अन्य **सार्वजनिक प्लेटफॉर्म आदि से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध व्यक्तिगत जानकारी को उस स्थिति में हटाने का अधिकार है,** जब वह व्यक्तिगत जानकारी आवश्यक या प्रासंगिक नहीं रह जाती है।
    - RTBF की उत्पत्ति फ्रांसीसी न्यायशास्त्र में वर्णित **'राईट टू ओब्लिवियन'** से हुई है।
        - इसका उपयोग उन पूर्व अपराधियों द्वारा किया जाता था, जो अपनी सजा पूरी कर चुके थे। वे अपने अपराध और उसकी दोषसिद्धि से जुड़ी जानकारी के प्रकाशन पर आपत्ति प्रकट करने के लिए इस अधिकार का उपयोग करते थे।
        - पूर्व अपराधियों के सामाजिक एकीकरण को आसान बनाने के लिए इसे एक आवश्यक अधिकार माना जाता था।
    - हालांकि, **RTBF एक असीमित अधिकार नहीं हो सकता है।** इस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

- इसे **सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (GDPR)**[4] के तहत यूरोपीय संघ में एक कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। साथ ही, इसे यूनाइटेड किंगडम और यूरोप के कई देशों की अदालतों द्वारा बरकरार रखा गया है।
  - इसे वर्ष 1995 में **डेटा संरक्षण पर यूरोपीय संघ के निर्देश** द्वारा पहली बार एक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी।
  - **GDPR, 2016 का अनुच्छेद 17** सूचना हटाने का अधिकार (या भुला दिए जाने का अधिकार) प्रदान करता है। यह किसी डेटा से जुड़े व्यक्ति/ पक्ष को यह अनुमति देता है कि वह व्यक्तिगत डेटा को अविलंब हटाने का अनुरोध करे।
  - वर्ष 2015 में, रूसी सरकार ने एक कानून बनाया था जो उपयोगकर्ताओं को यह अनुमति देता है कि वे व्यक्तिगत जानकारी के लिंक को हटाने हेतु किसी सर्च इंजन को बाध्य कर सकते हैं। ऐसा **अप्रासंगिकता, अशुद्धता और कानून के उल्लंघन** के आधार पर किया जा सकता है।
  - संयुक्त राज्य अमेरिका में, RTBF के लिए व्यापक समर्थन है, लेकिन इसे कानून के माध्यम से संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है।

RTBF पर सुप्रीम कोर्ट का पक्ष

- **के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ** के ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने RTBF को **अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के हिस्से** के रूप में मान्यता दी है।
- सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि RTBF कुछ प्रतिबंधों के अधीन है। इसका तब उपयोग नहीं किया जा सकता, जब प्रश्नगत सामग्री निम्नलिखित के लिए आवश्यक हो:
  - अभिव्यक्ति और सूचना की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग;
  - कानूनी दायित्वों का अनुपालन;
  - लोक हित या लोक स्वास्थ्य के लिए किए गए कार्य का निष्पादन;
  - जनहित के उद्देश्य से भंडारण;
  - वैज्ञानिक या ऐतिहासिक अनुसंधान या सांख्यिकीय उद्देश्य; या
  - कानूनी दावों का सत्यापन; आदि।

भारत में RTBF के बारे में

- **भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है, जो विशेष रूप से RTBF का प्रावधान करता हो।** हालांकि, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक (PDPB)[5], 2019 में RTBF के सिद्धांत से संबंधित प्रावधान शामिल थे। अब इस विधेयक को वापस ले लिया गया है।
  - GDPR के विपरीत, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक केवल व्यक्तिगत डेटा के निरंतर प्रकटीकरण को रोकने का प्रावधान करता है, न कि व्यक्तिगत डेटा को हटाने का।
- वर्तमान में **सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2011** डिजिटल डेटा को नियंत्रित करने वाला कानून है। इसमें भी RTBF से संबंधित कोई ठोस प्रावधान नहीं है।

भुला दिए जाने के अधिकार से जुड़े मुद्दे

- **डेटा का एक जगह नहीं होना:** किसी व्यक्ति का डेटा कई प्लेटफार्म्स, क्लाउड आदि पर वितरित रहता है। इसके कारण व्यक्ति द्वारा अनुरोध किए जाने पर उससे संबंधित **संपूर्ण डेटा को पूरी तरह से हटाना काफी कठिन हो जाता है।**
- **कार्यान्वयन:** अश्लील कंटेंट पर अंकुश लगाने और हटाने में सरकार की सफलता दर अत्यंत कम है। इस प्रकार **RTBF को लागू करने की सफलता दर को लेकर भी आशंका है।**
- **डेटा के दोबारा अपलोड होने का मुद्दा:** RTBF व्यक्तिगत डेटा को पूरी तरह से हटाना सुनिश्चित नहीं कर सकता, क्योंकि डेटा के **पुनः अपलोड होने की संभावना होती है।** इसके अलावा, व्यावहारिक रूप से इस मुद्दे का समाधान करने के लिए कोई तंत्र या प्रक्रिया भी मौजूद नहीं है।
- **वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता:** एक अत्यधिक व्यापक RTBF को लागू करने के लिए **इंटरनेट निगरानी की आवश्यकता होगी।** साथ ही, इसके संबंध में किसी विशिष्ट सामग्री को हटाने या उसकी हिस्ट्री को री-राइट करने के लिए वेब सर्च टूल या साइटों को बाध्य करना होगा। इससे वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी प्रभावित हो सकती है।

---

[4] General Data Protection Regulation

[5] Personal Data Protection Bill

 ©Vision IAS

- **लोकहित: RTBF और लोकहित के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है।** उदाहरण के लिए- किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराधों से संबंधित डेटा की उपलब्धता को उस व्यक्ति के RTBF की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है।

आगे की राह

- **अधिकारों को संतुलित करना:** संसद और सुप्रीम कोर्ट को RTBF का गहन परीक्षण करना चाहिए। साथ ही, निजता और वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रतिस्पर्धी अधिकारों को संतुलित करने के लिए कोई तरीका निर्धारित करना चाहिए।
- **डेटा संरक्षण:** सरकार को डेटा के दुरुपयोग और लीकेज को रोकने के लिए एक मजबूत डेटा सुरक्षा नीति तैयार करनी चाहिए।
- **डेटा को नष्ट करना:** ऑनलाइन सर्च टूल्स और बड़े कम्प्यूटरीकृत प्लेटफॉर्म्स को अपने कार्य-सिद्धांतों में संशोधन करना चाहिए तथा एक विशिष्ट समय सीमा के बाद जानकारी को नष्ट करना चाहिए। इस प्रकार RTBF और निजता के अधिकार को संतुलित किया जा सकेगा।
- **रूपरेखा:** RTBF को लागू करने के लिए एक ढांचा विकसित किया जाना चाहिए। इसमें किसी व्यक्ति के जीवन की रक्षा, हमले व बदनामी से सुरक्षा आदि जैसी स्थितियों को रेखांकित किया जाना चाहिए।
- **RTBF और जनहित के बीच संतुलन:** यदि सूचना लोक हित की है, तो जनता के सूचना के अधिकार को RTBF की तुलना में अधिक महत्व दिया जाना चाहिए।

1.3. विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (Foreign Contribution Regulation Act: FCRA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने नागरिकों पर इस कानून के पालन संबंधी बोझ को कम करने के लिए **विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन नियम, 2022** अधिसूचित किया है।

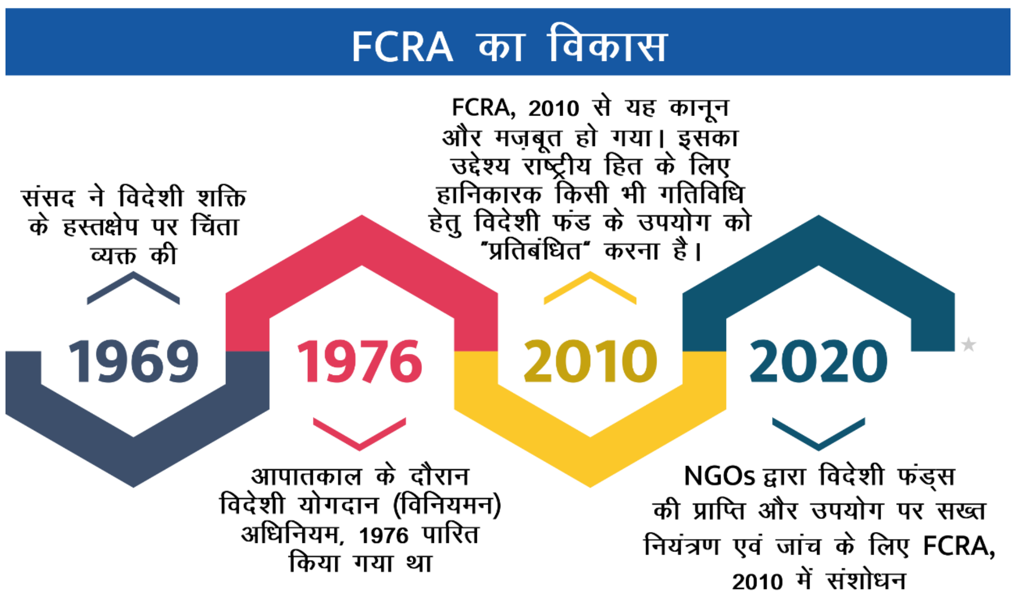

अन्य संबंधित तथ्य

- इसके जरिये **विदेशी योगदान (विनियमन) नियम, 2011** में संशोधन किया गया है। इसके तहत अब कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत सरकार को सूचित किए बिना अधिकतम 10 लाख रुपये भेज सकता है।
    - यदि अंशदान की राशि ₹10 लाख से अधिक है, तो सरकार को सूचित करने के लिए व्यक्ति के पास तीन महीने का समय होगा। इससे पहले केवल 30 दिन का समय दिया जाता था।
    - इससे पहले निम्नलिखित को विदेशी योगदान प्राप्त करने की अनुमति नहीं थी। हालांकि, ये अब अंशदान प्राप्त कर सकते हैं:
        - राजनीतिक दल
        - विधायिका के सदस्य
        - चुनावों में उम्मीदवार
        - सरकारी कर्मचारी
        - न्यायाधीश
        - पत्रकार
        - मीडिया हाउस

- FCRA के तहत फंड प्राप्त करने के लिए 'पंजीकरण' या 'पूर्व अनुमति' प्राप्त करने हेतु आवेदन करना होता है। केंद्र सरकार को इस हेतु सूचित करने की निर्धारित समय सीमा को 15 दिन से बढ़ा कर **45 दिन** कर दिया गया है।
- साथ ही, एक अलग अधिसूचना में **FCRA के तहत कंपाउंडेबल (शमनीय) अपराधों की सूची को 7 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया है।**
    - **कंपाउंडेबल अपराध** वे होते हैं, जहां **शिकायतकर्ता आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को वापस लेने** के लिए सहमत हो सकता है।

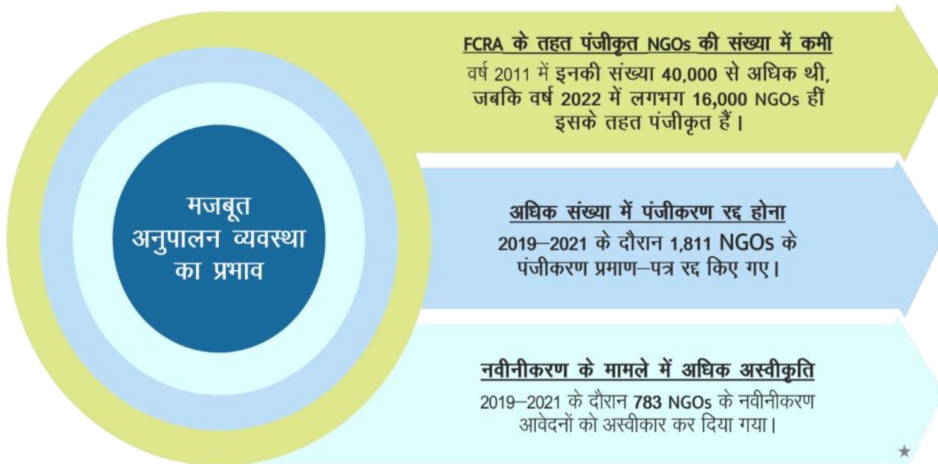

FCRA: उद्देश्य और प्रावधान

- किसी विदेशी स्रोत के माध्यम से वस्तु, मुद्रा, या शेयर के रूप में किए गए दान, वितरण या हस्तांतरण को विदेशी योगदान कहा जाता है।
- FCRA का कार्यान्वयन **गृह मंत्रालय (MHA)** द्वारा किया जाता है। गृह मंत्रालय, इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा की गई जांच (पूर्व की घटनाओं की) के आधार पर FCRA प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत करता है। सरकार के आदेश को **हाईकोर्ट** में चुनौती दी जा सकती है।

प्रमुख प्रावधान (2020 के बाद के संशोधन): यह संपूर्ण भारत में, भारत के बाहर भारतीय नागरिकों पर, सभी संघों, समूहों और गैर-सरकारी संगठनों पर लागू होता है। इसके अलावा-

- यह चुनाव में उम्मीदवारों; पत्रकार या समाचार पत्रों और मीडिया प्रसारण कंपनियों; लोक सेवकों, न्यायाधीशों, सरकारी सेवकों या कर्मचारियों, विधायिका के सदस्यों और राजनीतिक दलों के सदस्यों आदि के लिए विदेशी योगदान को प्रतिबंधित करता है। हालांकि, **विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन नियम, 2022** द्वारा इस प्रतिबंध को हटा दिया गया है।
- गैर-सरकारी संगठनों के प्रत्येक पदाधिकारी को विदेशी योगदान प्राप्त करने के लिए **पंजीकरण के माध्यम से पूर्व अनुमति लेना** और अपना आधार कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- विदेशी योगदान प्राप्त करने के लिए **भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली** की निर्धारित शाखाओं में **नामित FCRA खाता** खोलना होगा। इसमें **विदेशी योगदान** के अलावा कोई अन्य धनराशि प्राप्त या जमा नहीं की जा सकती है। इसे किसी अन्य व्यक्ति या गैर-सरकारी संगठन को हस्तांतरित भी नहीं किया जा सकता है।
- **FCRA पंजीकरण की वैधता** पांच वर्ष की होगी और गैर-सरकारी संगठनों को पंजीकरण की समाप्ति की तारीख से छह महीने के भीतर नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा।
- **फण्ड का उपयोग उसी उद्देश्य पर किया जाना चाहिए, जिस उद्देश्य से इसे प्राप्त किया गया है।** प्राप्त फंड का अधिकतम 20% (पहले 50%) प्रशासनिक व्यय के लिए खर्च किया जा सकता है।
- **वार्षिक रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य** होगा। इसके उल्लंघन के मामले में, सरकार जांच के बाद, अप्रयुक्त विदेशी योगदान के उपयोग को प्रतिबंधित कर सकती है।

FCRA का महत्व

FCRA का उद्देश्य **राष्ट्रीय हितों** की रक्षा करना है, ताकि देश एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के मूल्यों के अनुरूप कार्य कर सके।

- **आर्थिक संवृद्धि और विकास को बनाए रखना:** ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि कुछ विदेशी वित्तपोषित गैर-सरकारी संगठन जानबूझकर विकास परियोजनाओं (खनन, बिजली आदि परियोजनाओं) का विरोध करते हैं। ऐसे विरोध से देश का विकास बाधित होता है।
- **भारतीय समाज और संस्कृति का संरक्षण:** विदेशी अंशदान का उपयोग अक्सर ऐसी सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों बढ़ावा देने के लिए किया जाता है जो भारतीय विविधता और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करती हैं।
    - उदाहरण के लिए- सरकार ने वर्ष 2016 में **कंपैशन इंटरनेशनल** को गैर-सरकारी संगठनों को वित्तपोषित करने से प्रतिबंधित कर दिया था। इस पर धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देने का आरोप लगा था।

- **राजनीतिक स्वतंत्रता:** वैश्विक वैचारिक संगठन अपनी राजनीतिक विचारधारा को थोपने के लिए विदेशी योगदान का उपयोग करते हैं। कुछ गैर-सरकारी संगठन राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इसका दुरुपयोग भी करते हैं।
    - उदाहरण के लिए- फोर्ड फाउंडेशन फंडिंग को 2015 में **"पूर्व अनुमोदन श्रेणी"** के तहत रखा गया था।
- **संप्रभुता और मैत्रीपूर्ण-विदेशी संबंध:** FCRA सरकार के निर्णय लेने और अन्य देशों के साथ उसके संबंधों को विदेशी प्रभाव से बचाने में मदद करता है।
    - उदाहरण के लिए- भारत और रूस के कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजना (KKNPP) के खिलाफ विदेशी वित्तपोषित गैर-सरकारी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया था।
- **गैर-सरकारी संगठनों में पारदर्शिता और जवाबदेही:** FCRA के तहत विनियम और आवश्यक अनुपालन निम्नलिखित के माध्यम से गैर-सरकारी संगठनों के काम-काज में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने में मदद करते हैं:
    - विदेशी वित्तपोषित गैर-सरकारी संगठनों के अंतर्गत **वित्तीय अनियमितताओं की पहचान करके।**
    - **फंड्स के निर्धारित उपयोग को सुनिश्चित करके।**

FCRA से संबंधित चिंताएं

पिछले कुछ वर्षों में, वित्तीय अनियमितताओं या अन्य कारणों से कई NGOs के पंजीकरण या तो रद्द कर दिए गए हैं या उनका नवीनीकरण नहीं किया गया है (इन्फोग्राफिक्स देखें)। इसमें कई वैश्विक गैर-सरकारी संगठन शामिल हैं। इसके कारण कई समस्याएं पैदा हुई हैं:

- राजनीतिक या वैचारिक मतभेदों के कारण **गैर-सरकारी संगठनों को लक्षित करने के आरोप लगे हैं।** इसके चलते कई बार लाइसेंस देने से मना कर दिया जाता है।
- प्रशासनिक खर्चों को सीमित करने और कानून के पालन के बढ़ते बोझ के कारण कई सारे **गैर-सरकारी संगठनों की कार्यप्रणाली प्रभावित हुई है।**
- वर्तमान नियमों के तहत आधार कार्ड प्रस्तुत करने, एक विशेष बैंक के खाते में फंड्स प्राप्त करने की अनिवार्यता तथा दूसरे NGOs को फंड्स के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके चलते समानता के अधिकार, निजता के अधिकार, संगठन बनाने की स्वतंत्रता आदि का उल्लंघन होता है।
    - उदाहरण के लिए- अन्य गैर-सरकारी संगठनों को फंड्स के हस्तांतरण पर रोक से गैर-सरकारी संगठनों के बीच सहयोग सीमित हो जाता है।
- यह भारत के **लोकतांत्रिक मूल्यों और लोकाचार के खिलाफ** है, जिसमें अनेक हितधारक समूह शामिल हैं। इन समूहों के बीच जागरूकता पैदा करने और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण है।

आगे की राह

सुप्रीम कोर्ट ने FCRA की **संवैधानिक वैधता** को बरकरार रखा है, क्योंकि विदेशी चंदा प्राप्त करने का अधिकार **निरपेक्ष नहीं हो सकता** है। संसद इसे **विनियमित कर** सकती है। साथ ही, जवाबदेही के लिए नियमों का पालन करना गैर-सरकारी संगठनों का **नैतिक दायित्व** है। हालांकि, निम्नलिखित उपायों के ज़रिए **व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा** करते हुए इन विनियमों का उपयोग हमेशा **व्यापक जनहित के संदर्भ में** किया जाना चाहिए-

- गैर-सरकारी संगठनों से संबंधित डेटा का कुशल प्रबंधन आवश्यक है। इसके लिए **पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया** को अपनाना चाहिए।
- सरल अनुपालन के लिए **प्रौद्योगिकी का उपयोग** करना चाहिए।
- व्यक्तियों या गैर-सरकारी संगठनों को सुनवाई का **उचित अवसर** प्रदान करना चाहिए।
- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) की सिफारिश के अनुसार, राज्य/ स्थानीय सरकार की भागीदारी के लिए **जिम्मेदारियों को विकेंद्रीकृत करने/ सौंपने** की आवश्यकता है।

1.4. मॉडल टेनेंसी एक्ट, 2021 (Model Tenancy Act, 2021)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **चार राज्यों (आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और असम)** ने **अपने किरायेदारी कानूनों को संशोधित किया है। ये संशोधन इन राज्यों के कानूनों को** मॉडल टेनेंसी एक्ट (MTA) के अनुरूप बनाने के लिए किए गए हैं।

मॉडल टेनेंसी एक्ट (MTA), 2021 के बारे में

- **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) ने MTA, 2021 को मंजूरी दे दी है।** इस अधिनियम का उद्देश्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किसी परिसंपत्ति को किराये पर लेने की प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाना है। साथ ही, इसका उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्रक में किराया अर्थव्यवस्था को सहयोग प्रदान करना है।

- ○ **वर्ष 2021 में, जम्मू और कश्मीर** MTA को अपनाने वाला **पहला केंद्र शासित प्रदेश** बन गया।
- ○ **आवास,** संविधान की **7वीं अनुसूची** के तहत **राज्य सूची** का एक विषय है। इसलिए यह मॉडल अधिनियम केवल एक **सुझाव देने वाला ढांचा** (बाध्यकारी नहीं) है। किराये के आवास और अनुबंधों को विनियमित करते समय **राज्यों को इस अधिनियम का पालन** करना चाहिए।
- ○ यह 70 साल से अधिक पुराने पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम, 1949 के मौजूदा किरायेदारी प्रावधानों को प्रतिस्थापित करता है।
- ○ 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में लगभग **1.1 करोड़ आवास खाली पड़े थे।** इन **आवासों को किराए पर उपलब्ध** करवाकर, **2022 तक 'सभी के लिए आवास'** के विजन को पूरा किया जा सकेगा।

- **MTA, 2021 की मुख्य विशेषताएं:**

विनिर्देश	विवरण
किस पर लागू	• यह **आवासीय, वाणिज्यिक या शैक्षिक उपयोग** के लिए परिसर को कवर करेगा, लेकिन **औद्योगिक उपयोग के लिए नहीं।** इसमें होटल, लॉजिंग हाउस, सराय आदि भी शामिल नहीं होंगे।
किरायेदारी समझौता	• सभी परिसरों (आवासीय या वाणिज्यिक) को पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर एक **लिखित समझौते के बाद ही किराए पर** दिया जाएगा। साथ ही, किरायेदारी अनुबंध की तारीख से **दो महीने के भीतर प्रस्तावित किराया प्राधिकरण को इस बारे में सूचित** किया जाएगा।
किरायेदारी अवधि	• किरायेदार किरायेदारी अवधि के **नवीकरण या विस्तार के लिए मकान मालिक से अनुरोध** कर सकता है। • यदि **किरायेदार** किरायेदारी अवधि के अंत में या किसी आदेश द्वारा किरायेदारी अवधि की समाप्ति पर **परिसर खाली करने में विफल रहता है**, तो उसे भुगतान करना होगा- ○ पहले दो महीनों के लिए **मासिक किराए का दोगुना** और, ○ बाद में जब तक वह परिसर खाली नहीं करता तब तक **मासिक किराए का चार गुना भुगतान करेगा।**
सिक्योरिटी डिपॉजिट	• यह **आवासीय संपत्तियों के लिए अधिकतम दो महीने के किराए तक** और गैर-आवासीय संपत्ति के लिए **न्यूनतम छह महीने के किराए तक** सीमित कर दिया गया है।
डिजिटल प्लेटफॉर्म	• यह किरायेदारी समझौते और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए **राज्य की स्थानीय भाषा** में स्थापित किया जाएगा।
किराए पर लिए गए स्थान को किसी और को किराए पर देना	• यह केवल मकान मालिक की पूर्व **सहमति से ही** किया जा सकता है। इसके अलावा, यदि मकान में कोई संरचनात्मक परिवर्तन किया जाता है तो वह केवल **मकान मालिक की लिखित सहमति** से ही हो सकता है।
त्रिस्तरीय निवारण प्रणाली	• मॉडल अधिनियम एक त्रि-स्तरीय अर्ध-न्यायिक विवाद न्यायनिर्णयन तंत्र स्थापित करता है। इसके अंतर्गत **किराया प्राधिकरण, किराया न्यायालय और किराया अधिकरण** शामिल हैं, जो विवादों का त्वरित समाधान करते हैं। साथ ही, सिविल कोर्ट से किरायेदारी विवादों के बोझ को कम करते हैं। ○ किराया न्यायालय और किराया अधिकरण द्वारा शिकायत का **निवारण 60 दिनों के भीतर** किया जाना चाहिए। • राज्य सरकार के अनुमोदन से जिला कलेक्टर द्वारा **किराया प्राधिकरण और किराया न्यायालयों** की नियुक्ति की जाएगी। • **राज्य संबद्ध क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय के साथ परामर्श करने के बाद प्रत्येक जिले में किराया अधिकरण** स्थापित कर सकता है। • मॉडल अधिनियम के अंतर्गत प्रावधानों से संबंधित मामलों में किसी भी सिविल कोर्ट का क्षेत्राधिकार नहीं होगा।
खाली कराना	• एक किरायेदार से मकान खाली कराने के लिए **मकान मालिक को किराया प्राधिकरण में आवेदन** करना होगा। **किरायेदार को निम्नलिखित शर्तों के आधार पर बेदखल किया जा सकता है:** ○ तय किराया देने से इनकार कर दिया हो; ○ दो महीने से अधिक समय तक किराए का भुगतान नहीं किया हो; ○ लिखित सहमति के बिना परिसर के कुछ भाग या पूरे परिसर पर कब्जा कर लिया हो; तथा. ○ एक लिखित नोटिस के बाद भी परिसर का दुरुपयोग कर रहा हो।

मॉडल टेनेंसी एक्ट से जुड़े मुद्दे

- **विस्तृत विवरण:** इसमें **किराया अनुबंध के तहत बारीक़ विवरणों** का भी उल्लेख किया गया है, जैसे- इसमें दीवारों और दरवाजों की पुताई करने के लिए मकान मालिक को, वहीं नाली की सफाई, गीजर रिपेयर आदि जैसे कार्यों के लिए किरायेदार को उत्तरदायी बनाया गया है।
    - ऐसे सूक्ष्म विवरण अनुबंध में शामिल दोनों पक्षों की, अपनी विशिष्ट ज़रूरतों के अनुकूल अनुबंध को परिवर्तित करने की शक्ति को प्रतिबंधित करते हैं।
- **एकल संस्थागत फ्रेमवर्क का अभाव:** यह अधिनियम एक स्पष्ट संस्थागत फ्रेमवर्क को स्थापित नहीं करता है तथा अनौपचारिक किराएदार की अनदेखी करता है। साथ ही, इसमें **दोहराव तथा भ्रमित करने वाली प्रक्रियाएं** शामिल हैं।
    - यह स्पष्ट नहीं है कि MTA ने मौजूदा प्रक्रिया में संशोधन करने की बजाय एक नई प्रक्रिया और अलग किराया प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान क्यों किया है।

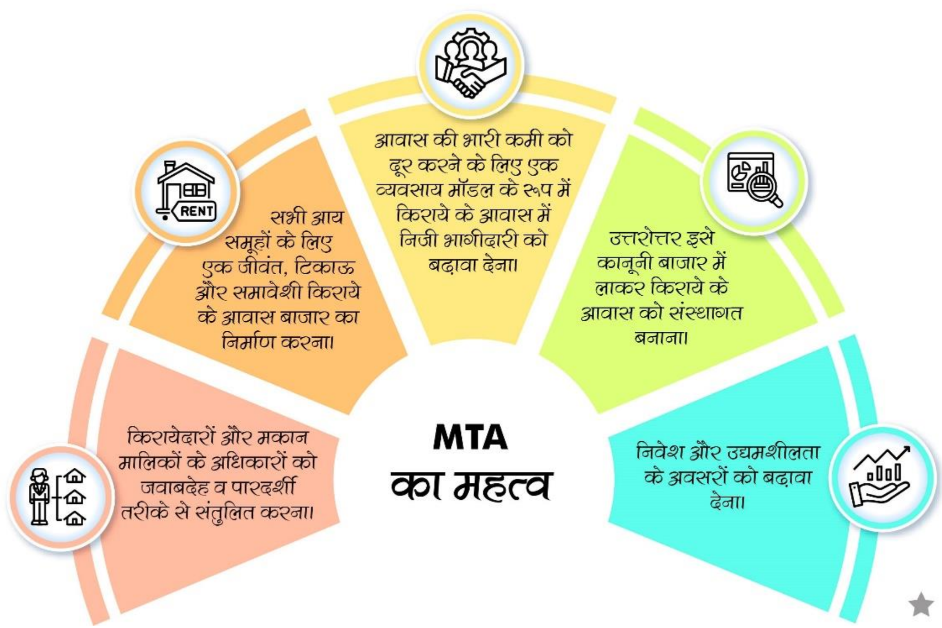

- **सरकारी नियंत्रण:** इस कानून में किराया प्राधिकरण की नियुक्ति और निरीक्षण से संबंधित शक्तियां **शहरी स्थानीय निकाय की बजाय जिला प्रशासन को दी गयी हैं।** इस प्रकार यह प्रावधान संविधान के 74वें संशोधन के तहत परिकल्पित शक्तियों के हस्तांतरण का उल्लंघन है।
- **समान पहुंच का अभाव:** इसके तहत अनिवार्य रूप से **"स्थानीय भाषा में डिजिटल प्लेटफॉर्म"** की शुरुआत करना पंजीकरण को सुविधाजनक बना सकता है। हालांकि, यह पहले से मौजूद डिजिटल साक्षरता में अंतराल को दूर करने में सक्षम नहीं है और विशेष रूप से यह अनौपचारिक क्षेत्रक में किरायेदारों को बाजार तक समान पहुंच प्रदान करने में भी असमर्थ है।
- **किराया से संबंधित भेदभाव:** यह अधिनियम **किरायेदारों को किराये से संबंधित भेदभाव से बचाने में विफल है।** इस तरह के भेदभाव का अनुभव अक्सर **अविवाहितों, अविवाहित जोड़ों, मांसाहारी लोगों, दमितों, धार्मिक अल्पसंख्यकों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों** और लैंगिक अल्पसंख्यकों सहित विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है।
- **गैर-बाध्यकारी प्रवृत्ति:** चूंकि भूमि और शहरी विकास राज्य सूची के विषय हैं, इसलिए यह कानून राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं है। सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के पास अपने मौजूदा अधिनियमों को निरस्त या संशोधित करने का विकल्प है।
    - जैसे, RERA[6] के मामले में यदि कोई राज्य इसके दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने के विकल्प का चयन करता है तो इससे मॉडल एक्ट का मतलब ही ख़त्म हो जाता है।

किफायती आवास के लिए की गई अन्य पहलें:

- **अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (ARHCs):** आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) ने **शहरी प्रवासियों / गरीबों के लिए** ARHCs को शुरू किया है। इसे प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY-शहरी) के तहत एक **उप-योजना के रूप** में आरंभ किया गया है।
    - इसका लक्ष्य **'आत्मनिर्भर भारत' के विज़न को साकार करना है।**
- **PMAY-शहरी:** इस योजना को MoHUA द्वारा लागू किया जा रहा है। यह योजना **मलिन बस्तियों में रहने वाले, EWS / LIG** (निम्न आय समूह) और **MIG** (मध्यम आय समूह) **श्रेणियों** के **लोगों** से संबंधित शहरी आवास की कमी का समाधान करती है। इस योजना का लक्ष्य सभी पात्र शहरी परिवारों को वर्ष 2022 तक पक्का मकान उपलब्ध कराना है।
- **ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज - इंडिया (GHTC-India):** यह MoHUA **की पहल है।** इसका उद्देश्य **आवास निर्माण क्षेत्र के लिए दुनिया भर से नवाचारी भवन निर्माण प्रौद्योगिकियों** (संधारणीय, पर्यावरण-अनुकूल और आपदा प्रत्यास्थ) की पहचान करना और उसे मुख्यधारा में शामिल करना है।

आगे की राह

- **संतुलनकारी दृष्टिकोण:** सरकार को एक समावेशी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इसके लिए किरायेदारों के सामाजिक कल्याण और जमींदारों के आर्थिक हितों को संतुलित करने का एक तरीका अपनाया जाना चाहिए।

[6] रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम

- **निजी भागीदारी: "बिल्ड टू रेंट"** और **"रेंट टू ओन"** जैसे मॉडल्स के माध्यम से किफायती किराए वाले आवासों के निर्माण में निजी क्षेत्रों को शामिल करना चाहिए।
- **गुणवत्ता सुनिश्चित करना:** मॉडल किरायेदारी अधिनियम से परे जाकर एक अलग तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है। ऐसा तंत्र जो मकान मालिकों के लिए उचित आर्थिक लाभ सुनिश्चित करते हुए **किरायेदारों हेतु सुरक्षित और अच्छी गुणवत्ता वाले आवास उपलब्ध करा सके।**
- **एकरूपता:** बाजार में एकरूपता लाने और बढ़ते किराये पर नियंत्रण रखने के लिए, राज्य के कानूनों को इसके दायरे में लाना चाहिए।
- **सहकारी संघवाद:** भूमि और आवास का प्रावधान राज्य सूची का विषय है। इसलिए सभी हितधारकों यानी किरायेदारों, मालिक और राज्य को एक साथ लाने की आवश्यकता है। इससे सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिलेगा।

1.5. सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक (National Standards for Civil Service Training Institutions: NSCSTI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय** ने NSCSTI के लिए राष्ट्रीय मानकों की शुरुआत की है।

NSCSTI के बारे में

- NSCSTI को **'क्षमता निर्माण आयोग' (CBC)**[7] के मुख्यालय में विकसित किया गया है।
  - इसके साथ राष्ट्रीय मानकों के लिए अप्रोच पेपर और वेब-पोर्टल का भी उद्घाटन किया गया।
- **भारत,** ऐसा करने वाला **विश्व का पहला देश** बन गया है। इसने **राष्ट्रीय स्तर पर सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए मानक** बनाने हेतु एक अनूठा मॉडल प्रस्तुत किया है।
  - भारत में उच्चतर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पर्यावरण के क्षेत्र में मानक एवं प्रत्यायन (Accreditation) पहले से ही मौजूद हैं।
- ये मानक 21वीं सदी की उभरती चुनौतियों से निपटने में सिविल सेवकों की मदद करने के लिए **केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों (CTIs)**[8] को सक्षम करेंगे।

क्षमता निर्माण आयोग (Capacity Building Commission)

- इसका गठन वर्ष 2021 में भारत के राजपत्र के माध्यम से किया गया था।
- इस आयोग का मुख्य उद्देश्य सहयोग और आपसी साझेदारी के आधार पर क्षमता निर्माण के लिए **विश्वसनीय एवं एकीकृत दृष्टिकोण** को विकसित करना है।
- इसे पूर्ण **कार्यकारी और वित्तीय स्वायत्तता** के साथ एक स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापित किया गया था।
- CBC में **तीन सदस्य होते हैं। इसकी सहायता एक आंतरिक सचिवालय करता है।** इस सचिवालय का प्रमुख भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर का एक अधिकारी होता है, जिसे CBC के सचिव के रूप में नामित किया गया है।
- **CBC के कार्य**
  - **विभागों, मंत्रालयों और एजेंसियों** की वार्षिक क्षमता निर्माण योजनाओं की तैयारी को सुगम बनाना।
  - **'सिविल सेवाओं की स्थिति' नामक वार्षिक रिपोर्ट** तैयार करना।
  - इस मिशन के लिए नॉलेज पार्टनर्स को मंजूरी देना।
  - क्षमता निर्माण पहल के लिए एक सामंजस्यपूर्ण, साइलो-रहित दृष्टिकोण विकसित करना।

NSCSTI के उद्देश्य:

- NSCSTI, केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के लिए उनकी **वर्तमान क्षमता, उनकी गुणवत्ता और प्रशिक्षण देने की क्षमता** को बढ़ाने तथा **प्रशिक्षण के लिए मानकों में सामंजस्य बिठाने** के लिए एक आधार तैयार करेगा।
- यह प्रशिक्षण संस्थानों के लिए **उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास** करने की आकांक्षाओं को भी निर्धारित करेगा।

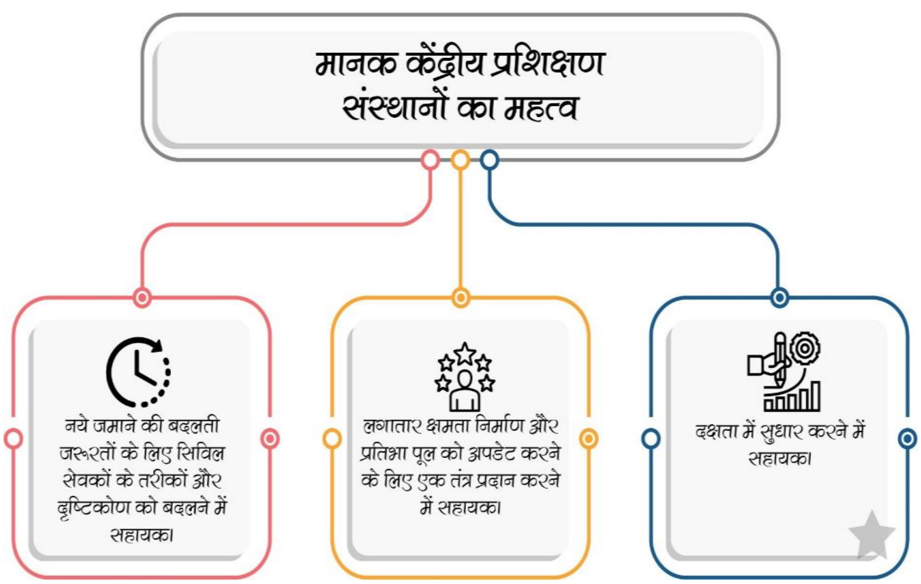

केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों से जुड़े समसामयिक मुद्दे

- **प्रशिक्षण की कमी:** उच्चतर सिविल सेवा जैसे अखिल भारतीय सेवाओं एवं केंद्र और राज्य की

---

[7] Capacity Building Commission

[8] Central Training Institutions

प्रथम श्रेणी की सेवाओं में **प्रवेश के समय और सेवाकाल के दौरान प्रशिक्षण** पर बहुत अधिक बल दिया जाता है। इस संबंध में **मध्य और निचले स्तर के कर्मियों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं की अनदेखी की जाती है।**

- इस प्रकार, अधिकांश सिविल सेवकों (80 से 90%) को प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलता है।

- **समन्वय का अभाव:** प्रशिक्षण कार्यक्रमों की विषय-वस्तु हमेशा प्रशिक्षुओं के लिए **प्रासंगिक और सार्थक नहीं होती है।** इसके अलावा, **प्रशिक्षण संबंधी विषय-वस्तु और प्रशिक्षुओं की वास्तविक नियुक्ति के बीच कोई संबंध नहीं होता है।** साथ ही, कई प्रशिक्षण एजेंसियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों और व्यवस्थित करियर संबंधी विकास की आवश्यकताओं के मध्य समन्वय का अभाव होता है।
- **प्रशिक्षण की पद्धति:** अधिकांश मामलों में प्रशिक्षण संस्थान **प्रशिक्षण की पारंपरिक लेक्चर पद्धति** का पालन करते हैं। इनके द्वारा प्रशिक्षण के नए और आधुनिक तरीकों को आसानी से नहीं अपनाया जाता है। अब भी, अधिकांश संस्थानों में संपूर्ण प्रशिक्षण का लगभग 80% लेक्चर पद्धति के ज़रिए प्रदान किया जाता है।
- **खराब मूल्यांकन:** प्रशिक्षण प्रणाली का **शिक्षा और अनुसंधान से कोई जुड़ाव नहीं है।** साथ ही, प्रशासन में दक्षता सुनिश्चित करने में प्रशिक्षण संबंधी प्रयासों और प्रशिक्षण परिणामों का व्यवस्थित मूल्यांकन नहीं किया जाता है।

आगे की राह

सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानकों के साथ-साथ निम्नलिखित क्षेत्रों को भी प्राथमिकता दी जा सकती है:

- **4E पर ध्यान केंद्रित करना:** प्रशिक्षण संस्थानों में **एम्पावर्ड लर्निंग, इफेक्टिव लर्निंग, एक्सप्लोरेटरी लर्निंग और इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग** के माध्यम से सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करना चाहिए। साथ ही, सिविल सेवकों के स्व-मूल्यांकन की प्रक्रिया विकसित करनी चाहिए।
- **नॉन-परफॉर्मर्स को हटाना:** कार्य न करने वाले सिविल सेवकों को **बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए या उन्हें समयपूर्व सेवानिवृत्ति दी जानी चाहिए।** इससे सिविल सेवकों में **आत्मसंतुष्टि पर अंकुश लगाने, प्रतिस्पर्धी भावना को बढ़ावा देने और कुशल व परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण** विकसित करने में मदद मिलेगी।
- **मध्य-करियर प्रशिक्षण: कार्यक्षेत्र संबंधी ज्ञान और क्षमता विकसित** करने के लिए मध्य-करियर प्रशिक्षण की आवश्यकता है।
- मध्य-करियर प्रशिक्षण सिविल सेवकों को उनके करियर के निर्दिष्ट चरण में, आने वाली चुनौतियों का समाधान करने में प्रशिक्षित करेगा।
- **निगरानी:** राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।

सिविल सेवकों के कामकाज में सुधार के लिए की गई पहलें

- **मिशन कर्मयोगी:** यह एक **एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण (iGOT) प्लेटफॉर्म है।** इसकी तहत सभी सरकारी कर्मचारियों को उनकी रैंक को ध्यान में रखे बिना उनके कार्य क्षेत्रों के आधार पर निरंतर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
  - इसका उद्देश्य न्यू इंडिया के विज़न के अनुसार एक **उचित दृष्टिकोण, कौशल और ज्ञान** के साथ **'भविष्य के लिए तैयार' सिविल सेवा** का निर्माण करना है।
- **आरंभ (Aarambh):** इसे भारत सरकार ने शुरू किया है। यह सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए प्रथम कॉमन फाउंडेशन पाठ्यक्रम है।

- **राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति:** इसे 1996 में अपनाया गया था और 2012 में इसकी समीक्षा की गई थी। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:
  - नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्तरदायी एक **पेशेवर, निष्पक्ष और कुशल सिविल सेवक** तैयार करना;
  - यह सुनिश्चित करना कि सिविल सेवकों के पास आवश्यक ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण हो, जिससे वे अपने निर्धारित कार्यों को करने में सक्षम हों।
- **लैटरल एंट्री:** इसके तहत केवल पदोन्नति के माध्यम से नियमित सिविल सेवकों की नियुक्ति करने की बजाय, प्रशासनिक पदानुक्रम के **मध्य या वरिष्ठ स्तर पर संबंधित कार्यक्षेत्र के विशेषज्ञों को प्रत्यक्ष** रूप से शामिल किया जाता है।

1.6. प्रेस एवं पत्रिका पंजीकरण विधेयक (Registration of Press and Periodicals Bill)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने **प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट, 1867** में संशोधन के उद्देश्य से एक विधेयक प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- 1867 के इस अधिनियम ने प्रेस को नियंत्रित करने, पुस्तकों के प्रकाशन को विनियमित करने तथा **वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता** पर आपातकालीन अंकुश लगाने में सरकारों की मदद की थी।
  - इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रत्येक समाचार पत्र के मुद्रक को **समाचार पत्र के प्रत्येक अंक की दो प्रतियां सरकार को निःशुल्क तथा प्रत्येक अंक की एक प्रति प्रेस रजिस्ट्रार को देनी होती थी।**
- इस अधिनियम के तहत, केंद्र सरकार को **भारतीय समाचार पत्रों के लिए रजिस्ट्रार को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गई थी।** इसके अतिरिक्त, प्रेस रजिस्ट्रार को निर्धारित प्रारूप में समाचार पत्रों को अनिवार्य रूप से संकलित करना होता था।
- प्रिंट की गई **प्रत्येक पुस्तक** या **प्रत्येक समाचार पत्र पर मुद्रक का नाम और मुद्रण का स्थान, प्रकाशक का नाम व प्रकाशन का स्थान** स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए।

अधिनियम का संक्षिप्त इतिहास

- भारत में प्रेस पर नियंत्रण की शुरुआत **सेंसरशिप ऑफ़ प्रेस एक्ट, 1799** से हुई थी। इस अधिनियम को लॉर्ड वेलेजली ने भारत पर फ्रांसीसी आक्रमण से पूर्व प्रेस पर अंकुश लगाने के लिए पारित किया था।
- इस अधिनियम को **1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने वापस ले लिया था।**
- इसके बाद कार्यकारी गवर्नर-जनरल जॉन एडम्स द्वारा **लाइसेंसिंग विनियमन (अध्यादेश), 1823 को अधिनियमित किया गया।**
- गवर्नर-जनरल मेटकाफ ने इस अध्यादेश को रद्द कर दिया तथा इसकी जगह **प्रेस अधिनियम, 1835** को लागू किया।
- **1857 के लाइसेंसिंग अधिनियम** के तहत समाचार पत्रों, मुद्रित सामग्री और सभी प्रकार की पुस्तकों को कानून के दायरे के अधीन ला दिया गया।
- वर्तमान में प्रचलित **प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण (PRB) अधिनियम,1867** का उद्देश्य प्रेस की भूमिका/ गतिविधियों पर अंकुश लगाना था। गौरतलब है कि ब्रिटिश सरकार के अनुसार '1857 के विद्रोह' के पीछे प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका थी।

ड्राफ्ट विधेयक के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य डिजिटल मीडिया को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में लाना और पिछले कानून के औपनिवेशिक चरित्र को समाप्त करना है।

- **पंजीकरण:** विधेयक के पारित होने के बाद, डिजिटल न्यूज़ मीडिया पब्लिकेशन को **90 दिनों के भीतर प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के पास** पंजीकरण कराना आवश्यक होगा।
- **सरकारी संस्था को प्रदान की गईं शक्तियां: कानून के उल्लंघन की स्थिति में** सरकारी संस्था के पास **डिजिटल प्रकाशनों के खिलाफ** कार्रवाई करने की शक्ति होगी। इसके लिए पंजीकरण को निलंबित या रद्द किया जा सकता है तथा जुर्माना भी लगाया सकता है।
- **सरलीकरण:** यह ई-पेपर के **पंजीकरण की 'सरल प्रक्रिया'** को निर्धारित करता है। साथ ही, इसका उद्देश्य **पुस्तकों और संबंधित मामलों के पंजीकरण से संबंधित कुछ मौजूदा प्रावधानों** को हटाना भी है।
- **नियम बनाने हेतु प्राधिकार और शक्ति:** यह विधेयक **केंद्र सरकार** और **राज्य सरकार** को **उपयुक्त नियम/ विनियम बनाने** में सक्षम बनाता है। इसका उद्देश्य समाचार पत्रों में सरकारी विज्ञापन जारी करने, **समाचार पत्रों की मान्यता** तथा समाचार पत्रों के लिए ऐसी अन्य सुविधाओं हेतु **मानदंडों / शर्तों को विनियमित** करना है।
- **अपीलीय बोर्ड:** इस अधिनियम के तहत **प्रेस और पंजीकरण अपीलीय बोर्ड** नामक एक **अपीलीय बोर्ड** का गठन किया जाएगा। इसमें भारतीय प्रेस परिषद (PCI) के अध्यक्ष तथा परिषद के सदस्यों में से परिषद द्वारा नामित किसी एक सदस्य को शामिल किया जाएगा।
    - प्रस्तावित अधिनियम में निर्धारित शर्तों को पूरा करने के बाद बोर्ड निर्णय ले सकता है, जो बाध्यकारी और अंतिम होगा।

ड्राफ्ट विधेयक से संबंधित मुद्दे

- इसके प्रावधानों में यह घोषणा की गई है कि **"न्यूज से संबंधित डिजिटल मीडिया"** के पंजीकरण के नियमों को निर्धारित किया जा सकता है। इससे यह ज़ाहिर होता है कि विधेयक में इन नियमों को लेकर अनिश्चितता और अस्पष्टता बनी हुई है।
- **यह गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967** के तहत दोषी पाए जाने पर व्यक्तियों को प्रकाशन करने से प्रतिबंधित करता है।
- **प्रेस जनरल की नियुक्ति में संस्थागत स्वायत्तता** का अभाव दिखता है।
- **इसके तहत समाचारों को प्रकाशित करने वाले सभी डिजिटल माध्यमों के पंजीकरण** को अनिवार्य कर दिया गया है। यह अनिवार्यता सूचनाओं को लोकतांत्रिक बनाने की इंटरनेट की क्षमता को कमजोर करती है।

निष्कर्ष

प्रेस की स्वतंत्रता तथा **वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता** की गारंटी देने वाले संवैधानिक मूल्यों के मध्य संतुलन को बनाए रखा जाना चाहिए। साथ ही, कानून और व्यवस्था की गड़बड़ी, नफरत फ़ैलाने वाले भाषण आदि जैसे मुद्दों से **लोगों के सामूहिक हितों की रक्षा** करने की भी आवश्यकता है।

1.7. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts)

1.7.1. संसदीय समितियों के कार्यकाल को बढ़ाने का सुझाव (Increasing Tenure of House Committees)

- **राज्य सभा सचिवालय पर पहले व्यापक अध्ययन में** एक कार्यदल ने राज्यसभा के सभापति को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं।
- **प्रमुख सिफारिशें:**
    - स्थिरता और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए **संसदीय स्थायी समितियों (PSC) के कार्यकाल** को 1 वर्ष से **बढ़ाकर 2 वर्ष** किया जाना चाहिए।
    - संसद में **'समिति काल' (Committee Hour)** शुरू किया जाना चाहिए। इस निर्धारित समय में रिपोर्टों के विषयों के व्यापक विस्तार को देखते हुए प्रमुख रिपोर्टों पर चर्चा की जा सकती है।
    - उद्योग और वाणिज्य पर **मौजूदा समितियों का विलय कर देना चाहिए।** साथ ही, पर्यटन तथा संस्कृति भी पर एक नई समिति का गठन किया जाना चाहिए।
    - **विभागीय स्थायी समितियों (DRSCs) की वर्चुअल बैठकें** आयोजित करने पर विचार किया जाना चाहिए। आधुनिक तकनीकों के आने तथा अन्य देशों की विधायिकाओं में किये जा रहे प्रावधानों को देखते हुए ऐसा किया जा सकता है।
    - **राज्यसभा सचिवालय के लिए सिफारिशें:**
        - सभी रिक्तियों को भरा जाना चाहिए।
        - सचिव स्तर के कार्यों को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए। इसमें 75% मुद्दों का निचले और मध्यम स्तर पर निपटान करना शामिल है।
- राज्यसभा सचिवालय की स्थापना **संविधान के अनुच्छेद 98 में निहित प्रावधानों के अनुसार** की गई है। अनुच्छेद 98 में संसद के प्रत्येक सदन के लिए अलग-अलग सचिवालय स्तरीय कर्मियों का प्रावधान किया गया है।
    - राज्यसभा सचिवालय, **राज्यसभा के सभापति के मार्गदर्शन और नियंत्रण में** कार्य करता है।
    - **राज्यसभा सचिवालय के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:**

- राज्यसभा को सचिवालय स्तरीय मदद और समर्थन प्रदान करना,
- संसदीय समितियों को सेवा प्रदान करना;
- राज्यसभा की दिन-प्रतिदिन की कार्यवाही के रिकॉर्ड प्रकाशित करना आदि।

संसदीय समितियों के बारे में

- संसदीय समिति का अर्थ एक ऐसी समिति से है, जो **सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित** या अध्यक्ष/ सभापति द्वारा नामित की जाती है और जो उसके निर्देशन में कार्य करती है। इसका अपना सचिवालय होता है। यह सचिवालय, **लोक सभा/ राज्य सभा सचिवालय द्वारा उपलब्ध** कराया जाता है।
    - संसदीय समितियां अपना प्राधिकार संविधान के **अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 118** से प्राप्त करती हैं।
    - संसद, संसदीय समितियों की **सिफारिशें मानने के लिए बाध्य नहीं** है।
- **संसदीय समितियों के प्रकार:**
    - **स्थायी संसदीय समितियां:** वित्तीय समितियां, विभागीय स्थायी समितियां तथा अन्य समितियां (स्थायी और नियमित समितियां)।
    - **तदर्थ समितियां:** विधेयकों पर चयन और संयुक्त समितियां। ये समितियां एक विशेष उद्देश्य के लिए नियुक्त की जाती हैं तथा सौंपे गए कार्य के समाप्त होने और रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है।

1.7.2. राष्ट्रपति का चुनाव (Election of the President)

- राष्ट्रपति का वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने के कारण उनका पद रिक्त होने जा रहा है। संविधान के **अनुच्छेद 62(1)** के तहत इस रिक्ति को **भरने के लिए** चुनाव प्रक्रिया को **कार्यकाल की समाप्ति (5 वर्ष)** से पहले पूरा किए जाने का प्रावधान है।
- **चुनाव प्रक्रिया**
    - राष्ट्रपति का चुनाव **एक निर्वाचक मंडल** द्वारा किया जाता है। इस **निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित शामिल हैं:**
        - संसद के **दोनों सदनों के** निर्वाचित सदस्य,
        - राज्य **विधानसभाओं के** निर्वाचित सदस्य
        - **दिल्ली और पुडुचेरी विधान सभाओं के** निर्वाचित सदस्य।
    - राज्य सभा, लोक सभा और विधानसभाओं के **मनोनीत सदस्य** तथा राज्य **विधान परिषदों के सदस्य निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं** होते हैं।
    - चुनाव **आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली** के अनुसार **एकल संक्रमणीय मत** के माध्यम से होता है।
    - **विजयी उम्मीदवार** को निर्वाचित घोषित होने के लिए आवश्यक मतों का कोटा हासिल करना होता है। यह कोटा डाले गए कुल **वैध मतों का 50% +1** होता है।
- **दलबदल रोधी कानून** राष्ट्रपति चुनाव में **लागू नहीं** होता है। इस प्रकार, **निर्वाचक दलगत आधार पर मतदान करने के लिए बाध्य नहीं** होते हैं।

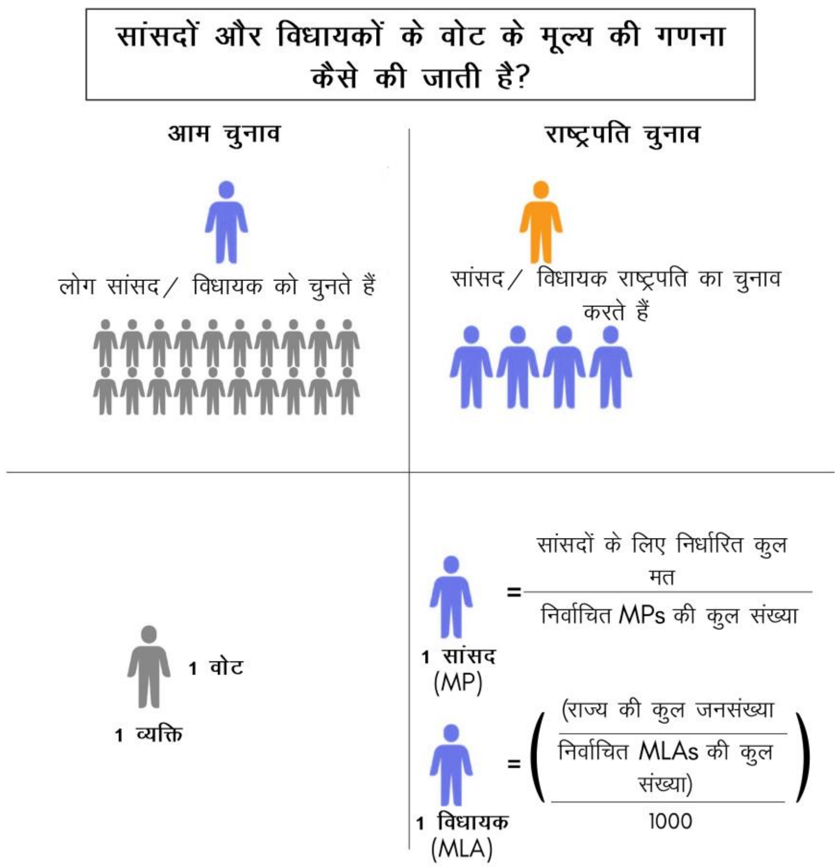

- प्रत्येक **निर्वाचक (सांसद/विधायक) के वोट का मूल्य पूर्व निर्धारित होता है।** प्रत्येक सांसद के वोट का मूल्य 708 निर्धारित किया गया था। राष्ट्रपति के हालिया चुनाव में सांसदों के मत का मूल्य घटकर 700 हो गया।
- इस बार जम्मू–कश्मीर में विधान सभा न होने के कारण **एक सांसद के वोट का मूल्य 708 से घटकर 700 हो गया है।**

- **संविधान के अनुच्छेद 324** के तहत, भारत के **निर्वाचन आयोग** को राष्ट्रपति चुनाव कराने का अधिकार प्राप्त है।

1.7.3. मतदाताओं का पंजीकरण (Registration of Electors)

- चुनाव आयोग (EC) ने **'लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' में कानूनी संशोधन और 'निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960' में संशोधनों के अनुपालन** में निम्नलिखित परिवर्तन किए हैं-
  - ऐसे युवा जिनकी आयु **17 वर्ष से अधिक है,** वे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए **अग्रिम आवेदन कर सकते हैं।**
  - **मतदाता सूची को प्रत्येक तिमाही में अपडेट किया जाएगा।** साथ ही, पात्र युवाओं को उस वर्ष की आगामी तिमाही में पंजीकृत किया जा सकता है, जिस तिमाही में उनकी आयु 18 वर्ष हुई है।
  - **इसमें आधार विवरण को फॉर्म से जोड़ने का वैकल्पिक प्रावधान** भी किया गया है।

1.7.4. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण {District Legal Services Authorities (DLSAs)}

- हाल ही में, प्रधान मंत्री ने प्रथम अखिल भारतीय 'जिला विधिक सेवा प्राधिकरण' (DLSA) बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया।
- DLSA, **विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम (LSA), 1987 के तहत स्थापित** किए गए हैं। **इनके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:**
  - **निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना; लोक अदालतों व** कानूनी साक्षरता शिविरों का आयोजन करना आदि।
  - यह सुनिश्चित करना कि आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण किसी भी नागरिक को **न्याय प्राप्त करने और मौलिक अधिकार का उपयोग करने** के अवसरों से वंचित न किया जाए।
- देश में कुल **676 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण** हैं। इसका प्रमुख **जिला न्यायाधीश** होता है। वह इन प्राधिकरणों के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है।
- DLSA राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा आयोजित **लोक अदालतों को विनियमित करके अदालतों पर बोझ कम करने में भी योगदान** करते हैं।
  - लोक अदालत एक **वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र** है। इसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत **सांविधिक दर्जा** दिया गया है।
- **विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के बारे में**
  - यह कानून समान विशेषताओं वाले एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क को स्थापित करने के लिए बनाया गया था, ताकि कमजोर वर्गों को निशुल्क और बेहतर कानूनी सेवाएं प्रदान की जा सके।
    - संविधान का **अनुच्छेद 39A** समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान करता है। साथ ही, सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है।
  - **NALSA का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम** के तहत किया गया है। **इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:**
    - कानूनी सहायता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करना तथा
    - अधिनियम के तहत कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नीतियों और सिद्धांतों का निर्धारण करना।
  - **क्षेत्रीय और विषय वस्तु आधारित क्षेत्राधिकार के आधार पर,** निःशुल्क कानूनी सेवाएं/ सहायता करने वाले प्राधिकरणों को इन्फोग्राफिक्स में दिखाया गया है।

1.7.5. वर्ष 2022 से नागरिकों के लिए टेली-लॉ सेवा को निःशुल्क किया जा रहा है (Tele-law service to be made free of cost for citizens from 2022)

- **न्याय विभाग और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA/ नालसा) ने कानूनी सेवाओं के एकीकृत वितरण** पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
  - इस समझौते के अनुसार, नालसा प्रत्येक जिले में केवल **टेली-लॉ कार्यक्रम के लिए 700 वकीलों की सेवाएं** प्रदान करेगा।
  - पैनल में शामिल ये वकील **रेफरल वकीलों के रूप में** भी काम करेंगे। ये मुकदमेबाजी से पहले के चरण में **विवाद से बचने में सहायता करेंगे।** साथ ही, ये **विवाद समाधान तंत्र को भी मजबूत** करेंगे।
- **टेली-लॉ पहल** वर्ष 2017 में विधि और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत **न्याय विभाग** ने शुरू की थी। यह पहल एक **विश्वसनीय और कुशल ई-इंटरफेस प्रदान करती है।** यह **मुकदमेबाजी से पहले विवाद समाधान** के उपाय भी सुझाती है।

- टेली-लॉ पहल कानूनी मदद मांगने वाले **हाशिये पर रहे लोगों की कानूनी सहायता** को अधिक महत्व देती है। यह 1 लाख ग्राम पंचायतों में **कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)** में उपलब्ध **टेली/ वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग** अवसंरचना का प्रयोग करती है। इन CSCs के माध्यम से, यह पहल पैनल में शामिल वकीलों द्वारा लोगों को कानूनी सलाह उपलब्ध कराती है।

1.7.6. उपासना स्थल अधिनियम (Places of Worship Act)

- उच्चतम न्यायालय ने जैन समुदाय के एक उप-संप्रदाय द्वारा संविधान के **अनुच्छेद 32 के तहत दायर एक याचिका को खारिज** कर दिया है। इस याचिका में जैन समुदाय के एक संप्रदाय द्वारा, उसी धर्म के एक अन्य संप्रदाय द्वारा अपने धार्मिक स्थानों के कथित रूपांतरण के खिलाफ 'उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम', 1991 को लागू करने की मांग की गई थी।
- **वर्ष 1991 का यह अधिनियम किसी भी उपासना स्थल के रूपांतरण पर रोक** लगाता है। साथ ही, यह किसी भी उपासना स्थल के उस धार्मिक चरित्र को बनाए रखने के लिए प्रावधान करता है, जैसा यह 15 अगस्त, 1947 को था।
- **अधिनियम के प्रमुख प्रावधान**
  - **धारा 3:** यह किसी भी धार्मिक संप्रदाय के उपासना स्थल को पूर्ण या आंशिक रूप से, एक अलग धार्मिक संप्रदाय के उपासना स्थल में बदलने पर रोक लगाती है। यहां तक कि यह एक ही धार्मिक संप्रदाय के एक अलग खंड में रूपांतरण को भी रोकती है।
  - **धारा 4(2):** इस अधिनियम के प्रारंभ पर, **15 अगस्त, 1947 को विद्यमान** किसी भी उपासना स्थल के धार्मिक स्वरूप के परिवर्तन के संबंध में किसी भी **अदालत के समक्ष लंबित कोई भी मुकदमा या कानूनी कार्यवाही समाप्त** हो जाएगी। साथ ही, कोई **नया मुकदमा या कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं** की जाएगी।
- **महत्व**
  - इस कानून के माध्यम से, राज्य ने सभी धर्मों की समानता व पंथनिरपेक्षता को बनाये रखने के लिए एक संवैधानिक प्रतिबद्धता को लागू किया है। साथ ही, अपने संवैधानिक दायित्वों को व्यवहार में लाने का प्रयास किया है।
  - यह धारा भारत के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की एक अनिवार्य विशेषता के रूप में प्रतिगमन (पुरानी-स्थिति में वापस लौटना) को रोकती है। इसका मतलब है कि लोगों को प्राप्त अधिकारों का अब कोई प्रतिगमन नहीं होना चाहिए।

1.7.7. परिवार न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022 {The Family Courts (Amendment) Act, 2022}

- लोक सभा ने **'हिमाचल प्रदेश' और 'नागालैंड' में पहले से स्थापित परिवार न्यायालयों को वैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए एक विधेयक** पारित किया है।
- यह विधेयक **'परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984' में संशोधन** करता है। इस अधिनियम में **'परिवार' और 'विवाह' से संबंधित विवादों से निपटने के लिए राज्यों द्वारा 'परिवार न्यायालयों' की स्थापना** का प्रावधान किया गया है।
  - विभिन्न राज्यों में इस अधिनियम के लागू होने की **तारीखों को अधिसूचित करने का अधिकार केंद्र सरकार** के पास है।
  - हिमाचल प्रदेश और नागालैंड ने इस अधिनियम के तहत अपने राज्यों में परिवार न्यायालयों की स्थापना की है। हालांकि, **केंद्र सरकार ने इन राज्यों में अधिनियम के अनुप्रयोग का विस्तार नहीं किया है।**

1.7.8. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण {Central Consumer Protection Authority (CCPA)}

- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) की स्थापना के दो वर्ष पूरे हुए।
- CCPA की स्थापना **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (CPA), 2019** के तहत की गई है। इसका गठन **उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, उनकी रक्षा करने और उन्हें लागू करने के लिए** किया गया है।
  - उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (CPA), 2019 ने **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 का स्थान लिया** है। उपभोक्ताओं की चिंताओं को दूर करने के लिए **अधिनियम के दायरे का विस्तार** किया गया है।
- **केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) के बारे में**
  - यह निम्नलिखित के द्वारा उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करता है:
    - **अनुचित व्यापार प्रथाओं को नियंत्रित** करके तथा
    - जनता के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले **झूठे और भ्रामक विज्ञापनों पर प्रतिबंध** लगाकर।
  - **इसके पास निम्नलिखित अधिकार भी हैं:**
    - उपभोक्ता **अधिकारों के उल्लंघन की जांच** करना,
    - असुरक्षित **वस्तुओं और सेवाओं को वापस लेने का आदेश** देना,
    - अनुचित व्यापार प्रथाओं और **भ्रामक विज्ञापनों को बंद करने का आदेश** देना,

  - भ्रामक विज्ञापनों के निर्माताओं/ प्रचारकों/ प्रकाशकों पर **दंड आरोपित करना आदि।**
- यह उन उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए **क्लास एक्शन (सामूहिक कानूनी मुकदमा)** शुरू कर सकता है, जिन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं है।

- CCPA के किसी भी **आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग** के समक्ष अपील की जा सकती है। यह अपील आदेश की प्राप्ति की तिथि से **30 दिनों की अवधि के भीतर** की जा सकती है।
- एक अन्य घटनाक्रम में, उच्चतम न्यायालय ने राज्यों को **राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (SCDRC) में पद रिक्त होने से 6 महीने पहले रिक्तियों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश** दिया है, जैसा कि उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2020 में अनिवार्य किया गया है।
  - SCDRCs, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (CPA), 2019 के तहत **राज्य स्तरीय अपीलीय निकाय** हैं।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **राजव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

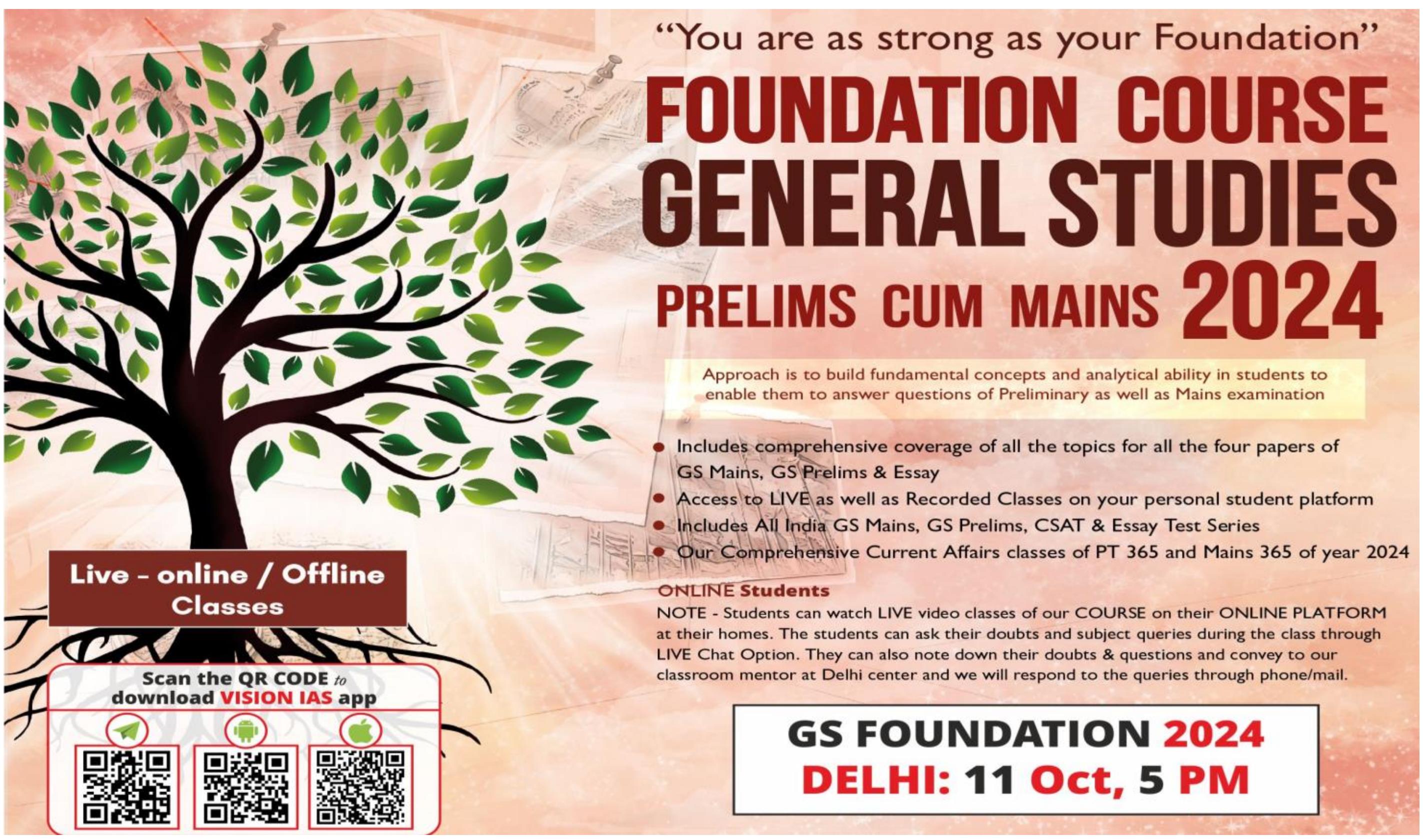

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

2.1. भारत- इजरायल- संयुक्त अरब अमीरात- संयुक्त राज्य अमेरिका (I2U2) {India- Israel- United Arab Emirates - USA (I2U2)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, I2U2 (भारत, इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका) देशों के नेताओं के प्रथम वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ।

इस शिखर सम्मेलन की प्रमुख विशेषताओं पर एक नजर:

विशेषताएं	विवरण
खाद्य सुरक्षा	• संयुक्त अरब अमीरात संपूर्ण भारत में **एकीकृत खाद्य पार्कों की एक श्रृंखला विकसित करने के लिए 2 बिलियन डॉलर का निवेश** करेगा। यह खाद्य अपव्यय और इसके खराब होने की दर को कम करेगा। साथ ही, यह ताजे जल के संरक्षण के लिए **जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों को भी परिनियोजित करेगा।**
नवीकरणीय ऊर्जा	• **गुजरात में एक हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना** की स्थापना की जाएगी। इस परियोजना में **300 मेगावाट (MW) की पवन और सौर ऊर्जा क्षमता** शामिल है। इसके लिए पूरक के तौर पर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की व्यवस्था की जाएगी। • इससे भारत को **वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट (GW) गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता** के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
एम फॉर क्लाइमेट	• इन देशों के नेताओं ने **एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट इनिशिएटिव** (AIM फॉर क्लाइमेट) में अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और इजरायल के साथ शामिल होने की भारत की रुचि का स्वागत किया है। • इस पहल का उद्देश्य कृषि उद्योग के लिए पेरिस समझौते में निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में मदद करना है। इस समझौते में **वैश्विक तापन को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित** करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

I2U2 के बारे में

- I2U2 मंच का **पहली बार उल्लेख इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अब्राहम समझौते** के अनुसरण में **अक्टूबर 2021 में** किया गया था। इस मंच को **समुद्री सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और परिवहन** से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए प्रस्तुत किया गया था।
  - इसे एक **अंतर्राष्ट्रीय मंच** के रूप में स्थापित किया गया है। इसके उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:
    - पारस्परिक हितों के साझा क्षेत्रों पर चर्चा करना;
    - व्यापार में आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना; तथा
    - संबंधित क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों में निवेश करना।
  - I2U2 को **'पश्चिम एशियाई क्वाड' के रूप में भी जाना जाता** है।
  - **यह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर केंद्रित है,** इसमें **सैन्य दृष्टिकोण शामिल नहीं है।**

अब्राहम समझौता

- अब्राहम समझौता, **इजरायल और कई अरब देशों के मध्य शांति समझौतों** की एक शृंखला है। यह समझौता सबसे पहले **संयुक्त अरब अमीरात** के साथ हस्ताक्षरित किया गया था।
  - वर्ष 2020 में, **संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्यस्थता के बाद** इस समझौते को **संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और इजरायल** के मध्य लागू किया गया था।
- 'अब्राहम' नाम दुनिया के तीन प्रमुख धर्मों - इस्लाम, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म के **एक ही परमेश्वर को संदर्भित करता है।**
- यह प्रतीकात्मक तौर पर प्रयोग किया जाने वाला एक शीर्षक है, जो साझा कुल/वंश को मान्यता देकर **अरबी और यहूदी लोगों के बीच एकता को बढ़ावा देता है।**

- इसके तहत **सहयोग के छह क्षेत्रों की पहचान की गयी है, जिसमें जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा शामिल हैं।**
  - I2U2 का **लक्ष्य निजी क्षेत्र की पूंजी और विशेषज्ञता को जुटाना है।** इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं-
    - अवसंरचना का आधुनिकीकरण करना,
    - उद्योगों के लिए कम कार्बन आधारित विकास मार्ग प्रशस्त करना,

- लोक स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार करना, तथा
- हरित और उभरती महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देना।

भारत के लिए I2U2 का महत्व

- **हिंद महासागर:** यह भारत, स्वेज नहर और दक्षिण अफ्रीका के बीच स्थित **पश्चिमी हिंद महासागर से सटे देशों के साथ अधिक से अधिक संपर्क को सुगम** बनाएगा।
  - **विश्व व्यापार का कम से कम 12 प्रतिशत स्वेज नहर के माध्यम** से होता है। स्वेज नहर, लाल सागर के माध्यम से हिंद महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है।
- **बाजार तक पहुंच:** यह मंच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने में मदद करेगा। साथ ही, यह संयुक्त अरब अमीरात सहित **पश्चिम एशिया में रणनीतिक बाजारों तक पहुंच भी प्रदान करेगा।** इसके अतिरिक्त, यह भारत में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है।
- **मध्य-पूर्व के साथ संबंध:** इस मंच के माध्यम से भारत **मध्य-पूर्व के साथ अपने संबंधों को मजबूत** कर सकता है। गौरतलब है कि मध्य-पूर्व क्षेत्र भारत की ऊर्जा तथा आर्थिक हितों की पूर्ति करता है तथा बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासियों को रोजगार प्रदान करता है। इसके अलावा, यह **एशिया के बाहर भी संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंधों का विस्तार** करने के अवसरों को बढ़ाएगा।
  - इजरायल और अरब देशों के मध्य मौजूदा अंतराल को पाटने में भारत इस मंच का उपयोग कर सकता है।
- **वैश्विक स्थिति को मजबूत करने के रूप में:** क्वाड के बाद, **I2U2 में भारत की भागीदारी इसकी वैश्विक स्थिति को मजबूत करेगी।** इस तरह की भागीदारी से भारत को रूस, यूरोप और चीन जैसी अन्य प्रमुख शक्तियों के साथ समन्वय स्थापित कर रणनीतिक रूप से अपनी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चिंताओं को दूर करने में मदद मिल सकती है।
- **सुरक्षा:** यह मंच समुद्री डकैती, ड्रग्स और हथियारों की अवैध तस्करी तथा आतंकवाद जैसे **खतरों को कम करने में मदद करेगा।**

I2U2 से जुड़े मुद्दे

- **स्पष्टता का अभाव:** इस मंच के सामरिक लक्ष्य स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किए गए हैं। उदाहरण के लिए- कई रणनीतिज्ञ I2U2 को **ईरान को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए एक संगठन** के रूप में देखते हैं। उनके अनुसार यह **भारत और ईरान के संबंधों को नकारात्मक रूप से प्रभावित** कर सकता है।
- **सदस्यों के बीच विषमता:** इस मंच के सदस्य देश शक्ति की दृष्टि से समान नहीं हैं। उदाहरणार्थ, भारत और संयुक्त अरब अमीरात की तुलना में **संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल सैन्य रूप से अधिक मजबूत हैं।**
- **सहयोग:** एक मुद्दा यह भी है कि चीन तथा रूस से निपटने के तरीकों को लेकर I2U2 समूह के देशों के मध्य परस्पर मत भिन्नता बनी हुई है। यह स्थिति समूह के भविष्य और इसकी सफलता की संभावनाओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है।
  - **उदाहरण के लिए,** रूस-यूक्रेन युद्ध से संबंधित मतदान प्रक्रिया में भारत ने भाग नहीं लिया था।
- **सुरक्षा:** I2U2 भारत के लिए चुनौती पैदा कर सकता है। उदाहरण के लिए- **अमेरिका द्वारा प्रायोजित और समर्थित इजरायल-अरब सुरक्षा समझौता मध्य-पूर्व में भारत की "रणनीतिक स्वायत्तता"** को जटिल बना सकता है। हालांकि, भारत इस क्षेत्र में **तटस्थ रुख बनाए रखने का पक्षधर रहा है।**
- **पश्चिम एशिया में आंतरिक संघर्ष:** अरब जगत में आंतरिक संघर्ष ईरान जैसे भारत के महत्वपूर्ण साझेदारों को पुराने समूह से दूसरे नए समूह में शामिल होने के लिए बाध्य कर सकता है।
  - **उभरती स्थिति से दो गुटों का निर्माण हो सकता है:** प्रथम गुट में **चीन, पाकिस्तान, रूस, ईरान और तुर्की** हो सकते है। वहीं दूसरे गुट में **भारत, इजरायल, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात** के शामिल होने की संभावना है।

आगे की राह

- **द्विपक्षीय चिंताओं को दूर करना:** चूंकि, **पश्चिम एशियाई क्षेत्र की जटिलताओं के प्रबंधन में अनेक कठिनाइयां मौजूद हैं, इसलिए** इन चार देशों के बीच सहयोग को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।
  - इन चारों देशों के बीच आपसी सहयोग के माध्यम से ही प्रतिद्वंद्वी देशों को कूटनीतिक और रणनीतिक रूप से संतुलित किया जा सकता है। साथ ही, इससे उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को भी बनाए रखा जा सकता है।
- **सहयोग:** I2U2 भविष्य में **नए क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाकर** या अन्य भागीदारों के साथ सहयोग करके मध्य-पूर्व और दक्षिण एशिया दोनों में अपना विस्तार कर सकता है।

 ©Vision IAS

- **विकास:** बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्रित प्रयास करने की आवश्यकता है। यह जलवायु परिवर्तन शमन, लोक स्वास्थ्य और पश्चिम एशिया के विकास में सहायता प्रदान कर सकता है।
- **शांति बनाए रखना:** I2U2 का लक्ष्य पश्चिम और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा तथा आर्थिक संवृद्धि जैसी बढ़ती चिंताओं को दूर करना होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, इन क्षेत्रों में शांति बनाए रखने की दिशा में भी कदम उठाया जाना चाहिए।

संबंधित तथ्य

भारत, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) व फ्रांस ने अपनी पहली त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की

- इस बैठक का उद्देश्य **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग के संभावित क्षेत्रों का पता** लगाना था।
  - **इन क्षेत्रों में शामिल हैं:** समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR), **ब्लू इकोनॉमी**, क्षेत्रीय संपर्क, बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग, **ऊर्जा एवं खाद्य सुरक्षा,** स्टार्टअप्स आदि।
- **भारत - संयुक्त अरब अमीरात - फ्रांस त्रिपक्षीय मंच और इसका महत्व -**
  - **त्रिपक्षीय फ्रेमवर्क के तहत हिंद प्रशांत में सहयोग को बढ़ावा देना।** इस क्षेत्र में चीन की सैन्य मौजूदगी के बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय चिंता में भी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में यह सहयोग महत्वपूर्ण हो जाता है।
  - यह ऊर्जा और क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र या अरब सागर में **रणनीतिक स्वायत्तता** को बढ़ाएगा।
    - **संयुक्त अरब अमीरात और भारत, दोनों पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र के देश** हैं। वहीं फ्रांस के दो समुद्रपारीय राज्यक्षेत्र - **मैयट और रीयूनियन** इस क्षेत्र में मौजूद हैं। इस रूप में वह भी इस क्षेत्र की एक स्थानीय शक्ति है। **यूएई और जिबूती** में फ्रांस के इंटर-सर्विस बेस भी हैं।
  - यह **भारत की वैश्विक भूमिका** के साथ-साथ भारत की **एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक वेस्ट पॉलिसी, क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और विकास (सागर/SAGAR) पहल** आदि की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है।
  - यह 'स्वतंत्र और मुक्त हिंद-प्रशांत' के **साझा लक्ष्यों की दिशा में कार्य करने का अवसर** भी प्रदान करता है।
- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए अन्य पहलें-**
  - ब्रिक्स,
  - क्वाड,
  - भारत-जापान-ऑस्ट्रेलिया मंच,
  - भारत-ऑस्ट्रेलिया-फ्रांस मंच (इसे ऑस्ट्रेलिया में नई सरकार के तहत पुनर्जीवित किया जाएगा) और
  - भारत-इंडोनेशिया-ऑस्ट्रेलिया मंच (संभावित)।
  - भारत और संयुक्त अरब अमीरात I2U2 मंच के भी सदस्य हैं। इस मंच के अन्य सदस्य देश हैं- इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका।

2.2. चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (China Pakistan Economic Corridor: CPEC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

चीन और पाकिस्तान ने CPEC परियोजना में अफगानिस्तान को शामिल करने का फैसला किया है। दोनों देश अफगानिस्तान में CPEC परियोजनाओं का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं।

CPEC के बारे में

- CPEC एक **बुनियादी ढांचा परियोजना** है, बलूचिस्तान में **पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह** को **चीन के उत्तर-पश्चिमी शिनजियांग क्षेत्र** से जोड़ती है। इस मार्ग की लम्बाई **3,000 किलोमीटर** है।
- CPEC **चीन की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (BRI) का एक हिस्सा है।**
  - वर्ष 2013 में शुरू की गई BRI का उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका और यूरोप को भूमि तथा समुद्री मार्गों के

नेटवर्क से जोड़ना है।

- यह चीन को ग्वादर बंदरगाह से **मध्य पूर्व और अफ्रीका** तक पहुंचने का मार्ग उपलब्ध कराएगा। साथ ही, यह चीन को **हिंद महासागर तक बेहतर पहुंच** प्रदान करेगा। बदले में, चीन पाकिस्तान को ऊर्जा संकट से उबरने तथा लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को स्थिर करने हेतु **पाकिस्तान में विकास परियोजनाओं में सहयोग करेगा।**
- भारत ने कई बार CPEC पर अपना विरोध दर्ज कराया है।

CPEC को लेकर भारत की आपत्तियां और आशंकाएं

- **भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन:** CPEC, चीन द्वारा **एकतरफा अर्थात् केवल अपने हितों को केंद्र में रखकर तैयार** किया गया एक पहल है। यह केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के उन हिस्सों से होकर गुजरता है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा किया है।
- **रणनीतिक रूप से भारत को घेरने हेतु किए जा रहे चीनी प्रयासों से जुड़ी धारणाएं:** विशेषज्ञों का मानना है कि CPEC भारत के खिलाफ द्विपक्षीय सैन्य गठबंधन बनाने में चीन-पाकिस्तान को रणनीतिक सहयोग प्रदान करेगा।
- **पारदर्शिता और वित्तीय व्यवहार्यता की कमी को लेकर आशंकाएं:** यह भी आशंका है कि ऋण चुकाने में असमर्थ रहने वाले देशों के आंतरिक मामलों में चीन हस्तक्षेप करेगा। विशेष रूप से, हालिया श्रीलंकाई संकट के मामले में यह देखा जा सकता है।
- **संभावित सुरक्षा निहितार्थ:** परियोजना के अंतर्गत निर्मित सड़कें संभावित रूप से पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट (ETIM) जैसे इस्लामी विद्रोहियों के लिए एक पारगमन बिंदु के रूप में कार्य कर सकती हैं।

BRI परियोजनाओं पर भारत का रुख चीन के लिए क्यों मायने रखता है?

- एक **निकट पड़ोसी और इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण शक्ति** होने के नाते भारत को चीन की पड़ोस नीति के संदर्भ में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है।
- **BRI को वैधता प्रदान करना:** भले ही इसे एकतरफा विकसित किया गया है, फिर भी BRI का द्विपक्षीय/ बहुपक्षीय रूप से विस्तार किया जाना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही, BRI की वैधता का समर्थन करने के लिए भारत को चर्चा में शामिल करना एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
- **BRI के नीतिगत उद्देश्यों की महत्वपूर्ण उपलब्धि:** BRI के पांच प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को भारतीय सहयोग से विभिन्न स्तरों पर बेहतर ढंग से हासिल किया जा सकता है। इसमें नीति समन्वय, संपर्क को सुगम बनाना, अबाधित व्यापार, वित्तीय एकीकरण और लोगों से लोगों के बीच संबंध शामिल हैं।
- **वैश्विक शांति:** भारत का सक्रिय जुड़ाव स्थायी संबंधों को बढ़ावा देगा, जो भावी अंतर्राष्ट्रीय शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है।
- **भारतीय बाजार चीनी निवेश के लिए लाभदायक हैं:** BRI वार्ता में भारत को शामिल करने से दोनों देशों को एक-दूसरे के खिलाफ अविश्वास को दूर करने में मदद मिलेगी। इससे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों के निवेश और सहयोग में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

चीन के BRI के प्रति भारत का समग्र दृष्टिकोण

- भारत को क्षेत्रीय संपर्क के आर्थिक लाभों को प्राप्त करने के लिए **अपने अन्य अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ सक्रिय सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए।** साथ ही, इसे चीन से अलग अपने रणनीतिक प्रभुत्व को बनाए रखने हेतु भी प्रयास को तेज करना चाहिए।
  - उदाहरण के लिए- एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर (AAGC) के रूप में, भारत और जापान BRI के विरुद्ध एक उदार तथा नियम आधारित विकल्प प्रदान कर सकते हैं।
- **चीन के सैन्य प्रभुत्व का मुकाबला करना:** भारत ने इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभुत्व का मुकाबला करने हेतु क्वाड्रीलेटरल सुरक्षा वार्ता (क्वाड) के लिए अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने सहयोग को मजबूत किया है।
- इसके अतिरिक्त, भारत क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय सहयोग, जैसे- बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल (BBIN), और सागर पहल तथा प्रोजेक्ट मौसम की सहायता से अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति को प्रोत्साहित कर रहा है। इनके माध्यम से, **भारत अपनी रणनीतिक आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने और BRI के बढ़ते प्रभाव का जवाब देने का प्रयास कर रहा है।**

निष्कर्ष

भारत सरकार का दृढ़ विश्वास है कि कनेक्टिविटी पहल सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित होनी चाहिए। उन्हें खुलेपन, पारदर्शिता और वित्तीय जिम्मेदारी के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। साथ ही, ऐसे पहल को अन्य देशों की संप्रभुता, समानता और क्षेत्रीय अखंडता को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़या जाना चाहिए।

 ©Vision IAS

2.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts)

2.3.1. जापान के पूर्व प्रधान मंत्री शिंजो आबे की हत्या {Former Japan Prime Minister (PM) Shinzo Abe Assassinated}

- शिंजो आबे सबसे लंबे कार्यकाल तक जापान के प्रधान मंत्री रहे थे। उन्होंने जापान की अर्थव्यवस्था का कायाकल्प करने और वैश्विक मंच पर इसकी भूमिका को फिर से स्थापित करने के लिए अधिक **मुखर नीतियों पर बल** दिया था।
  - उनकी पुस्तक **'उत्सुकुशी कुनी ई'** (टुवाड्र्स ए ब्यूटीफुल कंट्री) में भारत का विशेष उल्लेख किया गया है।
- **शिंजो आबे के प्रमुख योगदान**

आर्थिक	• उनकी आर्थिक नीति को **'आबेनॉमिक्स'** के रूप में जाना जाता है। इसे वर्ष 2013 में शुरू किया गया था। इसमें **मौद्रिक नीति में लोचशीलता, राजकोषीय प्रोत्साहन और संरचनात्मक सुधारों को अपनाकर** दो दशकों से अधिक समय तक व्याप्त **अवस्फीति** (deflation) को दूर करने के उपाय सुझाए गए थे।
विदेश नीति	• उनकी **'आर्क ऑफ फ्रीडम एंड प्रोस्पेरिटी'** नीति के तहत, हिंद-प्रशांत क्षेत्र एक सामयिक राजनीतिक, सामरिक और आर्थिक वास्तविकता के रूप में उभरा है। • उन्होंने लोगों, वस्तुओं, पूंजी और ज्ञान के मुक्त प्रवाह के लिए वर्ष 2007 में **'चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद' (QUAD)** का विचार प्रस्तुत किया था।
रक्षा	• द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार उनके कार्यकाल में **जापानी सैनिकों को विदेशी भूमि पर लड़ने की अनुमति** देने के लिए संविधान की फिर से व्याख्या की गई थी। साथ ही, उस **प्रावधान को भी रद्द कर दिया गया था**, जिसके तहत **एक मित्र देश पर हमले की दशा में उसकी रक्षा करने के अधिकार का प्रयोग** करने पर प्रतिबंध था।
सामाजिक	• **वुमेनिक्स** की नीति अपनाई गई। इसके तहत कंपनियों को विशेष रूप से तैयार की गई **सरकारी नीतियों की मदद से महिलाओं के नियोजन को बढ़ाने के लिए प्रेरित** किया गया था। इस नीति के तहत महिलाओं को नियोजित करने वाली कंपनियों को पुरस्कृत करने के लिए **तरजीही सरकारी अनुबंध** और सरकार द्वारा वित्त पोषित **डे-केयर सेंटर** की सुविधाएं प्रदान की गयी थीं।

- **भारत-जापान संबंधों में उनका योगदान**
  - आबे ने शांति और सुरक्षा के लिए भारत-जापान के बीच **विशेष सामरिक एवं वैश्विक साझेदारी** को बढ़ावा दिया था।
  - आबे के कार्यकाल में, जापान ने प्रमुख परियोजनाओं में सहायता के माध्यम से **भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के दसवें हिस्सा का योगदान** दिया था। इन परियोजनाओं में मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना भी शामिल थी।
  - उन्होंने **चार अंतर्राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में भारत के प्रवेश का समर्थन** किया था। इसके अतिरिक्त, रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी में भी सहयोग को बढ़ावा दिया था।
- शिंजो आबे के योगदान के लिए, भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2021 में **प्रतिष्ठित पद्म विभूषण पुरस्कार** से सम्मानित किया था।

2.3.2. एक देश, दो प्रणाली (One Country, Two Systems)

- चीन ने हांगकांग पर पुनः नियंत्रण की 25वीं वर्षगांठ मनायी। इस दौरान उसने **एक देश, दो प्रणाली (OCTS)** के तहत हांगकांग पर चीन के नियंत्रण पर बल दिया।
- **'एक देश, दो प्रणाली' का इतिहास**
  - इसे मूल रूप से **चीन और ताइवान को एकजुट** करने के लिए प्रस्तावित किया गया था। लेकिन, ताइवान ने इसे अस्वीकार कर दिया था।
  - यह विचार तब फिर से सामने आया, जब चीन ने **ब्रिटेन और पुर्तगाल के साथ वार्ताएं शुरू** की। तब ब्रिटेन और पुर्तगाल क्रमशः **हांगकांग और मकाऊ** पर औपनिवेशिक शासन कर रहे थे।
- **एक देश, दो प्रणाली (OCTS) के बारे में**
  - चीन के अनुसार इस प्रणाली के तहत **मुख्यभूमि चीन का भाग होते हुए भी हांगकांग और मकाऊ की भिन्न आर्थिक एवं राजनीतिक प्रणालियां** हो सकती हैं।
  - दोनों क्षेत्र **चीन के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र** बन गए। इनकी **अपनी भिन्न मुद्राएं तथा आर्थिक और कानूनी प्रणालियां** हैं।
    - हालांकि, **रक्षा और विदेश मामलों पर चीन** निर्णय लेता है।

- इसके अलावा, हांगकांग के पास **सभा करने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता** है। साथ ही, कुछ लोकतांत्रिक अधिकार भी हैं, जो **मुख्य भूमि चीन में उपलब्ध नहीं** हैं।
    - इन स्वतंत्रताओं को **मूल कानून** द्वारा संरक्षित किया जाता है। मूल कानून एक लघु-संविधान है। यह हांगकांग और चीन के बीच संबंधों का मार्गदर्शन करता है।
    - मूल कानून **50 वर्षों के लिए मान्य** है। यह **हांगकांग के लिए वर्ष 2047 तक और मकाऊ के लिए वर्ष 2049 तक** मान्य होगा। लेकिन, यह स्पष्ट नहीं है कि **इस अवधि के बाद क्या होगा।**

हांगकांग और मकाऊ

- **प्रथम अफीम युद्ध** के बाद **वर्ष 1842** में अंग्रेजों ने **हांगकांग पर अधिकार** कर लिया था। वर्ष 1898 में, ब्रिटेन और चीन ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
    - इसके तहत अंग्रेजों को **हांगकांग के आसपास के द्वीप 99 वर्षों के लिए पट्टे (लीज़) पर** दे दिए गए।
- दूसरी ओर, **मकाऊ पर 1557 ई. से पुर्तगालियों का शासन** था।
- वर्ष 1980 के दशक में, चीन ने दोनों क्षेत्रों की प्राप्ति के लिए ब्रिटेन और पुर्तगाल **के साथ वार्ता** शुरू की।
- वर्ष **1997 में हांगकांग** चीनी नियंत्रण में वापस आ गया। वहीं **मकाऊ** की संप्रभुता **वर्ष 1999** में स्थानांतरित कर दी गई।

2.3.3. अनाज के निर्यात को फिर से शुरू करने का रूस और यूक्रेन समझौता (Russia-Ukraine deal To Resume Grain Exports)

- हाल ही में, रूस और यूक्रेन ने काला सागर के बंदरगाहों से **अनाज के निर्यात को फिर से शुरू करने पर सहमति** व्यक्त की है। इन बंदरगाहों में शामिल हैं: ओडेसा, चेर्नोमोर्स्क और यूजनी। यह सहमति **संयुक्त राष्ट्र संघ और तुर्की** के बीच हुए एक समझौते का हिस्सा है।
    - यह समझौता **जहाजों की सुरक्षित आवाजाही** का प्रावधान करता है।

- **समझौते का महत्व:**
    - **वैश्विक खाद्य संकट को कम करना:** रूस के आक्रमण की वजह से काला सागर के बंदरगाहों पर लगभग **22 मिलियन टन अनाज और सूरजमुखी तेल** जैसी आवश्यक वस्तुएं फंसी हुई हैं। इस समझौते के बाद यूक्रेन इन वस्तुओं का निर्यात कर सकेगा।
    - समझौते के बाद **रूस उर्वरकों का निर्यात कर सकेगा।** इससे विश्व में फसलों की उच्च पैदावार सुनिश्चित होगी और खाद्यान्न की कीमतों को कम करने में मदद मिलेगी।
        - विश्व के कुल **उर्वरक उत्पादन में रूस का 13% हिस्सा** है।
- **वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में रूस और यूक्रेन का महत्व**
    - विश्व में **एक चौथाई से अधिक गेहूं की आपूर्ति (रूस 20% तथा यूक्रेन 8%)** इन्हीं दोनों देश द्वारा की जाती है।
    - **यूक्रेन दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मक्का निर्यातक** देश है। वैश्विक मक्का निर्यात में उसकी **हिस्सेदारी 16% है।**
    - **यूक्रेन सूरजमुखी के तेल** का दुनिया का **सबसे बड़ा निर्यातक** है।

2.3.4. S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट (Sanctions Waiver For S-400 Missile System)

- संयुक्त राज्य अमेरिका के हाउस ऑफ़ रिप्रेजेन्टेटिव ने एक विधायी संशोधन पारित किया है। इसके तहत भारत पर **काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट (CAATSA)** के तहत लागू आर्थिक प्रतिबंधों से उसे छूट दी गयी है।

©Vision IAS

- भारत ने वर्ष 2018 में रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने पर एक समझौता किया था। इसी कारण अमेरिका ने भारत पर CAATSA एक्ट के माध्यम से आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। उल्लेखनीय है कि यह मिसाइल रक्षा प्रणाली **चीन जैसे आक्रामक देशों को रोकने में सहायक हो सकती है**।
  - अमेरिका चीन के खिलाफ अपनी लड़ाई में भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में देखता है। यदि ये प्रतिबंध जारी रहते हैं, तो **क्वाड पर काफी प्रभाव** पड़ सकता है, क्योंकि **भारत क्वाड का सदस्य** है।
- अमेरिका ने CAATSA एक्ट वर्ष 2017 में लागू किया था। इसका उद्देश्य आर्थिक प्रतिबंधों का उपयोग करके **रूस, उत्तर कोरिया और ईरान के साथ सैन्य समझौते करने वाले देशों को दंडित करना** है।
  - CAATSA एक्ट **केवल S-400 तक ही सीमित नहीं** है। यह रूस के साथ भविष्य में हथियारों के निर्माण या विकास के लिए अन्य संयुक्त उद्यम या **किसी अन्य प्रकार के प्रमुख सैन्य सौदों पर लागू** हो सकता है।
  - अमेरिका ने **तुर्की पर भी** रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने के कारण **CAATSA के तहत प्रतिबंध लगाए हैं।**
- S-400 एक लंबी दूरी की सचल **सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (LR-SAM) प्रणाली है।**
  - S-400 ट्रायम्फ में ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट और यहां तक कि लड़ाकू जेट सहित लगभग सभी प्रकार के हवाई हमलों से बचाव करने की क्षमता है।

2.3.5. आपूर्ति श्रृंखला मंत्रिस्तरीय मंच 2022 (2022 Supply Chain Ministerial Forum)

- भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जारी 'वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग पर संयुक्त वक्तव्य' (joint statement) को अपनाया है।
- भारत, अमेरिका और यूरोपीय संघ सहित 18 अर्थव्यवस्थाओं की साझेदारी ने सामूहिक व दीर्घकालिक लचीली आपूर्ति श्रृंखला (RSC) के निर्माण के लिए चार सूत्री रोडमैप जारी किया है। इसका उद्देश्य आपूर्ति निर्भरता और सुभेद्यता से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से निपटना है।
  - यह रोडमैप **वर्ष 2021 में अमेरिका में आयोजित आपूर्ति श्रृंखला शिखर सम्मेलन** की पृष्ठभूमि में तैयार किया गया है।

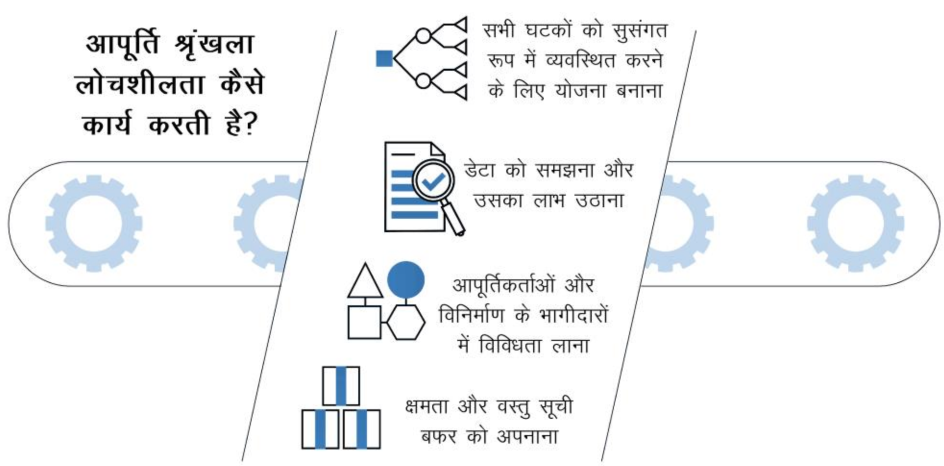

- वक्तव्य में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित करने वाले **खतरों की पहचान की गई है। ये खतरे हैं-** महामारी, युद्ध और संघर्ष, चरम जलवायु की घटनाएं तथा प्राकृतिक आपदाएं।
- RSC का रोडमैप **पारदर्शिता, विविधीकरण, सुरक्षा और संधारणीयता** के वैश्विक सिद्धांतों पर आधारित है।
  - वर्तमान में, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर **चीन का दबदबा** है।
  - हाल ही में, आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों सहित कई क्षेत्रों में चीन मुखर होकर सामने आया है। इसी संदर्भ में **चीनी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर मंच के 17 भागीदारों की निर्भरता को कम करने के लिए** यह रोडमैप तैयार किया गया है।

 ©Vision IAS

- भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी **आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल (SCRI)**[9] शुरू की है। यह पहल हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला में चीन के प्रभुत्व का मुकाबला करने में मदद करेगी।

- **लचीली आपूर्ति श्रृंखला (RSC) का महत्व**
    - यह पूरे नेटवर्क में सभी परिचालनों की निगरानी रखकर **जोखिमों को कम करेगी।**
    - **परिचालनों में दक्षता** लाने से नवाचार और संवृद्धि में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
    - यह **उत्पादकता में सुधार** करेगी।

2.3.6. एशिया एनर्जी ट्रांजिशन इनीशिएटिव (Asia Energy Transition Initiative)

- **जापान ने** इस पहल के तहत **स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ने में भारत की सहायता** करने की योजना बनाई है।
- इसका उद्देश्य ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से **एशिया में सतत विकास और कार्बन तटस्थता** को प्राप्त करना है।
- इसके तहत **अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) परियोजनाओं के लिए 10 अरब डॉलर वित्त** की व्यवस्था की गई है।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अंतर्राष्ट्रीय संबंध** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

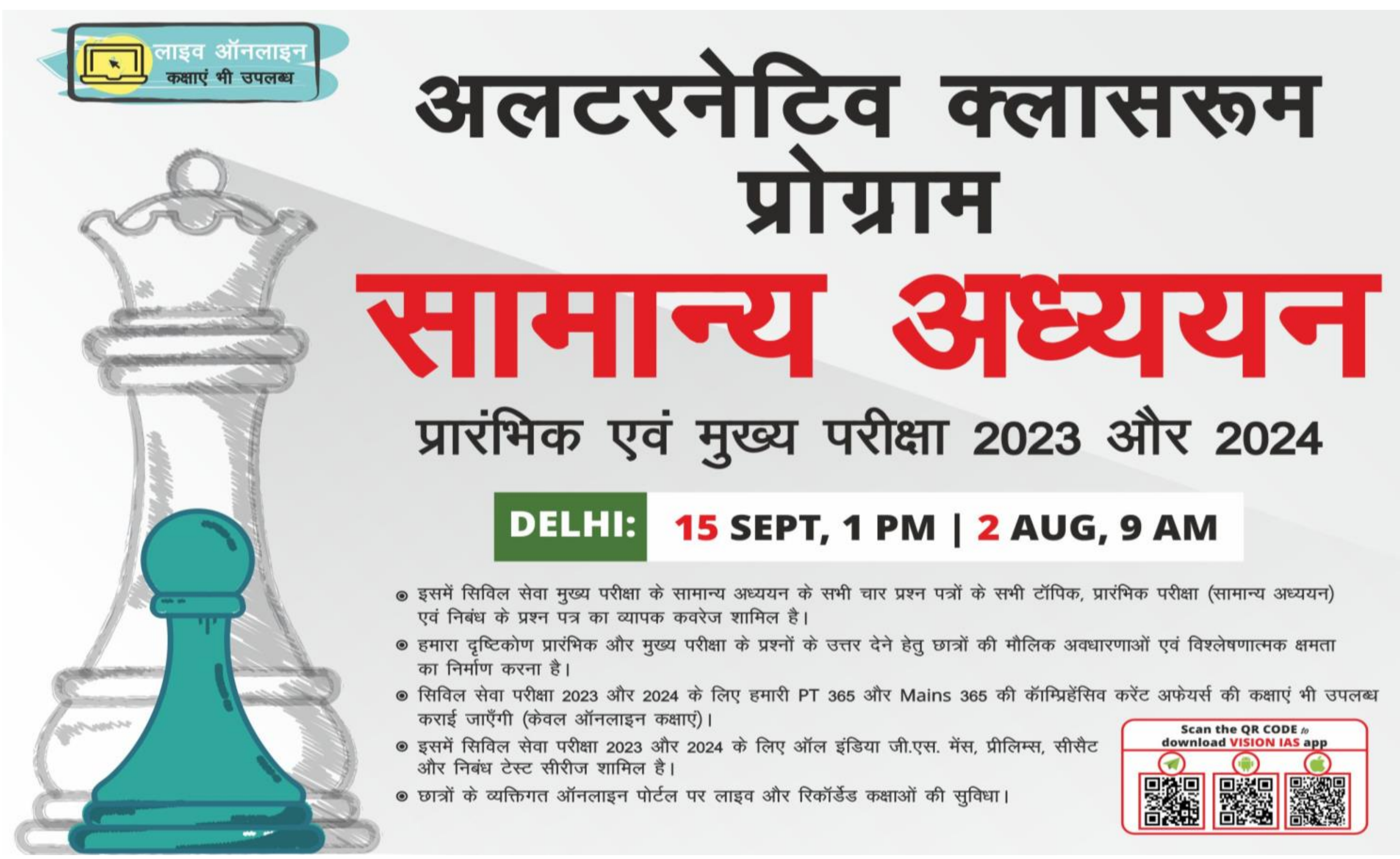

[9] Supply Chain Resilience Initiative

 ©Vision IAS

3. अर्थव्यवस्था (Economy)

3.1. वस्तु और सेवा कर (GST) के पांच वर्ष पूरे हुए {Five Years of Goods and Services Tax (GST)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

1 जुलाई 2022 को वस्तु और सेवा कर (GST) को लागू हुए पांच वर्ष पूरे हो गए।

GST के बारे में

- GST वस्तुओं (माल) और सेवाओं की खपत पर लागू एक कर है। यह एक **व्यापक, बहुस्तरीय और गंतव्य आधारित एकल कर** है।
- इसे **"एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार"** व्यवस्था लागू करने के लिए **संविधान (101वां संशोधन) अधिनियम, 2016** के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था।
- इसे मूल्यवर्धन के प्रत्येक बिंदु पर वसूला जाता है। इसने वस्तुओं और सेवाओं पर पहले से लागू कई अप्रत्यक्ष केंद्रीय और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के करों का विलय कर लिया है (इंफोग्राफिक्स देखें)।
    - हालांकि, कुछ कर अब भी इसके दायरे से बाहर हैं, जैसे- **शराब पर उत्पाद शुल्क; संपत्ति कर; स्टाम्प ड्यूटी; पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, विमानन टरबाइन ईंधन व प्राकृतिक गैस पर कर; विद्युत शुल्क; बेसिक कस्टम ड्यूटी आदि।**

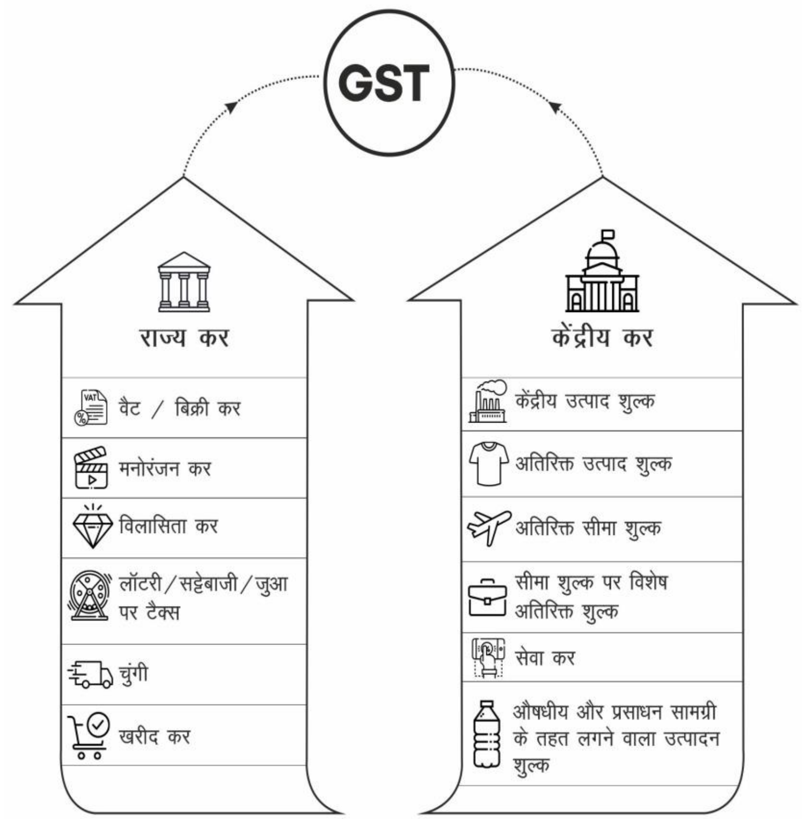

- **GST के घटक:** राज्यों के भीतर और अंतर्राज्यीय आधार पर, इसके चार घटक हैं- **केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (CGST); राज्य वस्तु और सेवा कर (SGST); केंद्र शासित प्रदेश वस्तु और सेवा कर (UTGST);** तथा **एकीकृत वस्तु और सेवा कर (IGST)।**
    - **IGST वस्तुओं और सेवाओं की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर लागू होता है,** जबकि अन्य राज्य के भीतर लागू होते हैं। IGST को केंद्र लागू करता है। उसके बाद वसूले गए कर को संबंधित राज्यों के बीच विभाजित कर दिया जाता है।

GST का महत्व और उपलब्धियां

अप्रत्यक्ष करों में सुधार दीर्घावधि से लंबित थे। पहली बार **अप्रत्यक्ष करों पर केलकर टास्क फ़ोर्स** की रिपोर्ट (वर्ष 2003 में प्रस्तुत) में इन सुधारों पर चर्चा की गई थी। GST पिछली कर-व्यवस्था की तुलना में कई लाभ प्रदान करता है (इंफोग्राफिक्स देखें)।

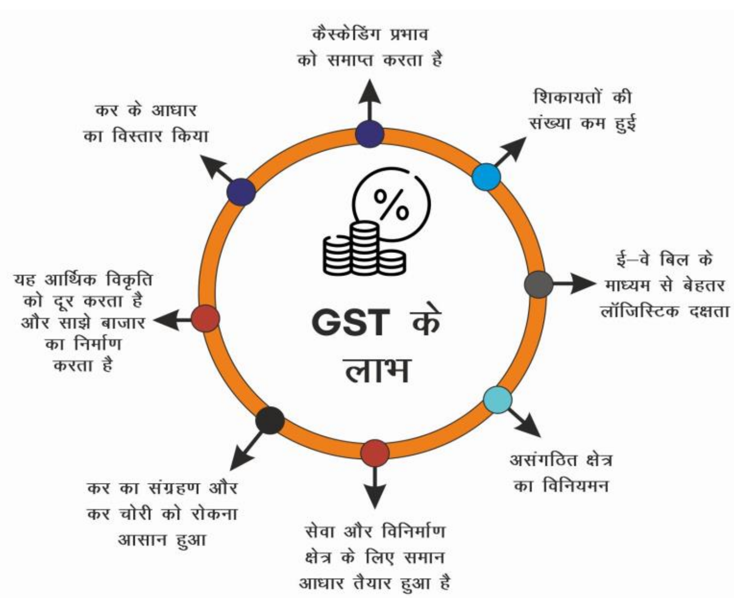

- **अन्य लाभ:**
    - GST परिषद के चलते **आर्थिक संघवाद** को बढ़ावा मिला है।

- व्यापार प्रक्रियाओं के सरलीकरण और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कर जमा करने से व्यवसाय करने में सुगमता हुई है।
- डेटा की रियल-टाइम रिपोर्टिंग, कर प्रशासकों को **कर अनुपालन और राजस्व के संभावित रिसाव की निगरानी** करने में सक्षम बनाती है।
- अन्य विभागों, विनियामकों आदि के साथ आसान एकीकरण हुआ है, जिससे **डेटा विश्लेषण और ऑडिट** में मदद मिली है।

- **GST की उपलब्धियां:**
  - इसके कारण **कर आधार (tax base)** में वृद्धि हुई है। वर्ष 2017 में करदाताओं की संख्या 63.9 लाख थी। वर्ष 2022 में इनकी संख्या बढ़कर 1.38 करोड़ हो गई है।
  - GST के चलते **5.9 लाख करोड़ रुपये** का राजस्व संग्रह हुआ है। इसके कारण अब यह केंद्र सरकार के राजस्व में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन गया है। इसके बाद **उत्पाद शुल्क** (3.90 लाख करोड़ रुपये) और **सीमा शुल्क** (1.99 लाख करोड़ रुपये) का स्थान है।
  - कुल मिलाकर मासिक औसत कर संग्रह **वर्ष 2020-21 के 1.04 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 1.24 लाख करोड़ रुपये** हो गया।

चुनौतियां

- **जी.डी.पी. पर सीमित प्रभाव:** पहले यह अनुमान लगाया गया था कि GST के लागू होने से जी.डी.पी. में 2-3% की वृद्धि होगी। हालांकि, आर्थिक मुद्दों (जैसे-ट्रेड वार), महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध आदि के कारण इसका प्रभाव सीमित रहा है।
- **अलग-अलग टैक्स स्लैब:** GST की प्रस्तावित संरचना में तीन तरह के टैक्स स्लैब का उल्लेख था। वर्तमान में इसमें पांच स्लैब हैं। कुछ वस्तुओं (मुख्य रूप से सिन गुड्स और सेवाओं) पर अतिरिक्त उपकर भी आरोपित किया गया है। साथ ही, वस्तुओं के टैक्स स्लैब को बार-बार बदला जाता है।
- **केंद्र-राज्य विवाद:** GST परिषद की बैठक के दौरान केंद्र और राज्यों के बीच प्राय: GST दरों, GST क्षतिपूर्ति उपकर के भुगतान आदि पर बहस होती है।
  - राज्यों के लिए GST क्षतिपूर्ति व्यवस्था के भविष्य पर स्पष्टता की कमी एक और समस्या है, क्योंकि महामारी के बाद से राज्यों के राजस्व पर गंभीर दबाव उत्पन्न हुआ है।
- **असमान प्रतिनिधित्व:** GST परिषद में एक समान मतदान संरचना का अभाव है। इसमें **केंद्र सरकार के मतों का भारांश कुल भारांश का एक-तिहाई है,** जबकि **सभी राज्यों (एक साथ) के पास कुल भारांश का शेष दो-तिहाई है।**
  - मतदान के आधार पर निर्णय लेने के लिए, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों के कम-से-कम **तीन-चौथाई बहुमत** की आवश्यकता होती है।
- कुछ उत्पादों और क्षेत्रों, **जैसे- पेट्रोलियम उत्पाद एवं विद्युत को GST व्यवस्था से बाहर** रखा गया है। इसके परिणामस्वरूप, इनके ऊपर लगने वाला कर हमेशा बढ़ता रहता है।
- **कर जमा करने की बोझिल संरचना:** GST को सही ढंग से जमा करने के लिए तकनीकी और कर-ढांचे के ज्ञान की आवश्यकता होती है।
- इसके अलावा अन्य मुद्दे भी हैं जैसे कि फर्जी चालान, टैक्स पोर्टल पर तकनीकी गड़बड़ियां आदि। GST परिषद के निर्णयों पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का प्रभाव भी गैर-बाध्यकारी है।

आगे की राह

- **टैक्स स्लैब की संख्या में कमी** करने की जरूरत है। इससे **कर ढांचे को और सरल** बनाया जा सकता है।
- इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए **डिजिटल संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल** किया जाना चाहिए। साथ ही, तीव्र डेटा प्रोसेसिंग के माध्यम से **बड़ी संख्या में कर-मामलों के प्रबंधन के लिए पोर्टल की क्षमता में वृद्धि** की जानी चाहिए।
- चालानों के सत्यापन के माध्यम से कर चोरी करने वालों और अनैतिक प्रथाओं का पता लगाने के लिए **मजबूत अनुपालन व्यवस्था व प्रौद्योगिकी संचालित प्रणाली अपनाई** जानी चाहिए।
- **सहकारी संघवाद और सर्वसम्मति-आधारित निर्णयों** को बढ़ावा देने के लिए **GST परिषद में सुधार** करना चाहिए। इससे GST क्षतिपूर्ति जैसे मुद्दों का समाधान करने में भी मदद मिल सकती है।
- न्याय-निर्णयन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए **GST अपीलीय अधिकरण का गठन** किया जाना चाहिए।
- कम उत्पाद लागत के साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट को सुव्यवस्थित करने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों सहित अन्य उत्पादों को भी GST के दायरे में लाना चाहिए।

3.2. मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (Inflation Targeting)

सुर्ख़ियों में क्यों?

यदि भारत में **औसत हेडलाइन CPI**[10] **मुद्रास्फीति** इस तिमाही में भी **6% से ऊपर** रहती है, तो RBI को यह बताना होगा कि वह **मुद्रास्फीति लक्ष्य**[11] को बनाए रखने में क्यों असफल रहा? ऐसा पहली बार होगा, जब RBI को इस तरह का स्पष्टीकरण देना होगा।

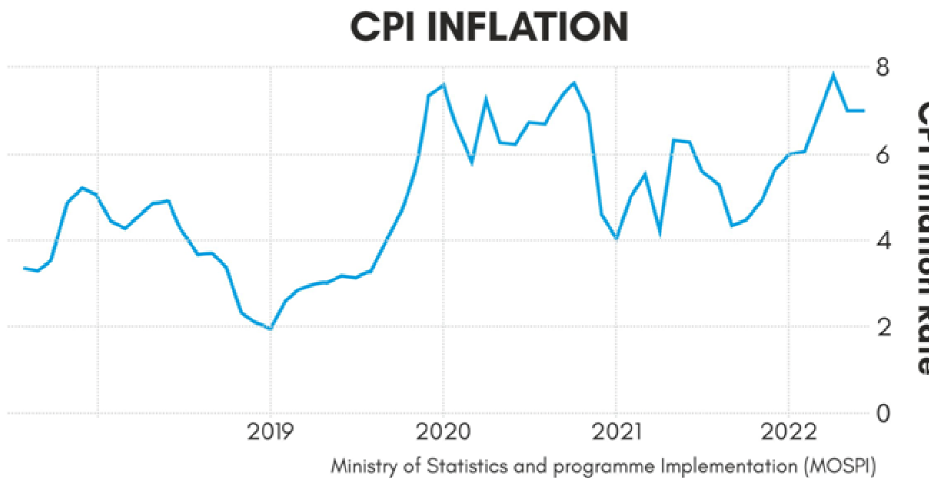

अन्य संबंधित तथ्य

- वर्तमान में **मुद्रास्फीति वैश्विक स्तर पर अपने चरम पर** है। इसके प्रमुख कारणों में आपूर्ति-पक्ष से जुड़ी बाधाएं जैसे कि महामारी के दौरान लॉकडाउन, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, वस्तुओं की बढ़ी हुई कीमतें और यूक्रेन युद्ध शामिल हैं।
    - विश्व बैंक के आकलन के अनुसार, **वर्ष 2008 के बाद से वैश्विक औसत मुद्रास्फीति अपने उच्चतम स्तर पर** है।
    - **विकसित अर्थव्यवस्थाओं जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में मुद्रास्फीति पिछले 41 वर्षों में अपने उच्चतम स्तर पर है।**
- भारत में भी, **CPI मुद्रास्फीति** जनवरी 2022 से ही अपने **टॉलरेंस बैंड की ऊपरी सीमा (अधिकतम 6%)** से अधिक रही है। दूसरी ओर, RBI का मानना है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान **CPI मुद्रास्फीति के 6.7%** पर बने रहने का अनुमान है **(इंफोग्राफिक देखें)।**

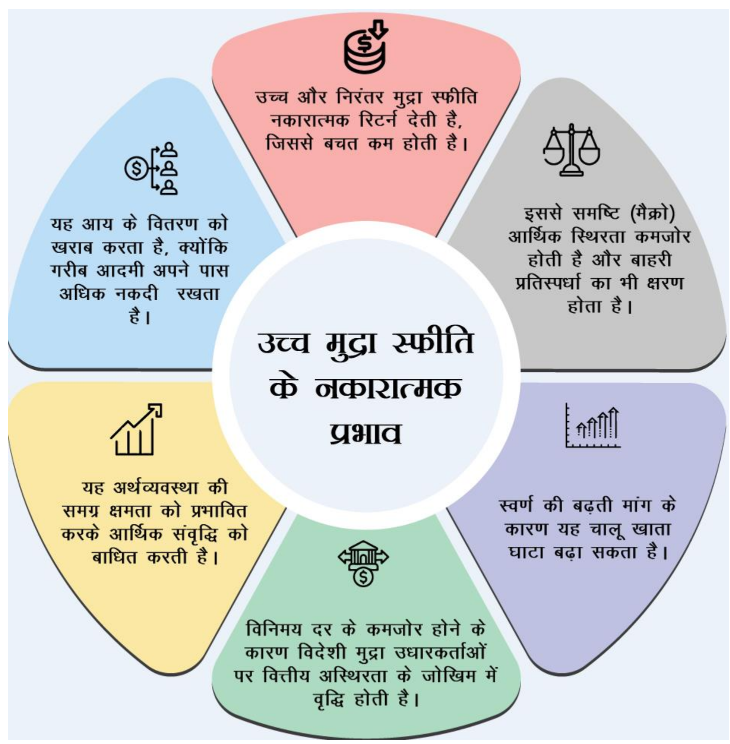

मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण फ्रेमवर्क के बारे में

- **समष्टि आर्थिक** और **वित्तीय स्थिरता** के लिए **मूल्य स्थिरता की स्थिति अत्यंत आवश्यक** होती है। इसलिए, **मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य** मूल्य स्थिरता को सुनिश्चित करना होता है।
- **मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण फ्रेमवर्क** के तहत, केंद्रीय बैंक एक निश्चित मुद्रास्फीति दर को लक्ष्य के रूप में निर्धारित करता है। इसके बाद केंद्रीय बैंक अपने देश में निर्धारित **मुद्रास्फीति लक्ष्य** को सुनिश्चित करने के लिए अपनी मौद्रिक नीति में आवश्यकतानुसार बदलाव करता रहता है।

भारत में लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण फ्रेमवर्क

- मुद्रास्फीति के कारण कई देशों को लंबे समय तक आर्थिक अस्थिरता का सामना करना पड़ा है। इसलिए 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत से ही **मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण या अवस्फीतिकारी नीतियां**[12] कई केंद्रीय बैंकों की नीति का हिस्सा रही हैं।

---

[10] Consumer Price Index / उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

[11] वर्तमान समय में 2 से 6 प्रतिशत के बीच

[12] Inflation targeting or disinflationary policies

- **वर्ष 1990 में, न्यूजीलैंड मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण फ्रेमवर्क को अपनाने वाला पहला देश बन गया था।**
- **उर्जित पटेल समिति (2014)** की सिफारिश के आधार पर, भारत सरकार और RBI द्वारा भी वर्ष 2015 में **मौद्रिक नीति रूपरेखा समझौते**[13] पर हस्ताक्षर किए गए थे।

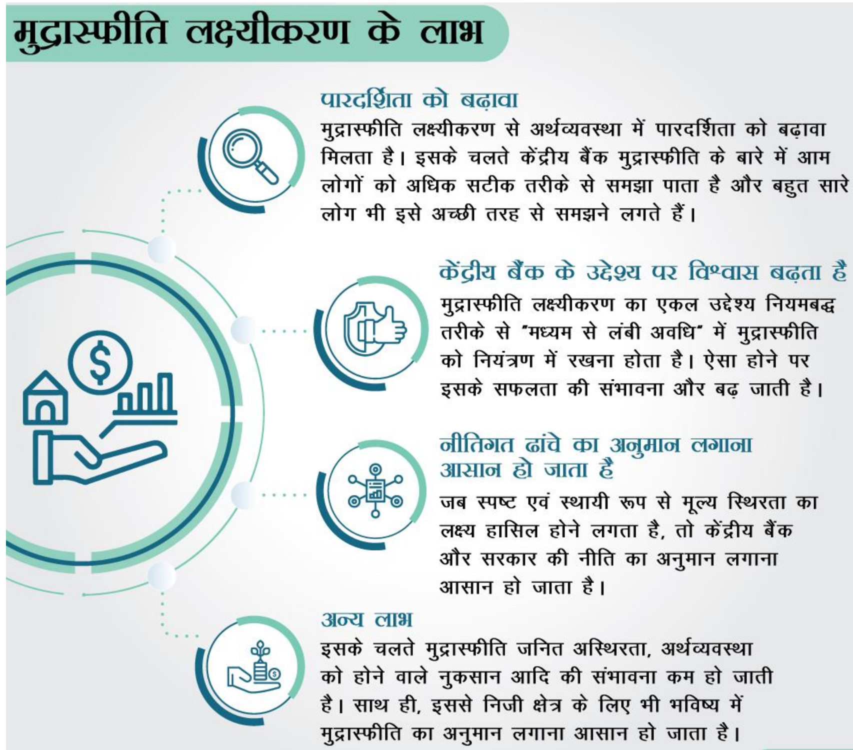

- इसके बाद वर्ष 2016 में RBI अधिनियम, 1934 में संशोधन किया गया। इस संशोधन के जरिए-
  - **मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण** को RBI की मौद्रिक नीति में **नॉमिनल एंकर** के रूप में शामिल किया गया (RBI अधिनियम की धारा 45ZA)।
    - **नॉमिनल एंकर (Nominal Anchor)** से आशय देश में आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने संबंधी नीति या फ्रेमवर्क से है।
  - **मौद्रिक नीति समिति (MPC)**[14] को कानूनी और संस्थागत रूप प्रदान किया गया (धारा 45ZB)।
- MPC में **छह सदस्य** होते हैं। यह समिति संवृद्धि के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए **मुद्रास्फीति लक्ष्य** को प्राप्त करने हेतु **नीतिगत दर (रेपो दर)** निर्धारित करती है।
  - रिज़र्व बैंक के परामर्श से **भारत सरकार प्रत्येक पांच वर्षों में एक बार मुद्रास्फीति लक्ष्य का निर्धारण करती है।**
  - वर्तमान में CPI मुद्रास्फीति लक्ष्य **4%** निर्धारित किया गया है। हालांकि, इसमें +/- 2% उतार-चढ़ाव की अनुमति है। दूसरे शब्दों में, वर्तमान में भारत में CPI मुद्रास्फीति लक्ष्य को 2 से 6 % के बीच फिक्स किया गया है।
- **मुद्रास्फीति लक्ष्य को बनाए रखने में विफल होने पर क्या होगा:** यदि औसत मुद्रास्फीति **लगातार तीन तिमाहियों के लिए उच्च टॉलरेंस बैंड (अर्थात् 6%) से अधिक या निम्न टॉलरेंस बैंड (2%) से कम** रहती है, तो RBI केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट में निम्नलिखित के बारे में सूचित करेगा:
  - मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने में **विफल रहने संबंधी कारणों के बारे में;**
  - बैंक द्वारा की जाने वाली **प्रस्तावित उपचारात्मक कार्रवाइयों के बारे में;** तथा
  - उस **अनुमानित समय-अवधि** (जिसके भीतर प्रस्तावित उपचारात्मक कार्रवाइयों के समय पर कार्यान्वियन से मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा) **के बारे में।**

मौद्रिक नीति समिति (MPC)

- **संरचना:** इसमें कुल 6 सदस्य हैं- RBI की ओर से 3 सदस्य (अध्यक्ष- RBI गवर्नर) और सरकार द्वारा नियुक्त 3 बाहरी सदस्य।
- **निर्णय लेने की प्रक्रिया: प्रत्येक सदस्य के पास एक मत होता है।** मतों में बराबरी के मामले में **RBI के गवर्नर के पास द्वितीय या निर्णायक मत** होता है।
- **बैठक:** MPC के लिए वर्ष में कम-से-कम **चार बार बैठक** करना अनिवार्य है।
- **गणपूर्ति (कोरम):** MPC की बैठक में कम-से-कम **चार सदस्य** उपस्थित होने चाहिए।

मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की सीमाएं

हालांकि, MPC अपने गठन के बाद से मुद्रास्फीति को **2 से 6 प्रतिशत (यानी टॉलरेंस बैंड)** के बीच बनाए रखने में सफल रहा है। इसके बावजूद, MPC की अपनी कुछ सीमाएं हैं, जैसे-

---

[13] Monetary Policy Framework Agreement

[14] Monetary Policy Committee

- **सटीकता:** भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की व्यवस्था मध्यम-अवधि वाली एक कार्रवाई है। दूसरी ओर, **मौद्रिक नीति** के जरिए जो उपाय किए जाते हैं, उनका असर दिखने में लंबा समय लगता है। इसके कारण नीतिगत उपायों की सफलता पर संदेह होने लगता है।
  - इसके अलावा, पर्याप्त डेटा उपलब्ध न होने के कारण यह कार्य और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
- **ज्यादा प्रभावी नहीं:** मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की वर्तमान व्यवस्था में **मांग संबंधी कारकों को ध्यान में रखकर** मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है। इस फ्रेमवर्क में आपूर्ति संबंधी कारकों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए, यह व्यवस्था **मुद्रास्फीति के सभी कारकों** को समान रूप से नियंत्रित नहीं कर पाती है।
  - उदाहरण के लिए- RBI ने इस वर्ष **नीतिगत दर में 90 आधार अंकों** की बढ़ोतरी की है। हालांकि, **वैश्विक स्तर पर आपूर्ति संबंधी पक्ष में लगातार बाधाओं** के कारण मुद्रास्फीति अब भी उच्च टॉलरेंस बैंड से अधिक (विशेषकर खाद्य और ईंधन के मामले में) है।
- **गरीबों को नुकसान का जोखिम:** 4% (+/- 2%) के लक्ष्य से सबसे पहले और सबसे ज्यादा गरीबों पर असर पड़ता है। इसलिए, इससे गरीबों को हानि पहुंचने का जोखिम अधिक रहता है।
  - उदाहरण के लिए- **खाद्यान्नों में 8% मुद्रास्फीति और शेष में 2% मुद्रास्फीति के आधार पर CPI मुद्रास्फीति 5%** हो जाएगी। यह निर्धारित टॉलरेंस बैंड के भीतर है, लेकिन यह खाद्यान्न पर 50% से अधिक आय खर्च करने वाले लोगों को निर्धनता की ओर धकेल सकती है।
- मुद्रास्फीति दर संबंधी लक्ष्य के **निर्धारण और उसे बनाए रखने** से जुड़े मुद्दे निम्नलिखित हैं:
  - लगातार कम मुद्रास्फीति से **अपस्फीति (Deflation) की स्थिति का खतरा बढ़ जाता है।** उदाहरण के लिए- कम वृद्धि दर और उच्च बेरोजगारी के कारण वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट हो सकती है। साथ ही, इस स्थिति में बचत कम होने से वित्तीय प्रणाली पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप, वित्तीय क्षेत्र की लाभप्रदता कम हो जाती है।
  - **उच्चतर मुद्रास्फीति से मुद्रास्फीति जनित मंदी (Stagflation) का खतरा बढ़ जाता है।** इस दौरान उच्च बेरोजगारी और धीमी आर्थिक वृद्धि के साथ कीमतें बढ़ जाती हैं।

आगे की राह

हालांकि, हाल ही में वैश्विक स्तर पर खाद्य और ईंधन की बढ़ती कीमतों में काफी कमी आई है। इसके बावजूद, आपूर्ति-पक्ष संबंधी बाधाओं का उचित समाधान नहीं करने या मानसून की विफलता पर मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन हो सकता है। इसलिए, कई चुनौतियों का सामना करने के लिए **निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं:**

- आपूर्ति-पक्ष संबंधी मुद्रास्फीति का सामना करने और संवृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति की मंशा और कार्रवाई में विश्वसनीयता को मजबूत करने की आवश्यकता है। इसके लिए **सुविचारित मौद्रिक नीति कार्रवाई को आरंभ किया जाना चाहिए।**
- ऑनलाइन डेटा संग्रह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा प्रसंस्करण प्रणाली आदि के माध्यम से **डेटा संग्रह और विश्लेषण की गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए।**
- वैश्विक आपूर्ति-पक्ष संबंधी बाधाओं से निपटने के लिए **समन्वित मौद्रिक और राजकोषीय कार्रवाई करने की आवश्यकता** है। उदाहरण के लिए- खरीफ की फसल को समर्थन प्रदान करके आपूर्ति-पक्ष संबंधी समस्या को कम करने में मदद मिल सकती है। यह विशेष रूप से तिलहन, कपास, दलहन और अनाज से संबंधित मुद्रास्फीति से निपटने में कारगर होगी।
- **भिन्न-भिन्न वर्गों के लिए अलग-अलग मुद्रास्फीति लक्ष्यों का उपयोग किया जाना चाहिए।** उदाहरण के लिए- निर्धनों द्वारा उपभोग की जाने वाली खाद्य वस्तुओं या स्टेपल फूड (प्रधान खाद्य) पर मुद्रास्फीति के निम्न टॉलरेंस बैंड (3-4%) को निर्धारित किया जा सकता है। यह सभी वर्गों के लिए अधिक फायदेमंद हो सकता है।

3.3. भारतीय रुपये में गिरावट (Indian Rupee Depreciation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, RBI ने ऋण बाजार में **विदेशी निवेश, बाह्य वाणिज्यिक उधारी (ECB)**[15] और **NRI जमा** से संबंधित मानदंडों में ढील दी है। इसका उद्देश्य **भारतीय रुपये में गिरावट को रोकना** और **विदेशी मुद्रा अंतर्वाह (Inflow) को बढ़ावा देना है।**

---

[15] External Commercial Borrowing

अन्य संबंधित तथ्य

- भारतीय रुपया पिछले चार वर्षों में सबसे अधिक गिरावट का सामना कर रहा है। इसके लिए अग्रलिखित कारण उत्तरदायी हैं- खाद्य और ईंधन की ऊंची कीमतें, संयुक्त राज्य अमेरिका में मंदी संबंधी जोखिम की स्थिति, अत्यधिक मात्रा में FPI[16] आउटफ्लो, उच्च मुद्रास्फीति आदि।
    - जुलाई 2022 में रुपये का मूल्य **प्रति डॉलर 80 रुपये** पर पहुंच गया। यह रुपये के मूल्य में ऐतिहासिक गिरावट है। यह वर्ष 2022 की शुरुआत के बाद से अब तक रुपये के मूल्य में 7% से अधिक की गिरावट है।
    - वर्तमान गिरावट, वर्ष 2008 की मंदी के दौरान हुई 20% से अधिक की गिरावट और 2013 के टेंपर टैंट्रम[17] के दौरान हुई 11% से अधिक की गिरावट की तुलना में कम है।
- दरअसल, यूरो और ब्रिटिश पाउंड जैसी मजबूत मुद्राओं सहित अन्य मुद्राएं भी प्रभावित हुई हैं। उदाहरण के लिए- 20 साल में पहली बार यूरो-डॉलर की विनिमय दर जुलाई 2022 में बराबर हो गई।

विनिमय दर (Exchange rate) और इसे प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में

मुद्रा विनिमय का आशय एक मुद्रा को दूसरे मुद्रा में बदलने से है। जिस दर पर दो मुद्राओं की अदला-बदली होती है उसे विनिमय दर कहते हैं।

- कहीं-कहीं विनिमय दर **स्थिर** होती है। इसे केंद्रीय बैंकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। अधिकांश देशों में विनिमय दर **अस्थायी (फ्लोटिंग)** होती है। यह मांग और आपूर्ति द्वारा निर्धारित होती है।
- अस्थायी/फ्लोटिंग/लचीली विनिमय दर अलग-अलग कारकों के आधार पर **विदेशी मुद्रा बाजार** या **विदेशी मुद्रा** द्वारा निर्धारित होती है (चित्र देखें)।
- भारत में पहले **स्थिर विनिमय दर व्यवस्था** थी। यह व्यवस्था प्रचलित **ब्रेटन वुड्स सिस्टम** के अनुरूप थी। हालांकि, **मार्च 1993** से मुद्रा बाजार में विनिमय दर का प्रबंधन **बाजार द्वारा निर्धारित** होता है। दूसरे शब्दों में, भारत में अब अस्थायी/फ्लोटिंग/लचीली विनिमय दर व्यवस्था विद्यमान है।
    - इसके चलते, RBI और केंद्र सरकार का भारतीय विदेशी मुद्रा बाजार में केवल सीमित हस्तक्षेप रह गया है।

हाल ही में भारतीय रुपये में गिरावट के निम्नलिखित कारण हैं:

- रूस-यूक्रेन युद्ध, मांग-आपूर्ति से जुड़े मुद्दे और अन्य भू-राजनीतिक कारणों के चलते **कच्चे तेल एवं खाद्य तेलों जैसी अन्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है।**
    - इसके कारण भारत के व्यापार घाटे में वृद्धि हुई है, क्योंकि भारत अपनी कच्चे तेल की मांग का लगभग 85% आयात से पूरा करता है।
- **कई देशों ने अपनी मौद्रिक नीति में सख्ती की है।** वर्तमान समय में, USA में 1980 के दशक के बाद से उच्चतम मुद्रास्फीति (जून 2022 में 9.1%) है। इसे नियंत्रित करने के लिए अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा मौद्रिक नीति को सख्त किया गया है।
- **भारत में काफी समय से पूंजी बहिर्वाह (capital outflows) की स्थिति बनी हुई है।** पूंजी का यह बहिर्वाह विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs)[18] द्वारा अधिक मात्रा में अपनी परिसंपत्ति (शेयर आदि) बेचने के कारण हो रहा है। FPIs अधिक लाभप्रद और वित्तीय रूप से मजबूत देशों में अपनी पूँजी निवेश कर रहे हैं। दूसरी ओर, अमेरिकी बॉण्ड से मिलने वाला लाभ भी उन्हें आकर्षित कर रहा है।

---

[16] Foreign Portfolio Investment

[17] उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में विनिमय दर अस्थिरता

[18] Foreign Portfolio Investors

- ○ जुलाई के मध्य तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय इक्विटी और ऋण बाजार से लगभग 29.6 अरब डॉलर निकाल लिया। इससे भारतीय रुपये की आपूर्ति में वृद्धि हुई है। फलतः अमेरिकी डॉलर की मांग बढ़ी है।
- **घरेलू कारक** जैसे कि उच्च मुद्रास्फीति, व्यापार घाटे में वृद्धि से बढ़ता चालू खाता घाटा (CAD)[19] आदि।

रुपये में गिरावट के प्रभाव

उच्च विनिमय दर से भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता बेहतर होती है। इससे निर्यात में लाभप्रदता को बढ़ावा मिलता है, लेकिन उच्च विनिमय दर के कुछ महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे-

- भारत एक **आयातक देश** भी है। इसलिए इससे **चालू खाता घाटा** और **भुगतान असंतुलन में वृद्धि** होगी।
- इससे विदेशों से खरीदे गए कच्चे माल, उपकरण आदि की **लागत में वृद्धि होगी।**
- आयात की जाने वाली प्रमुख मदों, जैसे- कोयला, कच्चा तेल, खाद्य तेल, आदि में आपूर्ति संबंधी व्यवधान के कारण **उच्च मुद्रास्फीति हो सकती है।**
- आयात की लागत में वृद्धि के कारण **आयात कवर में गिरावट होती है।** उदाहरण के लिए- भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब केवल 10 महीनों के आयात की पूर्ति कर सकता है, जो सितंबर 2021 में लगभग 15 महीनों के आयात की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त था।
- **विनिमय दर में लगातार गिरावट से विदेशी निवेशक नए निवेश करने से हिचकिचाते हैं,** जिससे डॉलर के संदर्भ में रुपये के मूल्य में और गिरावट होती है।

रुपये के मूल्य में गिरावट को रोकने के लिए सरकार और RBI द्वारा किए गए उपाय

सरकार और RBI ने आयात को कम करने; मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने; घाटे को कम करने; सरकारी राजस्व में बढ़ोतरी करने; विदेशी निवेशकों की धारणा में सुधार करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

सरकार द्वारा उठाए गए कदम	• वित्त वर्ष 2022 में 46 अरब डॉलर के स्वर्ण का आयात किया गया। इसके कारण भारत स्वर्ण का **दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश बन गया है।** इसलिए, स्वर्ण पर लगने वाले **सीमा शुल्क में वृद्धि** (10.75% से 15%) की गई है। • **पेट्रोल, डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल के निर्यात** पर उपकर और विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है।
RBI द्वारा उठाए गए कदम	• घरेलू मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए **RBI ने नीतिगत दरों में वृद्धि की है।** • विनिमय दर में अत्यधिक उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने और रुपये के मूल्य में गिरावट को कम करने के लिए **विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप** (डॉलर को बेचना) किए गए हैं। 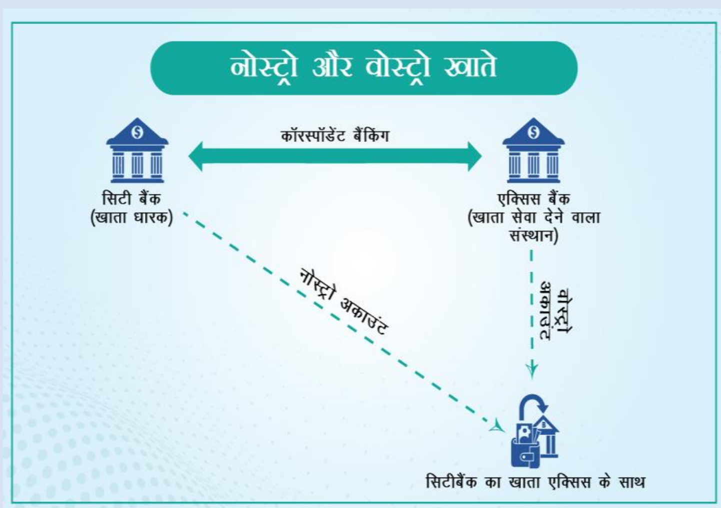 • भारत और अन्य देशों के मध्य **रुपये में** चालान बनाने, भुगतान और व्यापारिक सौदों के निपटान के लिए **अतिरिक्त व्यवस्था की गई है।** इसके अंतर्गत- ○ **भारतीय आयातक** भागीदार देश के कॉरेस्पोंडेंट बैंक के **विशेष वोस्ट्रो खाते** में रुपये में भुगतान कर सकते हैं। ▪ **वोस्ट्रो खाता (लैटिन भाषा में वोस्ट्रो का अर्थ होता है आपका):** यह कॉरेस्पोंडेंट बैंक में किसी अन्य बैंक की ओर से खोला गया खाता होता है। वोस्ट्रो खाते घरेलू बैंकों को अपने ग्राहकों को अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाते हैं। ▪ **नोस्ट्रो खाता (लैटिन भाषा में नोस्ट्रो का अर्थ होता है हमारा):** यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए दो बैंकों के बीच खाते का एक अन्य सेट है। ○ निर्यातक भागीदार देश के कॉरेस्पोंडेंट बैंक के वोस्ट्रो खाते में भारतीय रुपये में भुगतान कर सकते हैं। • नये विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) {FCNR (B)} और अनिवासी बाहरी (NRE)[20] की ओर से जमा राशि पर **अधिक ब्याज दर देने की व्यवस्था की गयी है।** • **ECB ऋणों** के लिए ब्याज दर और अधिकतम **सीमा के संबंध में छूट प्रदान की गई है।**

[19] Current Account Deficit

[20] Foreign Currency Non-Resident (Bank) {FCNR (B)} and Non-Resident External (NRE)

आगे की राह

भारतीय रुपये की मजबूती के लिए कुशल वित्तीय स्थिति और **सकारात्मक आर्थिक माहौल आवश्यक** है। विनिमय दर में **लगातार गिरावट से समष्टि आर्थिक** स्थिरता को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि डॉलर के संदर्भ में रुपये को पुनः बेहतर स्तर पर लाया जाए। इसे निम्नलिखित माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है:

- मुद्रास्फीति को नियंत्रित करके और सरकारी राजस्व में वृद्धि द्वारा विनिमय दर में निरंतर गिरावट को रोककर **भारतीय बाजार के प्रति FPIs के विश्वास को बढ़ाना चाहिए।**
- राजकोषीय और मौद्रिक नीति की सहायता से **आयात से संबंधित मुद्रास्फीति को कम करना चाहिए।**
- **विदेशी मुद्रा भंडार का विवेकपूर्ण उपयोग** करना चाहिए, ताकि निर्यात और आयात में गिरावट से रुपये पर कोई अनुचित दबाव न पड़े।
- बड़ी कंपनियों को कुछ प्रमुख वैश्विक सूचकांकों का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इनमें मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल (MSCI) और फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज (FTSE) जैसे सूचकांक शामिल हैं। इन सूचकांकों में भारतीय इक्विटी के भारांश में वृद्धि करने और FPIs द्वारा पूंजी के बहिर्वाह की भरपाई करने के उपाय भी करने चाहिए।
- विदेशी मुद्रा अंतर्वाह को बढ़ाने और विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ावा देने के लिए **ग्लोबल बॉण्ड इंडेक्स में भारत को शामिल करने संबंधी प्रयासों में तेजी लाना चाहिए।**

3.4. वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (Financial Services Institution Bureau: FSIB)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (ACC)[22] ने **वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (FSIB) की स्थापना के लिए एक सरकारी प्रस्ताव को मंजूरी** दे दी है। यह ब्यूरो, **बैंक बोर्ड ब्यूरो (BBB)** का स्थान लेगा।

FSIB के बारे में

- FSIB की स्थापना **वित्त मंत्रालय** के **वित्तीय सेवा विभाग (DFS)**[23] के अंतर्गत की गई है। इसकी स्थापना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:
  - वित्तीय सेवा संस्थानों {जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSBs), सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ता, वित्तीय संस्थान आदि} के बोर्ड में **पूर्णकालिक निदेशकों और गैर-कार्यकारी अध्यक्षों[24] के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करना।**
  - इन संस्थानों में **कार्मिक प्रबंधन से संबंधित कुछ अन्य मामलों पर सलाह देना।**
  - सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों में कॉर्पोरेट प्रशासन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना।

बैंक बोर्ड ब्यूरो (BBB) के बारे में

- **BBB का गठन वर्ष 2016 में एक स्वायत्त निकाय** के रूप में किया गया था। इसके लिए केंद्र ने **राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1980**[21] में संशोधन किया था। इसमें BBB की संरचना और कार्यों के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान किया गया था।
  - ज्ञातव्य है कि **पी. जे. नायक समिति** द्वारा **BBB** की सिफ़ारिश की गई थी। यह समिति भारत के सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों के मुद्दों को हल करने के तरीके निर्धारित करने के लिए गठित की गई थी।
- इसकी स्थापना **PSBs के गवर्नेंस में सुधार लाने के उद्देश्य** से की गई थी। इसे PSBs के प्रमुखों के चयन की सिफारिश करने का कार्य सौंपा गया था। साथ ही, इसे रणनीतियों और पूंजी जुटाने की योजनाओं को विकसित करने में बैंकों की मदद करने का दायित्व भी दिया गया था।
- PSBs को नया रूप देने के उद्देश्य से **इंद्रधनुष मिशन** के तहत **7 सूत्री रणनीति** अपनाई गयी थी। **BBB** इस रणनीति का एक हिस्सा था।

- FSIB की स्थापना के बाद, **BBB की सभी संपत्तियां, हित और देनदारियां FSIB को स्थानांतरित** कर दी जाएंगी।
- **FSIB के अन्य प्रमुख कार्यों में शामिल हैं:**
  - सरकार को निदेशकों की **नियुक्तियों, स्थानांतरण या कार्यकाल के विस्तार** और उनकी सेवाओं की समाप्ति से संबंधित मामलों पर सलाह देना।
  - PSBs, सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं और वित्तीय संस्थानों के लिए **बोर्ड स्तर पर आवश्यक प्रबंधन संरचना पर सरकार को सलाह देना।**

---

[21] Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980

[22] Appointments Committee of the Cabinet

[23] Department of Financial Services

[24] whole-time directors and non-executive chairpersons

- PSBs, सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं और वित्तीय संस्थानों के **प्रदर्शन से संबंधित डेटा बैंक का निर्माण** करना।
- PSBs, सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं और वित्तीय संस्थानों में पूर्णकालिक निदेशकों के लिए **आचार और आचरण संहिता के निर्माण एवं उन्हें लागू करने** हेतु सरकार को सलाह देना।
- PSBs, सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं और वित्तीय संस्थानों को **व्यापार रणनीतियों को विकसित करने** और पूंजी जुटाने की योजना आदि के संदर्भ में मदद करना।

- **FSIB की संरचना:**
  - **FSIB के अध्यक्ष** को केंद्र सरकार द्वारा नामित (nominate) किया जाएगा, जो निम्नलिखित में से होगा:
    - बैंकिंग क्षेत्र या नियामक संस्थान से सेवानिवृत्त अधिकारी, या
    - वित्तीय क्षेत्र का पर्याप्त ज्ञान रखने वाला कोई प्रतिष्ठित व्यवसायी, या
    - बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्रक में अनुभव के साथ-साथ लोक प्रशासन में कम-से-कम 25 वर्षों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति।
  - **पदेन सदस्य (Ex officio members):**
    - वित्तीय सेवा विभाग (DFS) का **सचिव,**
    - सार्वजनिक उद्यम विभाग का **सचिव,**
    - भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के **अध्यक्ष,** और
    - RBI का एक **डिप्टी गवर्नर**।
  - **सदस्य (अंशकालिक और गैर-सरकारी):**
    - सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों और वित्तीय संस्थानों से संबंधित विषय-वस्तु का ज्ञान रखने वाले **3 व्यक्ति** (केंद्र सरकार द्वारा नामित); और
    - सार्वजनिक क्षेत्रक के बीमाकर्ता से संबंधित विषय-वस्तु का ज्ञान रखने वाले **3 व्यक्ति** (केंद्र सरकार द्वारा नामित)।

बैंक बोर्ड ब्यूरो (BBB) को बदलने की जरूरत क्यों पड़ी?

- **धीमी नियुक्ति प्रक्रिया:** इसके द्वारा PSBs में उच्च पदों के लिए नियुक्ति की सिफारिश करने में लिया गया औसत समय 76 दिन था। बीमा कंपनियों में यही औसत समय 36 दिन और वित्तीय संस्थानों में 189 दिन था।
- **इसकी शक्ति और अधिकार क्षेत्र पर कानूनी बाधाएं:** दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल फैसला सुनाया था कि BBB राज्य द्वारा संचालित सामान्य बीमा कंपनियों के महाप्रबंधकों और निदेशकों का चयन नहीं कर सकता है, क्योंकि यह एक सक्षम निकाय नहीं है।
- **स्वायत्तता का अभाव:** सरकार ने PSBs पर अपने अधिकार का प्रयोग करना जारी रखा था। जब BBB किसी चेयरमैन की नियुक्ति की सिफारिश करता था तो उसे ACC के भेज दिया जाता था।

FSIB का महत्व

- **नियुक्तियों में लगने वाले समय में कमी:** इसके चलते जांच प्रक्रियाओं में सुधार दिखने को मिलेगा और यह ब्यूरो प्रौद्योगिकी का भी उठाएगा। फलतः PSBs, सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं और वित्तीय संस्थानों में नियुक्तियों में लगने वाले समय में उल्लेखनीय कमी आएगी।
- **बेहतर मानव संसाधन प्रबंधन:** यह ब्यूरो महत्वपूर्ण पदों पर भविष्य में नियुक्ति के लिए एक ठोस योजना विकसित करने में मदद करेगा।
- **बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस:** पूर्णकालिक निदेशकों के लिए आचार और आचरण संहिता के निर्माण एवं उन्हें लागू करने से समग्र गवर्नेंस में सुधार होगा।
- **चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता:** पदोन्नति और भर्तियां सरकार की इच्छा और दया पर निर्भर करती हैं। BBB और अब FSIB का उद्देश्य इस तरह की लालफीताशाही को रोकना और योग्यता के आधार पर लोगों को पदोन्नत करना है।

3.5. ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business: EoDB)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय वित्त मंत्री ने **बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान (BRAP) 2020** के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की **5वीं मूल्यांकन रिपोर्ट** जारी की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- BRAP को **वर्ष 2014** से ही **उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT)**[25] द्वारा तैयार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश भर में **EoDB सुधारों** को आगे बढ़ाना है।

[25] Department for Promotion of Industry and Internal Trade

- इसने **301 सुधार बिंदुओं** के आधार पर राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को वर्गीकृत किया है। इसमें **15 व्यावसायिक नियामक क्षेत्रों**[26] को कवर किया गया है। यह वर्गीकरण निम्नलिखित श्रेणियों के तहत किया गया है- **शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वाले, लक्ष्य हासिल करने वाले, आकांक्षी** और **उभरते हुए व्यापारिक इकोसिस्टम।**
  - इसमें **सूचना तक पहुंच, सिंगल विंडो सिस्टम, श्रम, क्षेत्रीय सुधार, व्यवसाय के जीवन चक्र से संबंधित सुधार** जैसे क्षेत्रक शामिल हैं।

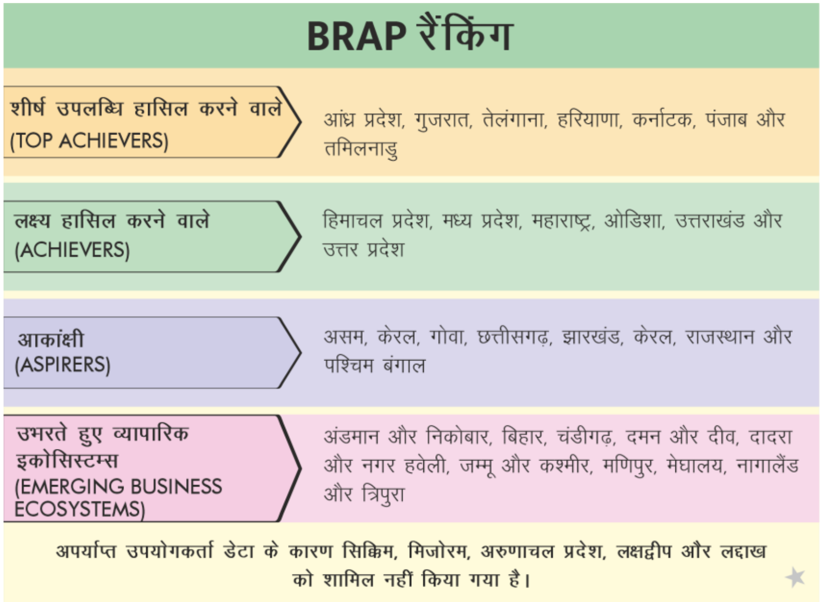

- **BRAP का उद्देश्य: निवेशकों का विश्वास बढ़ाना, व्यापार अनुकूल माहौल को बढ़ावा देना** और राज्यों के बीच **स्वस्थ प्रतिस्पर्धा** शुरू करके देश भर में **ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा** देना।

ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस (EoDB) के बारे में

- यह किसी देश के **कारोबारी माहौल** का संकेतक है। यह इस विश्वास पर आधारित है कि व्यापार नियामक परिवेश और आर्थिक परिणामों के बीच एक **सकारात्मक सह-संबंध** होता है।
  - **विश्व बैंक** ने **वर्ष 2002** में EoDB रैंकिंग के माध्यम से इसका प्रचार शुरू किया था। हालांकि, **डेटा संबंधी अनियमितताओं** के कारण **वर्ष 2021** में इसे बंद कर दिया गया।
  - EoDB 2020 में **भारत** 63वें स्थान पर था।

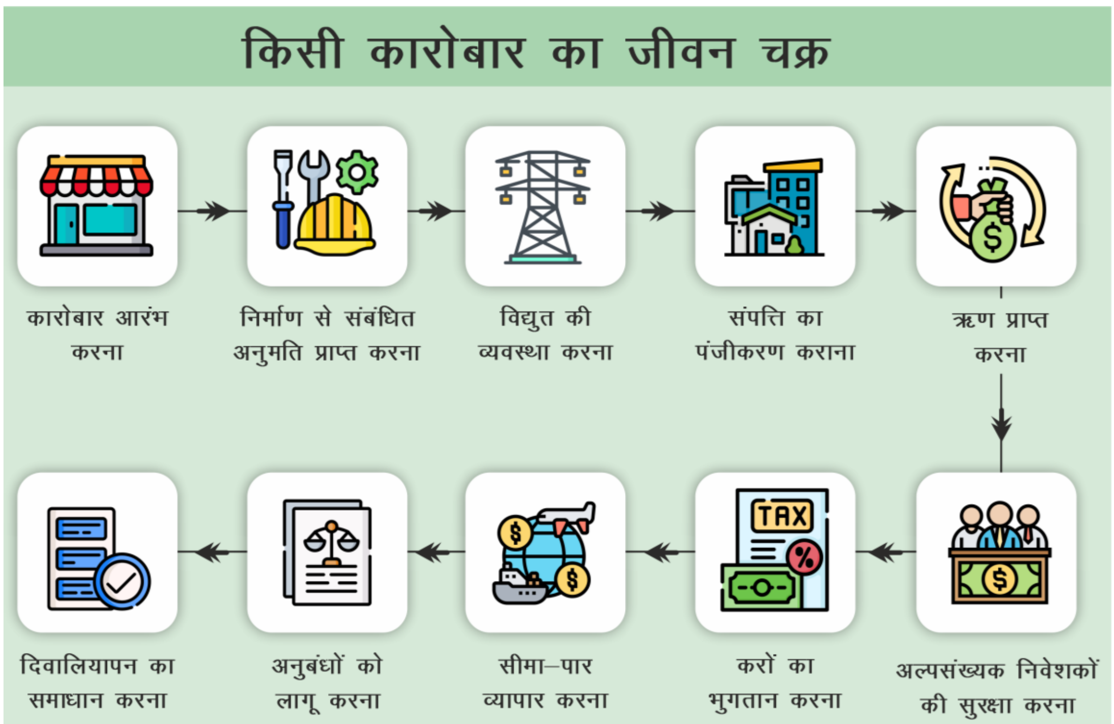

- इसका उद्देश्य किसी व्यवसाय के जीवन चक्र को सरल बनाकर **मौजूदा नियमों को सुव्यवस्थित** करना है। इसके अलावा, इसका उद्देश्य एक **निवेशक-अनुकूल इकोसिस्टम** बनाना भी है, जैसे-
  - अनावश्यक विनियमों/ प्रक्रियाओं को **सरल और पारदर्शी नियमों** से बदलना।
  - व्यवसाय के **संपत्ति संबंधी अधिकारों का संरक्षण, आदि।**

EoDB का महत्व

- यह बाजार दक्षता को बेहतर बनाकर और नियामकीय बोझ को कम करके **उद्यमिता एवं आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा** देता है।

---

[26] business regulatory areas

- इसकी सहायता से निवेशकों की धारणा को बदलकर **विदेशी निवेश को आकर्षित करने में मदद** मिलती है।
- यह व्यापार की लागत को कम करके और प्रतिस्पर्धा में सुधार करके **निर्यात को प्रोत्साहित** करता है।
- इससे **विनियामक ढांचे को सुव्यवस्थित करने में मदद मिलती है।** कम नियामकीय बोझ उद्यमियों को उत्पादक गतिविधियों पर समय देने में मदद करता है।
- यह अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप देने के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि कर **रोजगार सृजन** में मदद करता है।

EoDB में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहलें

- कंपनी निगमन में समय और प्रयास बचाने के लिए **वेब-आधारित SPICe+ और AGILE-PRO फॉर्म** का शुभारंभ किया गया है।
- परिभाषित समय सीमा, ऑनलाइन प्रमाण-पत्र आदि के साथ-साथ **ऑनलाइन बिल्डिंग अनुमति प्रणाली (OBPS)**[27] शुरू की गई है।
- दिल्ली और मुंबई में **समर्पित वाणिज्यिक न्यायालय** और दिवाला समाधान में सुधार के लिए **दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC)**[28] के माध्यम से एक आधुनिक दिवाला व्यवस्था शुरू की गई है।
- **इंडिया कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक गेटवे (ICEGATE)** निर्यात एवं आयात के समय और लागत को कम करता है। साथ ही, यह बंदरगाहों पर कन्साइन्मेंट्स की क्लीयरेंस को फास्ट-ट्रैक करता है।
- **अन्य पहल, जैसे-** BRAP के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करके **सहकारी संघवाद को बढ़ावा; GST** जैसे कराधान सुधार; छोटे व्यवसायों को आरंभ करने पर निगमन शुल्क (incorporation fees) की समाप्ति आदि।
- विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आवश्यक **दिनों की संख्या को कम करना** (यह वर्ष 2014 में 105 दिन था, जो घटकर 2019 में 53 दिन हो गया)।
- **कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021**[29] को पारित किया गया है। इसने भूतलक्षी कराधान (retrospective taxation) को समाप्त कर दिया। इससे कराधान कानूनों आदि में निश्चितता आई है।

EoDB के सुधारों से संबंधित मुद्दे/ चुनौतियां

- **परिचालन संबंधी चुनौतियां (Operational challenges):**
  - **भारत** अब भी व्यापार चक्र के **महत्वपूर्ण मापदंडों** (जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट्स पर अडिग रहना यानी अनुबंधों का प्रवर्तन) **में पिछड़ रहा है।** इसके पीछे मुख्य कारण दिवाला समाधान बोर्ड में खाली पदों को भरने में होने वाली देरी है। परिणामस्वरूप, **दिवाला समाधान में बहुत समय लग जाता है।**
  - **अनिश्चित नीतिगत परिवेश** के कारण टैरिफ और अन्य उपायों में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं।
  - लगातार कम पूंजीगत व्यय और विकासात्मक गतिविधियों के बैकलॉग के कारण **बुनियादी ढांचे के विकास में रुकावट पैदा होती** है।
  - **बिजली की कमी, भ्रष्टाचार, गवर्नेंस से जुड़े मुद्दे आदि, अन्य चिंताएं।**
- **वैचारिक और प्रक्रियात्मक मुद्दे (Ideological and procedural issues):**
  - **उदारवादी पूर्वाग्रह,** क्योंकि EoDB का विचार बड़े पैमाने पर निम्नलिखित पूंजीवादी दृष्टिकोण पर आधारित है:
    - **विनियमों और निवेश की बाधाओं को दूर करना,**
    - **बाजार के अनुकूल सुधारों को बढ़ावा देना, और**
    - **श्रम सुरक्षा को कम करना, आदि।**
  - EoDB पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने से **गहन संरचनात्मक, सामाजिक या राजनीतिक मुद्दों की उपेक्षा होती है।** साथ ही, इसके फलस्वरूप वास्तविक और स्थायी संरचनात्मक सुधारों की अनदेखी किए जाने का जोखिम भी पैदा होता है।
  - **भारत के सभी मापदंडों, व्यवसायों और क्षेत्रों के लिए वन-साइज-फिट्स-ऑल एप्रोच** हानिकारक हो सकता है।

आगे की राह

- **निम्नलिखित उपायों के माध्यम से गवर्नेंस में सुधार करना:**
  - सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में **लोक सेवा डिलीवरी गारंटी अधिनियम या इसी तरह के अन्य कानून** बनाये जाने चाहिए। इनके माध्यम से अनिवार्य निर्माण परमिट, पर्यावरण मंजूरी आदि की **समय-सीमा स्पष्ट** की जानी चाहिए।

---

[27] Online Building Permission System

[28] Insolvency and Bankruptcy Code

[29] Taxation laws (amendment) Act, 2021

- ○ **वाणिज्यिक विवादों की सुनवाई और समाधान** के लिए सभी उच्च न्यायालयों में अधिक संख्या में समर्पित **वाणिज्यिक न्यायालयों** और एक समर्पित डिवीजन/ बेंच की **स्थापना** की जानी चाहिए।
- ○ राज्यों को समस्त राज्य पर लागू होने वाले **काम्प्रीहेन्सिव यूनिफ़ॉर्म बिल्डिंग कोड/ बिल्डिंग बाइ-लॉ** अधिनियमित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- ○ यूनिक आई.डी. और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध **रिकॉर्ड ऑफ राइट्स** के साथ **सभी भूमि रिकाड्र्स का डिजिटलीकरण करना चाहिए।**

- **निम्नलिखित उपायों के माध्यम से नीतिगत वातावरण में सुधार करना:**
  - ○ **एक व्यापक नीति,** जिसमें EoDB आवश्यकताओं के साथ-साथ एक स्थिर नीतिगत वातावरण के लिए स्पष्ट दृष्टिकोण शामिल हो।
  - ○ नौकरशाही से जुड़ी बाधाओं को दूर करने, विद्युत के मुद्दों को हल करने के लिए कानूनों और दूसरे उपायों का **उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित** करना।
- **निम्नलिखित उपायों के माध्यम से विकासात्मक परिवेश में सुधार करना:**
  - ○ **प्रत्येक व्यवसाय की गतिशीलता को समझना** और विभिन्न सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं को संतुलित करना, जैसे- व्यावसायिक हितों और श्रम हितों को संतुलित करना।
  - ○ BRAP में और अधिक सुधार कर राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के बीच एक-दूसरे की सर्वोत्तम प्रणालियों से **सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देना।** साथ ही एक-दूसरे की नीतियों पर राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की प्रतिक्रिया को रिकॉर्ड करना।

3.6. डिजिटल इंडिया (Digital India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने **डिजिटल इंडिया वीक** को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीकों और लाभार्थियों के खातों में **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)**[30] ने भारत को बिचौलियों से 2.23 लाख करोड़ रुपये बचाने में मदद की है।

डिजिटल इंडिया के बारे में

- यह **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)** द्वारा वर्ष 2015 में शुरू किया गया एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसका विज़न **भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना** है।
- यह **डिजिटल पहुंच, डिजिटल समावेशन, डिजिटल सशक्तीकरण** सुनिश्चित करेगा और **डिजिटल डिवाइड** को खत्म करेगा।
- यह एक व्यापक कार्यक्रम है, जिसमें कई केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों और राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की अनेक परियोजनाओं को शामिल किया गया है।
- **विज़न:**
  - ○ प्रत्येक नागरिक के उपयोग के लिए **डिजिटल अवसंरचना।**
  - ○ मांग आधारित गवर्नेंस और सेवाएं।
  - ○ नागरिकों का डिजिटल सशक्तीकरण।

उक्त कार्यक्रम के दौरान लॉन्च की गई पहलें

- **डिजिटल इंडिया भाषिणी:** यह भारतीय भाषाओं में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं तक आसान पहुंच को संभव बनाएगी।
- **डिजिटल इंडिया जेनेसिस (जेन-नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्ट-अप्स)**[31]**:** यह टियर-II और टियर-III शहरों में स्टार्ट-अप्स के लिए माहौल तैयार करने, उनकी सहायता करने, उन्हें विकसित करने और सफल बनाने के लिए एक **नेशनल डीप-टेक स्टार्ट-अप प्लेटफॉर्म** है।
- **इंडियास्टैक डॉट ग्लोबल:** यह आधार, UPI, डिजिलॉकर आदि जैसी इंडिया स्टैक के तहत चल रही **प्रमुख परियोजनाओं का वैश्विक भंडार** है।

---

30 Direct Benefit Transfer

31 Gen-next Support for Innovative Startups (GENESIS)

- इंडिया स्टैक वस्तुतः **"ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (APIs)"** और **"डिजिटल पब्लिक गुड्स"** का एक सेट है।

- **माईस्कीम:** यह सरकारी योजनाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए एक **सर्विस डिस्कवरी प्लेटफॉर्म** है।
- **चिप टू स्टार्ट-अप (C2S) कार्यक्रम:** इसका उद्देश्य स्नातक, परास्नातक और अनुसंधान के स्तरों पर **सेमीकंडक्टर चिप्स के डिजाइन के क्षेत्र में विशेष कार्यबल को प्रशिक्षित करना** है। साथ ही, भारत में सेमीकंडक्टर डिजाइन में शामिल स्टार्ट-अप्स के विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना भी इसका उद्देश्य है।
  - यह **इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का हिस्सा** है।
  - **चिप टू स्टार्ट-अप (C2S)** कार्यक्रम के तहत सहायता प्राप्त करने वाले **30 संस्थानों** के प्रथम समूह की भी घोषणा की गई है।
- **मेरी पहचान- नेशनल सिंगल साइन-ऑन (NSSO):** यह लॉगिन के लिए एक उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण सेवा है। इसमें निजी जानकारी का एक सेट शामिल होता है, जो कई ऑनलाइन एप्लिकेशन या सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है।

डिजिटल इंडिया के तहत प्रमुख पहल और उनका महत्व:

प्रमुख क्षेत्र	पहल	महत्व
ई-गवर्नेंस	**कॉमन सर्विस सेंटर**	सामाजिक, आर्थिक और डिजिटल रूप से समावेशी समाज सुनिश्चित करना।
	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण	धन का तेज प्रवाह, लाभार्थियों का सटीक लक्ष्यीकरण करना तथा डुप्लीकेशन और धोखाधड़ी को रोकना।
कृषि	**राष्ट्रीय कृषि बाजार (eNAM)**	किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना, फसलों की बर्बादी को कम करना आदि।
स्वास्थ्य	**ई-संजीवनी**	यह शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच मौजूद डिजिटल स्वास्थ्य विभाजन को रोकता है।
	CoWIN (कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंट नेटवर्क)	भारत ने 18 महीने के भीतर 200 करोड़ टीके लगाने का आंकड़ा पार कर लिया।
शिक्षा	**स्वयं (SWAYAM)**	उन छात्रों के लिए डिजिटल डिवाइड को खत्म करना, जो डिजिटल क्रांति से अछूते रहे हैं और मुख्यधारा की ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में शामिल नहीं हुए हैं।
वित्त	**प्रधान मंत्री जन-धन योजना**	बैंकिंग सुविधाओं, वित्तीय साक्षरता, ऋण तक पहुंच, बीमा और पेंशन सुविधा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना।
कौशल	**PMGDISHA**	विशेष रूप से ग्रामीण आबादी को लक्षित करते हुए डिजिटल डिवाइड को खत्म करना।
डिजिटल अवसंरचना	**CERT-IN**	साइबर संबंधी घटनाओं पर पूर्वानुमान, सूचना प्रसार आदि की सहायता से भारतीय साइबर स्पेस को सुरक्षित करना।
आंतरिक सुरक्षा	**क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (CCTNS)**	"अपराध की जांच करने और अपराधियों का पता लगाने" हेतु आई.टी.-सक्षम-अत्याधुनिक ट्रैकिंग प्रणाली का निर्माण करना।

मुद्दे और चुनौतियां:

- **ग्रामीण-शहरी डिजिटल डिवाइड:** भारत के गाँवों में विद्युत आपूर्ति का भरोसेमंद न होना, वहनीयता, भौगोलिक चुनौतियां, बुनियादी ढांचे की उच्च लागत आदि जैसी समस्याएं व्याप्त हैं। यही कारण है कि ग्रामीण भारत को 24 घंटे इंटरनेट तक पहुंच हासिल करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
  - डिजिटल डिवाइड का शिक्षा, स्वास्थ्य, आवाजाही, सुरक्षा, वित्तीय समावेशन आदि पर प्रभाव पड़ता है।
- **डिजिटल निरक्षरता:** भारत के अधिकांश कस्बों और गांवों में खासकर बुजुर्गों के बीच डिजिटल निरक्षरता पाई जाती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, केवल 20% भारतीय ही डिजिटल सेवाओं का उपयोग करना जानते हैं।

©Vision IAS

- स्थानीय भाषा में पर्याप्त सामग्री की कमी है। यह उस विशाल आबादी के लिए एक बड़ी बाधा है, जो अंग्रेजी भाषा में कमजोर है।

- **डिजिटल जेंडर असमानता:** राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट-5 (2019-21) में बताया गया है कि केवल 33.3% महिला आबादी ने कभी-न-कभी इंटरनेट का उपयोग किया है। पुरुष आबादी के लिए यह दर 57.1% थी।
  - कोविड-19 महामारी के दौरान शिक्षा को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन मोड में स्थानांतरित कर दिया गया था। अलग-अलग पारिवारिक दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों के कारण छात्राओं की डिजिटल नेटवर्क तक पहुंच छात्रों की तुलना में कम थी।
- **बुनियादी ढांचे के विकास की धीमी गति और विलंब:** एक अध्ययन के अनुसार, डिजिटल लेन-देन में बढ़ती वृद्धि से निपटने के लिए भारत का डिजिटल बुनियादी ढांचा अपर्याप्त है।
- **साइबर सुरक्षा:** दूर-दराज के गांवों में डिजिटल कनेक्टिविटी की व्यापकता के साथ-साथ सभी क्षेत्रों में डिजिटलीकरण हुआ है। इस कारण साइबर सुरक्षा पर ध्यान देना आवश्यक हो गया है।
  - भारत में प्रशिक्षित साइबर सुरक्षा पेशेवरों की भी कमी है।
- **डेटा संरक्षण और गोपनीयता:** भारत में अभी तक नागरिकों के डेटा और गोपनीयता की सुरक्षा के लिए एक व्यापक डेटा संरक्षण कानून व्यवस्था नहीं है।
- **भारत में नेट न्यूट्रैलिटी नीति का अभाव:** डिजिटल इंडिया की सफलता के लिए नेट न्यूट्रैलिटी की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रकार की प्राथमिकता का निर्धारण, वेब को ब्लॉक करना या उसका नियंत्रण, भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को प्रभावित कर सकता है।
- **निजी भागीदारी:** लंबी और जटिल नियामक प्रक्रियाओं के कारण सरकारी डिजिटल परियोजनाओं में इनकी भागीदारी कम है।

आगे की राह

- **जागरूकता कार्यक्रम:** विशेष रूप से ग्रामीण तथा दूर-दराज के क्षेत्रों में डिजिटल और इंटरनेट सेवाओं के लाभों के बारे में **नागरिकों को शिक्षित व सूचित करने की आवश्यकता** है।
- **समावेशन और समानता के लिए डिजिटल डिवाइड को खत्म करना आवश्यक है।** डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन और PMGDISHA[32] जैसी पहलों का विस्तार करने की जरूरत है।
- **निजी क्षेत्रक** को ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में अंतिम छोर तक डिजिटल बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए **प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।** उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूल कराधान नीतियां, त्वरित परियोजना मंजूरी जैसी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।
- सरकार को **ऑनलाइन स्पेस को विनियमित करने के लिए एक "व्यापक कानूनी ढांचा" बनाना चाहिए। इसमें डेटा गोपनीयता, साइबर सुरक्षा,** दूरसंचार नियमों पर अलग कानून बनाना और देश में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए गैर-व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करना शामिल होना चाहिए।
- उभरती प्रौद्योगिकियों (AI, बिग डेटा, ब्लॉकचेन आदि) की जरूरतों के अनुसार स्किलिंग, री-स्किलिंग और अप-स्किलिंग के लिए **डिजिटल कार्यक्रम शुरू करने चाहिए।** साइबर सुरक्षा डोमेन में विशेषज्ञता विकसित करने की भी आवश्यकता है।

3.7. एनर्जी पॉवर्टी (Energy Poverty)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, जर्मनी में आयोजित G-7 शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधान मंत्री ने एनर्जी पॉवर्टी (ऊर्जा निर्धनता) के मुद्दे पर विश्व का ध्यान आकर्षित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कम समृद्ध **ग्लोबल साउथ** और अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध **ग्लोबल नॉर्थ** के लिए ऊर्जा तक समान रूप से पहुंच की आवश्यकता पर बल दिया।

ऊर्जा निर्धनता और उसके कारण

ऊर्जा निर्धनता को **ईंधन निर्धनता** के रूप में भी जाना जाता है। इसे आमतौर पर **दो तरीकों** से परिभाषित किया जाता है-

i. **ऊर्जा तक पहुंच,** यानी बिजली तक पहुंच का अभाव; और

ii. **ऊर्जा वहन करने की क्षमता,** अर्थात् अकुशल और प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोतों पर घरेलू निर्भरता, जैसे कि ठोस बायोमास को जलाना।

- अकेले **लैटिन अमेरिका, एशिया और अफ्रीका** में लगभग तीन अरब लोग ऊर्जा-निर्धन हैं।

[32] प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान

* ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के कारण यूरोप और अन्य हिस्सों में भी ऊर्जा निर्धनता का जोखिम बढ़ गया है।

ऊर्जा निर्धनता का प्रभाव

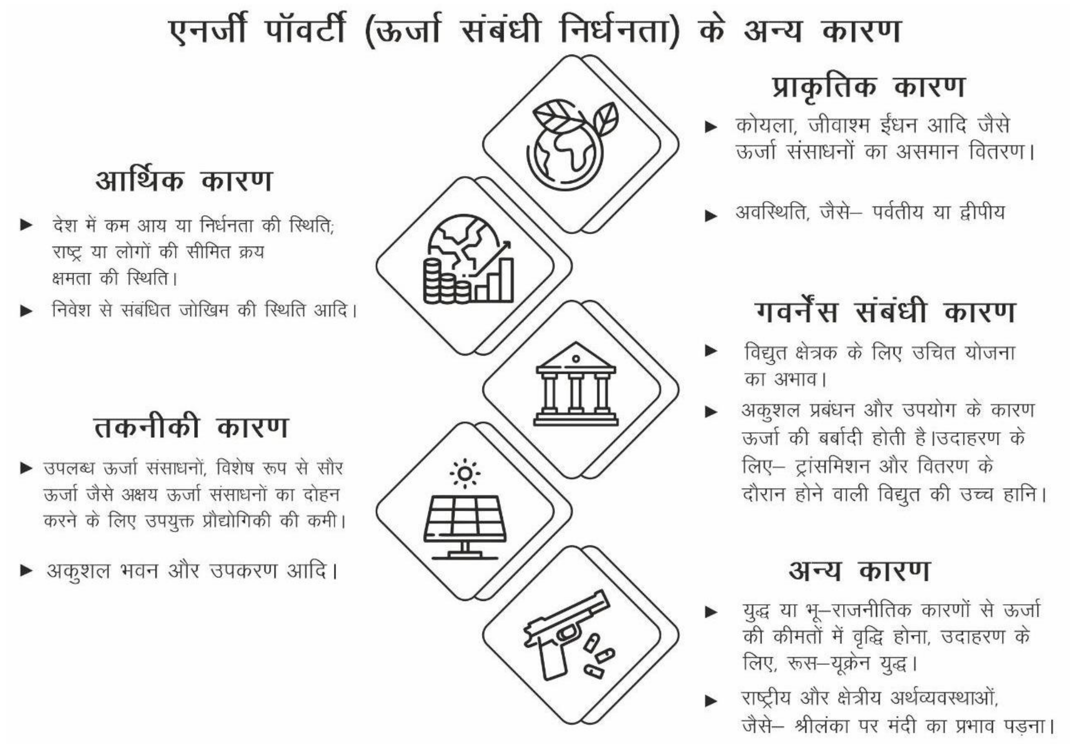

* **आर्थिक प्रभाव:** ऊर्जा की कमी के कारण **लोगों के जीवन स्तर और उत्पादकता में कमी** आती है। विशेष रूप से, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में ऊर्जा संसाधनों पर धन के खर्च में बढ़ोतरी होती है और इसमें अधिक समय लगता है। इस कारण गरीब लोग **गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाते हैं।**
    * उदाहरण के लिए- अफ्रीका में लगभग **30% आबादी** के पास बिजली नहीं है।
* **स्वास्थ्य पर प्रभाव:** ऊर्जा निर्धनता का जीवन के संभावित वर्षों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आंतरिक वायु प्रदूषण (indoor pollution), स्वच्छ पानी तक पहुंच की कमी, आदि के कारण शिशु मृत्यु दर में वृद्धि होती है।
    * WHO के अनुसार, बायोमास के उपयोग के कारण **कम आय वाले देशों में आंतरिक वायु प्रदूषण के चलते प्रतिवर्ष अनुमानित रूप से 1.3 मिलियन लोगों की मौत** होती है।
    * इसी तरह, ठंडे देशों में यह **सर्दियों में होने वाली मौतों एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं** का कारण बनती है।
* **पर्यावरणीय प्रभाव:** ऊर्जा निर्धनता **ऊर्जा के उपयोग और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उपायों को शुरू करने में एक बाधा** बन जाती है। ऐसा अक्सर वहनीयता संबंधी समस्याओं के चलते होता है।
* **राजनीतिक प्रभाव:** लंबे समय में, सामाजिक अशांति के जोखिम के साथ बेरोजगारी, गरीबी आदि के कारण राष्ट्र के स्वायत्त विकास पर इसके गंभीर परिणाम होते हैं।
    * उदाहरण के लिए, फ्रांस में **येलो वेस्ट आंदोलन** मुख्य रूप से ईंधन की बढ़ती कीमतों से प्रेरित था।

इन प्रभावों को दुनिया भर में हर जगह महसूस किया जाता है। लेकिन भारत जैसे विकासशील देशों में इसकी गंभीरता को अधिक आसानी से देखा जा सकता है। **कम क्रय शक्ति** तथा **विकास-संबंधी अंतर** के साथ ऊर्जा निर्धनता के जुड़ जाने से यह मुद्दा और जटिल बन जाता है।

ऊर्जा निर्धनता से निपटने में चुनौतियां

भारत द्वारा **घरेलू और वैश्विक स्तर पर ऊर्जा को सुलभ और वहनीय बनाने के लिए** कई पहलें की गई हैं। इसके बावजूद हमें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे:

* अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जैसे संस्थानों के माध्यम से वैश्विक ऊर्जा शासन में **अटलांटिक देशों का प्रभुत्व।**

- **भू-रणनीतिक मुद्दे:** ईंधन की ऊंची कीमतों में OPEC की रुचि या रूस पर नाटो के प्रतिबंधों जैसे व्यक्तिगत हितों ने ऊर्जा की कमी को बढ़ा दिया है।
    - वैश्विक तेल उत्पादन में रूस का योगदान 12.6% है।
- **जीवाश्म ईंधन में कम निवेश:** जलवायु परिवर्तन के कारण कच्चे तेल के वैश्विक अन्वेषण और उत्पादन गतिविधियों में भी उल्लेखनीय गिरावट आई है। इससे ऊर्जा निर्धनता में बढ़ोतरी हुई है।
- **सख्त पर्यावरण विनियमन:** यह गैर-स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करने वाले परिवारों के लिए वहनीयता संबंधी मुद्दों के कारण घरेलू ऊर्जा निर्धनता को बढ़ाता है।
- **वितरणात्मक न्याय का अभाव:** जलवायु परिवर्तन के कारण, विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देशों को अपने कार्बन फुटप्रिंट को सीमित करना होगा। इसके कारण विकासशील देशों को नुकसान होता है।
    - **ऐतिहासिक उत्सर्जन** में विकासशील देशों का हिस्सा बहुत कम रहा है। उन्हें **विकास के अंतर को खत्म करने के लिए** अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है।
- **घरेलू चुनौतियां:** राष्ट्रों की अपनी घरेलू चुनौतियां होती हैं। उदाहरण के लिए- भारत को निम्नलिखित घरेलू चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है-
    - ऊर्जा की राष्ट्रीय मांग को पूरा करने के लिए **आयात पर अत्यधिक निर्भरता;**
    - **उच्च ऋण, सुधारों की धीमी गति और विद्युत क्षेत्र में** निवेश के मुद्दे;
    - **दूर-दराज के स्थानों** को ग्रिड आपूर्ति से जोड़ना मुश्किल है;
    - **ऊर्जा निर्धनता और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के बीच का संघर्ष,** उपलब्ध संसाधनों जैसे कि कोयला, जल विद्युत आदि के उपयोग को सीमित करता है।

आगे की राह

- G20 और ब्रिक्स जैसे प्लेटफार्मों का उपयोग करके ऊर्जा पहुंच, गरीबी और सुरक्षा पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। इसके द्वारा वैश्विक ऊर्जा शासन में सुधार करना।
    - उदाहरण के लिए- एक वैश्विक अंतर-सरकारी संगठन की स्थापना करना। इसके द्वारा ऊर्जा संक्रमण, ऊर्जा पहुंच और न्याय तथा ऊर्जा एवं जलवायु की दिशा में वित्तीय, तकनीकी और ज्ञान आधारित सहायता प्रदान करना।
- **आर्थिक असमानताओं** को ऊर्जा निर्धनता के रूप में संबोधित करना सीधे तौर पर क्रय शक्ति से जुड़ा हुआ है। यह ऊर्जा के हमारे विकल्पों को प्रभावित करता है।
- स्थानीय से राष्ट्रीय स्तर तक नवोन्मेषी नीतियों, बेहतर योजना और अधिक कार्यकुशलता के द्वारा बिजली क्षेत्र में **शासन प्रणाली में सुधार करना।**
- नवीन एवं सस्ते ऊर्जा संसाधनों और प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए नवाचार व अनुसंधान को बढ़ावा देना। इससे सभी के लिए लागत प्रभावी और विश्वसनीय बिजली की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। उदाहरण के लिए-
    - **स्मार्ट उपकरणों का उपयोग** जो टैरिफ के उपयोग के समय के आधार पर अपनी खपत को समायोजित करते हैं। थोरियम आधारित परमाणु रिएक्टरों के विकास की गति में तेजी लाना।
    - बिजली वितरण की योजना बनाने और सबसे उपयुक्त प्रौद्योगिकियों की पहचान करने के लिए **भू-स्थानिक मानचित्रण का उपयोग करना।**
- **व्यापक दृष्टिकोण,** अर्थात् स्थलाकृति तथा संसाधन की कमी जैसी बाधाओं को दूर करने के लिए ऑफ-ग्रिड, मिनी-ग्रिड, राष्ट्रीय और वैश्विक ग्रिड समाधानों का उपयोग करना।
- स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों तक पहुंच के साथ ऊर्जा के मूल्य में होने वाली वृद्धि के खिलाफ समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा करना। साथ ही पर्यावरणीय नियमों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में मदद करना।
    - खाना पकाने वाले बेहतर स्टोव या बायोगैस जैसे सहायता उपाय, खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन तक पहुंच प्रदान करने में मदद कर सकते हैं।
- ऊर्जा निर्धनता के स्थायी समाधान के लिए **स्वच्छ ईंधन के बारे में जागरूकता और सामाजिक साझेदारी को बढ़ावा देना।** ऐसा करते समय रोजगार सृजन, घरेलू आय में वृद्धि और बेहतर स्वास्थ्य परिणामों को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

3.8. जिला खनिज प्रतिष्ठान (District Mineral Foundation: DMF)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र ने DMF फंड के उपयोग के मानदंडों को कठोर करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि उनका उपयोग स्पष्ट रूप से बताए गए उद्देश्यों के लिए किया जाए। ये उद्देश्य खनन गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों और लोगों के पुनर्विकास से संबंधित हैं।

प्रमुख दिशा-निर्देश

- जिला खनिज प्रतिष्ठानों को एक **पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना (perspective plan) तैयार** करनी होगी। इस योजना के तहत खनन संबंधी गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्र का सुव्यवस्थित विकास सुनिश्चित किया जाएगा। इस विकास कार्य को पूरा करने के लिए रॉयल्टी के एक प्रतिशत के रूप में खननकर्ताओं के योगदान से प्राप्त फंड का उपयोग किया जाएगा।
- यह परिप्रेक्ष्य योजना **विश्वविद्यालयों या प्रसिद्ध संगठनों के माध्यम से आधारभूत या आरंभिक सर्वेक्षण के आधार पर तैयार** की जाएगी।
- **ग्राम सभा या स्थानीय निकाय** आवश्यकता आकलन रिपोर्ट तैयार करने में सहायता कर सकते हैं।
- **DMFs पांच वर्षों के लिए एक रणनीति तैयार करेंगे और उसे परिप्रेक्ष्य योजना में शामिल किया जाएगा। यह रणनीति** आधारभूत सर्वेक्षणों के ज़रिए चिन्हित निष्कर्षों और अंतरालों के आधार पर तैयार की जाएगी।

DMF में हालिया संशोधन

- मार्च 2020 में, सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किए थे। इनमें सुझाव दिया गया था कि 30% तक धनराशि का उपयोग कोविड-19 से संबंधित व्यय के लिए किया जा सकता है।
- **खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021**[33] के अनुसार, केंद्र सरकार फंड की संरचना और उपयोग के संबंध में भी निर्देश दे सकती है, जबकि राज्य सरकारें DMF के गठन और कार्यों को निर्धारित करना जारी रखेंगी।
- वर्ष 2021 में सरकार ने आदेश जारी किया था कि राज्य सरकार या किसी राज्य स्तरीय एजेंसी द्वारा राज्य स्तर पर DMF फंड में से किसी भी खर्च को स्वीकृत या अनुमोदित नहीं किया जाएगा।

DMF के बारे में

- **MMDR अधिनियम, 2015** सभी राज्यों को **खनन से प्रभावित प्रत्येक क्षेत्र में जिला खनिज प्रतिष्ठान (DMF)** स्थापित करने का निर्देश देता है।
    - इसके तहत **खनन वाले हर जिले में DMF का गठन** किया जाता है।
    - खनन कंपनियां **DMF को वर्ष 2015 से पहले के पट्टों के लिए रॉयल्टी राशि के 30%** का भुगतान करेंगी। **वर्ष 2015 के बाद नीलामी के ज़रिए दिए गए पट्टों के लिए उन्हें 10%** का भुगतान करना पड़ता है।
- इस प्रकार एकत्रित की गई धनराशि का **प्रबंधन गैर-लाभकारी ट्रस्टों** द्वारा किया जाएगा। **इस धनराशि का उपयोग** आदिवासी और वनवासी समुदायों सहित **खनन से प्रभावित आबादी के कल्याण** के लिए किया जाएगा।
    - प्रत्येक **जिले का एक अलग ट्रस्ट होगा।**
- यह **एक विशेष फंड है, जो किसी विशेष योजना या कार्य क्षेत्र से जुड़ा नहीं है**। इसके अलावा यह प्रत्येक **वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर भी व्यपगत (Lapse) नहीं** होता है। दूसरे शब्दों में, फंड से जो पैसा खर्च नहीं हो पाता है उसे अगले साल के लिए फंड में ही रखा जाता है।
    - **अप्रयुक्त धन वर्षों तक जमा** रखा जा सकता है।

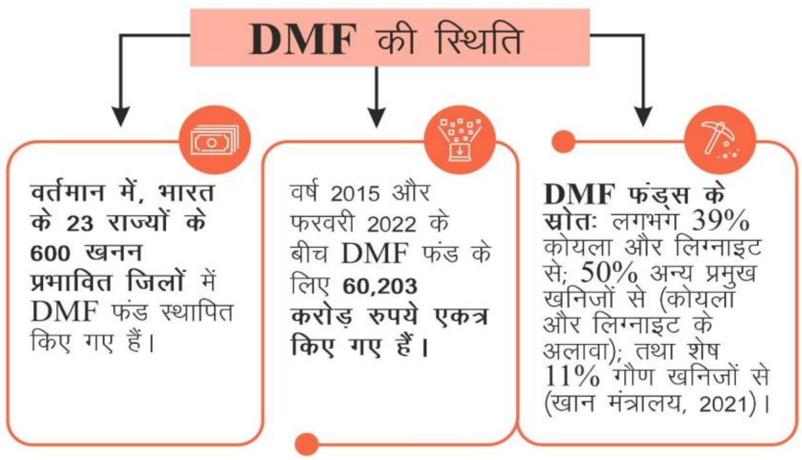

MMDR यानी खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015

- इस कानून के जरिये **MMDR अधिनियम, 1957** में संशोधन किया गया था। इसका उद्देश्य **भारत में खनन क्षेत्र को विनियमित करना है। साथ ही, यह खनन कार्यों के लिए खनन पट्टे प्राप्त करने और प्रदान करने की आवश्यकता को निर्धारित** करना है।
- यह एक **जिला खनिज प्रतिष्ठान** (राज्य सरकार द्वारा सृजित) और एक **राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट** (केंद्र सरकार द्वारा निर्मित) के गठन का प्रावधान करता है।
- इसके जरिये खनन लाइसेंस की एक नई श्रेणी बनायी गयी है - **पूर्वेक्षण लाइसेंस-सह-खनन पट्टा (prospecting license-cum-mining lease)**। यह पूर्वेक्षण कार्यों के लिए दी जाने वाली दो-चरण की छूट है। इसके बाद खनन कार्य होता है।

DMF से संबंधित मुद्दे

- **राज्यों के बीच अंतराल:** सितंबर 2021 तक देश में कुल DMF संग्रह का 80% भाग ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना से प्राप्त हुआ था।
    - कुछ राज्यों (जैसे- कर्नाटक व गुजरात) ने अपने यहां एकत्रित राशि से अधिक व्यय किया है, जबकि अन्य राज्यों (जैसे- गोवा) ने अपने संग्रह का 50% से भी कम खर्च किया है।

---

[33] MMDR Amendment Act 2021

 ©Vision IAS

- **रिकॉर्ड न रखना:** PMKKKY दिशा-निर्देशों में उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक DMF ट्रस्ट फंड को एक वेबसाइट बनानी होगी। यह वेबसाइट प्रभावित क्षेत्रों और लोगों से संबंधित डेटा एवं धन के संग्रह, आवंटन तथा व्यय पर क्षेत्रवार विवरण प्रदान करेगी।
    - हालांकि, **केवल कुछ राज्यों की वेबसाइट्स ने ही अपने DMF फंड पर अपडेटेड जिला-स्तरीय डेटा प्रदान** किया है, वह भी पूरी तरह से नहीं।
- **प्रशासनिक द्वंद्व:** DMF प्रशासन जिलों और राज्यों के दायरे में आता है। लेकिन **नए MMDR, 2021 संशोधनों ने केंद्र सरकार को फंड की संरचना और उपयोग के संबंध में अधिक शक्ति** प्रदान की है।
- **जमीनी स्तर पर भागीदारी का अभाव:** राज्य DMF नियम और PMKKKY खनन प्रभावित क्षेत्रों में निम्नलिखित के संदर्भ में ग्राम सभा की शक्ति एवं भूमिका का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हैं-
    - लाभार्थियों की पहचान,
    - DMF योजना निर्माण, तथा
    - कार्यों और योजनाओं की समीक्षा।
    - अनुसूचित क्षेत्रों के लिए ग्राम सभा की उपर्युक्त शक्ति एवं भूमिका पर विशेष बल दिया गया है।
    - हालांकि, किसी भी राज्य के DMF निकाय में ग्राम सभा सदस्यों के प्रतिनिधित्व की व्यावहारिक रूप से कोई भूमिका नहीं है।
    - इसके अलावा, DMF निकाय, गवर्निंग काउंसिल और प्रबंधन समिति के सदस्यों पर सरकारी महकमों (सांसद, विधायक आदि) का वर्चस्व है।
- **सही से योजना न बनाना या अस्थायी निवेश:** अधिकांश खनन प्रभावित जिलों में यह एक प्रमुख समस्या है और विशेष रूप से उच्च जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में तो स्थिति और भी खराब है।
    - उदाहरण के लिए- किसी भी जिले में **बाल पोषण में सुधार करने और पांच वर्ष से कम आयु वर्ग में मृत्यु दर (U5MR) को कम करने के लिए आवश्यक निवेश** नहीं किया गया है।

प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)

- इसका उद्देश्य DMF से सृजित फंड्स का उपयोग कर **खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों और लोगों का कल्याण सुनिश्चित** करना है।
- यह योजना सुनिश्चित करती है कि खनन वाले जिलों में पर्यावरण, लोगों के स्वास्थ्य और सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था पर खनन के दौरान और बाद में पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जा सके। यह खनन क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के लिए दीर्घकालिक व स्थायी आजीविका प्रदान करने का भी प्रयास करती है।
- इस योजना के तहत पेयजल, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता, शिक्षा, कौशल विकास, कल्याणकारी उपाय और पर्यावरण संरक्षण जैसे **उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को कम से कम 60 प्रतिशत स्थान दिया जाना है।**
- इसे **खान मंत्रालय** ने आरंभ किया था।

आगे की राह

- **DMF लाभार्थियों की पहचान और अधिसूचना:** लाभार्थियों के हित ही ट्रस्ट के प्राथमिक 'उद्देश्य' हैं। इसलिए DMF ट्रस्ट के लिए अपने लाभार्थियों की पहचान करना और उन्हें सूचित करना अनिवार्य है।
- खनन से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को DMF निकाय में शामिल करना चाहिए, ताकि फंड का अधिक प्रभावी उपयोग किया जा सके।
- अल्पकालिक (1-3 वर्ष) और मध्यम अवधि (3-5 वर्ष) की योजनाएं विकसित करके DMF निवेश की योजना बनानी चाहिए। यह प्रक्रिया "उत्पादन और परिणाम" उन्मुख दृष्टिकोण पर आधारित होनी चाहिए।
- एक DMF वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक डोमेन में DMF से संबंधित सभी सूचनाओं को साझा करके पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही को बढ़ावा देना चाहिए।
- सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देकर विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करना चाहिए।

3.9. विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) के लिए पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना {Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS) for DISCOMS}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विद्युत मंत्रालय ने पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) का शुभारंभ किया है।

RDSS के बारे में

- इसका उद्देश्य **निजी क्षेत्रक की विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स/DISCOMs) को छोड़कर सभी डिस्कॉम्स/विद्युत विभागों की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार** करना है।

- इस योजना के तहत विद्युत वितरण अवसंरचना के आधुनिकीकरण और मजबूती के लिए डिस्कॉम्स को आउटकम के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता पूर्व-योग्यता मानदंडों और बुनियादी न्यूनतम मानकों की प्राप्ति के आधार पर प्रदान की जाएगी।
- **इसके उद्देश्यों में शामिल हैं:**
    - सभी डिस्कॉम्स में **समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (AT&C)**[35] **हानियों को वर्ष 2024-25 तक घटाकर 12-15%** करना।
    - **विद्युत आपूर्ति की औसत लागत और प्राप्त औसत राजस्व के बीच के अंतर** को वित्त वर्ष 2025 तक **शून्य करना।**
    - **आधुनिक डिस्कॉम्स के लिए संस्थागत क्षमताओं का विकास** करना।
    - **विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और क्षमता में सुधार** करना।
- इसके अंतर्गत निम्नलिखित **मौजूदा योजनाओं का विलय** कर दिया जाएगा:
    - एकीकृत विद्युत विकास योजना (IPDS),
    - दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY), तथा
    - केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर व लद्दाख के लिए प्रधान मंत्री विकास कार्यक्रम (PMDP)-2015

इस योजना के मुख्य घटक

- **उपभोक्ता मीटर और सिस्टम मीटर (Consumer Meters and System Meters):**
    - कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर अन्य सभी उपभोक्ताओं के लिए **प्रीपेड स्मार्ट मीटर** उपलब्ध कराना।
    - वर्ष 2023 तक लगभग 10 करोड़ प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इसमें शहरी क्षेत्रों, केंद्र शासित प्रदेशों, अमृत शहरों और उच्च हानि वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। शेष क्षेत्रों में इन्हें कई चरणों में लगाया जाएगा।
- **फीडर का पृथक्करण (Feeder Segregation):**
    - गैर-पृथक फीडरों के लिए फीडर पृथक्करण वित्तपोषण पर ध्यान देना।
    - सभी फीडरों के सोलराइजेशन हेतु **पी.एम.-कुसुम योजना** के साथ एकीकरण/ अभिसरण।
    - सोलराइजेशन की मदद से सिंचाई के लिए दिन में सस्ती/ मुफ्त विद्युत प्राप्त की जा सकेगी। इससे किसानों को अतिरिक्त आय अर्जित करने में मदद मिलेगी।
- **शहरी क्षेत्रों में वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण (Modernization of Distribution system):**
    - सभी शहरी क्षेत्रों में पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (SCADA)[34] को लागू किया जाएगा।
- **ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में इन्हें मजबूत बनाया जाएगा।**

- इस योजना को लागू करने के लिए **REC लिमिटेड** तथा **पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (PFC)** को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। REC लिमिटेड को पहले ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के रूप में जाना जाता था।
- **इस योजना की अन्य विशेषताएं:**
    - आपूर्ति संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए **आउटकम के आधार पर वित्तीय सहायता** प्रदान की जाएगी।
    - "वन साइज फिट्स ऑल दृष्टिकोण" की जगह **राज्य विशिष्ट कार्य योजना** की शुरुआत की जाएगी।
    - किसानों हेतु विद्युत आपूर्ति में सुधार करने के लिए **कृषि फीडरों का सौरकरण या सोलराइजेशन** (सौर ऊर्जा का उपयोग कर संचालन योग्य बनाना) किया जाएगा। साथ ही, इसे **प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी.एम.-कुसुम) योजना के साथ एकीकृत/अभिसरित** किया जाएगा।
    - **प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग** को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मोड में लागू किया जाएगा
    - PPP मोड में फीडर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर (DT) स्तर पर **सिस्टम मीटरिंग** की व्यवस्था की जाएगी।
    - **प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ उठाने और उपभोक्ता सशक्तीकरण** हेतु प्रयास किए जाएंगे।
    - उन राज्यों को **विशेष श्रेणी के राज्यों में रखने के लिए प्रावधान** किया जाएगा जिन्हें स्मार्ट मीटरिंग परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त अनुदान प्रदान करना है।

भारतीय डिस्कॉम्स क्षेत्रक के बारे में

- विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत अग्रलिखित तीन प्राथमिक खंड हैं: **उत्पादन (generation), पारेषण (transmission) और वितरण (distribution)।**
    - **उत्पादन** एक प्रक्रिया है। इसके तहत विभिन्न ईंधनों का उपयोग करके उत्पादन स्टेशनों (उत्पादन संयंत्रों) में विद्युत का उत्पादन किया जाता है।

---

[34] Supervisory Control and Data Acquisition

[35] Aggregate Technical & Commercial

- ○ **पारेषण** इकाइयां, विद्युत उत्पादन संयंत्रों से उच्च वोल्टेज वाली उत्पादित विद्युत को ग्रिड के माध्यम से वितरण करने वाले सब-स्टेशनों तक पहुंचाने में मदद करती हैं।
- ○ **वितरण** इकाइयां, वितरण नेटवर्क के माध्यम से एक-एक उपभोक्ता को सब-स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति करती हैं।

- तीसरे चरण को अमल में लाने के लिए ही **डिस्कॉम्स** का गठन किया गया था। इसी चरण में देश भर के सभी उपभोक्ताओं तक विद्युत का वितरण सुनिश्चित किया जाता है।
  - ○ केंद्र शासित प्रदेशों में डिस्कॉम्स को सीधे केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित किया जाता है। इसके विपरीत, **राज्यों में संबंधित राज्य सरकारें उन्हें शासित करती हैं।**
  - ○ हालांकि, **भारत में कुछ निजी डिस्कॉम्स भी परिचालनरत** हैं, लेकिन वे केवल कुछ शहरों तक ही सीमित हैं।

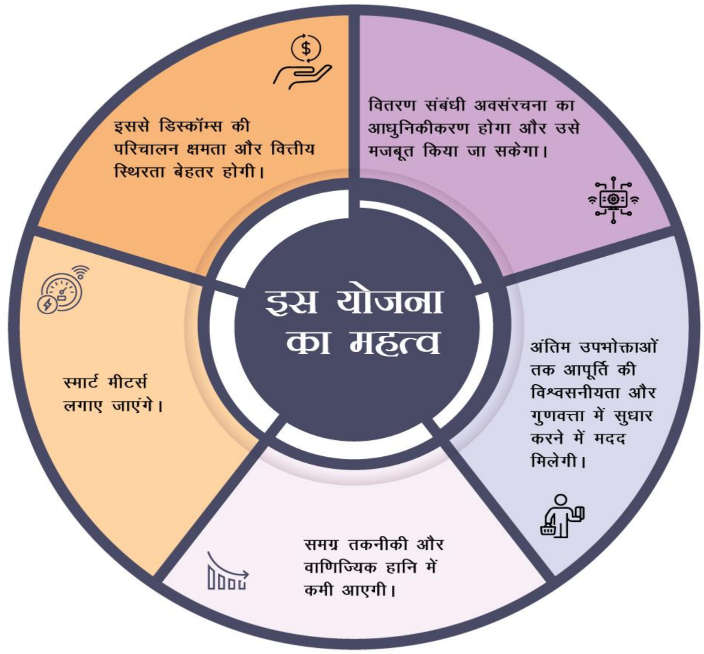

- भारतीय संविधान के तहत, **विद्युत को समवर्ती सूची के अधीन रखा** गया है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं तक विद्युत वितरण व आपूर्ति की जिम्मेदारी राज्यों को प्रदान की गई है।
- वर्तमान में **राज्य डिस्कॉम्स की खराब वित्तीय स्थिति** विद्युत क्षेत्र से संबंधित सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है।
  - ○ इससे **आपूर्ति के लिए विद्युत खरीदने** और वितरण संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए **निवेश करने की उनकी क्षमता प्रभावित** हो रही है।
  - ○ नतीजतन, इससे कई **उपभोक्ताओं को टाइम से और 24 घंटे बिजली नहीं** मिल पा रही है।
- **डिस्कॉम्स की वर्तमान स्थिति:**
  - ○ देश भर में **राज्य के स्वामित्व वाले डिस्कॉम वित्तीय और परिचालन संबंधी बाधाओं का सामना** कर रहे हैं। यह स्थिति तब है जब पिछले 15 वर्षों में इस संदर्भ में चार सुधार योजनाएं लागू की जा चुकी हैं।
  - ○ नीति आयोग की अगस्त 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, **अधिकांश डिस्कॉम्स को प्रतिवर्ष घाटे का सामना** करना पड़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2021 में **आकलित कुल नुकसान लगभग 90,000 करोड़ रुपये के करीब** रहा था।

डिस्कॉम्स द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां

- **अत्यधिक तकनीकी और वाणिज्यिक (AT&C)[36] हानि:** ये नुकसान खराब या अपर्याप्त बुनियादी ढांचे या चोरी अथवा बिल जारी न किए जाने या बिलों का भुगतान न होने के कारण होते हैं।
  - ○ उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय/UDAY) के डैशबोर्ड डेटा के अनुसार, **अखिल भारतीय स्तर पर वर्तमान में AT&C हानियां लगभग 21.7 फीसदी के करीब** हैं। तुलनात्मक रूप से **यू.के. और यू.एस.ए. में ये लगभग 6-7%** हैं।
- **कोविड-19 का प्रभाव:** कोविड-19 महामारी के कारण डिस्कॉम के आर्थिक संकट में और अधिक बढ़ोतरी हुई है। लॉकडाउन के दौरान **अत्यधिक-भुगतान करने वाले कॉर्पोरेट्स और औद्योगिक ग्राहकों की ओर से मांग में तेज़ी से गिरावट आयी।** इसके कारण डिस्कॉम्स के वित्त पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
- **टैरिफ (प्रशुल्क) निर्धारण में देरी:** खुदरा विद्युत टैरिफ के वार्षिक या आवधिक संशोधन के लिए केंद्र ने निर्देश जारी किये थे। इसके बावजूद भी राज्यों ने टैरिफ निर्धारण में देरी की थी।
- **विद्युत खरीद लागत को अनुकूल बनाने से संबंधित मुद्दे:** विद्युत मांग से जुड़े गलत अनुमानों के आधार पर डिस्कॉम ने **महंगे और दीर्घकालिक तापीय विद्युत खरीद समझौते** किए हैं।
  - ○ इससे **विद्युत की लागत बढ़ गई व बुनियादी ढांचे में अपर्याप्त निवेश को बढ़ावा** मिला है। साथ ही, **उत्पादक को किए जाने वाले भुगतान में भी देरी** हुई है।

[36] Aggregate Technical and Commercial

- **विद्युत वितरण से संबंधित बुनियादी ढांचे का अपग्रेडेशन:** संसाधनों की कमी के कारण घाटे में चल रहे कई डिस्कॉम्स अपने उपकरणों के अपग्रेडेशन और रख-रखाव से संबंधित निवेश में असमर्थ हैं।
- **पहले के उपायों से अपेक्षित लाभ नहीं:** सरकार ने, विभिन्न व्यवस्थाओं के तहत तथा राहत पैकेजों के माध्यम से भारत में डिस्कॉम्स की स्थिति में सुधार करने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए- उदय कार्यक्रम के तहत राज्य सरकारों ने डिस्कॉम्स के ऋण का 75% हिस्सा स्वयं वहन कर लिया तथा शेष ऋण को चुकाने के लिए कम ब्याज वाले बॉण्ड भी जारी किए गए हैं।

आगे की राह

- **डिस्कॉम्स का पुनर्गठन:**
  - केंद्र सरकार की भागीदारी में **क्षेत्रीय विद्युत विनियामक आयोग** गठित किया जाना चाहिए। इससे विनियामकीय कार्यों को राजनीतिक दबाव से मुक्त किया जा सकेगा।
  - उच्च दक्षता के लिए **अधिकाधिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित** किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए- ओडिशा और महाराष्ट्र में फ्रेंचाइजी मॉडल लागू किए गए हैं।
  - **घाटे से जूझ रहे क्षेत्रों के लिए PPP मॉडल उपयोगी साबित** हो सकता है, विशेषकर जहां सरकारी समर्थन के बिना वाणिज्यिक संचालन संभव नहीं है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण में सुधार:** डिस्कॉम्स की ओर से स्थानीय नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों को बैटरी सिस्टम या पंप हाइड्रो-स्टोरेज सिस्टम उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इससे **बड़े पैमाने पर ऊर्जा भंडारण प्रणाली को स्थापित** करने में मदद मिलेगी।
  - **दूर-दराज़ के और कम आबादी वाले क्षेत्रों के लिए मिनी-ग्रिड्स की स्थापना** की जानी चाहिए। ऐसे ग्रिड्स से स्थानीय रूप से उपलब्ध नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त बिजली का उचित और पूरा उपयोग किया जा सकेगा।
- **RDSS योजना को मज़बूत बनाना:** इसे निम्नलिखित के माध्यम से पूरा किया जा सकता है:
  - **अपर्याप्त संसाधनों के बारे में राज्यों की चिंताओं को दूर करके।**
  - **राज्यों को विद्युत पारेषण हेतु अधिक कुशल** (और कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले) **ताप विद्युत संयंत्रों को बढ़ावा देना होगा।** केंद्र इस दिशा में राज्यों को प्रेरित कर सकता है।
  - डिस्कॉम्स की कार्य योजनाओं और परियोजना रिपोर्ट की व्यवहार्यता की जांच के लिए **केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय समितियों तथा एजेंसियों को मिलकर कार्य** करना चाहिए।
  - **स्मार्ट मीटरिंग अवसंरचना को स्थापित करने के लिए एक व्यवस्थित रणनीति अपनानी** चाहिए।

3.10. भारत की जैव-अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 (India's Bioeconomy Report 2022)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC)**[37] ने **भारत की जैव-अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022** जारी की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- BIRAC के अधीन **उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए विशेष बायोटेक इग्निशन ग्रांट कॉल**[38] को भी लॉन्च किया गया है। साथ ही, बायोटेक समाधान विकसित करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के 25 स्टार्ट-अप्स और उद्यमियों में से प्रत्येक को 50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता की भी घोषणा की गई है।

BIRAC के बारे में

- BIRAC एक गैर-लाभकारी उद्यम है। यह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8, अनुसूची B के अधीन स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम है।
- इसे **जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT)** द्वारा स्थापित किया गया है।
- यह राष्ट्रीय स्तर पर आवश्यक उत्पाद बनाने में मदद करता है। साथ ही, यह रणनीतिक अनुसंधान और नवाचार के लिए उभरते बायोटेक उद्यम को मजबूत एवं सशक्त बनाने की दिशा में एक इंटरफेस एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

बायो इकोनॉमिक्स या जैव-अर्थशास्त्र क्या है?

- संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के अनुसार, जैव-अर्थशास्त्र का आशय **जैविक संसाधनों** के उत्पादन, उपयोग, संरक्षण और पुनरुत्पादन से है। इसमें स्थायी समाधान (सूचना, उत्पाद, प्रक्रिया व सेवाएं) उपलब्ध कराने के लिए **संबंधित ज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा नवाचार को शामिल** किया जाता है। साथ ही, यह संधारणीय अर्थव्यवस्था को सक्षम बनाए रखने में भी मदद करता है।

---

[37] Biotechnology Industry Research Assistance Council

[38] Special Biotech Ignition Grant Call for North East Region: BIG-NER

जैव-अर्थशास्त्र के कुछ प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं-

- **खाद्य प्रणालियां:** ये जैव-अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े घटक में से एक हैं। इनमें संधारणीय कृषि, संधारणीय मत्स्यन, वानिकी और जलीय कृषि शामिल हैं।
- **जैव-आधारित उत्पाद:** इसके अंतर्गत बायोप्लास्टिक, जैव-निम्नीकरणीय वस्त्र और इको-डिजाइन वाले अन्य उत्पाद शामिल हैं।
- **जैव ऊर्जा:** यह **ऊर्जा आपूर्ति को सतत बनाए रखने** में सहयोग करती है। साथ ही, यह **ऊर्जा निर्भरता को भी कम** करती है, जैसे-बायोमास।

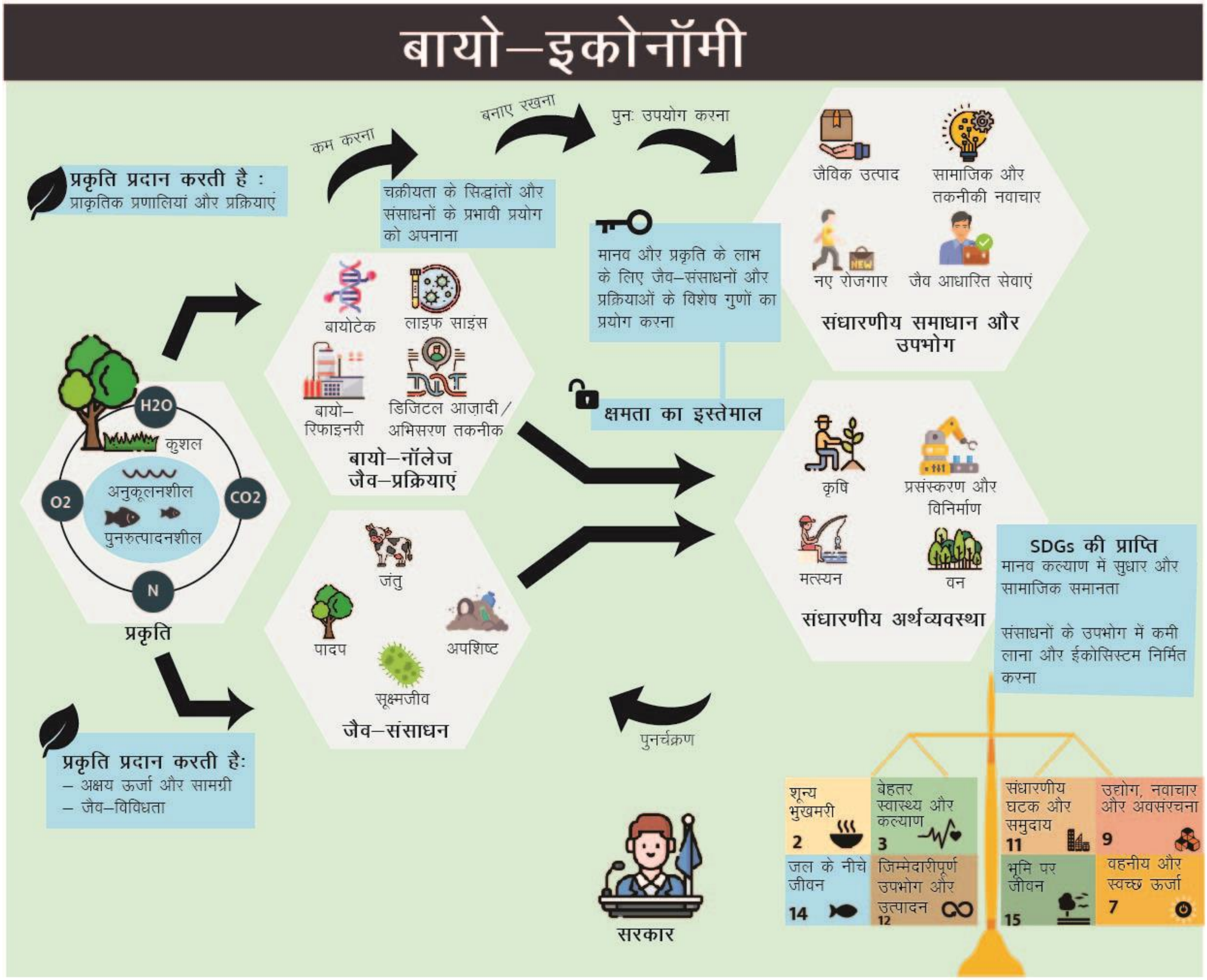

भारतीय जैव-अर्थव्यवस्था की स्थिति

- **जैव-अर्थव्यवस्था बाजार:** वर्ष 2021 में **भारत के सकल घरेलू उत्पाद** में जैव अर्थव्यवस्था बाजार की हिस्सेदारी **2.6 प्रतिशत** के आस-पास थी। इस क्षेत्र ने वर्ष 2020 में 14% की वृद्धि दर्ज की थी।
    - कोविड-19 टीकाकरण और टेस्टिंग अभियान के कारण जैव-अर्थव्यवस्था के लगभग पांचवें हिस्से का विकास हुआ है।
- **क्षेत्रक आधारित वितरण:** जैव-अर्थव्यवस्था में **बायोफार्मा** की हिस्सेदारी (49 प्रतिशत) सर्वाधिक है।
    - वर्ष 2021 में जैव-अर्थव्यवस्था में **जैव-औद्योगिक खंड** के योगदान में **202 प्रतिशत की वृद्धि** देखी गई।
- **नवाचार:** वर्ष 2021 में जैव-अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में लगभग प्रत्येक दिन कम-से-कम **तीन बायोटेक स्टार्ट-अप्स** जुड़े।
- वर्ष 2021 में बायोटेक क्षेत्र में **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) बढ़कर लगभग 830 मिलियन डॉलर** तक पहुंच गया था।

संबंधित चुनौतियां

- **खाद्य बनाम ईंधन:** जैव अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर लागू किए जाने से सीमित कृषि भूमि और जल संसाधनों के समक्ष प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो सकती है।
- **उच्च लागत:** जैव अर्थव्यवस्था के तहत उत्पादों और उत्पादन प्रक्रियाओं के रूपांतरण हेतु महत्वपूर्ण निवेश आवश्यक होगा। उदाहरण के लिए- जैव ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र के दोहन के लिए बुनियादी ढांचे की क्षमता को विकसित करना होगा।
- **कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन:** जैव-अर्थव्यवस्था को अपनाने से कई मामलों में अतिरिक्त कार्बन उत्सर्जन को बढ़ावा मिल सकता है, जैसे- प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भूमि-उपयोग परिवर्तन (उदाहरण के लिए- वनों की कटाई)।
- **विनियामक प्राधिकरण:** भारतीय जैव प्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण विधेयक अब तक पारित नहीं हुआ है। इसमें एक विनियामक निकाय के निर्माण का प्रावधान किया गया है। यह निकाय आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों सहित जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों के उपयोग को विनियमित करेगा।

- **बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)[39] व्यवस्था:** बायोटेक क्षेत्र में IPR के मामले में भारत के दृष्टिकोण को लेकर उद्योग के मध्य विवाद के दो प्रमुख कारण रहे हैं:
    - **पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2005 की धारा 3(D):** यह धारा **ट्रिप्स/TRIPS[40]** द्वारा निर्धारित प्रक्रिया की तुलना में पेटेंट के लिए उच्च मानक निर्धारित करती है। संबंधित उद्योगों का तर्क है कि पेटेंट के लिए भारत के सख्त मानक नवाचार को हतोत्साहित करते हैं और विदेशी निवेश को सीमित करते हैं।
    - **अनिवार्य लाइसेंसिंग:** यह सरकार को स्वास्थ्य आपात की स्थिति में **पेटेंट को निलंबित करने की शक्ति** प्रदान करता है। हालांकि, भारत ने केवल एक ही बार इस विकल्प का उपयोग किया है। इसके अतिरिक्त, उद्योगों को लगता है कि इस तरह के नियम निवेशकों को भारतीय बाजारों में प्रवेश करने से रोकते हैं।
- **बाजारीकरण का अभाव:** अक्सर विश्वविद्यालयों या सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली अधिकांश प्रारंभिक अनुसंधान निधि को बाजारीकरण के चरण से पहले ही खर्च कर दिया जाता है। ऐसे में बाजारीकरण के लिए ज्यादातर उद्यम पूंजीपतियों द्वारा फंड प्रदान किया जाता है। अतः नवोन्मेषी विचारों के व्यवसायीकरण पर इसका बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलें:

- **बायो इकोनॉमिक्स पर राष्ट्रीय मिशन:** इसे जैव-संसाधन और स्थायी विकास संस्थान (IBSD)[41] द्वारा शुरू किया गया था। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक अग्रणी संस्थान है। इस मिशन का उद्देश्य जैव संसाधनों के उपयोग से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है।
- देश में जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने **जैव ईंधन पर एक राष्ट्रीय मिशन (2009)** शुरू किया था।
- **उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना:** यह योजना बायोफार्मा हेतु आरंभ की गई थी। PLI योजना के तहत, बल्क ड्रग्स के स्थानीय निर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन पहलें शुरू की गई हैं। साथ ही, नवाचार के माध्यम से मूल्य श्रृंखला को बेहतर बनाने के लिए बायोफार्मा उद्योग को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- **राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति (NBDS) 2015-2020:** NBDS को वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। इसे राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति (2007) की उत्तराधिकारी पहल के रूप में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारत को एक **वैश्विक स्तर के जैव विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित** करना था।
- **भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना:** वर्ष 2009-10 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने एक **पूर्वोत्तर क्षेत्र जैव प्रौद्योगिकी कार्यक्रम प्रबंधन**

---

39 Intellectual Property Right

40 बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलू/ Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

41 Institute of Bio-resources and Sustainable Development

प्रकोष्ठ (NER-BPMC)[42] का गठन किया था। इसे 180 करोड़ रुपये के वार्षिक निवेश के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी गतिविधियों के समन्वय और उनके प्रोत्साहन के लिए गठित किया गया था।

आगे की राह

एक उपयुक्त जैव-आर्थिक रणनीति के लिए एक कार्य योजना विकसित करना आवश्यक है। इसमें **स्थानीय सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय सरकार तथा अन्य बाजार अभिकर्ताओं को शामिल** किया जाना चाहिए।

- **अनुसंधान, नवोन्मेष और प्रशिक्षण संबंधी निवेश में वृद्धि:** अक्सर जैव-अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर अनुसंधान और उसके इस्तेमाल के बीच जुड़ाव खत्म हो जाता है। इसके निवारण के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- **नीति समन्वय और संलग्नता को मजबूत करना:** जैव-अर्थव्यवस्था से संबंधित नीतियों, पहलों और आर्थिक क्षेत्रों के मध्य तालमेल एवं संबद्धता को बढ़ाया जाना चाहिए।
- **मानव पूंजी का निर्माण:** इस क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली नौकरियों की संख्या और गुणवत्ता में वृद्धि करने के साथ-साथ विशेष मानव संसाधनों के विकास पर भी जोर दिया जाना चाहिए।
- **नवाचार आधारित पारिस्थितिकी तंत्र:** विश्वविद्यालयों के लिए एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया जाना चाहिए, जिसमें वैज्ञानिकों, नव-प्रवर्तकों और भविष्य के उद्यमियों को आवश्यक सहायता मिल सके।
- इस क्षेत्र के विनियमन के लिए **समन्वित नीतियों को तीव्र गति से कार्यान्वित** किया जाना चाहिए।
- जैव अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को अधिक संधारणीय बनाने के साथ-साथ स्वच्छ ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देने के लिए भी आवश्यक ज्ञान आधार प्रदान किया जाना चाहिए। साथ ही, **बाजारों में सुधार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा** दिया जाना चाहिए।

3.11. प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण (PMFME) योजना {Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME) Scheme}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **PMFME योजना** के दो वर्ष पूरे हो गए। PMFME योजना को **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत** आरंभ किया गया था।

PMFME के बारे में

- यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है। इसका उद्देश्य **मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय, तकनीकी और कारोबारी सहायता प्रदान करना** है।
- **इस योजना के उद्देश्य:**
    - तकनीकी ज्ञान, कौशल प्रशिक्षण और हैंड होल्डिंग सपोर्ट सेवाओं के माध्यम से **उद्यमियों का क्षमता निर्माण करना;**
    - **मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों हेतु ऋण की उपलब्धता बढ़ाना,** ताकि वे मौजूदा प्रौद्योगिकी को और अपग्रेड कर सकें;
    - **किसान उत्पादक संगठनों (FPOs); स्वयं सहायता समूहों (SHGs); उत्पादक सहकारी समितियों** और **अन्य सहकारी समितियों को उनकी संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में सहायता प्रदान करना।**
    - इसका उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमों को साझा सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाना है।
    - विनियामकीय फ्रेमवर्क के तहत पंजीकरण और अनुपालन के लिए मौजूदा उद्यमों को **औपचारिक व्यवस्था में शामिल होने हेतु सहायता करना;**
    - ब्रांडिंग और मार्केटिंग को मजबूत करके उन्हें **संगठित आपूर्ति श्रृंखला के साथ एकीकृत करना।**

[42] Northeastern Region –Biotechnology Program Management Cell

- इस योजना को **2020-21 से 2024-25 तक पांच वर्षों की अवधि** में लागू किया जा रहा है। इस योजना का **कुल परिव्यय 10,000 करोड़ रुपये** है।
- इस योजना के तहत व्यय को निम्नलिखित अनुपात में साझा किया जाएगा:
  - **केंद्र और राज्य के मध्य 60:40 अनुपात में;**
  - **केंद्र एवं पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के बीच 90:10 के अनुपात में;**
  - केंद्र और विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्रों के बीच 60:40 के अनुपात में; और
  - अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में केंद्र 100% व्यय का वहन करेगा।

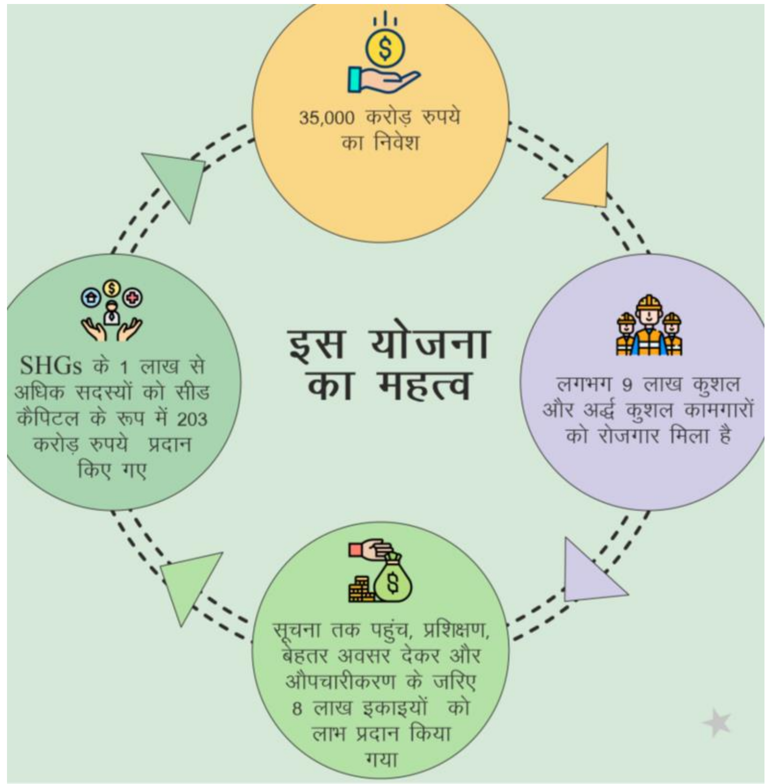

- **इस योजना की मुख्य विशेषताएं:**
  - लगभग 2 लाख खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों (FPEs)[43] को **क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी** के रूप में प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता दी जाएगी।
  - यदि कोई मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाई अपनी कंपनी को अपग्रेड करना चाहती है तो वह अनुमत परियोजना लागत के 35% के बराबर **क्रेडिट-लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी** का लाभ उठा सकती है। इस संबंध में प्रति इकाई के लिए अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये है।
  - कार्यशील पूंजी और छोटे उपकरणों की खरीद के लिए **SHG के प्रत्येक सदस्य को 40,000 रुपये का सीड कैपिटल प्रदान** किया जाएगा।
  - **FPOs/ SHGs/ उत्पादक सहकारी समितियों** को मूल्य श्रृंखला में पूंजीगत निवेश के लिए **35% का क्रेडिट लिंक्ड अनुदान प्रदान किया जाएगा।**
  - इस योजना के तहत **वेस्ट टू वेल्थ उत्पादों, लघु वन उत्पादों और आकांक्षी जिलों** पर भी बल दिया गया है।
  - **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,** इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल बैंक है।
  - इस योजना के तहत **अनौपचारिक क्षेत्रक की सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां** भी सहायता के लिए पात्र हैं।
  - इसके तहत उद्यमिता विकास कौशल (EDP+)[44] के लिए प्रशिक्षण की भी परिकल्पना की गई है। प्रशिक्षण व्यवस्था को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और उत्पाद विशिष्ट कौशल की आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तित किया जाएगा।

भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक के बारे में

- **खाद्य प्रसंस्करण (Food processing):** कृषि उत्पादों को खाने-पीने लायक खाद्य पदार्थों में बदलने या किसी खाद्य पदार्थ का मूल्य वर्धन कर उसे दूसरे खाद्य पदार्थ में बदलने को खाद्य प्रसंस्करण कहते हैं।
- इसकी निम्नलिखित दो उपश्रेणियां हैं:
  - **विनिर्माण प्रक्रिया:** इसके तहत उत्पाद के भौतिक गुणों को खाद्य उत्पादों में रूपांतरित कर दिया जाता है, जिनका वाणिज्यिक मूल्य भी होता है।
  - **मूल्य वर्धित प्रक्रियाएं:** इसके तहत निम्नलिखित प्रक्रियाएं शामिल हैं:
    - उत्पाद की शेल्फ लाइफ में वृद्धि करना;
    - उत्पाद को संरक्षित रखने वाला आवरण प्रदान करना;
    - उत्पाद को सीधे उपभोग के लायक बनाना; आदि।
- **भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक की स्थिति:**
  - भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक **दुनिया के सबसे बड़े खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रकों में से एक** है। उम्मीद है कि वर्ष 2025-26 तक इस क्षेत्रक का उत्पादन स्तर 535 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा।

---

[43] Food Processing Enterprises

[44] Entrepreneurship Development Skilling (EDP+)

 ©Vision IAS

- पिछले पांच वर्षों में **खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक लगभग 11.18% की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है।** वर्ष 2025 तक इस क्षेत्रक के 470 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।
- विश्व में **मसालों के उत्पादन और निर्यात के मामले में** भारत का पहला स्थान है।
- भारत **दूध, दाल और जूट के उत्पादन में प्रथम; फलों और सब्जियों के उत्पादन में द्वितीय; अनाज के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है** (भारत सरकार, 2019)।
- अप्रैल 2000 से मार्च 2022 तक खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक में कुल 11.08 बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है।

इस क्षेत्रक का महत्व

- यह कृषि उपज के बेहतर उपयोग और मूल्यवर्धन के माध्यम से **किसानों की आय में वृद्धि** करता है।
- यह कृषि-खाद्य उत्पादों के भंडारण, परिवहन और प्रसंस्करण हेतु अवसंरचना का विकास कर खाद्य प्रसंस्करण श्रृंखला के **सभी चरणों में होने वाली बर्बादी को कम करता है।**
- यह घरेलू और बाहरी दोनों स्रोतों के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग को संभव बनाता है।
- यह प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देता है।

इस मामले में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के लक्ष्य

- इस क्षेत्रक की वृद्धि के लिए नीतिगत समर्थन और अवसंरचना के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना;
- क्षमता विस्तार और प्रौद्योगिकी अपग्रेडेशन में सहायता करना तथा अन्य सहायक उपाय करना।
- समावेशी विकास को बढ़ावा देने में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की अपार क्षमता को स्वीकार कर, इन्हें "मेक इन इंडिया" कार्यक्रम के तहत प्रमुख क्षेत्रों में से एक के रूप में निर्धारित करना।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक के समक्ष विद्यमान चुनौतियां

- **औपचारीकरण संबंधी मुद्दे:** असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक में **लगभग 25 लाख इकाइयां शामिल हैं,** जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक से संबंधित 74% रोजगार प्रदान करती हैं।
  - **इनमें से लगभग 66% इकाइयां ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं, जिसमें से लगभग 80% इकाइयां पारिवारिक उद्यम हैं।**
- **ऋण सहायता और प्रौद्योगिकी का अभाव:** इसमें निम्नलिखित शामिल हैं-
  - आधुनिक प्रौद्योगिकी और उपकरणों, प्रशिक्षण, संस्थागत ऋण की उपलब्धता की कमी;
  - उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण पर बुनियादी जागरूकता की कमी; और
  - ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग कौशल की कमी, आदि।

सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदम

- **प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY):** यह खेत से रिटेल आउटलेट तक आधुनिक अवसंरचना के निर्माण के लिए एक व्यापक योजना है। इसका उद्देश्य कुशल आपूर्ति श्रृंखला उपलब्ध कराना है।
- **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना (PLISFPI)[45]:** इसका उद्देश्य भारत के प्राकृतिक संसाधनों के अनुरूप वैश्विक स्तर पर खाद्य विनिर्माण चैंपियन्स को तैयार करने में सहायता करना है। साथ ही, इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांड्स का भी समर्थन करना है।

- **अपर्याप्त अवसंरचना:** खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिक बर्बादी, उत्पादन की उच्च लागत और कम मूल्य वर्धन के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं:
  - कुशल आपूर्ति श्रृंखला संबंधी अवसंरचना की कमी, और
  - अपर्याप्त कोल्ड स्टोरेज क्षमता।

[45] Production Linked Incentive Scheme for Food Processing Industry

 ©Vision IAS

- **नौकरशाही संबंधी बाधाएं:** वर्तमान में, भूमि उपयोग में परिवर्तन (CLU)[46] के लिए अनुमति, पर्यावरण मंजूरी आदि जैसी कई मंजूरियों की आवश्यकता होती है। इन प्रक्रियाओं में अधिक समय लगता है और ये खर्चीली भी हैं।
- **मांग-आपूर्ति संबंधी असंतुलन:** प्रसंस्करणकर्ताओं, निर्यातकों एवं थोक खरीददारों के साथ किसानों का पर्याप्त जुड़ाव नहीं है। इसके कारण उद्योग की आवश्यकताओं और किसानों द्वारा कृषि-उत्पाद की आपूर्ति के मध्य असंतुलन की स्थिति पैदा होती है। साथ ही, यह समस्या वस्तुओं के भंडारण और आवाजाही संबंधी प्रतिबंध से और बढ़ जाती है।
- **प्रतिस्पर्धा:** इस उद्योग से जुड़ी वैश्विक कंपनियां अत्यधिक प्रतिस्पर्द्धी हैं। साथ ही, खाद्य उत्पादन संबंधी वैश्विक कानूनों की बदलती प्रकृति अक्सर इस समस्या को और बढ़ा देती है।

आगे की राह

- **अवसंरचना का विकास:** खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक के लिए आपूर्ति श्रृंखला संबंधी अवसंरचना के निर्माण को प्रोत्साहित करना और फार्म-गेट अवसंरचना को मजबूत करना चाहिए। इससे प्रसंस्करणकर्ताओं को अधिक से अधिक कच्चे माल की आपूर्ति और किसानों को उच्च आय की प्राप्ति में मदद मिलेगी।
- **फूड पार्क्स का अधिक विकास:** इसके तहत राज्य सरकारें कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भूमि आवंटित करने के साथ-साथ आर्थिक सहायता भी प्रदान कर सकती हैं।
- **खाद्य सुरक्षा संबंधी अवसंरचना का निर्माण:** इसके तहत नई प्रयोगशालाओं की स्थापना और मौजूदा प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए।
- **वित्तीय प्रोत्साहन:** इसके तहत संबंधित अवसंरचना के निर्माण के लिए आर्थिक प्रोत्साहन; नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए पूंजी निवेश पर सब्सिडी; और मौजूदा इकाइयों के लिए प्रौद्योगिकी अपग्रेडेशन हेतु सहायता प्रदान की जा सकती है, आदि।

3.12. प्रारूप कॉफी (संवर्धन और विकास) विधेयक, 2022 {Draft Coffee (Promotion and Development) Bill, 2022}

सुर्ख़ियों में क्यों?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने **कॉफी (संवर्धन और विकास) विधेयक, 2022** का प्रारूप प्रस्तुत किया है। पारित होने के बाद यह विधेयक 80 साल पुराने **कॉफी अधिनियम, 1942** की जगह लेगा। इसे संसद के वर्तमान मानसून सत्र के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

कॉफी अधिनियम, 1942 के बारे में

- इसे **द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अधिनियमित** किया गया था। इसका उद्देश्य युद्ध से बुरी तरह प्रभावित भारतीय कॉफी उद्योग को सहायता प्रदान करना था।
- इस अधिनियम के माध्यम से **कॉफी बोर्ड की स्थापना** की गई थी। यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

भारतीय कॉफी बोर्ड (मुख्यालय: बेंगलुरु)

- इसमें **अध्यक्ष सहित 33 सदस्य** होते हैं।
- **बोर्ड के कार्य:**
  - उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में वृद्धि करना।
  - भारतीय कॉफी के उच्च मूल्य प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए **निर्यात को बढ़ावा देना।**
  - **घरेलू बाजार के विकास का समर्थन करना।**
- वर्ष 1991 में भारत द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाने से पहले, **कॉफी बोर्ड ने भारत के अंदर और भारत के बाहर दोनों स्थानों पर कॉफी की मार्केटिंग को पूरी तरह से नियंत्रित किया था।**
  - कॉफी अधिनियम के तहत **एक पूलिंग प्रणाली** की भी शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत, प्रत्येक प्लांटर के लिए अपनी पूरी फसल को बोर्ड द्वारा प्रबंधित एक अधिशेष पूल में वितरित करना आवश्यक होता था।
  - बोर्ड द्वारा तब नीलामी के माध्यम से निर्यात के लिए कुल पूल के 70% की और घरेलू बाजारों के लिए 30% की मार्केटिंग की जाती थी। साथ ही, एक पूल फंड तैयार किया गया था।
- बाद में, संशोधनों की एक श्रृंखला के माध्यम से **बोर्ड के अधिकारों को कम कर दिया गया।** इसके अलावा, कॉफी बाजार को भी नियंत्रण मुक्त कर दिया गया था।
  - **वर्ष 1996 में, पूलिंग सिस्टम को समाप्त कर दिया गया** और उत्पादकों को अपने उत्पादों को सीधे प्रसंस्करण फर्मों को बेचने की अनुमति दी गई।
  - हालांकि, **कॉफी बोर्ड अब एक सलाहकार की भूमिका निभाता है,** फिर भी निर्यातकों के लिए इससे एक प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।

नए कानून की आवश्यकता क्यों?

- **विकास को सुगम बनाने और व्यवसाय में सुगमता के लिए:** नया कानून **"प्रतिबंधात्मक और अनावश्यक" प्रावधानों को हटा देगा।** साथ ही,यह उद्योग की वर्तमान जरूरतों के अनुरूप कॉफी अधिनियम, 1942 का **एक सरलीकृत संस्करण पेश करेगा।**
- **कॉफी उत्पादकों की सुविधा के लिए: नया कानून कॉफी बोर्ड को बंद नहीं करेगा,** बल्कि इसे **वाणिज्य मंत्रालय से कृषि मंत्रालय में स्थानांतरित** कर दिया जाएगा। इससे सभी कृषि योजनाओं का लाभ कॉफी उत्पादकों को भी मिल सकेगा।

[46] Change in Land Use

- **कॉफी बोर्ड के कार्यों का विस्तार करने के लिए:** इसमें निम्नलिखित कार्य शामिल हैं-
  - कॉफी के उत्पादन को बढ़ावा देना और अनुसंधान, विस्तार व गुणवत्ता सुधार में मदद करना,
  - कॉफी उत्पादकों को प्रोत्साहन देना व उनका कौशल विकास करना,
  - कॉफी उद्योग का समग्र प्रचार एवं विकास करना, इत्यादि।

  उपर्युक्त सभी कार्यों का उद्देश्य भारतीय कॉफी उद्योग को "वैश्विक स्तर पर विद्यमान सर्वोत्तम प्रथाओं" के अनुरूप बनाना है।
- **कॉफी उद्योग के समग्र संवर्धन और विकास के लिए:** यह नए क्षेत्रों में काफी की खेती के विस्तार, टिकाऊ खेती तथा उत्पादन एवं उत्पादकता, निर्यात और कॉफी के विपणन में वृद्धि करके किया जा सकता है।
  - इससे **न केवल रोजगार** के अधिक अवसर पैदा होंगे, **बल्कि संपूर्ण कॉफी मूल्य श्रृंखला को भी लाभ मिलेगा।**
- कम सरकारी प्रतिबंधों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के चलते **भारतीय कॉफी की बिक्री और खपत को बढ़ावा मिलेगा।**

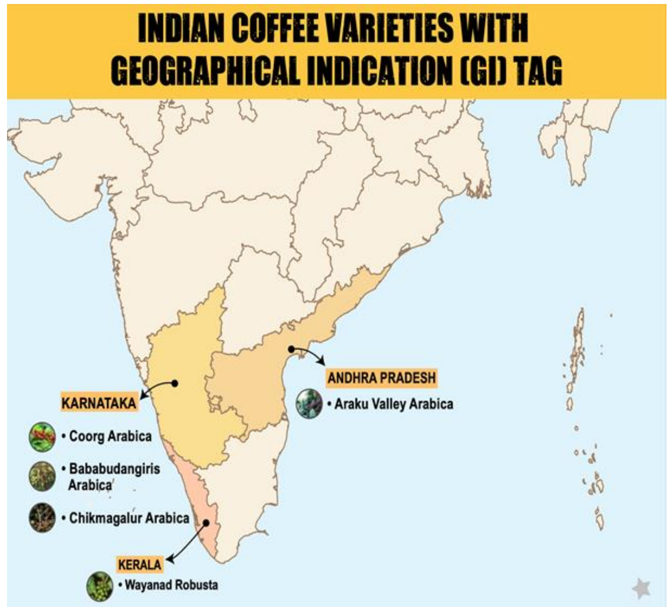

भारत में कॉफी

- भारत में कॉफी की खेती की शुरुआत **1600 ईस्वी** के दौरान हुई थी, जब **पवित्र संत बाबा बूदन ने यमन से कॉफी बीन्स लाकर उसे कर्नाटक की चंद्रगिरि पहाड़ियों में उगाया था।**
  - **अंग्रेजों ने 18वीं शताब्दी** के दौरान कॉफी के **वाणिज्यिक बागान** शुरू किए थे।
- भारत में दो प्रकार की कॉफी का उत्पादन होता है: **अरेबिका** और **रोबस्टा।**
  - **अरेबिका का बाजार मूल्य उच्च है।** इसके विपरीत, **रोबस्टा प्रमुख रूप से पैदा** की जाने वाली कॉफी है, जिसका कुल उत्पादन में 72% भाग है।
- कॉफी उद्योग भारत में **20 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार** प्रदान करता है।
- **कॉफी के विकास के लिए आवश्यक स्थितियां:**
  - भारत दुनिया का **एकमात्र ऐसा देश है, जहां कॉफी की पूरी खेती छाया में की जाती है और हाथ से चुनकर धूप में सुखाया जाता है।**
    - **छायादार वृक्ष** ढलान वाले इलाकों में **मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं, गहरी परतों से पोषक तत्वों को पुनर्चक्रित करके मिट्टी को उर्वर बनाते हैं। ये** तापमान में होने वाले मौसमी उतार-चढ़ाव से कॉफी की रक्षा करते हैं तथा विविध वनस्पतियों और जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं।

कारक	**अरेबिक**	**रोबस्टा**
मिट्टी	गहरी, उपजाऊ, जैविक पदार्थों से समृद्ध, अच्छी तरह से सूखी हुई और थोड़ी अम्लीय	गहरी, उपजाऊ, जैविक पदार्थों से समृद्ध, अच्छी तरह से सूखी हुई और थोड़ी अम्लीय
ढलान	हल्की से मध्यम ढलान	हल्की ढलान से लेकर पर्याप्त रूप से समतल क्षेत्र
ऊंचाई	1,000-1,500 मीटर	500-1,000 मीटर
तापमान	15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान तथा शांत व स्थिर मौसम	20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान तथा गर्म व आर्द्र मौसम
सापेक्षिक आर्द्रता	70-80%	80-90%
वार्षिक वर्षा	1,600-2,500 मि.मी.	1,000-2,000 मि.मी.

- **भारत का कॉफी उत्पादन और निर्यात:**
    - **कर्नाटक सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक (70%) राज्य है।** इसके बाद **केरल** (23%) और **तमिलनाडु** (6%) का स्थान है।
    - वर्ष 2022-23 में भारत का कॉफी उत्पादन **एक वर्ष पहले की तुलना में 15% बढ़कर 3,93,400 टन होने का अनुमान है।**
    - **कॉफी निर्यात** ने कोविड के कारण होने वाली गिरावट को उलटते हुए **वर्ष 2021-22 में पिछले वर्ष की तुलना में 42% की वृद्धि दर्ज की है। यह निर्यात** पहली बार 1 बिलियन डॉलर को पार कर गया है।

3.13. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts)

3.13.1. भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की स्थिति {Trend on Foreign Direct Investment (FDI) in India}

- वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में **सबसे अधिक 84.835 बिलियन अमेरिकी डॉलर का FDI** प्राप्त किया था। यह पिछले वर्ष प्राप्त FDI से 2.87 बिलियन अमेरिकी डॉलर अधिक है।
- **अन्य प्रमुख तथ्य:**
    - **भारत में FDI के प्रमुख स्रोत: सिंगापुर** प्रथम स्थान पर है। इसके बाद **संयुक्त राज्य अमेरिका और मॉरीशस** का स्थान है।
    - **सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाले राज्य: कर्नाटक** के बाद **महाराष्ट्र और दिल्ली** का स्थान है।
    - **सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाले क्षेत्र: कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर** के बाद सेवा क्षेत्र तथा ऑटोमोबाइल उद्योग।
    - **विनिर्माण क्षेत्र में FDI:** वित्त वर्ष 2021 की तुलना में वित्त वर्ष 2022 में **76%** (21.34 बिलियन डॉलर) की वृद्धि दर्ज की गई।

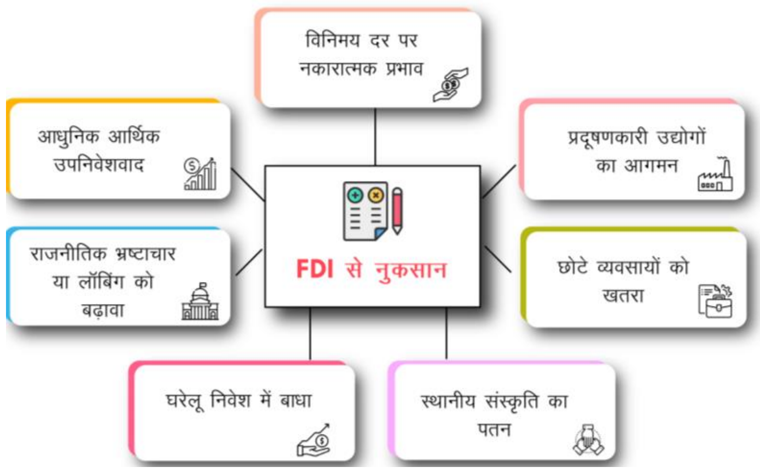

    - FDI किसी कंपनी या निवेशक द्वारा अपने देश के बाहर की किसी कंपनी में हिस्सेदारी की खरीद है।
- **FDI का महत्व:**
    - यह आर्थिक विकास के लिए **गैर-ऋण आधारित और स्थिर वित्तीय संसाधन का प्रमुख स्रोत** है।
    - इसके अंतर्गत कौशल और प्रबंधन तकनीकों के हस्तांतरण के माध्यम से **मानव संसाधन का विकास** होता है।
    - यह आधुनिक और कुशल उत्पादन प्रणालियों के लिए **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का प्रमुख स्रोत** है।
    - निर्यात वृद्धि से **वैश्विक आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा** मिलता है।
    - **कुछ अन्य लाभ निम्नलिखित हैं:**
        - FDI से रोजगार के बेहतर अवसर पैदा होते हैं;
        - इससे नवाचार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है;
        - पूंजी आने और निर्यात बढ़ने के कारण विनिमय दर को स्थिर करने में मदद मिलती है, आदि।

3.13.2. ऑफ बजट उधारियां {Off-Budget Borrowings (O-BBs)}

- **केंद्र सरकार ने राज्यों की ऑफ बजट उधारियों को समायोजित करने के मानदंडों को आसान बनाया है।**
- नए मानदंडों के तहत, वर्ष 2020-21 तक राज्यों द्वारा ली गई **ऑफ-बजट उधारियों को समायोजित नहीं** किया जाएगा। केवल वर्ष 2021-22 में लिए गए ऑफ-बजट उधार को ही समायोजित किया जाएगा। इसके लिए भी **मार्च 2026 तक का समय** दिया गया है।
    - इस वर्ष की शुरुआत में, केंद्र ने राज्यों को सूचित किया था कि **ऑफ-बजट उधारियों को राज्यों के उनके ऋण में जोड़ा** जाएगा। इसके साथ ही बढ़े हुए ऑफ-बजट उधार (2020-21 और 2021-22) को इस वर्ष की उधार सीमा से समायोजित किया जाएगा।

- राज्य सरकार के **ऑफ-बजट उधार में** उसकी संस्थाओं, स्पेशल परपज व्हीकल (SPV) आदि द्वारा लिए गए ऋणों को शामिल किया जाता है।
  - राज्य सरकार को **अपने बजट में से ही इसे चुकाना होता है,** न कि उधार लेने वाली संस्था में नकदी के प्रवाह या उसके राजस्व के माध्यम से।
  - इस तरह की उधारियां किसी वित्तीय वर्ष में तय की गई **राज्यों की शुद्ध ऋण सीमा में शामिल नहीं होती हैं।** ऐसा इसलिए, क्योंकि इन्हें **राज्य के बजट से बाहर** रखा जाता है।
  - इस तरह की उधारियों का **राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव** पड़ता है। इस प्रकार ये उधारियां राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (FRBM) के तहत राजकोषीय संकेतकों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पार कर जाती हैं।
  - वित्त वर्ष 2022-23 के लिए **राज्यों की शुद्ध उधार सीमा राज्य सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) की 3.5% निर्धारित** की गई है। इसके अलावा, विद्युत् क्षेत्र में सुधारों की शर्त पर 0.5% की अतिरिक्त उधार सीमा दी गयी है।

राज्यों की ऑफ-बजट उधारियां बढ़ने के कारण:

- महामारी की वजह से आई मंदी और बढ़ते राजस्व व्यय के कारण **राजस्व वृद्धि में बाधा** आ रही है।
- वस्तु और सेवा कर (GST) के कारण **राजकोषीय मामलों में अपने स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हुई है।**

- **संविधान के अनुच्छेद 293(3) के तहत,** यदि राज्य सरकारों पर भारत सरकार का ऋण बकाया है, तो उन्हें नए ऋण लेने के लिए केंद्र की अनुमति लेने की आवश्यकता होती है।

3.13.3. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) को मजबूत करने के लिए योजनाएं {Schemes To Strengthen Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)}

- प्रधान मंत्री ने **'उद्यमी भारत' कार्यक्रम** में भाग लिया। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए **कई महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत** की।
  - MSME क्षेत्र भारत के **सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30%** का योगदान करता है।
  - यह क्षेत्र भारत से **निर्यात में 48% और विनिर्माण में 45% से अधिक** का योगदान करता है।
  - देश में लगभग **6.34 करोड़** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम हैं। ये **11.1 करोड़ रोजगार** सृजित करते हैं।
- इसके अलावा, रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा **'औषधि उद्योग को मजबूत करने (SPI)' की योजना** के तहत तीन योजनाएं शुरू की गई हैं।
  - इन योजनाओं का उद्देश्य फार्मा से जुड़े भारतीय MSMEs को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनाना है। साथ ही, उन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के **शेड्यूल-M या गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस (GMP)** प्रमाणन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना है।
    - GMP प्रमाणन WHO द्वारा परिभाषित एक **मानक** है। GMP यह सुनिश्चित करता है कि उत्पादों का उत्पादन और नियंत्रण गुणवत्ता मानकों के अनुसार किया जा रहा है।

पहल/ योजना	पहल/ योजना के बारे में
MSMEs के प्रदर्शन में सुधार करना और तेजी लाना (RAMP)[47]/ रैम्प योजना	• यह MSMEs की **कार्यान्वयन क्षमता** और कवरेज को बढ़ाने के लिए शुरु की गई है। साथ ही, यह मौजूदा MSME योजनाओं के **प्रभाव क्षेत्र में भी वृद्धि** करेगी। • यह योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान की पूरक होगी, जो- ○ **नवोन्मेष को बढ़ावा** देगी, ○ नयी सोच को प्रोत्साहित करेगी, तथा ○ **नए व्यवसाय और उद्यमिता को बढ़ावा** देगी।
नए MSME निर्यातकों का क्षमता निर्माण (Capacity Building of First-Time MSME Exporters: CBFTE) योजना	• यह **अंतर्राष्ट्रीय मानकों के उत्पाद** और सेवाएं प्रदान करने के लिए MSMEs को प्रोत्साहित करेगी। • इससे वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारतीय MSME की भागीदारी बढ़ेगी। साथ ही, उन्हें अपनी **निर्यात क्षमता का पूरा उपयोग** करने में मदद मिलेगी।
प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) में	• **नए प्रावधान**

[47] Rising and Accelerating MSME Performance

नए प्रावधान	○ विनिर्माण क्षेत्र के लिए **अधिकतम परियोजना लागत** को 25 लाख रुपये से **बढ़ाकर** 50 लाख रुपये कर दिया गया है। सेवा क्षेत्र में इसे 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है। ○ अधिक सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए **आकांक्षी जिलों और ट्रांसजेंडर समुदाय के आवेदकों को विशेष श्रेणी** के आवेदकों में शामिल किया गया है। • PMEGP गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना में सहायता करके **बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर** प्रदान करेगा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) इसकी नोडल एजेंसी होगी।

औषध क्षेत्र में MSMEs को मजबूत करने के लिए योजनाएं

योजनाएं	विशेषताएं
औषध उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (PTUAS)	• यह योजना बेहतर प्रदर्शन करने वाले औषध क्षेत्र के MSMEs को उनकी **तकनीक में सुधार लाने में मदद** करेगी। • इस योजना के तहत **तीन वर्ष की न्यूनतम चुकौती** अवधि के साथ **अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक का ऋण** दिया जाएगा। इस ऋण पर **प्रतिवर्ष 10% की पूंजीगत सब्सिडी या 5% तक ब्याज छूट** होगी। SC/ST के स्वामित्व वाली इकाइयों के मामले में यह छूट 6% होगी।
सामान्य सुविधाओं के लिए औषध उद्योग को सहायता (API-CF) योजना	• यह योजना **मौजूदा औषध उद्योग क्लस्टर की क्षमता को मजबूत** करेगी, ताकि निरंतर संवृद्धि जारी रखी जा सके। • इस योजना के तहत **परियोजना लागत के 70% या 20 करोड़ रुपये तक (जो भी कम हो) की सहायता** प्रदान की जाती है। हिमालयी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए यह सहायता **90%** होगी।
औषध और चिकित्सा उपकरण संवर्धन तथा विकास योजना (PMPDS)	• इस योजना का उद्देश्य **फार्मा और चिकित्सा उपकरण क्षेत्रक का एक डेटाबेस** तैयार करना है। • इसमें भारतीय औषध और चिकित्सा उपकरण उद्योग के लिए **महत्व के विषयों पर अध्ययन रिपोर्ट** तैयार करना शामिल होगा।

अन्य संबंधित सुर्खियां

- **ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण या ग्रामीण उद्यमी** के तहत ग्राम अभियंता बने लगभग 140 जनजातीय युवाओं को कौशल प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है।
  - यह योजना जनजातीय युवाओं को कुशल बनाने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना है।
- **संसदीय संकुल परियोजना के** तहत प्रायोगिक परियोजना **मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा** आदि सहित कई राज्यों में शुरू की गई है।

3.13.4. राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (National Apprenticeship Promotion Scheme: NAPS)

- **कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (MSDE)** ने घोषणा की है कि NAPS **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना** का हिस्सा होगी।
  - अब, सरकार राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के माध्यम से **प्रशिक्षुओं के बैंक खातों में अपना योगदान सीधे स्थानांतरित कर देगी।** यह वजीफे (अध्येतावृत्ति) का **25% यानी कि प्रति माह 1500 रुपये तक देय होगा।**
- NAPS को वर्ष 2016 में शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य देश में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है। साथ ही, प्रशिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान करने वाले प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना भी इसके उद्देश्य में शामिल है।
  - इस कार्यक्रम का उद्देश्य **प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने के लिए** नियोक्ताओं को **प्रेरित करना** है। साथ ही, गहन कौशल विकास के माध्यम से उनकी क्षमताओं को अधिकतम करते हुए उपयुक्त नौकरियां खोजने में उनकी सहायता करना भी इसके उद्देश्य में शामिल है।
  - NAPS को **प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (APY) के स्थान पर संचालित किया जा रहा है।**

3.13.5. स्टार्ट-अप इकोसिस्टम्स को समर्थन पर राज्यों की रैंकिंग प्रक्रिया 2021 के परिणाम घोषित किए गए (Ranking of States' Exercise 2021 on support to Start-up Ecosystems declared)

- इस रैंकिंग प्रक्रिया का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके **स्टार्ट-अप परिवेश के विकास में सहायता** करना है। साथ ही, प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की **सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखना** भी इसके उद्देश्य में शामिल है।

- इसे **उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT)** ने वर्ष 2018 में आरम्भ किया था।

- 24 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों को **7 व्यापक सुधार क्षेत्रों में उनके प्रदर्शन के आधार** पर रैंकिंग प्रदान की गई है। इनमें प्रमुख क्षेत्र हैं:
  - संस्थागत समर्थन;
  - नवोन्मेष और उद्यमिता को बढ़ावा देना;
  - बाजार तक पहुंच;
  - वित्तपोषण सहायता;
  - मेंटरशिप समर्थन आदि।
- **प्रतिभागियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:**
  - सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता,
  - शीर्ष प्रदर्शनकर्ता,
  - नेतृत्वकर्ता (लीडर्स),
  - आकांक्षी नेतृत्वकर्ता, और
  - उभरते स्टार्ट-अप परिवेश।
- **गुजरात, कर्नाटक और मेघालय** अपनी-अपनी श्रेणियों में **सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता राज्य** के रूप में उभरे हैं।

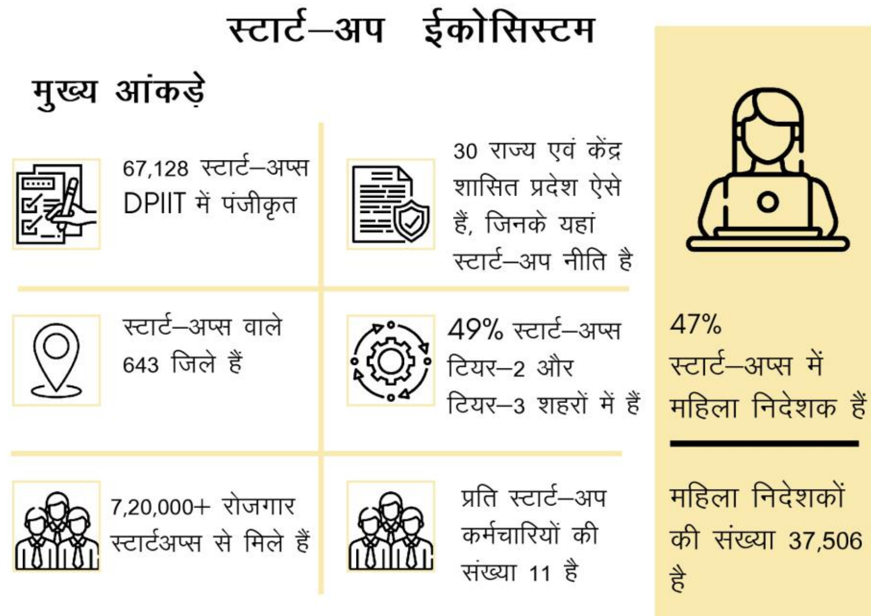

- अमेरिका और चीन के बाद **भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप इकोसिस्टम** वाला देश है।
- **स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख पहलें**
  - **स्टार्ट-अप इंडिया पहल** के साथ-साथ स्टार्ट-अप इंडिया सीड फंड योजना आरंभ की गई है।
  - **उत्पाद नवोन्मेष, विकास तथा संवृद्धि कार्यक्रम के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत स्टार्ट-अप एक्सेलेरेटर (समृद्ध/SAMRIDH)** योजना की शुरुआत की गई है।
  - 10,000 करोड़ रुपये के कुल आरंभिक कोष के साथ **स्टार्ट-अप्स के लिए फंड ऑफ फंड** शुरू किया गया है।
  - स्टार्ट-अप्स के लिए **बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) लाभ और कर छूट** प्रदान की गई है।
  - उत्कृष्ट स्टार्ट-अप और तंत्र को संभव बनाने वालों को पहचानने तथा उन्हें पुरस्कृत करने के लिए **राष्ट्रीय स्टार्ट-अप पुरस्कार** आरंभ किया गया है।

3.13.6. ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 (Global Findex Database 2021)

- **विश्व बैंक** ने "ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021: फाइनेंसियल इन्क्लूसन, डिजिटल पेमेंट्स एंड रिजिलिएंस इन द एज ऑफ़ कोविड-19" रिपोर्ट जारी की है।
- ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस ने **विश्व की 123 अर्थव्यवस्थाओं में लोगों द्वारा औपचारिक और अनौपचारिक वित्तीय सेवाओं के उपयोग** पर सर्वेक्षण किया है। इस सर्वेक्षण में वर्ष 2021 में डिजिटल भुगतान करने व प्राप्त करने के लिए कार्ड्स, मोबाइल फ़ोन्स तथा इंटरनेट के उपयोग पर सर्वेक्षण शामिल है।
- **सर्वेक्षण में भारत से संबंधित निष्कर्ष**
  - भारत उन सात देशों में शामिल है, जहां विश्व के **1.4 अरब वयस्कों में से आधे वयस्क निवास करते हैं। इनकी औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच नहीं है।**
  - **आधार प्रणाली ने वित्तीय समावेशन में उल्लेखनीय वृद्धि** की है। इसके कारण वर्ष 2017 में 80% वयस्कों के पास अपना बैंक खाता था। वर्ष 2011 में मात्र 35% वयस्कों के पास बैंक खाते थे।
  - नकद भुगतान के स्थान पर बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड से भुगतान का तरीका अपनाने के बाद पेंशन भुगतान में **आंतरिक धोखाधड़ी और लीकेज में 47% की कमी** आई है।

- **बैंक खातों के निष्क्रिय रहने के निम्नलिखित कारण हैं:**
    - वित्तीय संस्थानों से दूरी,
    - विश्वास की कमी और
    - कम आवश्यकता का अनुभव होना।

वित्तीय समावेशन के बारे में

- इसका संबंध व्यक्तियों और व्यवसायों की ऐसे **उपयोगी व सस्ते वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं तक पहुंच** से है, जो उनकी **जरूरतों को पूरा** करती हैं। इन जरूरतों में **लेनदेन, भुगतान, बचत, ऋण और बीमा** शामिल है। इसके तहत वित्तीय उत्पाद एवं सेवाएं जिम्मेदार तथा सतत तरीके से वितरित की जाती हैं।
- यह **चरम गरीबी को समाप्त करने** और साझा समृद्धि को बढ़ावा देने में मदद करता है। साथ ही, यह संयुक्त राष्ट्र के **17** अलग-अलग **सतत विकास लक्ष्यों से भी जुड़ा हुआ है।**

- **प्रमुख सिफारिशें:**
    - वित्तीय समावेशन में समान प्रगति सुनिश्चित करने के लिए **मोबाइल फोन तक पहुंच में मौजूद लैंगिक अंतराल को दूर किया जाना चाहिए।**
    - वित्तीय विनियामकों और पर्यवेक्षी एजेंसियों को **बेहतर पर्यवेक्षी निगरानी प्रणाली** विकसित करनी चाहिए, ताकि बाजार में मौजूद वित्तीय जोखिमों के प्रकारों की पहचान की जा सके।
    - **प्रकटीकरण और पारदर्शिता** सुनिश्चित करने हेतु **वित्तीय संस्थानों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश** जारी किए जाने चाहिए। ऐसे ही दिशा-निर्देश **अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए** मजबूत प्रवर्तन प्रथाओं के संबंध में भी जारी किए जाने चाहिए।

3.13.7. भारतीय रिज़र्व बैंक-डिजिटल भुगतान सूचकांक {Reserve Bank of India – Digital Payments Index (RBI-DPI)}

- **RBI-DPI** ने मार्च 2021- मार्च 2022 के बीच महत्वपूर्ण वृद्धि का प्रदर्शन किया है। इसने देश भर में **डिजिटल भुगतानों को तेजी से अपनाने और इसके गहन होने का संकेत** दिया है।
- इसे 01 जनवरी, 2021 को लॉन्च किया गया था। इसका आधार वर्ष **मार्च 2018 है।**
- **इसमें 5 व्यापक मानदंड शामिल हैं,** जो देश में अलग-अलग समय अवधि में डिजिटल भुगतान की गहनता और व्यापकता को मापने में सक्षम हैं, जैसे -
    - भुगतान सक्षमकर्ता (भारांश 25%),
    - भुगतान अवसंरचना - मांग-पक्ष कारक (10%),
    - भुगतान अवसंरचना - आपूर्ति-पक्ष कारक (15%)
    - भुगतान निष्पादन (45%) और
    - उपभोक्ता केंद्रित (5%)।

3.13.8. भारत नवाचार सूचकांक का तीसरा संस्करण {3rd edition of India Innovation Index (III) 2021}

- यह सूचकांक **नीति आयोग और इंस्टिट्यूट फॉर कॉम्पेटिटिवनेस** ने तैयार किया है। यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके नवाचार प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग प्रदान करता है। इससे उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होती है।
- **सूचकांक के मुख्य निष्कर्ष**
    - **अलग-अलग श्रेणियों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले राज्य हैं:**
        - प्रमुख राज्य: **कर्नाटक,**
        - पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य: **मणिपुर** तथा
        - केंद्र शासित प्रदेश और सिटी-स्टेट: **चंडीगढ़।**
    - देश में **अनुसंधान और विकास (R&D) में निवेश** वर्ष 2008-09 में सकल घरेलू उत्पाद का 0.8% था। वर्ष 2017-18 में यह **घटकर 0.7%** हो गया था।
    - अनुसंधान और विकास (R&D) में **निजी क्षेत्र की भागीदारी कम** रही है।
- सूचकांक के वर्तमान संस्करण के सभी **7 स्तंभों में वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) के फ्रेमवर्क को** अपनाया गया है (इन्फोग्राफिक्स देखें)। **सूचकांक के 7 स्तंभों में शामिल हैं:**
    - **'सक्षम बनाने वाले' (Enabler)' पांच स्तंभ** इनपुट का मापन करते हैं। ये इनपुट नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जरूरी हैं।

o **'प्रदर्शन' (Performance) से जुड़े दो स्तंभ आउटपुट** को मापते हैं। ये आउटपुट राष्ट्र के लिए **'ज्ञान के सृजन और प्रतिस्पर्धात्मकता' से जुड़े लाभों** को दर्शाते हैं।

o विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) द्वारा जारी **वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत 46वें स्थान** पर है।

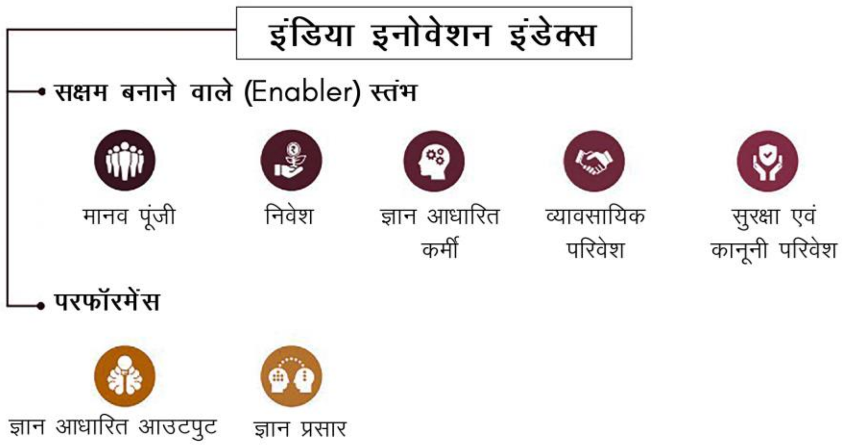

- **भारत नवाचार सूचकांक का महत्व**
  - o यह सूचकांक नीति निर्माताओं और अन्य प्रमुख हितधारकों को **भारत की नवाचार प्रणाली की स्थानिक विशेषताओं का व्यापक आकलन** प्रदान करता है।
  - o यह उन चुनौतियों की पहचान करता है, जिनका क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाएं अपनी नवोन्मेषी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करने के दौरान सामना करती हैं। यह उन चुनौतियों से निपटने के लिए समाधान भी सुझाता है।

3.13.9. तकनीकी मंदी (Technical Recession)

- **संयुक्त राज्य अमेरिका** ने तकनीकी मंदी से **बचने की उम्मीद** प्रकट की है।
- तकनीकी मंदी शब्द का उपयोग **उत्पादन में लगातार दो तिमाहियों में हुई गिरावट** का वर्णन करने के लिए किया जाता है।
  - o किसी देश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, यह आमतौर पर **वास्तविक GDP में आए लगातार संकुचन को** बताता है।
  - o यह **अक्सर एक बार होने वाली घटना** (जैसे, कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन का लगना) के कारण होती है। **आमतौर पर इसकी अवधि छोटी होती है।**
- इसका उपयोग **मुख्य रूप से GDP की प्रवृत्ति को समझने** के लिए किया जाता है। इसके विपरीत, **'मंदी' में आर्थिक गतिविधियों में अधिक व्यापक गिरावट** शामिल होती है। इस गिरावट से रोजगार, घरेलू और कॉर्पोरेट आय आदि सहित अनेक आर्थिक घटक प्रभावित होते हैं।

3.13.10. विंडफॉल टैक्स (Windfall tax)

- केंद्र ने कच्चे तेल के उत्पादकों पर विंडफॉल टैक्स में कटौती की है। साथ ही, पेट्रोल निर्यात लेवी को भी समाप्त किया है।
- विंडफॉल टैक्स, **एक कंपनी पर सरकार द्वारा लगाया जाने वाला एकबारगी कर** है।
  - o यह कर **अनपेक्षित या अप्रत्याशित रूप से प्राप्त बड़े लाभ** पर लगाया जाता है। इसे विशेष रूप से गलत तरीके से प्राप्त लाभ पर लगाया जाता है।
  - o यह केवल **जनहित से जुड़े उद्देश्यों के लिए वसूला** जाता है।
  - o इसकी घोषणा **घरेलू तेल की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने और पेट्रोल की घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए** की गई है।

3.13.11. लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल (Landlord Port Model)

- **जवाहरलाल नेहरू पोर्ट (JNP) 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला महापत्तन (Major Port) बना।**
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी** लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल की विशेषता है।
  - o इस मॉडल में, **पत्तन प्राधिकरण, विनियामक संस्था और लैंडलॉर्ड (स्वामी) के रूप में** कार्य करता है। वहीं, **पत्तन का संचालन (विशेषकर कार्गो हैंडलिंग) निजी कंपनियों के हाथ में** होता है।
  - o इसका उद्देश्य **निर्णय लेने की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण** करना है। साथ ही, महापत्तनों के संचालन में **पेशेवर क्षमता** को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य है।
- **जवाहरलाल नेहरू पोर्ट (JNP) के बारे में**
  - o JNP नवी मुंबई (महाराष्ट्र) में है। इसे **वर्ष 1989** में शुरू किया गया था।

- यह एक **कंटेनर हैंडलिंग पत्तन** है। यह कुल **कंटेनर आधारित कार्गो वॉल्यूम के 50% का प्रबंधन करता** है।
- भारत में पत्तनों को **भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908** के अनुसार **महापत्तन** (केंद्र सरकार के तहत) और **लघु पत्तन** (राज्य सरकार के तहत) **के रूप में वर्गीकृत** किया गया है।

- **पत्तनों के लिए अन्य PPP मॉडल निम्नलिखित हैं:**

सर्विस पोर्ट मॉडल	• पत्तन प्राधिकरण के पास **भूमि और सभी उपलब्ध अचल व सचल परिसंपत्तियों का स्वामित्व** होता है। प्राधिकरण, सभी विनियामक और पत्तन संचालन संबंधी कार्य भी करता है। इस तरह पोर्ट ट्रस्ट, लैंडलॉर्ड और कार्गो टर्मिनल ऑपरेटर, दोनों की भूमिका में होता है।
टूल पोर्ट मॉडल	• पत्तन प्राधिकरण के पास **पत्तन की अवसंरचना का स्वामित्व** होता है। वह इसे विकसित करता है और उसका **रख-रखाव करता है।** उसकी इस भूमिका में **कार्गो हैंडलिंग उपकरण** जैसे कि क्रेन और फोर्कलिफ्ट ट्रक भी शामिल हैं।
कॉर्पोरेट पोर्ट मॉडल	• पत्तनों का **पूरी तरह से निजीकरण** कर दिया जाता है, **लेकिन स्वामित्व** सरकार के अधीन होता है। सरकार बहुसंख्यक शेयरधारक होती है।

3.13.12. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), प्राकृतिक खेती और फसल विविधीकरण के लिए समिति का गठन {Panel for Minimum Support Price (MSP), Natural Farming and Crop Diversification}

- समिति का गठन **पूर्व केंद्रीय कृषि सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में** किया गया है। **आठ महीने पहले** कृषि कानूनों को निरस्त करने के दौरान सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए **ऐसी समिति गठित करने की घोषणा** की गई है।
- **इस समिति के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:**
  - MSP को **अधिक प्रभावी और पारदर्शी** बनाना।
  - **शून्य-बजट प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए उपायों** का सुझाव देना। यह पौधों के विकास और कटाई की शून्य लागत वाली खेती है।
  - बदलती खाद्य सुरक्षा आवश्यकता को पूरा करने के लिए **फसल विविधीकरण को बढ़ावा** देने के उपायों पर सुझाव देना।

- **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के बारे में**
  - प्रत्येक फसली मौसम के दौरान, **कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP)[48] की सिफारिशों पर केंद्र सरकार 23 फसलों के लिए MSP** की घोषणा करती है।
  - एक फसल के लिए **MSP** वह मूल्य है, जिस पर सरकार को उस फसल को किसानों से खरीदना होता है, यदि **बाजार मूल्य इससे नीचे चला जाता है।**
- **MSP व्यवस्था के तहत वर्तमान चुनौतियां**
  - यह व्यवस्था **धान और गेहूं को प्राथमिकता देती** है। इस प्रकार यह इन फसलों के अधिक उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहित करती है।
  - इस व्यवस्था से **सीमित संख्या में किसानों को लाभ** हुआ है। केवल 2.2 प्रतिशत किसान ही MSP प्रणाली से लाभान्वित होते हैं।
  - यह लाभ भी **पूरे देश में एक जैसा नहीं है। हरियाणा और पंजाब को अधिक लाभ** हुआ है।
  - **खरीद केंद्रों की स्थापना में देरी** भी एक प्रमुख समस्या है।
  - मौजूदा MSP व्यवस्था का **घरेलू बाजार की कीमतों से कोई संबंध नहीं** है।

[48] Commission for Agricultural Costs and Prices

3.13.13. 11वीं कृषि संगणना (2021-2022) {11th Agriculture Census (2021-2022)}

- **केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने 11वीं कृषि संगणना (2021-2022) का शुभारंभ किया।**
- भारत की कृषि संगणना राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से वर्ष 1970-71 से आयोजित की जा रही है। यह संगणना **संयुक्त राष्ट्र कृषि एवं खाद्य संगठन (FAO) के 'वैश्विक कृषि संगणना कार्यक्रम'** के तहत की जाती है।
- यह संगणना **प्रत्येक 5 वर्षों** में की जाती है।
- यह अलग-अलग संकेतकों पर **जानकारी का मुख्य स्रोत है। इन संकेतकों में निम्नलिखित शामिल हैं:**
  - खेती के अधीन **भू-जोत की प्रकृति** और उनका आकार,
  - वर्ग के अनुसार **भू-जोत का वितरण,**
  - भूमि उपयोग संबंधी **आंकड़े,**
  - **काश्तकारी** और
  - **फसल पैटर्न।**
- कृषि संगणना कृषि सांख्यिकी की एक **व्यापक एकीकृत राष्ट्रीय प्रणाली के विकास** के लिए आधार प्रदान करती है। साथ ही, यह **राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली** के अलग-अलग घटकों से भी संबंधित है।
- 11वीं संगणना के दौरान **पहली बार स्मार्टफोन और टैबलेट का उपयोग करते हुए डेटा संग्रहण** किया जाएगा।
  - यह **तेज और सटीक गणना में मदद** करेगा।
  - अधिकांश राज्यों ने **भूमि रिकॉर्ड्स और सर्वेक्षणों को डिजिटल** कर दिया है। इससे कृषि संगणना के आंकड़ों के संग्रह में और तेजी आएगी।
- **10वीं कृषि संगणना (2015-16) के निष्कर्ष**
  - सभी किसानों में **86.2% लघु और सीमांत किसान** थे, लेकिन उनके पास केवल **47.3% फसल क्षेत्र** था। दो हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को **लघु और सीमांत किसान** कहा जाता है।
  - जोतधारण अभी भी **असमान** है।
- **'वैश्विक कृषि संगणना' (WCA) कार्यक्रम के बारे में**
  - पहली **'वैश्विक कृषि संगणना'** अंतर्राष्ट्रीय कृषि संस्थान ने **वर्ष 1930** में कराई थी। वर्ष 1950 से शुरु करते हुए FAO प्रत्येक 10 वर्षों में **'वैश्विक कृषि संगणना'** को तैयार और इसका पक्ष लेता रहा है।
  - **भारत में अपनाई गई कृषि परिचालन जोत की अवधारणा FAO द्वारा निर्धारित अवधारणा से कुछ हद तक अलग** है। इसमें ऐसी जोत शामिल नहीं हैं, जिसमें **खेती नहीं** की जा रही है, जैसे- मुख्यतः **पशुधन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन आदि में इस्तेमाल कृषि भूमि।**

3.13.14. खाद प्रबंधन (Manure Management)

- हाल ही में, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने खाद प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) की सहायक कंपनी **मृदा (MRIDA) लिमिटेड** का गठन किया है। यह **NDDB की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी** है, जो देश भर में खाद प्रबंधन पहल के क्षेत्र में कार्य करेगी।
  - यह एक असूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। इसकी स्थापना 1 जुलाई, 2022 को कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत की गई है।
  - यह डेयरी संयंत्रों के लिए **खाद मूल्य श्रृंखला तथा बायोगैस आधारित CNG और बायोगैस आधारित ऊर्जा उत्पादन संयंत्र** स्थापित करेगी।
- खाद प्रबंधन वह प्रक्रिया है, जिसमें **पशुओं का गोबर** प्राप्त कर उसे **संग्रहित** किया जाता है। तत्पश्चात् उसे **उपचारित करके उपयोग** में लाया जाता है।
  - खाद एक **किफायती और मूल्यवान उर्वरक** है। इसमें अलग-अलग मात्रा में पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जैसे- नाइट्रोजन और फास्फोरस, सूक्ष्म पोषक तत्व तथा कार्बनिक पदार्थ।
  - कुशल खाद प्रबंधन **दुधारू पशुओं के उत्पादक आर्थिक जीवन चक्र को दुग्ध उत्पादन से आगे** ले जाता है। इससे **ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में भी मदद** मिलती है।
  - **कुशल खाद प्रबंधन के निम्नलिखित लाभ भी हैं:**

    ▪ इसमें भारत की वर्तमान **LPG खपत के 50 प्रतिशत के बराबर बायोगैस** उत्पन्न करने की क्षमता है।
    ▪ इसमें भारत की **NPK** (नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश) उर्वरक आवश्यकता **के 44 प्रतिशत के बराबर जैव घोल (Bio Slurry)** का उत्पादन करने की क्षमता है।
- मवेशियों के अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए **गोबरधन योजना** भी चलाई जा रही है।
    - यह डेयरी किसानों को आय का अतिरिक्त स्रोत प्रदान करते हुए उनकी **आजीविका के अवसर को बढ़ाने में भी योगदान** देता है।
- **राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के बारे में**
    - NDDB शुरू में **सोसायटी अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप** में पंजीकृत था।
    - इसे **संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम 1987** द्वारा तत्कालीन **भारतीय डेयरी निगम** में मिला दिया गया था।
    - NDDB ने गोबर आधारित जैविक उर्वरकों को सामान्य पहचान दिलाने के लिए **"सुधन (SuDhan)" नामक एक ट्रेडमार्क** पंजीकृत किया है।

3.13.15. मोटे अनाज (Millets)

- नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) ने **'मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेज' नामक पहल** आरंभ की है। इस पहल का उद्देश्य **एशिया और अफ्रीका में मोटे अनाजों को मुख्यधारा** में लाना है।
- **मोटे अनाज के बारे में:**
    - मोटे अनाज में **प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिजों की भरपूर मात्रा** होती है।
    - वर्तमान में, भारत में उगाए जाने वाले **तीन प्रमुख मोटे अनाज** की फसलें हैं- **ज्वार** (Sorghum), **बाजरा** (Pearl Millet) और **रागी** (Finger Millet)।
    - इसके **प्रमुख उत्पादक** राज्यों में राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा शामिल हैं।
    - खाद्य और कृषि संगठन (FAO) ने **वर्ष 2023 को "मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष" घोषित करने** के भारत के आह्वान का समर्थन किया है।

3.13.16. अफीम बाज़ार (Opium Market)

- केंद्र सरकार ने **पहली बार एक निजी कंपनी 'बजाज हेल्थकेयर' को बिना चीरा लगे पोस्ता बीजकोष से सांद्रित पोस्ता स्ट्रॉ एल्कलॉइड और सक्रिय औषध सामग्री** (APIs) बनाने की मंजूरी दी है।
    - सांद्रित पोस्ता स्ट्रॉ एक मशीनीकृत प्रणाली है। इसके तहत पूरी **फसल को मशीन से काटा जाता है, फिर अल्कलॉइड प्राप्त करने के लिए** कारखानों में भेज दिया जाता है।
    - यह प्रक्रिया वैध रूप से उत्पादित अफीम के **अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की संभावना को समाप्त** कर देती है।
- **निजी क्षेत्रों की भागीदारी का महत्व:**
    - मॉर्फिन और कोडीन जैसे कई एल्कलॉइड के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
    - एल्कलॉइड प्राप्त करने के लिए आधुनिक तकनीक को बढ़ावा मिलेगा।
    - अफीम का आयात कम होगा।
    - भारत में पोस्ता की खेती के तहत घटते क्षेत्र की भरपाई करने में मदद मिलेगी।
- अफीम एक **प्राकृतिक पदार्थ** है। यह **पोस्ता** और उसके **यौगिकों** से प्राप्त होता है।
    - अफीम से प्राप्त एल्कलॉइड का **उपयोग कफ सिरप, कैंसर की दवाएं और दर्द निवारक दवाएं** बनाने के लिए किया जाता है।
    - **भारत सहित केवल 12 देशों में औषधीय उपयोग के लिए कानूनी रूप से** इसकी खेती की अनुमति है।
    - इसे **धूम्रपान, पेय पदार्थ या टेबलेट्स के रूप में गैर-कानूनी** रूप से इस्तेमाल किया जाता है।
- अवैध व्यापार की संभावना और व्यसन के खतरों के कारण, अफीम पोस्ता की खेती को सख्ती से नियंत्रित किया जाता है।
    - वर्तमान में, पोस्ता और अफीम की खेती व प्रसंस्करण को **नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) के प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के द्वारा** नियंत्रित किया जाता है।

3.13.17. प्याज के भंडारण पर ग्रैंड चैलेंज (Grand Challenge on Onion Storage)

- उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत **उपभोक्ता मामले विभाग ने 'प्याज के भंडारण पर ग्रैंड चैलेंज'** की घोषणा की है। **इसका उद्देश्य 'प्याज के प्राथमिक प्रसंस्करण, भंडारण और बेहतर मूल्य निर्धारण के लिए तकनीकों'** का विकास करना है।
    - **इस चैलेंज** में प्याज की कीमतों को घटाने और नुकसान को कम करने वाले समाधानों को खोजने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए छात्रों, स्टार्ट-अप्स और कॉरपोरेट्स को आमंत्रित किया गया है।
    - यह एक चिंतनीय विषय है कि भंडारण के दौरान लगभग 30-40% प्याज नष्ट हो जाती हैं।

3.13.18. भारतमाला परियोजना कार्यक्रम {Bharatmala Pariyojana programme (BMP)}

- **भारतमाला परियोजना के तहत** सरकार एक महत्वाकांक्षी **सड़क संपर्क परियोजना** पर कार्य कर रही है। रेटिंग एजेंसी ICRA के अनुसार, यह परियोजना छह वर्ष की देरी के साथ वित्त वर्ष 2028 में पूरी हो सकती है।
    - शुरुआत में, इसे **वित्त वर्ष 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य** रखा गया था।
    - वर्तमान में, कुल राजमार्ग परियोजना के **केवल 60% भाग के निर्माण के लिए ही अनुबंध किया जा सका है।** मार्च 2022 तक **केवल 23% परियोजना ही पूरी** हुई है।
- **परियोजना में विलंब के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:**
    - भूमि अधिग्रहण में देरी,
    - भूमि अधिग्रहण की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि,
    - कोविड-19 महामारी आदि।
    - वित्तपोषण एक बड़ी समस्या है। इसकी लागत वर्ष 2015 से लगभग दोगुनी हो गई है।

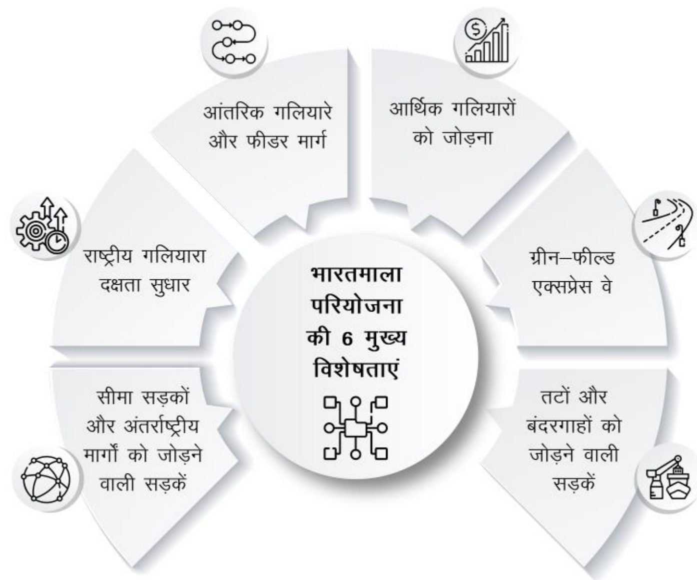

- भारतमाला परियोजना की घोषणा वर्ष 2015 में की गई थी। इसे **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय** के तहत आरंभ किया गया था।
    - इसका मुख्य उद्देश्य देश भर में **वस्तुओं और लोगों की आवाजाही की दक्षता में सुधार** करना है।
    - चरण-1 के तहत, वित्त वर्ष 2022 तक **34,800 किलोमीटर के राजमार्ग के विकास** का लक्ष्य रखा गया था।
    - चरण 2 में वर्ष 2024 तक पूरे भारत में लगभग **48,000 किलोमीटर लंबे सड़क नेटवर्क के विकास** का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- **भारतमाला परियोजना की आवश्यकता**
    - यह मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों के विकास और चोक पॉइंट को समाप्त करके **मौजूदा कॉरिडोर की दक्षता में सुधार** करेगी।
    - इसके अंतर्गत **पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी में सुधार** लाने पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही, अंतर्देशीय जलमार्गों का भी लाभ उठाया जाएगा।
    - **दुर्घटनाओं की स्थिति में तीव्रता से कदम** उठाने के लिए अवसंरचना का अभाव है। यह परियोजना इस कमी को पूरा करेगी।
    - इससे परियोजना की तैयारी और परिसंपत्ति की निगरानी के लिए **प्रौद्योगिकी के उपयोग तथा वैज्ञानिक रूप से योजना निर्माण को बल मिलेगा।**

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अर्थव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

4. सुरक्षा (Security)

4.1. पूर्वोत्तर में विद्रोह का सीमा-पारीय संपर्क (Trans-border Linkages to North-East Insurgency)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कई विशेषज्ञों ने यह मत प्रकट किया है कि म्यांमार में स्थिरता का भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विद्रोहों पर अंकुश लगाने के साथ सीधा संबंध है।

पृष्ठभूमि

- म्यांमार भारत के सामरिक पड़ोसियों में से एक है। साथ ही, यह **चार उत्तर-पूर्वी राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम) के साथ अपनी सीमा** साझा करता है।
- पूर्वोत्तर में विद्रोही गतिविधियों में **कमी आयी है, क्योंकि बांग्लादेश और म्यांमार दोनों ने भारत में विद्रोह करने वाले सशस्त्र समूहों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की है।**
- हालांकि, **फरवरी 2021 के तख्तापलट के बाद म्यांमार में बिगड़े हालातों** ने इन समूहों को एक बार फिर से हथियारबंद होने एवं पुनः संगठित होने में सहयोग किया है।

पूर्वोत्तर भारत में विद्रोह और इसके सीमा-पारीय संपर्क

- भारतीय पूर्वोत्तर क्षेत्र चीन, म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान के साथ **4,500 कि.मी. लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा** (सीमा का 99%) साझा करता है।
  - इस कारण, इन देशों का **पूर्वोत्तर क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने पर अधिक प्रभाव पड़ता है।**
- **इन विद्रोही समूहों के सीमा-पारीय संबंध और रणनीतिक गठजोड़ ने उनकी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है।** इससे संघर्ष की गतिशीलता और अधिक जटिल बन गई है। इसके लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं:
  - **अवैध प्रवास:** पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार के बाद बांग्लादेशियों का एक बड़ा समूह असम और त्रिपुरा में पलायन कर गया था। इससे सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव आया। इसके परिणामस्वरूप विद्रोही समूहों की उत्पत्ति हुई। उदाहरण के लिए, असम में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा)।
  - **छिद्रिल सीमाएं (Porous borders):** इससे राज्य में हथियारों की तस्करी करने वाले विद्रोहियों को आसानी से सीमा पार आने-जाने की सुविधा मिलती है। उदाहरण के लिए, गोल्डन ट्रायंगल क्षेत्र (म्यांमार, लाओस और थाईलैंड का एक संयुक्त क्षेत्र) से होकर उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में मादक द्रव्यों की तस्करी।
  - **नृजातीयता का मुद्दा:** पूर्वोत्तर राज्यों की राजनीतिक सीमाएं वर्तमान सामाजिक सीमाओं के अनुरूप नहीं हैं। ये राज्य पहचान के संकट की स्थिति (Identity crisis) का सामना कर रहे हैं, जिसे विद्रोही समूह राजनीतिक मुद्दा बना लेते हैं। उदाहरण के लिए, नागा जनजातियों द्वारा ग्रेटर नगालिम की मांग करना।
  - **पड़ोसियों से सहयोग:** नैतिक और भौतिक सहायता के माध्यम से उग्रवादी गतिविधियों के समर्थन व प्रोत्साहन ने स्थानीय जनता में असंतोष पैदा किया है। इसलिए, उग्रवाद विरोधी अभियानों हेतु सुरक्षा बलों की तैनाती की जरूरत पड़ी है।
    - उदाहरण के लिए, नेपाल से प्रवेश करने वाली पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने कई विद्रोही समूहों को एकजुट होने में सहयोग किया है। चीन ने भी N.S.C.N. जैसे समूहों को सहायता प्रदान की है।

- **सीमा पार सुरक्षित आश्रय:** उल्फा, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड-खापलांग (NSCN-K) और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (NDFB) जैसे प्रमुख संगठनों से जुड़े अधिकांश विद्रोहियों के अड्डे म्यांमार एवं बांग्लादेश में है। ये अड्डे विद्रोहियों को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराते हैं।
- **सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों की धारणा:** अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों के जनजातीय लोग अभी भी यह महसूस करते हैं कि सीमा के उस पार चीन में रहने वाले उनके समकक्ष आर्थिक और सामाजिक विकास, दोनों ही मामलों में उनसे बेहतर स्थिति में हैं।

- **पूर्वोत्तर में विद्रोह के लिए जिम्मेदार अन्य कारणों में** स्थानीय जनजातीय पहचान का संकट और मुख्यधारा से अलगाव की भावना; खराब कनेक्टिविटी एवं सीमित बुनियादी ढांचा; अनौपचारिक शासन एवं अर्थव्यवस्था तथा सीमित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)[49] अंतर्वाह शामिल हैं।

पूर्वोत्तर में विद्रोहों से निपटने के लिए की गई कूटनीतिक पहलें

- **पड़ोसी देशों के साथ सुरक्षा सहयोग:**
  - भारत सरकार के अनुरोध पर रॉयल भूटान सेना ने **ऑपरेशन ऑल क्लियर** चलाया था। इस ऑपरेशन में भूटान की भूमि पर स्थापित उत्तर-पूर्वी सशस्त्र समूहों के शिविरों को नष्ट करने की कार्रवाई की गई थी। इन शिविरों में उल्फा के शिविर भी शामिल थे।
  - भारत और म्यांमार की सेनाओं द्वारा उत्तर पूर्व तथा म्यांमार क्षेत्र में सक्रिय विद्रोही समूहों के शिविरों को नष्ट करने के लिए क्रमशः **ऑपरेशन सनराइज और ऑपरेशन गोल्डन बर्ड** अभियान चलाए जा रहे हैं।
  - **वर्ष 2009 से वर्ष 2015 के बीच बांग्लादेश सरकार ने उल्फा और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (NDFB) के शीर्ष नेताओं** को भारत को सौंप दिया था। इससे उन्हें शांति वार्ता के लिए मजबूर होना पड़ा था।
- **अन्य कदम:**
  - **सुरक्षित आश्रयों को समाप्त करने के लिए सीमाओं की बाड़बंदी:** उदाहरण के लिए, त्रिपुरा में भारत-बांग्लादेश सीमा पर लगभग 24 किलोमीटर में बाड़ लगाई गई है।
  - **इनर लाइन परमिट (ILP):** मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय निवासियों की मूल पहचान को बनाए रखने के लिए बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है।
  - विशाल एशिया-प्रशांत क्षेत्र के साथ अलग-अलग स्तरों पर आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए **एक्ट ईस्ट नीति** को अपनाया गया है।
  - भारत-म्यांमार-थाईलैंड (IMT), कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, म्यांमार में सितवे पत्तन आदि क्षेत्रीय विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए **कनेक्टिविटी पहलें** शुरू की गई हैं।

क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए सरकार द्वारा की गई अन्य पहलें:

- असम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए सशस्त्र बलों को **AFSPA (सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम) के तहत विशेष शक्तियां** प्रदान की गईं हैं।
- नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (NLFT), ब्रू शरणार्थी पुनर्वास समझौता, बोडो और कार्बी आंगलोंग शांति समझौता जैसे **शांति समझौते या समाधान समझौते** किए गए हैं।
- **स्थानीय एवं क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पहलें,** जैसे उड़ान 4.0 योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र को प्राथमिकता देने का प्रयास किया गया है। फेनी नदी पर मैत्री सेतु पुल का निर्माण किया गया है। साथ ही, सभी पूर्वोत्तर राजधानियों को भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कम से कम 10% सकल बजटीय सहायता के अनिवार्य निर्धारण, स्वदेश दर्शन योजना, कृषि निर्यात क्षेत्र योजना, राष्ट्रीय बांस मिशन आदि जैसी पहलों द्वारा **आर्थिक केंद्र के रूप में पूर्वोत्तर का विकास किया जा रहा है।**
- क्षेत्र में अनुसूचित और आदिवासी क्षेत्रों के अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान के **अनुच्छेद 244(1) व अनुच्छेद 244(2)** के तहत **संवैधानिक प्रावधान** किए गए हैं।
- हॉर्नबिल फेस्टिवल जैसे त्यौहारों को मनाकर **सांस्कृतिक समृद्धि को संरक्षित** किया जा रहा है।

आगे की राह

- **अवसरों का दोहन:** पूर्व एवं दक्षिण-पूर्व एशिया की समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं से भौगोलिक निकटता पूर्वोत्तर क्षेत्र को अपार अवसर प्रदान करती है। उदाहरण के लिए चाय, मसाले, फल और सब्जियों, फूलों और जड़ी-बूटियों के लिए सीमा-पार बाजार विकसित करना; पर्यटन; जल विद्युत उत्पादन आदि।

---

[49] Foreign direct investment

 ©Vision IAS

* एक आर्थिक केंद्र के रूप में इस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कनेक्टिविटी (सड़क, रेल, वायु, अंतर्देशीय जलमार्ग) के साथ-साथ बुनियादी ढांचे का भी विकास करना चाहिए। इससे भारत की 'लुक ईस्ट पॉलिसी' के उद्देश्यों को हासिल करने में सहायता मिलेगी।
* छिद्रिल सीमा के मुद्दे का समाधान करने के लिए **गैर-सीमांकित सीमा के मुद्दे को सुलझाया जाना** चाहिए।
* सीमाओं के आरपार संचालित हो रहे विद्रोही समूहों और संगठित अपराध के गठजोड़ के विरुद्ध **पड़ोसी देशों के साथ मिलकर संयुक्त प्रयास** किए जाने चाहिए।
* सीमा पर बाड़ लगाकर या अतिरिक्त सीमा सुरक्षा बल तैनात करके **अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा** की जानी चाहिए।
* **तीव्र आर्थिक विकास तथा म्यांमार व उससे आगे के देशों के साथ व्यापार एवं संचार संपर्क स्थापित करने** से आर्थिक समृद्धि आएगी। साथ ही, इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने में भी सहयोग मिलेगा।

4.2. थिएटर कमान (Theatre Commands)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, रक्षा मंत्री ने **तीनों सेनाओं की 'संयुक्त थिएटर कमान'** (JTC)[50] की स्थापना की घोषणा की है।

थिएटर कमान के बारे में

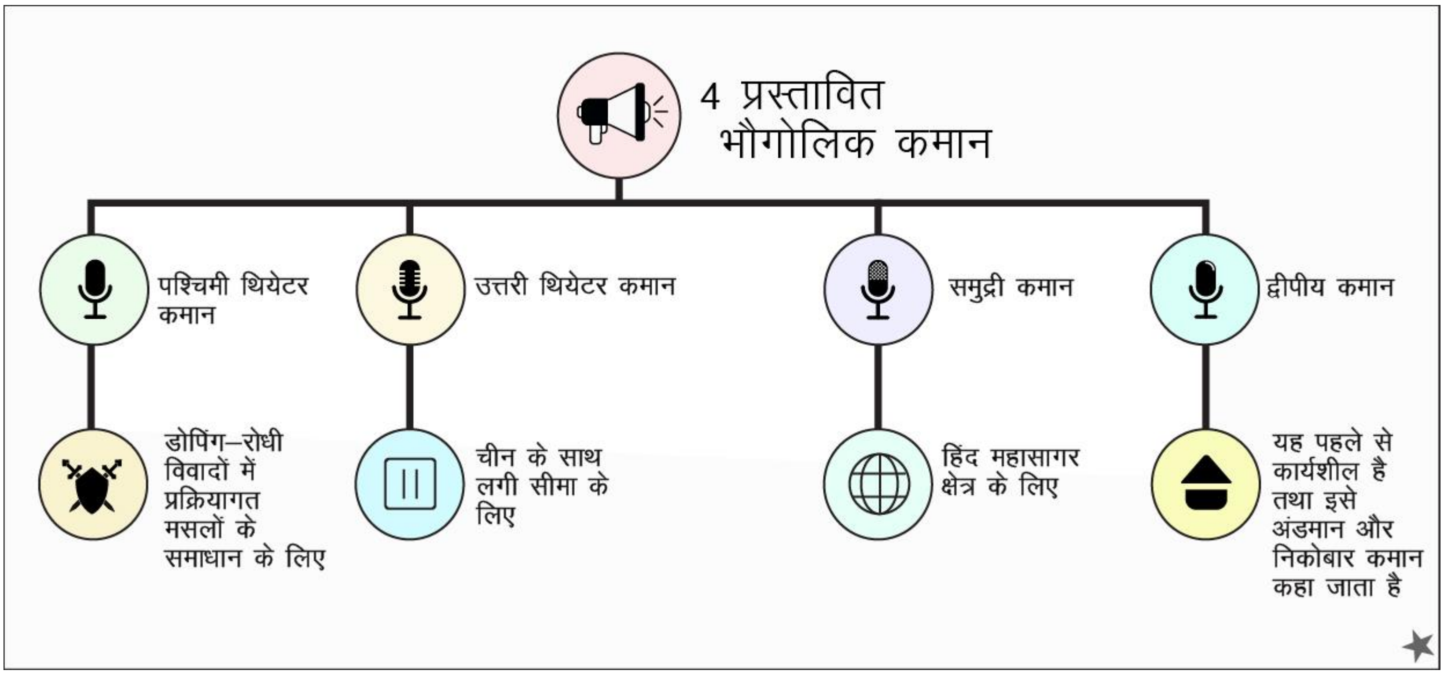

* थिएटराइजेशन या थिएटर कमान का अर्थ है **एक निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में तीनों सेनाओं** (थल सेना, नौसेना और वायु सेना) **से एक निर्धारित संख्या में सैनिकों को एक सामान्य कमांडर के अधीन रखना।**
    * **वर्तमान में भारतीय थल सेना, नौसेना और वायु सेना में से प्रत्येक के पास अनेक कमान हैं,** जो अपनी कमान संरचना के संदर्भ में लंबवत रूप से (vertically) विभाजित हैं।
    * भारत के पास वर्तमान में **19 सैन्य कमान** हैं। इनमें **17 तीनों सेनाओं की सेवा-आधारित कमान हैं। अन्य दो कमान निम्नलिखित हैं-**
        * परमाणु हथियारों की देखभाल के लिए एक **सामरिक बल कमान (SFC), तथा**
        * **अंडमान और निकोबार में एक त्रि-सेवा कमान।**

रक्षा आधुनिकीकरण में इसी प्रकार के अन्य कदम

* चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) के पद का गठन,
* एकीकृत युद्ध समूहों (IBG) का प्रस्ताव,
* अग्निपथ योजना का शुभारंभ आदि।

[50] Joint Theatre Commands

- थिएटर कमान के विचार **की सिफारिश डी. बी. शेकटकर समिति, कारगिल समीक्षा समिति और नरेश चंद्र समिति ने भी की थी।**

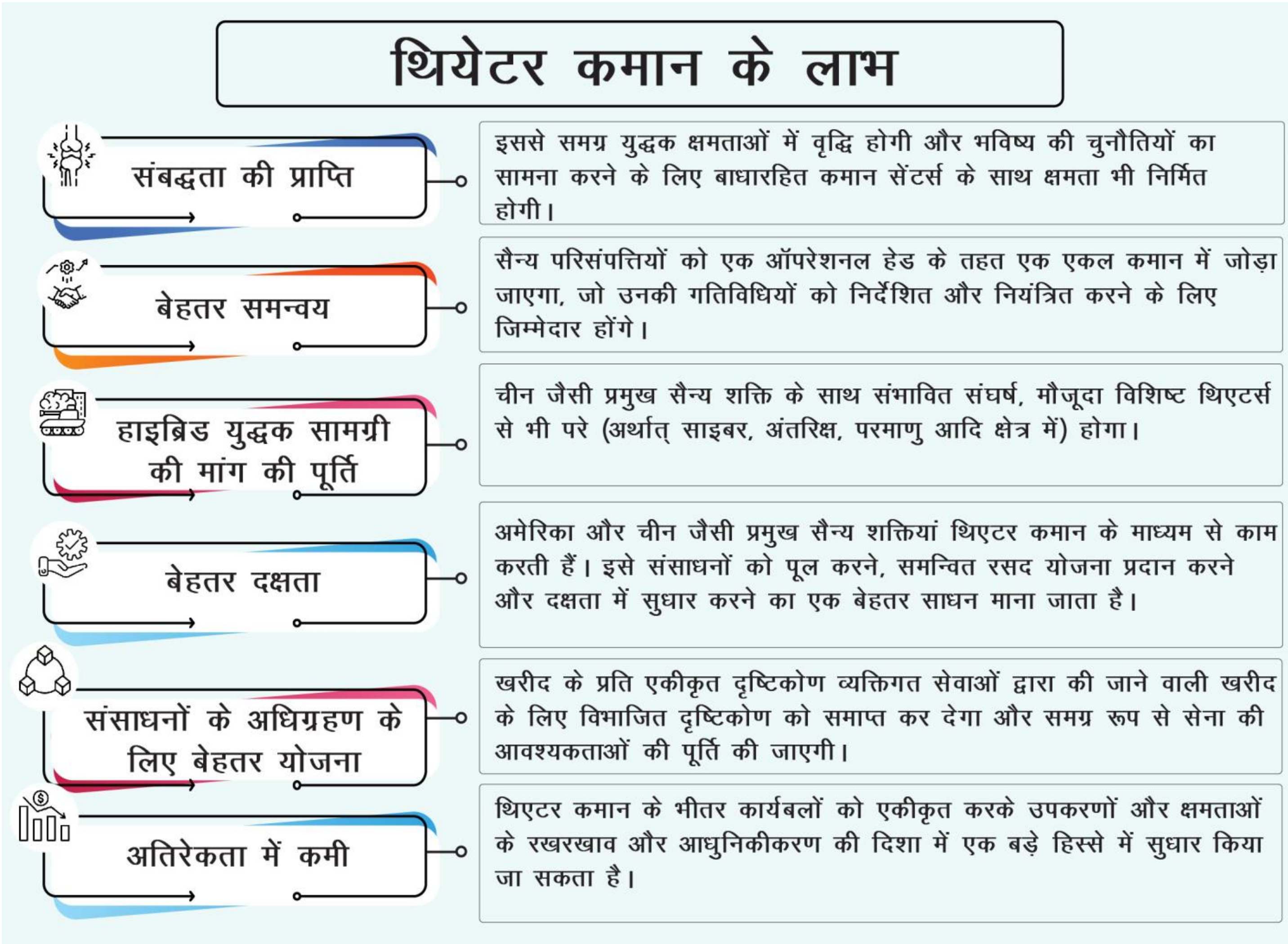

- हालांकि अभी वर्तमान में विवरण पूर्णतः स्पष्ट नहीं है, किंतु रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान में जो **एकल-सेवा कमान हैं, उन्हें केवल 4 भौगोलिक कमानों में ही एकीकृत किया जाएगा।**
- इसके साथ ही, **एयर स्पेस और साइबर वॉर 5वीं और 6वीं थिएटर कमान होंगी।**

थिएटर कमान की स्थापना से जुड़ी चुनौतियां

- **कमान की संरचना:** इनकी संरचना को लेकर अभी यह संशय है कि त्रि-सेवाओं और संयुक्त थिएटर कमान विन्यास में कौन किसे रिपोर्ट करेगा। साथ ही, सैन्य कर्मियों एवं मशीनरी, सेवा प्रमुखों या थिएटर कमांडरों की परिचालन कमान किसके पास होगी।
- **अंतर-सेवा प्रतियोगिता:** जहां एक ओर प्रत्येक सेना उत्साहपूर्वक अपनी संपत्ति की देखरेख करती है और रक्षा बजट का अधिकाधिक भाग प्राप्त करने का प्रयास करती है, वहीं यह प्रभाव सेनाओं के बीच तालमेल बनाने में एक बाधा के रूप में साबित हो सकता है।
- **सशस्त्र बलों की संपत्ति के बीच मौजूदा असमानता:** उदाहरण के लिए, वायु सेना के लिए ऑपरेशनल स्क्वाड्रन की स्वीकृत संख्या 42 है, जबकि इसके पास केवल 31 ऑपरेशनल स्क्वाड्रन ही मौजूद हैं। इसके कारण किसी विशेष कमान में परिसंपत्तियों को स्थायी रूप से तैनात करने से समस्या उत्पन्न होगी।
- **थल सेना के प्रभुत्व की धारणा:** तीनों सेनाओं में थल सेना हमेशा सर्वोच्च दिखाई देती रही है। ऐसे में यह चिंता व्यक्त की गई है कि एकीकरण से थल सेना का प्रभुत्व स्थापित हो सकता है और इसे अधिक परिचालन नियंत्रण प्राप्त हो सकता है।
- **भारत का सीमित अनुभव:** एकीकृत कमान संरचनाओं में कुछ सुधारों की आवश्यकता हो सकती है। इसके साथ ही, समस्याओं को समय पर पहचानने और उनका समाधान करने की भी आवश्यकता होगी। इससे एकीकरण की प्रक्रिया धीमी हो सकती है।

 ©Vision IAS

निष्कर्ष

'संयुक्त थिएटर कमान' (JTC) की ओर अग्रसर होना एक आवश्यक कदम है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरक शक्ति होगी। इसके साथ ही, वर्तमान में परिचालन संबंधी बाधाओं से लेकर वैचारिक भिन्नता तक अनेक मुद्दे भी मौजूद हैं। इन मुद्दों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि यह पूरी तरह से उपयोगी सिद्ध हो सके और भारतीय सेना को रूपांतरित कर सके।

4.3. धन-शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act: PMLA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने **धन-शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 में किए गए प्रमुख संशोधनों** को सही ठहराया है।

अन्य संबंधित जानकारी

- उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय वर्ष 2019 में वित्त अधिनियम के माध्यम से PMLA, 2002 में किए गए **संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर** आया है। **PMLA में निम्नलिखित संशोधन किये गए थे:**
  - PMLA में हुए संशोधनों द्वारा **प्रवर्तन निदेशालय (ED)**[51] **को समन जारी करने, गिरफ्तारी करने और छापेमारी करने की व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं।**
  - साथ ही, निर्दोष साबित होने की जिम्मेदारी आरोपी पर डालते हुए जमानत प्रावधानों को कठोर बना दिया गया है।
- **विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई अन्य प्रमुख टिप्पणियां-**

विशेषताएं	विवरण
धन-शोधन एक एकल अपराध नहीं है	• धन-शोधन जघन्य अपराधों में से एक है। यह न केवल राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने को प्रभावित करता है, बल्कि अन्य जघन्य अपराधों को भी बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए- आतंकवाद, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्स्टांस (NDPS) अधिनियम से संबंधित अपराध आदि।
जमानत हेतु दोहरी शर्तें	• PMLA अधिनियम के तहत जमानत की कठोर शर्तें वैध हैं और ये मनमानी शर्तें नहीं हैं। ○ जमानत हेतु PMLA की **धारा 45 में 'दोहरी शर्तें' निर्धारित की गई हैं।** पहली, न्यायालय के पास यह मानने के लिए उचित आधार हो कि आरोपी अपराध का दोषी नहीं है और दूसरी, जमानत पर रहने के दौरान उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। • न्यायालय ने पूर्व में उच्चतम न्यायालय द्वारा **दिए गए निर्णय** को नजरअंदाज कर दिया। पूर्व निर्णय में **जमानत हेतु दोहरी शर्तों को यह मानते हुए अवैध घोषित कर दिया गया था** कि वे संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन हैं।
ED के अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं हैं	• ED के अधिकारी जो **PMLA अधिनियम के अनुसार धन-शोधन से संबंधित मामलों की जांच करते हैं, वे "पुलिस अधिकारी" नहीं हैं।** इसलिए, ED के अधिकारियों द्वारा PMLA अधिनियम की धारा 50 के तहत, अपराध के अभियोग की जांच करते समय जो बयान दर्ज किया जाता है, वह संविधान के **अनुच्छेद 20(3)** (आत्म-दोषारोपण के खिलाफ अधिकार) से प्रभावित नहीं होता है।
प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (Enforcement Case Information Report: ECIR)	• PMLA, 2002 के तहत अपराध से हुई आगम (proceeds) से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि में संलिप्त व्यक्ति के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई या अभियोजन शुरू करने से पहले औपचारिक रूप से **ECIR** पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं होती है। • **ECIR की तुलना प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR)**[52] **से नहीं की जा सकती,** क्योंकि ECIR प्रवर्तन निदेशालय का आंतरिक दस्तावेज होता है।
संपत्ति की अनंतिम कुर्की	• उच्चतम न्यायालय ने PMLA की **धारा 5** को उचित ठहराया है, जो संपत्ति की अनंतिम कुर्की से संबंधित है।
PMLA का धन विधेयक के रूप में संशोधन	• न्यायालय ने इस तथ्य के आधार पर तर्कों की जांच नहीं की कि कुछ संशोधन धन विधेयकों के रूप में पेश किए गए थे, क्योंकि **धन विधेयकों के दायरे से संबंधित मुद्दे पर सात-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा अलग से विचार किया जा रहा है।**

[51] Enforcement Directorate

[52] First Information Report

धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के बारे में

- इसे धन शोधन की समस्या से निपटने के लिए वर्ष 2002 में पेश किया गया था और वर्ष 2005 में अधिनियमित किया गया था।
    - धन शोधन की प्रक्रिया के माध्यम से कोई व्यक्ति अवैध धन को वैध धन में बदल देता है।
- **इसे धन शोधन की समस्या से निपटने के लिए भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता (वियना कन्वेंशन सहित) की अनुक्रिया में अधिनियमित किया गया था।** यह धन शोधन इसके साथ होने वाले नशीले एवं स्वापक पदार्थों के व्यापार और संगठित अपराध से उत्पन्न होता है।
- PMLA अधिनियम के उद्देश्य
    - धन शोधन का निवारण एवं नियंत्रण करना;
    - धन शोधन से प्राप्त संपत्ति को जब्त करना तथा अधिहरण करना; तथा
    - भारत में धन शोधन से जुड़े किसी अन्य मुद्दे से निपटना।
- इस अधिनियम के तहत, **ED को धन शोधन से संबंधित जांच करने का अधिकार है।**

PMLA, 2002 की प्रमुख विशेषताएं

- **यह धन शोधन के अपराध को परिभाषित करता है:** इस अधिनियम के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति इस अपराध के आगम से जुड़ी किसी प्रक्रिया या क्रियाविधि में शामिल होता है, तो उसे धन-शोधन के अपराध का दोषी माना जाएगा। इस क्रियाविधि में आगम के रूप में प्राप्त की गई परिसंपत्तियों को छुपा कर रखना, उन पर कब्जा करना, उनका अर्जन या इस्तेमाल करना, उन्हें बेदाग संपत्ति (Untainted property) के रूप में पेश करना या उन पर दावा करना शामिल है।
- **यह न्याय निर्णयन प्राधिकरण की स्थापना करता है:** इस अधिनियम के तहत संपत्ति की कुर्की और जब्ती से संबंधित मामलों से निपटने के लिए न्यायनिर्णय करने वाले तीन सदस्यीय प्राधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है।
- **यह अपीलीय अधिकरण की स्थापना करता है:** यह केंद्र द्वारा नियुक्त निकाय है। इसे अधिनियम के तहत न्यायनिर्णय करने वाले प्राधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने हेतु अधिकृत किया गया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) के बारे में

- यह **राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय** के अधीन एक **वित्तीय जांच एजेंसी** है।
- इसकी **स्थापना वर्ष 1956 में की गई थी** तथा इसका मुख्यालय **नई दिल्ली** में स्थित है।
- यह **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA)** और **PMLA, 2002** के तहत कुछ विशेष प्रावधानों को लागू करने हेतु उत्तरदायी है।
- FEMA एक सिविल कानून है, जबकि **PMLA एक आपराधिक कानून है।**
- वर्ष 2021 में, संसद ने ED के निदेशक के कार्यकाल को अधिकतम पांच वर्ष तक बढ़ाए जाने हेतु एक विधेयक पारित किया था।

- **यह विशेष न्यायालयों की स्थापना करता है:** इनकी स्थापना केंद्र सरकार द्वारा धन शोधन के अपराधों की सुनवाई करने हेतु कई राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में की गई है।
- **वित्तीय आसूचना एकक-भारत (FIU-IND):** इसकी स्थापना वर्ष 2004 में **केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी** के रूप में की गई थी। **यह मुख्य रूप से संदिग्ध वित्तीय लेन-देन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने, प्रसंस्करण करने, विश्लेषण करने और हस्तांतरण करने हेतु उत्तरदायी है।**
    - यह एक स्वतंत्र निकाय है। यह सीधे वित्त मंत्री द्वारा शासित **आर्थिक आसूचना परिषद (EIC)** को रिपोर्ट करता है।

PMLA में किए गए हालिया संशोधन

- भारतीय कानूनों के प्रावधानों को विदेशों के कानूनों से संबद्ध करने हेतु **'संगत कानून (Corresponding Law)' की अवधारणा को जोड़ा गया है।**
- **इसमें 'रिपोर्टिंग इकाई' की अवधारणा को जोड़ा गया है।** इसके अंतर्गत एक बैंकिंग कंपनी, वित्तीय संस्थान, मध्यस्थ या एक निर्दिष्ट व्यवसाय या पेशा करने वाला व्यक्ति शामिल होगा।
- **प्रवर्तन निदेशक को लेन-देन के रिकॉर्ड** या जांच के उद्देश्यों हेतु आवश्यक किसी भी अतिरिक्त जानकारी **की मांग करने की शक्ति प्रदान की गई है।**
- **अपराध के आगमों (आय) में न केवल अनुसूचित अपराध से प्राप्त संपत्ति शामिल है,** बल्कि अनुसूचित अपराध के समान या उससे संबंधित किसी भी आपराधिक गतिविधि से प्राप्त की गई अन्य संपत्ति भी शामिल होगी।

- **सबूत का भार:** दोषी व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि उस अपराध की कथित आय, वास्तव में वैध संपत्ति है, जिसके लिए उस पर धन शोधन का आरोप लगाया गया है।

PMLA के कार्यान्वयन से संबंधित समस्याएं

- **कानूनों को कमजोर करना:** PMLA धन शोधन के खतरे (विशेष रूप से स्वापक पदार्थों के व्यापार से उत्पन्न) का सामना करने हेतु एक व्यापक दंडात्मक कानून है। वर्तमान में, इस अधिनियम की अनुसूची में अपराधों का स्वरूप अत्यधिक व्यापक है और कई मामलों में उनका स्वापक पदार्थों या संगठित अपराध से कोई संबंध नहीं होता है।
- **प्रक्रियात्मक समस्याएं:** ED द्वारा मामलों के चयन की प्रक्रिया पर स्पष्टता का अभाव है।
- **बेगुनाही साबित करने का भार:** अभियुक्तों को प्रथम दृष्टया यह साबित करना होगा कि वह दोषी नहीं हैं। साथ ही, उन्हें जमानत पाने के लिए न्यायालय को संतुष्ट करना होगा कि वे भविष्य में कोई अपराध नहीं करेंगे।
- **अपराध सिद्धि की निम्न दर:** वर्ष 2014 से वर्ष 2022 के बीच ED द्वारा 3,010 से अधिक छापे मारे गए हैं। लेकिन, मात्र 23 व्यक्तियों को ही दोषी ठहराया जा सका है। यह अपराध साबित होने की मात्र 0.5 प्रतिशत की दर को दर्शाता है।
- **अस्पष्टता:** यह स्पष्ट नहीं है कि "अपराध के आगमों" की परिभाषा को स्पष्ट करने हेतु "स्पष्टीकरण" शब्दावली को शामिल करने का पूर्वव्यापी प्रभाव होगा या नहीं। साथ ही, संविधान का अनुच्छेद 20(1) आपराधिक कानून के पूर्वव्यापी अनुप्रयोग को प्रतिबंधित भी करता है।

आगे की राह

- **प्रक्रियात्मक:** अपराधों के अंतिम रूप से संपन्न होने के उपरांत ही ECIR रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए। साथ ही, अभियुक्त को उसके अपराध से अवगत कराने हेतु उसे ECIR रिपोर्ट प्रदान की जानी चाहिए।
- **परिचालन दक्षता:** PMLA का उपयोग सीमित होना चाहिए तथा उत्पीड़न के साधन के रूप में उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अपराध सिद्धि के दर को बढ़ाए जाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, जो वर्तमान में लगभग 0.5% है।
- **शर्तों पर स्पष्टीकरण:** कुछ पहलुओं की कानूनी स्थिति पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए "अपराध के आगमों" की संशोधित परिभाषा का दायरा तथा जांच अधिकारियों द्वारा बयान दर्ज किए जाने के दौरान सुरक्षा उपायों का पालन किए जाने के संबंध में स्पष्टीकरण की जरूरत है।
- **अनुसूचित अपराधों की समीक्षा की जानी चाहिए:** इसमें 30 अलग-अलग कानूनों में वर्णित "अनुसूचित अपराधों" को शामिल करने से कानून का दायरा बहुत व्यापक हो गया है। इसके कारण ED का ध्यान गंभीर अपराधों की जांच से वंचित हुआ है। गंभीर अपराधों पर लक्षित रूप से ध्यान दिया जाना सुनिश्चित करना चाहिए। ऐसा "अनुसूचित अपराधों" की सूची की समीक्षा करके तथा उसमें से कुछ अपराधों को हटाकर किया जा सकता है।

क्या आप जानते हैं?

- वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (FATF) एक अंतरसरकारी निकाय है। यह धन–शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण के विरुद्ध मानकों का निर्धारण, नीतियों का निर्माण और उनको बढ़ावा देता है।
- भारत वर्ष 2010 में FATF का सदस्य बना था।

4.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts)

4.4.1. स्प्रिंट चैलेंजेज (Sprint Challenges)

- **प्रधान मंत्री ने भारतीय नौसेना के लिए 'स्प्रिंट चैलेंजेज' का शुभारंभ किया।**
- प्रधान मंत्री ने एक नौसैनिक **सेमिनार 'स्वावलंबन'** में इस पहल का शुभारंभ किया। यह सेमिनार **रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता (स्वदेशीकरण)** की दिशा में हितधारकों को शामिल करने के लिए आयोजित किया गया था।
    - **स्प्रिंट (SPRINT) एक सहयोग आधारित परियोजना है। इसमें शामिल हैं:**
        - **SPRI:** सपोर्टिंग पोल वॉल्टिंग इन आर एंड डी थ्रू iDEX (रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार),

- **N:** नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन (NIIO), तथा
- **T:** प्रौद्योगिकी विकास त्वरण प्रकोष्ठ (Technology Development Acceleration Cell: TDAC)।

  - इसका उद्देश्य **भारतीय नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा** देना है।

- **रक्षा क्षेत्र के स्वदेशीकरण का अर्थ** देश के भीतर ही रक्षा उपकरणों के डिजाइन, विकास और उत्पादन की क्षमता विकसित करना है। इन कार्यों के लिए **अपने कौशल और संसाधनों का उपयोग** किया जाता है। इसका उद्देश्य **आयात के बोझ को कम करना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना** है।
  - सरकार ने इसके लिए कई पहलें शुरू की हैं। इन पहलों के लाभस्वरूप विदेशी स्रोतों से **रक्षा खरीद पर खर्च** पिछले तीन वर्षों (2018-19 से 2020-21) में **46% से घटकर 36%** हो गया है। इससे आयात का बोझ कम हो गया है।
- **रक्षा स्वदेशीकरण की आवश्यकता**
  - हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करने वाले मुख्य देश की भूमिका निभाने के लिए यह बहुत जरूरी है।
  - यह क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (SAGAR) के भारत के विजन को साकार करेगा।
  - स्थिर विदेशी मुद्रा बनाए रखना, जो चालू खाता घाटा कम करने में मदद करेगा।

4.4.2. प्रथम स्वदेशी विमानवाहक पोत (IAC) विक्रांत {First Indigenous Aircraft Carrier (IAC) Vikrant}

- **वर्तमान में,** इसे **IAC-1 कोडनेम** दिया गया है। हालांकि यह भारतीय नौसेना में प्रवेश के बाद आई.एन.एस. विक्रांत के नाम से जाना जाएगा।
- इस विमानवाहक पोत को **मारक/युद्धक समूह वाले जहाज के रूप में** विकसित किया गया है। वर्तमान में केवल पांच या छह देशों के पास ही ऐसे विमानवाहक पोतों के निर्माण की क्षमता मौजूद है।
- IAC-1 को **भारतीय नौसेना के नौसेना डिजाइन निदेशालय द्वारा डिजाइन** किया गया है तथा इसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) द्वारा निर्मित किया गया है। CSL, जहाजरानी मंत्रालय के अधीन संचालित एक सार्वजनिक क्षेत्रक वाला पोत निर्माण उपक्रम है।
- यद्यपि, **भारत में पहले ही ऐसे कई विमानवाहक पोत तैनात किए जा चुके हैं**, हालांकि सभी या तो ब्रिटेन अथवा रूस में निर्मित थे।
  - **आई.एन.एस. विक्रमादित्य** (सोवियत-रूसी युद्धपोत 'एडमिरल गोर्शकोव) वर्तमान में नौसेना द्वारा परिचालित एकमात्र विमानवाहक पोत है।
  - **आई.एन.एस. विक्रांत और आई.एन.एस. विराट** मूलतः ब्रिटेन में निर्मित थे।
- **विमानवाहक पोत का महत्व**
  - **यह नौसेना की क्षमता को बढ़ा सकता है** तथा साथ ही घरेलू तटों से **दूर स्थित क्षेत्रों की यात्रा करने में उन्हें सक्षम बना सकता है।**
  - **यह किसी देश की नौसेना को 'ब्लू वाटर' नेवी के रूप में मान्यता दिलाने में सहयोग** कर सकता है। ब्लू-वाटर नेवी को खुले महासागरीय क्षेत्रों में किसी राष्ट्र की क्षमता और शक्ति प्रदर्शन की योग्यता के रूप में रेखांकित किया जाता है।
  - यह **हिंद महासागरीय क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत की प्रतिबद्धता के मद्देनजर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है,** विशेषकर इस चीनी प्रतिद्वंद्विता वाले क्षेत्र में।
  - यह **पाकिस्तान के खिलाफ पारंपरिक युद्ध में आवश्यक सहयोग** प्रदान कर सकता है। साथ ही यह पाकिस्तान की नौसैनिक परिसंपत्ति और भूमि आधारित ठिकानों पर हमले कर सकता है।

4.4.3. स्वदेशी स्टेल्थ ड्रोन (Indigenous Stealth Drone)

- कर्नाटक में परीक्षण रेंज में स्वदेशी स्टेल्थ ड्रोन ने अपनी पहली उड़ान भरी है।
- स्टील्थ ड्रोन को **मानव रहित लड़ाकू विमान (UCAV) भी कहा जाता है।**

- UCAV, **स्वायत्त मानवरहित अनुसंधान विमान (AURA) नामक सशस्त्र स्टेल्थ ड्रोन कार्यक्रम 'घातक'** का एक पूर्ववर्ती है।
- AURA को एक हथियार दागने की क्षमता से युक्त **आत्मरक्षा, उच्च गति वाले व टोही UAV** के रूप में वर्णित किया गया है।

- इसे **वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान (ADE) ने डिजाइन और विकसित किया है।**
  - यह एक **छोटे टर्बोफैन इंजन** द्वारा संचालित होता है।

4.4.4. भारत-जापान मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज {India-Japan Maritime Partnership Exercise (MPX)}

- हाल ही में, **अंडमान सागर में जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और भारतीय नौसेना के बीच** एक 'मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज' (MPX) का सफल आयोजन किया गया।
  - इस अभ्यास का उद्देश्य अंतःक्रियाशीलता में वृद्धि करना, नाविक कला (seamanship) को सुव्यवस्थितता करना और संचार प्रक्रियाओं को बेहतर बनाना है।

5. पर्यावरण (Environment)

5.1. IPBES आकलन रिपोर्ट: वन्य प्रजातियों का संधारणीय उपयोग (IPBES Assessment Report: Sustainable Use of Wild Species)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, जैव विविधता और पारितंत्र सेवाओं पर अंतर-सरकारी विज्ञान-नीति मंच (IPBES)[53] ने **'वन्य प्रजातियों के संधारणीय उपयोग[54]'** पर आकलन रिपोर्ट जारी की है।

IPBES के बारे में

- यह वर्ष 2012 में स्थापित **एक स्वतंत्र अंतर-सरकारी निकाय** है। यह **जैव विविधता के संरक्षण और संधारणीय उपयोग**, दीर्घकालिक मानव कल्याण तथा संधारणीय विकास के लिए **विज्ञान आधारित नीतिगत हस्तक्षेप को मजबूती प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध** है।
- इसका सचिवालय **जर्मनी** के **बॉन** में स्थित है।
- यह **संयुक्त राष्ट्र की संस्था नहीं** है। हालांकि, IPBES को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) सचिवालय सेवाएं प्रदान करता है।
- वर्तमान में इसके **137 सदस्य देश** हैं, जिसमें **भारत भी शामिल है।**
- संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राष्ट्र IPBES की सदस्यता के लिए पात्र हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह रिपोर्ट दुनिया भर में पादपों, प्राणियों, कवक और शैवाल की **वन्य प्रजातियों के अधिक संधारणीय उपयोग को बढ़ावा देने हेतु व्यापक समझ, विश्लेषण एवं साधन प्रदान करती है।**
- यह **अपनी तरह की पहली रिपोर्ट है** और इसे चार वर्ष की अवधि के बाद जारी किया गया है।
- इस रिपोर्ट में वन्य प्रजातियों के उपयोग से संबंधित **'पद्धतियों' की पांच व्यापक श्रेणियों की पहचान** की गई है। इनमें शामिल हैं:
  - **मछली पकड़ना,**
  - **प्रजातियों का संग्रह करना,**
  - **लॉगिंग (लकड़ी के लिए व्यावसायिक रूप से वृक्षों की कटाई करना),**
  - **स्थलीय जंतुओं को पकड़ना (शिकार सहित), और**
  - **दोहन न करने वाली पद्धतियां** (जैसे केवल अवलोकन करना)।

वन्य प्रजातियों के संधारणीय उपयोग से जुड़ी चुनौतियां

- **जलवायु परिवर्तन:** यह स्तनधारियों की प्राकृतिक संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता को कम कर सकता है। इससे विशेष रूप से **बदलती पारिस्थितिकी दशाओं के प्रति अनुकूलन करने में कम सक्षम** प्रजातियां अधिक प्रभावित हो सकती हैं।
- **तकनीकी विकास:** बढ़ती मांग और तकनीकी विकास के कारण **वन्य प्रजातियों के पारिस्थितिक पर्यावास नष्ट हो रहे हैं** एवं प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास हो रहा है।
- **अतिदोहन:** किसी भी अन्य खतरे की तुलना में अतिदोहन, **अधिक प्रजातियों को विलुप्त होने की दिशा में धकेल रहा है।** असंधारणीय तरीके से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, जंगली जीव-जंतुओं को पकड़ना या उनका शिकार करना **अतिदोहन** कहलाता है।

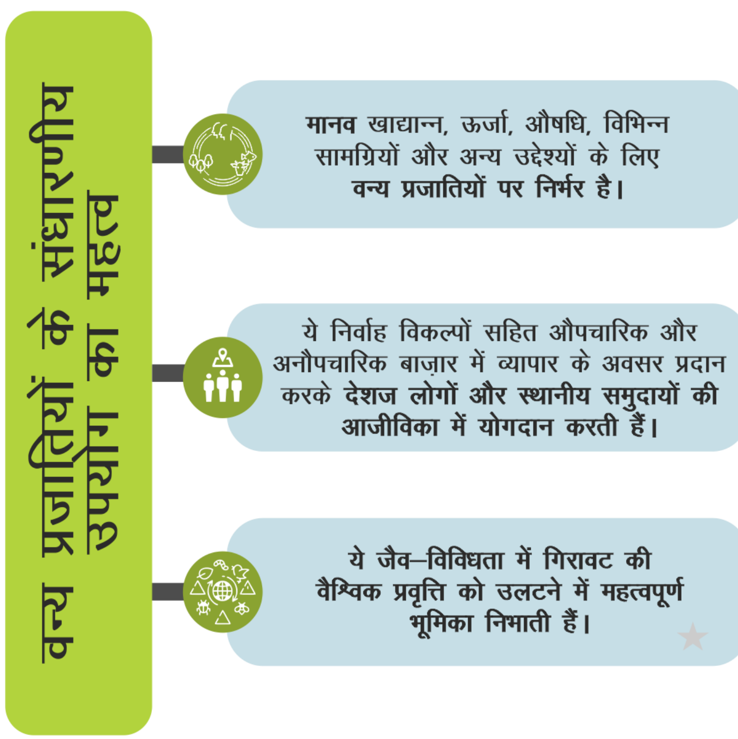

[53] Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services

[54] Sustainable use of Wild Species

©Vision IAS

- शिकार करने, मछली पकड़ने या वनों की कटाई के रूप में हो रहे अतिदोहन से 72% प्रजातियों के समक्ष संकट पैदा हो गया है।

- **कृषि: कृषि** के विस्तार और **गहनता** के कारण वन्य प्रजातियों का ह्रास हुआ है। कृषि के विस्तार और गहनता में खाद्यान्न, चारा, फाइबर और ईंधन आदि के लिए फसलों का उत्पादन; पशुपालन; जलकृषि; और वृक्षों की खेती आदि शामिल हैं।
  - वर्तमान में, विश्व के लगभग 20% उष्णकटिबंधीय वनों में चयनात्मक लॉगिंग की जाती है।
- **पर्यटन:** असंधारणीय पर्यटन से एंडेंजर्ड प्रजातियों पर अधिक दबाव पड़ने के साथ-साथ **मृदा अपरदन, प्रदूषण में वृद्धि, प्राकृतिक पर्यावास का ह्रास** भी हो सकता है। साथ ही, इससे प्राणियों की मुक्त आवाजाही भी प्रभावित हो सकती है।
- **अवैध व्यापार:** पिछले चार दशकों में वन्य प्रजातियों के वैश्विक व्यापार की **मात्रा एवं मूल्य और व्यापार के नेटवर्क में काफी विस्तार** हुआ है।
  - वन्य प्रजातियों के अवैध व्यापार को **अवैध व्यापार का तीसरा सबसे बड़ा घटक माना जाता** है। इसका अनुमानित **वार्षिक मूल्य 69-199 बिलियन अमेरिकी डॉलर** है।

वन्य प्रजातियों के संधारणीय उपयोग के लिए प्रमुख घटक

- **निष्पक्षता, अधिकार और** लाभों का **समतापूर्ण वितरण** आवश्यक है।
- बाज़ार आधारित प्रोत्साहनों (प्रमाणीकरण और लेबलिंग) की प्रभावशीलता अनिश्चित है तथा यह अधिकतर उच्च मूल्य वाले बाज़ारों तक ही सीमित है।
- सामाजिक और पारिस्थितिकी दशाओं में परिवर्तन के प्रति **अनुकूलन की प्रवृत्ति में सक्षम मजबूत गवर्नेंस प्रणाली सहित** भागीदार-परक व्यवस्था।
- गवर्नेंस के सभी क्षेत्रकों और स्तरों पर **नीतियों का एकीकरण और समन्वय।**
- वन्य प्रजातियों के उपयोग के आर्थिक पहलुओं सहित पारिस्थितिकी और सामाजिक पहलुओं की **प्रभावी निगरानी करना।**
- काश्तकारी अधिकारों और भूमि, मत्स्य संसाधन एवं वनों तक समतापूर्ण पहुंच की सुरक्षा के साथ-साथ गरीबी उन्मूलन में सहायता प्रदान करने वाली नीतियां।

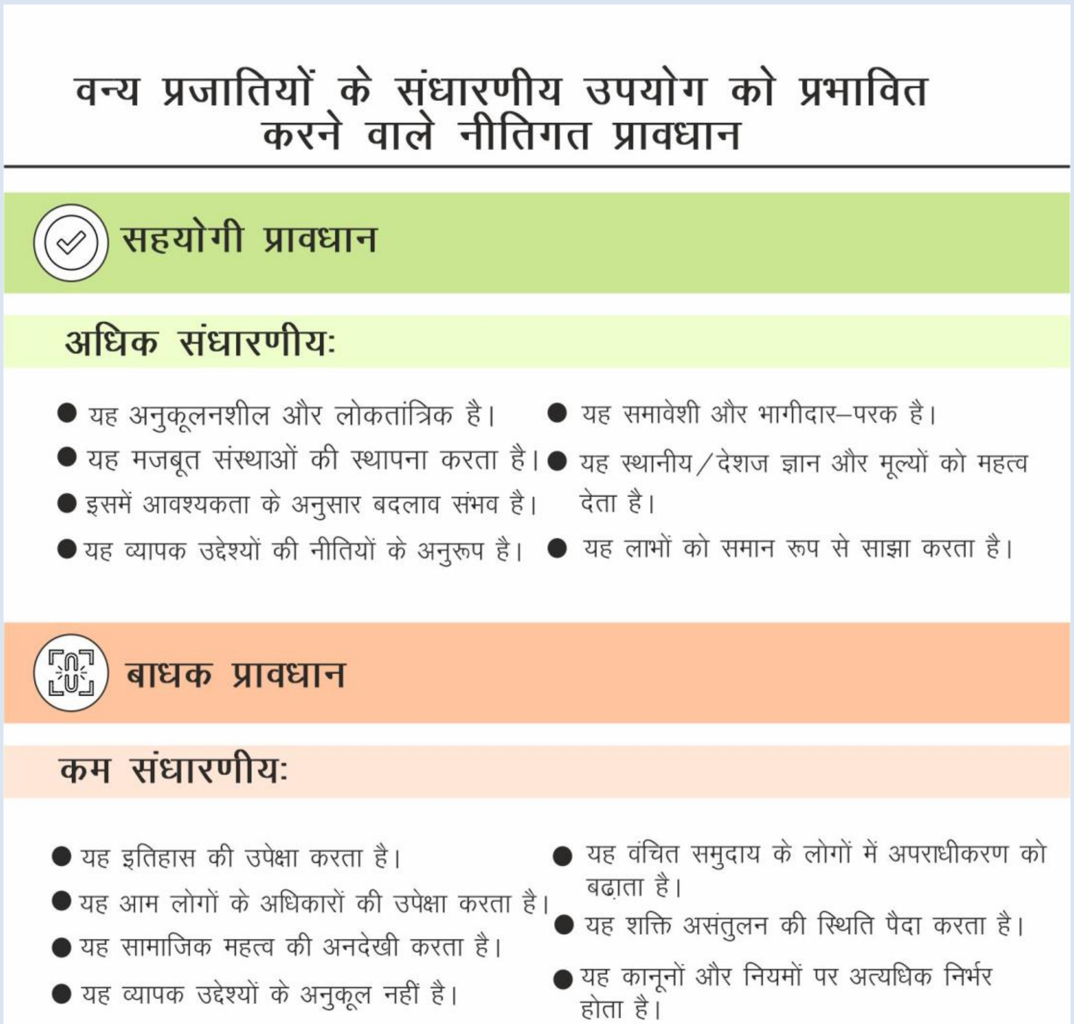

इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशें

- **विनियमन:** वन्य प्रजातियों के वैश्विक व्यापार से वन्य प्रजातियों पर दबाव बढ़ता है। साथ ही, इस व्यापार से वन्य प्रजातियों के असंधारणीय उपयोग को बढ़ावा मिलता है और कभी-कभी वन्य प्रजातियों की किसी विशेष प्रजाति का अत्यधिक ह्रास भी हो जाता है (उदाहरण के लिए, शार्क के फिन का व्यापार)। इसलिए **संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला में स्थानीय से लेकर वैश्विक स्तर तक प्रभावी विनियमन** अनिवार्य है।
- **वन्य प्रजातियों के संधारणीय उपयोग को बढ़ाना:** इस संदर्भ में संधारणीय उपयोग को बढ़ावा देने वाले निम्नलिखित प्रमुख तत्वों को प्रस्तुत किया गया है-

- **समावेशी और सहभागिता आधारित निर्णय लेना।**
- पारंपरिक और वैधानिक संस्थानों को **मजबूत करना**।
- लागतों और लाभों का **उचित एवं समतापूर्ण वितरण सुनिश्चित करना।**
- **वन्य प्रजातियों,** सामाजिक-पारिस्थितिकी दशाओं एवं पद्धतियों की निगरानी करना।
- ज्ञान के विविध रूपों को मान्यता देना और उनका समर्थन करना।

- **सहयोग:** एक-दूसरे से सीखने के लिए वैज्ञानिकों और देशज लोगों को एकजुट करने से वन्य प्रजातियों के संधारणीय उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।
- **रूपांतरकारी बदलाव:** वन्य प्रजातियों के संधारणीय उपयोग को सुनिश्चित करने और उपयोग की संधारणीयता को बढ़ाने के लिए रूपांतरकारी बदलाव की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, मत्स्यन के मामले में संधारणीय उपयोग को बढ़ावा देने हेतु निम्नलिखित कदम उठाने की आवश्यकता है:
  - मौजूदा खामियों को ठीक करना; अवैध, गैर-रिपोर्टेड और अनियमित मत्स्यन को कम करना;
  - समुद्री प्रणालियों में क्षमता से अधिक और अतिमत्स्यन में योगदान देने वाली हानिकारक वित्तीय सब्सिडी को समाप्त करना;
  - जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री उत्पादकता में बदलाव के साथ अनुकूलन करना; और
  - सक्रिय रूप से प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का गठन करना।
- **नवाचार:** तकनीकी नवाचार से **दक्षता में वृद्धि** और **बर्बादी में कमी होती है। इससे वन्य प्रजातियों का संधारणीय उपयोग करने में मदद मिल सकती है।** साथ ही, नवाचार अलग-अलग तरीकों से प्राकृतिक वनों के संधारणीय उपयोग में भी सहायता करते हैं।

5.2. प्रोजेक्ट टाइगर (Project Tiger)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वर्ष 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना को आरंभ हुए 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे।

प्रोजेक्ट टाइगर क्या है?

- इस परियोजना को वर्ष 1973 में शुरू किया गया था। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक **केंद्र प्रायोजित योजना है।**
- यह योजना **बाघों के प्राकृतिक पर्यावास वाले राज्यों के** निर्धारित **टाइगर रिजर्वों (बाघ आरक्षित क्षेत्रों)** में बाघों का **स्वस्थाने (In-Situ) संरक्षण करने हेतु केंद्रीय सहायता प्रदान करती है।**
- आरंभ में इसे भारत के विभिन्न राज्यों में **9 टाइगर रिजर्वों (TRs)** में शुरू किया गया था।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** इसकी कार्यान्वयन एजेंसी **राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)[55] है।** इसका गठन वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2006 के द्वारा किया गया था। इस प्रकार प्रोजेक्ट टाइगर के लिए सांविधिक प्राधिकरण का गठन किया गया।

बाघ संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

- **ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव (GTI):** यह भारत सहित बाघों के प्राकृतिक पर्यावास वाले 13 देशों और **विश्व बैंक, वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF),** जैसे अन्य संगठनों के नेतृत्व में एक वैश्विक गठबंधन है।
- **ग्लोबल टाइगर फोरम:** भारत इस अंतर सरकारी मंच के संस्थापक सदस्यों में से एक है। यह फोरम विशेष रूप से वनों में बाघों के संरक्षण के लिए कार्यरत है।
- **द्विपक्षीय साधन:**
  - **चीन के साथ बाघों के संरक्षण पर प्रोटोकॉल।**
  - सुंदरवन के संरक्षण पर **बांग्लादेश के साथ समझौता ज्ञापन (MoU)**
  - लकड़ी की तस्करी से निपटने और बाघों एवं अन्य वन्यजीवों के संरक्षण के लिए **म्यांमार के साथ समझौता ज्ञापन।**

- **वित्तपोषण पैटर्न:** केंद्र सरकार सभी **गैर-आवर्ती और आवर्ती मदों पर व्यय के लिए** राज्यों को क्रमशः **60% और 50% की वित्तीय सहायता** प्रदान करती है।
  - पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को इन दोनों मदों के मामलों में 90% केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

बाघों की आबादी की पुनर्बहाली और उनके संरक्षण से संबंधित प्रयासों को मजबूत करने में इस परियोजना ने क्या भूमिका निभाई है?

- **नए टाइगर रिजर्वों की स्थापना और विकास:** वर्तमान में भारत में कुल 52 **टाइगर रिजर्व** हैं, जो 75,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र पर फैले हुए हैं।

[55] National Tiger Conservation Authority

- इसके अतिरिक्त, हाल ही में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान (छत्तीसगढ़) और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य (छत्तीसगढ़) को संयुक्त रूप से भारत के 53वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित करने के लिए अनुमोदित किया गया था।

- **टाइगर रिजर्वों के प्रबंधन के लिए कोर बफर रणनीति अपनाना:** टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्रों में सभी मानवीय गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही, बफर क्षेत्रों और सीमांत क्षेत्रों में भू-परिदृश्य आधारित दृष्टिकोण के साथ **सह-अस्तित्व के दृष्टिकोण** को अपनाया जाता है।
  - **हाल ही में, NTCA ने टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्रों में नए निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया है।**
- **बाघों, सह-शिकारियों, शिकार और उनके पर्यावासों का नियमित आकलन:** NTCA **एम-स्ट्रिप** (मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव-प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस: M-STrIPES) एप्लिकेशन का उपयोग करके **5वें चक्र** की आकलन प्रक्रिया का संचालन कर रहा है। एम-स्ट्रिप जियोटैग आधारित फोटो साक्ष्य हेतु GPS का उपयोग करके प्राथमिक क्षेत्र के डेटा को डिजिटल रूप से रिकॉर्ड करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप **प्रबंधन प्रभाव मूल्यांकन (MEE) फ्रेमवर्क** विकसित करके **टाइगर रिजर्वों की स्वतंत्र निगरानी और मूल्यांकन किया जाता है।**
- **अवैध शिकार रोधी पहल:** कई टाइगर रिजर्वों में अवैध शिकार रोधी अभियानों के लिए विशेष बाघ संरक्षण बल (Special Tiger Protection Force: STPF) तैनात किए गए हैं।
- **स्थानीय जन समर्थन प्राप्त करने के लिए** प्रोजेक्ट टाइगर की ब्रांडिंग और मार्केटिंग करके **जागरूकता को बढ़ावा दिया जा रहा है।**
- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (पर्यटन गतिविधियों और प्रोजेक्ट टाइगर के लिए निर्देशात्मक मानक) दिशा-निर्देश[56] 2012 के माध्यम से **संधारणीय पर्यटन को बढ़ावा** दिया जा रहा है।
- ई-बर्ड परियोजना के तहत बाघों के संरक्षण हेतु उनकी रखवाली और निगरानी की जा रही है। इस कार्य के लिए **मानव रहित हवाई वाहनों (UAVs) जैसी उन्नत तकनीक का उपयोग किया जा रहा है।**
- **अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां:**
  - टाइगर रिजर्वों में तैनात अग्रिम पंक्ति के कर्मियों की क्षमता में वृद्धि करना।
  - वन्यजीव अपराधों की रोकथाम में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।
  - मानव-वन्यजीव संघर्षों का समाधान करना।
  - संधारणीय आजीविका विकल्पों के माध्यम से वन्य संसाधनों पर स्थानीय लोगों की निर्भरता के मुद्दे को हल करना।
  - पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करना।

भारत में बाघ संरक्षण से संबंधित उपलब्धियां

- **बाघों की आबादी वर्ष** 2006 में 1,411 **से बढ़कर 2018 में** 2,967 हो गई।
- **भारत ने 2018 में TX2 पहल के तहत निर्धारित लक्ष्यों को** 4 वर्ष पहले ही **हासिल कर लिया।**
  - **Tx2 वर्ष 2022 तक वन्य पर्यावास में बाघों की संख्या को दोगुना करने का वैश्विक लक्ष्य है।** इसे 2010 में बाघों के प्राकृतिक पर्यावास वाले 13 देशों द्वारा सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में अपनाया गया था।
- **भारत के 14 टाइगर रिजर्वों को अंतर्राष्ट्रीय कंजर्वेशन अस्योर्ड | टाइगर स्टैंडर्ड (CA|TS) से सम्मानित किया गया है।**
  - **CA|TS विश्व स्तर पर स्वीकृत संरक्षण संबंधी उपाय हैं। ये बाघों के प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम पद्धतियों और मानकों को निर्धारित करते हैं। साथ ही, ये निर्धारित मानदंडों से संबंधित** प्रगति के आकलन को भी प्रोत्साहित करते हैं।

संबंधित तथ्य: भारत की पहली अंतरराज्यीय बाघ स्थानांतरण परियोजना की विफलता

- वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश से सुंदरी नामक बाघिन को ओडिशा में स्थानांतरित किया गया था। इसे भारत की पहली अंतरराज्यीय स्थानांतरण परियोजना के हिस्से के रूप में स्थानांतरित किया गया था। हाल ही में इसे मध्य प्रदेश में वापस भेज दिया गया है।
- **बाघ स्थानांतरण परियोजना के बारे में:** इस परियोजना को 2018 में शुरू किया गया था। इसके तहत मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व के एक नर बाघ (महावीर) और बांधवगढ़ से एक मादा बाघिन (सुंदरी) को ओडिशा राज्य के सतकोसिया टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य ओडिशा में बाघों की आबादी को बढ़ाना था, किंतु यह परियोजना सफल नहीं हो सकी।
- **परियोजना की विफलता के कारण-**
  - **फील्ड स्टाफ (क्षेत्र कर्मी) और टाइगर रिजर्व प्रबंधन पर्याप्त रूप से तैयार नहीं थे।**
  - **बाघों की निगरानी और संरक्षण की ख़राब क्षमता** (महावीर नामक बाघ की मौत अवैध शिकार के कारण हुई)।
  - **स्थानीय समुदायों को विश्वास में नहीं लिया गया** और न ही परियोजना से होने वाले लाभों से उन्हें अवगत कराया गया। इसके कारण स्थानीय समुदायों द्वारा इस परियोजना का गंभीर विरोध किया गया।
  - कोर क्षेत्र में **पहले से मौजूदा बाघिन से प्रतिस्पर्धा।**

---

[56] National Tiger Conservation Authority (Normative Standards for Tourism Activities and Project Tiger) Guidelines

भारत में बाघ संरक्षण के प्रयासों के समक्ष क्या चुनौतियां हैं?

- **प्रोजेक्ट टाइगर के संरचनात्मक और कार्यान्वयन संबंधी मुद्दे:**
  - **वन विभाग और स्थानीय समुदायों के बीच आपसी विश्वास की कमी** के कारण संरक्षण संबंधी प्रयासों में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी का अभाव है।
  - बाघों की आबादी के प्रभावी निरीक्षण और निगरानी हेतु स्थानीय वन अधिकारियों में पर्याप्त क्षमता का अभाव है।
  - **बाह्य क्षेत्रों में पर्याप्त संरक्षण का अभाव:** अखिल भारतीय बाघ अनुमान, 2018 के नवीनतम आकलन के अनुसार भारत में लगभग 35% बाघ, टाइगर रिजर्वों के बाहर पाए जाते हैं।
  - **क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट से बाघों की आबादी को किसी अन्य स्थान में पुनर्वास और पुनर्स्थापन करने से संबंधित मुद्दे।**
  - कुछ टाइगर रिजर्वों में पर्यावासों की पुनर्बहाली जैसी गतिविधियों के लिए **वित्तीय समस्याएं भी सामने आई हैं।**
  - **मानव वन्यजीव संघर्ष और बदले के भावना से हत्याएं:** हाल के वर्षों में निम्नलिखित कारणों से इसमें वृद्धि हुई है:
    - पर्यावासों की **क्षति / विखंडन / निम्नीकरण के कारण**;
    - कुछ क्षेत्रों में वहन-क्षमता से अधिक बाघों की आबादी के कारण;
    - संरक्षित क्षेत्रों के आसपास मानव बस्तियों में और कृषि संबंधी गतिविधियों में वृद्धि आदि के कारण।
- उदाहरण के लिए, शायद **सुंदरबन में बाघों की सघनता इस क्षेत्र की वहन-क्षमता की सीमा** तक पहुंच गई हो। इसलिए बार-बार बाघों के अपने क्षेत्र से बाहर आने की घटनाएं और मानव-वन्यजीव संघर्ष में वृद्धि देखने को मिल रही है।
- **बाघों के पृथक एवं लघु आबादी वाले क्षेत्रों में** अंतः प्रजनन के कारण आनुवंशिक समस्याओं में वृद्धि हो रही है।
  - उदाहरण के लिए, **ओडिशा के सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व में** आनुवंशिक प्रभावों के कारण **स्यूडो-मेलानिस्टिक (pseudo-melanistic) या ब्लैक टाइगर** पाए जाते हैं।
- **अन्य प्रमुख खतरे:** अवैध शिकार और वन्यजीव व्यापार; बाघों के प्राकृतिक शिकार (आहार) की आबादी में व्यापक कमी होना, आदि।

आगे की राह

- वनों और उनकी पारितंत्र सेवाओं की पुनर्बहाली के माध्यम से बाघों के प्राकृतिक **पर्यावास का विस्तार और उनकी गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए। साथ ही, बाघों का प्राकृतिक आहार बनने वाले जीवों की भी पुनर्बहाली की जानी चाहिए।**
  - **हाल ही में, NTCA ने निर्णय लिया है** कि टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र केवल बाघों एवं अन्य वन्यजीवों के **विकास और प्रजनन के लिए होंगे।** इसके अतिरिक्त, टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्रों में कोई नया निर्माण कार्य भी नहीं किया जाएगा।
- **वन्यजीवों के साथ सह-अस्तित्व और बदले की भावना से की जाने वाली हत्याओं को रोकने हेतु मानव-बाघ संघर्ष का प्रबंधन और न्यूनीकरण करना:** ऐसा निम्नलिखित पद्धतियों के माध्यम से किया जा सकता है:
  - **व्यापक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों** को आयोजित करना। इसके माध्यम से समुदायों को संबंधित जोखिमों को बेहतर ढंग से समझने और बाघों का शिकार बनने से बचने के तरीकों को बताया जा सकता है।
  - **पर्याप्त आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करने की भी आवश्यकता है।** इसके तहत पशुधन या फसलों की हानि की पर्याप्त क्षतिपूर्ति करने वाली नीतियां बनाना चाहिए।
  - **मानव-बाघ संघर्ष रोकने के लिए एक राष्ट्रीय कार्रवाई प्रणाली की स्थापना करना।** इसके तहत हॉटस्पॉट क्षेत्रों में त्वरित कार्रवाई करने वाली टीमों का गठन किया जाना चाहिए।
- देशज लोगों, स्थानीय समुदायों तथा संरक्षण के लिए उत्तरदायी एजेंसियों के बीच औपचारिक वार्ताओं के लिए मंच बनाकर **बाघ संरक्षण के लिए स्थानीय समर्थन जुटाना चाहिए।**
- नए क्षेत्रों में बाघों के सुरक्षित आवागमन के लिए पुलों आदि जैसे संरचनात्मक उपायों के माध्यम से **पर्यावासों के बीच सुरक्षित कनेक्टिविटी प्रदान करनी चाहिए।**

भारतीय बाघ या रॉयल बंगाल टाइगर (पैंथेरा टाइग्रिस) के बारे में

- यह **भारत की देशज बाघ प्रजाति है।**
- **यह भारत की एक फ्लैगशिप प्रजाति है** और इसे **भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित** किया गया है।
  - निर्धारित पर्यावास, मुद्दे, अभियान या पर्यावरण संबंधी उद्देश्य के लिए एक एम्बेसडर, आइकन या प्रतीक के रूप में उपयोग करने हेतु चुनी जाने वाली प्रजाति को फ्लैगशिप प्रजाति कहा जाता है।
- **बाघ संरक्षण की स्थिति-**
  - इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्जरवेशन ऑफ नेचर (IUCN): **एंडेजर्ड श्रेणी में शामिल।**
  - वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: **अनुसूची 1 में शामिल।**

- वन्यजीवों तथा वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय (CITES)[57]: **परिशिष्ट 1 में शामिल।**

- **पर्यावास:** बाघों की सबसे बड़ी आबादी भारत में है। हालांकि, **बांग्लादेश, नेपाल और भूटान में** भी बाघों की कुछ आबादी मौजूद है। **चीन और बर्मा** (म्यांमार) के क्षेत्रों में भी इनकी उपस्थिति हो सकती है।
  - **बाघों की वैश्विक आबादी का 70% से अधिक भारत में मौजूद है।**
- **भारत में बाघों की आबादी का वितरण:**
  - भारत में बाघ ऊंचे पहाड़ों; मैंग्रोव के दलदली क्षेत्रों; ऊंचे घास के मैदानों से लेकर सूखे और नम पर्णपाती वनों तथा सदाबहार और शोला वनों आदि जैसे विभिन्न पर्यावासों में पाए जाते हैं।
  - मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सर्वाधिक है, उसके बाद कर्नाटक और उत्तराखंड का स्थान आता है।
- **बाघ संरक्षण का महत्व:** यह एक **अंब्रेला प्रजाति** (ऐसी प्रजाति जिसका संरक्षण वन्य जीवों की अन्य प्रजातियों और वनों के संरक्षण को सुनिश्चित करता है) और **कीस्टोन प्रजाति** (ऐसी प्रजाति जिसकी प्रचुरता का प्राकृतिक पर्यावरण पर अत्यधिक व्यापक प्रभाव होता है) दोनों है।
- **विशेषताएं:**
  - बाघ **एकांत और एक निश्चित क्षेत्रीय भूभाग में** रहना पसंद करते हैं। एक वयस्क नर बाघ के क्षेत्र में दो से सात मादा बाघिन के क्षेत्र शामिल हो सकते हैं।
  - **प्रत्येक बाघ के शरीर की धारियां** मानव फिंगरप्रिंट (उंगलियों के निशान) के समान ही **विशिष्ट होती हैं।**

क्या आप जानते हैं?

हालांकि, बाघ सामान्यतः एकांत में रहने वाले पशु हैं, लेकिन मोहेर बाघ लगभग 2 वर्ष तक अपने शावकों के साथ रहते हैं तथा उन्हें शिकार करना सिखाते हैं।

5.3. बच्चों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव (Impact of Climate Change on Children)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, **'जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित बच्चों के संरक्षण हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत'**[58] जारी किए गए हैं। इसे **संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF),** अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IOM)[59], जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इनके तहत जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित बच्चों के लिए **पहली बार एक वैश्विक नीतिगत फ्रेमवर्क की स्थापना** का प्रावधान किया गया है। यह फ्रेमवर्क इन बच्चों का संरक्षण करने, उन्हें मुख्यधारा में शामिल करने और सशक्त बनाने में मदद करेगा।
- इसमें **नौ (9) सिद्धांत** शामिल हैं। ये जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के परिणामस्वरूप बच्चों की विशिष्ट और बहुस्तरीय सुभेद्यताओं से निपटने में सहायता प्रदान करते हैं। इन दिशा-निर्देशों में **आंतरिक और सीमा-पार प्रवास, दोनों** को शामिल किया गया है।
- ये सिद्धांत **बाल अधिकारों पर हुए कन्वेंशन** से लिए गए हैं। इस प्रकार ये **नए अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दायित्वों का निर्माण नहीं करते हैं।**

अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IOM)

- यह **प्रवास के क्षेत्र में अग्रणी अंतर-सरकारी संगठन है।** यह सरकारी, अंतर-सरकारी और गैर-सरकारी भागीदारों के साथ मिलकर कार्य करता है।
- **उत्पत्ति:** इसे मूल रूप से प्रोविजनल इंटरगवर्नमेंटल कमिटी फॉर द मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम यूरोप (PICMME) के नाम से जाना जाता था। इसका **गठन वर्ष 1951** में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी यूरोप में पैदा हुई अराजकता और विस्थापन के परिणामस्वरूप किया गया था।
- **उद्देश्य:**
  - विश्व भर में प्रवासियों की सहायता करना,
  - प्रवास की परिवर्तनशील गतिशीलता के लिए प्रभावी कार्रवाई विकसित करना तथा
  - प्रवास संबंधी नीति और व्यवहार पर प्रमुख सलाहकार के रूप में कार्य करना।
- **मुख्यालय:** स्विट्जरलैंड के जिनेवा में।
- **सदस्य: भारत** सहित 174 सदस्य देश और 8 पर्यवेक्षक देश।
- **अन्य महत्वपूर्ण तथ्य:**
  - यह **संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का अंग** है।
  - यह प्रवास संबंधी प्रबंधन के चार निम्नलिखित व्यापक क्षेत्रों में कार्य करता है:
    - प्रवास और विकास के संबंध में;
    - प्रवास संबंधी सहयोग के संबंध में;
    - प्रवास को विनियमित करने के संबंध में और
    - जबरन प्रवास के संबंध में।

---

[57] Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

[58] Guiding Principles for Children on the Move in the Context of Climate Change

[59] International Organization for Migration

 ©Vision IAS

जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित बच्चों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत (Guiding Principles for Children on the Move)

अधिकार-आधारित दृष्टिकोण
बाल अधिकारों पर कन्वेंशन में निहित बच्चों के अधिकारों की गारंटी देना।

बच्चों के सर्वोत्तम हित
बच्चों को प्रभावित करने वाले सभी निर्णयों और कार्यों में बच्चों के सर्वोत्तम हितों को प्राथमिकता देना।

जवाबदेही
बच्चों की गतिशीलता में योगदान देने वाले निर्णयों / कार्रवाइयों के प्रति सरकारें और अन्य अभिकर्ता जवाबदेह हैं।

निर्णय लेने के प्रति जागरूकता और भागीदारी
बच्चों को **सूचना प्राप्त करने, परामर्श करने और निर्णय लेने में भाग लेने का अधिकार** है।

पारिवारिक एकता
बच्चों के पास अपने माता-पिता या **संरक्षकों द्वारा देख-भाल किए जाने** और उनसे अलग न होने का अधिकार है।

संरक्षण, सुरक्षा और रक्षा
बच्चों को उनकी यात्रा के दौरान नुकसान से बचाना।

शिक्षा, स्वास्थ्य देख-भाल और सामाजिक सेवाओं तक पहुंच
बच्चों को अपनी यात्रा के सभी चरणों में इन सेवाओं तक पहुंच का अधिकार है।

गैर-भेदभाव
यह बच्चों को उनके अधिकारों का प्रयोग करने में सक्षम बनाता है, **भले ही उनकी या उनके माता-पिता की प्रवासी स्थिति कुछ भी हो।**

राष्ट्रीयता
राष्ट्रों का यह दायित्व है कि वे यह सुनिश्चित करें कि **प्रवासी बच्चों को नागरिकता प्रदान की जाए।**

जलवायु परिवर्तन का बच्चों पर किस प्रकार प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है?

- **जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित बच्चों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं:**
    - दुर्व्यवहार, अवैध व्यापार, शोषण, भेदभाव आदि के रूप में **बच्चों के साथ अनैतिक व्यवहार का अधिक जोखिम** होता है।
    - **आवश्यक सेवाओं** जैसे कि- स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा आदि **तक पहुंच सहित** बाल श्रम, बाल विवाह आदि के संबंध में **सामाजिक सुरक्षा खोने की अधिक संभावना होती है।**

जलवायु परिवर्तन के प्रति बच्चों की उच्च सुभेद्यता

शारीरिक सुभेद्यता
- बाढ़ और लू जैसे गंभीर मौसमी प्रभावों से बच्चे शारीरिक रूप से अपनी रक्षा करने में कम सक्षम होते हैं।

मानसिक सुभेद्यता
- जलवायु परिवर्तन के कारण अधिक तेजी से फैलाने वाली बीमारियों, जैसे– मलेरिया और डेंगू के कारण वयस्कों की तुलना बच्चों में मृत्यु का जोखिम अधिक होता है।
- कम मात्रा में होने के बावजूद भी जहरीले पदार्थ, जैसे– सीसा (लेड), वयस्कों की तुलना में बच्चों को अधिक प्रभावित करते हैं

भावनात्मक सुभेद्यता
- चक्रवात और जंगल की आग जैसी चरम मौसमी घटनाओं के संपर्क में आने वाले बच्चों में PTSD, चिंता, डिप्रेशन आदि का खतरा बढ़ जाता है।

    - **अन्य मुद्दे-** देश विहीनता, परिवार से बिछड़ना, नजरबंदी, रहने की निम्नस्तरीय दशाएं, विदेशी लोगों से डर (Xenophobia) आदि।

- **अकुशल नीति: जलवायु संबंधी नीतियां प्रायः बच्चों द्वारा** जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों (जैसे- विस्थापन आदि) के कारण **सामना किए जाने वाले विशिष्ट जोखिमों** का समाधान नहीं करती हैं।
- **चरम मौसमी घटनाएं:** जलवायु परिवर्तन जनित चरम मौसमी घटनाओं से **आपात की स्थिति और मानवीय संकटों की संख्या में वृद्धि होगी। इसलिए बच्चों की वर्तमान और भावी पीढ़ियों को उनके पूरे जीवन काल में मानवीय संकटों का सामना करना पड़ेगा।**
- **कम आयु में किसी भी तरह के अभाव के परिणामस्वरूप जीवनभर के अवसरों से वंचित होना:** उदाहरण के लिए, जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रभावों के परिणामस्वरूप शिक्षा में व्यवधान बच्चों की सीखने की क्षमता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। अर्थात् यह उनके भविष्य के करियर और क्षमता को प्रभावित करेगा।
- **दुष्चक्र में फंसना:** प्रमुख आवश्यक सेवाओं की अनुपलब्धता की स्थिति में बच्चों की प्रतिरोधी और अनुकूलन क्षमता नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। इसके परिणामस्वरूप जलवायु और पर्यावरण संबंधी खतरों के प्रति उनकी सुभेद्यता में और अधिक वृद्धि होती है।

आगे की राह

- **नीतिगत समर्थन:** इन मार्गदर्शक सिद्धांतों का उपयोग स्थानीय एवं राष्ट्रीय सरकार और नागरिक समाज समूहों द्वारा बच्चों से संबंधित प्रवास-नीतियों के निर्माण एवं कार्यान्वयन में किया जा सकता है।
  - जमीनी स्तर पर किए गए आकलनों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रति **बच्चों के जोखिम और सुभेद्यता को भी समझना चाहिए।**
- **बच्चों को अपने अधिकारों का उपयोग करने में निम्नलिखित के माध्यम से उचित मार्गदर्शन प्रदान करना:**
  - जलवायु संबंधी शिक्षा और हरित कौशल विकसित करने के माध्यम से **जागरूकता प्रदान करके।**
  - राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निर्णय लेने में **उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करके।**
- **सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों की जलवायु संबंधी कार्रवाई करने की क्षमता में सुधार करना चाहिए।** इसके लिए आवश्यक सेवाओं जैसे कि- स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण आदि के अनुकूलन और प्रत्यास्थ क्षमता में पर्याप्त निवेश किया जाना चाहिए।
- **बच्चों के अनुकूल एक न्याय प्रणाली स्थापित** करनी चाहिए। इससे प्रवासी बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखने में मदद मिल सकेगी।
- जलवायु परिवर्तन के व्यापक प्रभावों को कम करने के लिए **उत्सर्जन में अधिक और त्वरित कमी की जानी** चाहिए।

प्रमुख आंकड़े

- मौसम संबंधी घटनाओं के कारण **वर्ष 2020 में, लगभग 10 मिलियन बच्चे विस्थापित हुए हैं।**
- **वैश्विक स्तर पर** जलवायु परिवर्तन से जुड़ी **बीमारियों के लगभग 90% मामले** पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के होते हैं।
- यूनिसेफ के 'चिल्ड्रेन्स क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स' (CCRI) के अनुसार, **भारत उन 4 दक्षिण एशियाई देशों में शामिल है जहां बच्चों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सर्वाधिक खतरा है।**

5.4. अपतटीय पवन ऊर्जा (Offshore Wind Energy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)[60] ने **अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए रणनीति पत्र[61] जारी किया है।**

अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए रणनीति पत्र के बारे में

- इसके तहत अपतटीय पवन ऊर्जा के दोहन के लिए **गुजरात और तमिलनाडु में कुल 16 अपतटीय क्षेत्रों की पहचान की गई है।**
- इसके तहत **अपतटीय पवन ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों को प्रोत्साहन देने का सुझाव दिया गया है। इन प्रोत्साहनों में ट्रांसमिशन शुल्क संबंधी छूट, अक्षय ऊर्जा क्रेडिट एवं कार्बन क्रेडिट लाभ और व्यवहार्यता-अंतर वित्तपोषण शामिल हैं।**
- साथ ही, यह देश में अपतटीय विंड फार्म्स के समग्र विकास हेतु **तीन मॉडलों को प्रस्तावित करता है।**

---

[60] Ministry of New & Renewable Energy

[61] Strategy Paper for Establishment of Offshore Wind Energy Projects

पवन ऊर्जा

- पवन ऊर्जा **सबसे तेजी से बढ़ती अक्षय या नवीकरणीय ऊर्जा** में से एक है।
- **मार्च 2019 तक** नवीकरणीय ऊर्जा की कुल 78 गीगावाट स्थापित क्षमता में **पवन ऊर्जा का योगदान 35 गीगावाट से अधिक है। साथ ही, वर्ष 2022 तक 60 गीगावाट की स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता को हासिल करने का राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया गया है।**
- **पवन ऊर्जा का दोहन** निम्नलिखित **दो तरीकों से किया जा सकता है:**
    - **तटवर्ती (Onshore) पवन ऊर्जा:** इसके तहत स्थलीय भू-भाग पर विंड एनर्जी फार्म्स स्थापित कर वायु के प्राकृतिक वेग के माध्यम से पवन टरबाइनों द्वारा विद्युत पैदा की जाती है।
    - **अपतटीय (Offshore) पवन ऊर्जा:** इसके तहत उथले खुले समुद्र में विंड एनर्जी फार्म्स स्थापित किए जाते हैं, जहां वायु की गति अधिक होती है।

अपतटीय पवन ऊर्जा के बारे में

- MNRE के अनुसार, **भारत की 7,600 कि.मी. लंबी समुद्री तट रेखा में 127 गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा पैदा करने की क्षमता है।**
- **पवन ऊर्जा** की कुल अनुमानित क्षमता में से, 95% से अधिक व्यावसायिक रूप से दोहन योग्य संसाधन सात राज्यों **(आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु)** में है।
- इसके अलावा, **राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान का अनुमान है कि गुजरात के तट पर 36 गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता और तमिलनाडु के तट पर 35 गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता मौजूद है।**

अपतटीय पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **"राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति- 2015":** यह नीति तटीय आधार रेखा (बेसलाइन) से समुद्र की ओर 200 समुद्री मील की दूरी तक (अर्थात् देश के EEZ तक) अपतटीय पवन ऊर्जा के विकास का प्रावधान करती है।
    - भारत में अपतटीय पवन ऊर्जा के विकास हेतु **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)** नोडल मंत्रालय और **राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान** (NIWE)[62] नोडल एजेंसी है।
- सरकार ने **वर्ष 2022 तक 5 गीगावाट और वर्ष 2030 तक 30 गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की भी घोषणा की है।**

अपतटीय पवन ऊर्जा के लाभ और चुनौतियां

	लाभ	चुनौतियां
अपतटीय (Offshore)	• **अधिक ऊर्जा उत्पादन:** अपतटीय पवनों की गति आम तौर पर मुख्य भूमि (स्थलीय भाग) की तुलना में तेज होती है। साथ ही, पवनों की गति में थोड़ी-सी वृद्धि भी ऊर्जा उत्पादन में काफी वृद्धि कर सकती है। • **पवनों की गति में अधिक स्थिरता:** अपतटीय पवनों की गति में अधिक परिवर्तन नहीं होता है और वायु की दिशा प्रायः समान रहती है। इसलिए अपतटीय टरबाइन विद्युत उत्पादन में अधिक दक्ष होते हैं। • **भूमि अधिग्रहण संबंधी मुद्दों का अभाव:** अपतटीय विंड फर्म्स स्थापित करने हेतु **भूमि अधिग्रहण संबंधी मुद्दों का सामना नहीं करना पड़ता है।** साथ ही, यहां ऐसी कोई भौतिक बाधा नहीं होती जो वायु के वेग को बाधित करे। • **अधिक ऊर्जा:** यहां अधिक ऊंचाई वाले अपतटीय विंड टरबाइनों को स्थापित किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि वे अधिक विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं।	• **उच्च लागत:** अपतटीय विंड फार्म्स के लिए अवसंरचना का निर्माण महंगा और कठिन होता है, मुख्य रूप से गहरे जल में। • **रखरखाव और मरम्मत:** समुद्री लहरें और अत्यधिक तेज पवनें टरबाइनों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए उन्हें अधिक रखरखाव की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, अपतटीय पवन फार्म्स तक पहुंचना कठिन होता है, जिसका अर्थ है कि इसकी मरम्मत के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। • **समुद्री जीवन पर प्रभाव:** टरबाइनों से पैदा होने वाले शोर से जलीय जीव और अन्य समुद्री जीवन प्रभावित हो सकता है।
तटवर्ती (Onshore)	• **कम खर्चीला:** तटवर्ती पवन ऊर्जा के लिए आवश्यक अवसंरचना की लागत अपतटीय पवन ऊर्जा की लागत की आधी होती है। साथ ही, इसमें किया गया निवेश दो वर्षों में ही लाभ भी प्रदान कर सकता है। • **ट्रांसमिशन के दौरान कम क्षति:** विंड फार्म्स और उपभोक्ता के बीच कम दूरी होने के कारण ट्रांसमिशन के दौरान विद्युत की कम क्षति होती है।	• **पवनों की गति में अंतर:** स्थलीय भू-भाग पर पवनों की गति और दिशा में अंतर होता है। इसलिए लगातार विद्युत उत्पादन सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। • **पवनों के लिए संभावित बाधाएं:** इमारतों और आसपास के भू-परिदृश्य जैसे पहाड़ियों या पर्वतों संबंधी भौतिक

[62] National Institute of Wind Energy

	• **आस-पास के परिवेश पर कम प्रभाव:** इससे विषाक्त पदार्थ उत्पन्न नहीं होते हैं, इसलिए इसके आसपास खेती की जा सकती है और वन्यजीवों पर इसका बहुत कम प्रभाव पड़ता है। • **शीघ्रता से स्थापित:** तटवर्ती विंड टरबाइन शीघ्रता से स्थापित किए जा सकते हैं। इनका निर्माण कुछ ही महीनों में किया जा सकता है।	बाधाएं भी उत्पादन को बाधित कर सकती हैं। • **अनियमित ऊर्जा:** चूंकि तटवर्ती टरबाइन से पूरे वर्ष विद्युत उत्पन्न नहीं हो पाता है, इसलिए पवनों की गति धीमी होने पर जीवाश्म-ईंधन का उपयोग करना पड़ता है।

आगे की राह

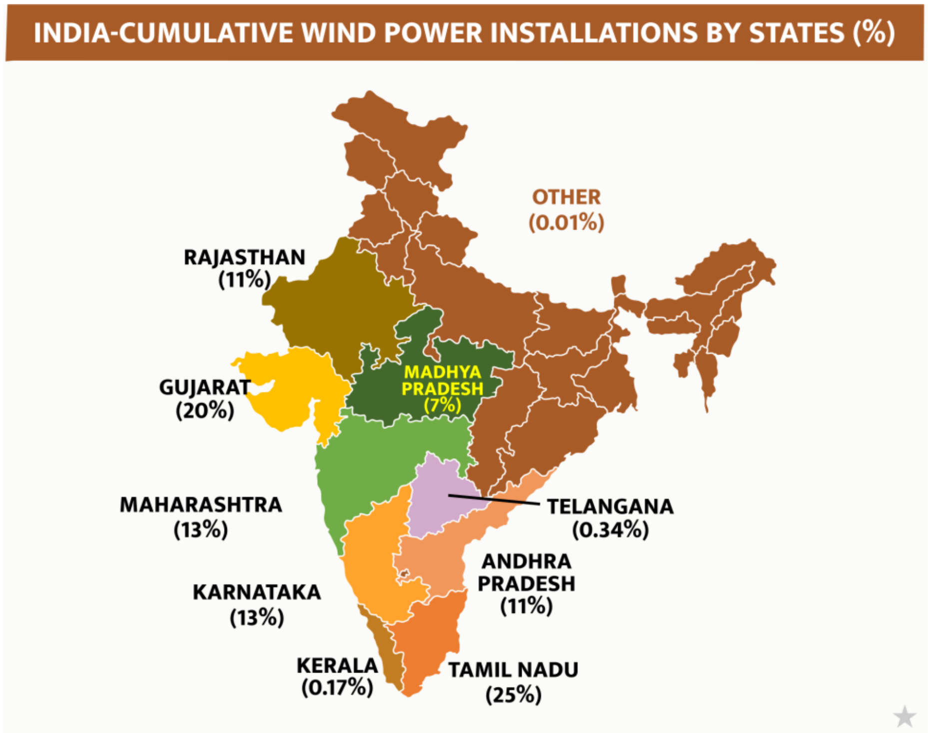

- **अक्षय ऊर्जा खरीद दायित्व** (RPOs)[63] **पर विचार करना:** वर्तमान में, केवल सोलर और नॉन-सोलर दो प्रकार के RPOs हैं।
  - MNRE द्वारा सोलर ऊर्जा के समान ही प्रत्येक राज्य के लिए पवन ऊर्जा संबंधी RPOs लक्ष्य निर्धारित किया जा सकता है।
- **कर संबंधी रियायत:** पवन ऊर्जा उत्पादक कंपनियां पवन ऊर्जा परियोजना की स्थापना के दौरान वस्तुओं या सेवाओं की खरीद के लिए GST के भुगतान में इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कर सकती हैं।
  - विंड फार्म के **अधिकांश घटकों को आयात** करना पड़ता है।
  - यदि उत्पाद शुल्क और GST संबंधी छूट दी जाए तो **प्रारंभिक स्तर पर परियोजना का विकास अधिक किफायती होगा।**
- **फीड-इन टैरिफ (FiT):** अक्षय ऊर्जा के विस्तार को बढ़ावा देने के लिए FiT एक मूल्य-संचालित नीति है। इसमें सरकार निश्चित अवधि के लिए अक्षय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित विद्युत हेतु गारंटीकृत खरीद मूल्य प्रदान करती है।
  - डिस्कॉम FiT विनियमों को अपना सकते हैं और **अपतटीय पवन ऊर्जा खरीद को अनिवार्य बना सकते हैं।**
  - पवन ऊर्जा परियोजना के **विकास के प्रारंभिक चरणों में अपतटीय पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए** FiT का उपयोग **तब तक किया जा सकता है, जब तक कि यह आर्थिक रूप से लाभप्रद न हो जाए।**

5.5. भूजल संदूषण (Groundwater Contamination)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **विश्व बैंक** ने **'सीइंग द इनविजिबल: ए स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट ऑन ग्राउंडवाटर क्वालिटी'** शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

- 1970 के दशक के बाद से वैश्विक स्तर पर लगभग 150 मिलियन लोग पेयजल के माध्यम से आर्सेनिक के खतरनाक स्तर के संपर्क में आ चुके हैं।
- लंबे समय तक फ्लोराइड युक्त जल के पीने से विश्व भर में अनुमानित 200 मिलियन लोगों में क्रिप्पलिंग स्केलेटल फ्लोरोसिस रोग होने का खतरा है।

भूजल संदूषण के स्रोत

- **भूगर्भीय (प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले) संदूषक:** इनमें आर्सेनिक, फ्लोराइड, यूरेनियम, सेलेनियम, मैंगनीज आदि शामिल हैं।

[63] Consider for Renewable purchase obligation

- **मानव जनित संदूषक:**
  - स्वच्छता की अनुचित पद्धतियों से पैदा होने वाले **मल-जल संबंधी रोगजनक।**
  - **कृषि संबंधी प्रदूषक** जैसे- नाइट्रेट उर्वरक और कीटनाशक।
  - **औद्योगिक रसायन** जैसे- पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन, क्लोरीनयुक्त सॉल्वैंट्स, हेक्सावलेंट क्रोमियम, पर एंड पॉली-फ्लोरोकाइल सब्सटेंस (PFAS)[64]।
- भूजल के अत्यधिक दोहन और भूजल में समुद्री जल के प्रवेश आदि के कारण **लवणता।**

भारत में भूजल प्रदूषण का विस्तार

- भारत में **आर्सेनिक संदूषण युक्त** भूजल **से सर्वाधिक प्रभावित राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर और छत्तीसगढ़** हैं।
- **भारत के विभिन्न भागों में फ्लोराइड संदूषण व्यापक रूप से फैला हुआ है। यह विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में फैला हुआ है।** इन राज्यों के आधे से अधिक या सभी जिलों के पेयजल स्रोतों में निश्चित सीमा से अधिक फ्लोराइड की मात्रा पाई गई है।
- पूरे **भारत में 16 राज्यों के जलभृतों के जल में यूरेनियम संदूषण पाया गया** है।
- **भारत में भूजल में नाइट्रेट का उच्च स्तर** लगभग सभी हाइड्रोजियोलॉजिकल संरचनाओं में पाया गया है।

भूजल संदूषण को रोकने का महत्व

- **मानव की ताजे जल संबंधी जरूरतों हेतु भूजल पर अत्यधिक निर्भरता:** यह दुनिया की एक-तिहाई से अधिक आबादी के लिए पेयजल की आपूर्ति करता है। साथ ही, यह लगभग 40 प्रतिशत सिंचाई के जल और 25 प्रतिशत औद्योगिक जल की भी आपूर्ति करता है।
- **जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रत्यास्थता विकसित करने हेतु महत्वपूर्ण:** जलवायु परिवर्तन के साथ जल की उपलब्धता अधिक अनिश्चित हो जाती है। इस प्रकार जलाभाव की स्थिति में भूजल एक महत्वपूर्ण बफर प्रदान कर सकता है।
- **उच्च रखरखाव: प्रदूषित भूजल को साफ करने में उच्च लागत और अत्यधिक समय लगता है,** जो कि भूजल को संरक्षित रखने की लागत से काफी अधिक है।
- **स्वास्थ्य पर प्रभाव:** पेयजल हेतु संदूषित भूजल पर निर्भर **लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव** पड़ता है। अतः, भूजल संदूषण को रोकने से ऐसे लोगों का बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित होगा।
- **कृषि की उत्पादकता और संधारणीयता के लिए खतरा:** लवणता, सेलेनियम और कैडमियम जैसे संदूषक फाइटोटॉक्सिक (पादप के लिए विषैले) होते हैं। अर्थात् इससे पादपों की वृद्धि, फिजियोलॉजी या चयापचय (मेटाबॉलिज्म) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- **खाद्य श्रृंखला में संचयन:** उदाहरण के लिए, आर्सेनिक से संदूषित भूजल द्वारा सिंचाई करने से चावल जैसी फसलों में आर्सेनिक का संचयन हो सकता है।

सामान्य भूजल संदूषक और मानव स्वास्थ्य पर उनका प्रभाव

संदूषक	मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव
आर्सेनिक	**ब्लैक–फुट रोग;** मेलानोसिस, केराटोसिस और हाइपरकेराटोसिस जैसे दर्दनाक एवं विकृत त्वचा संबंधी विकार; लीवर और किडनी की बीमारी; हृदय और फेफड़ों की बीमारी एवं कई प्रकार के कैंसर से होने वाली मौतें।
फ्लोराइड	**स्केलेटल फ्लोरोसिस,** डेंटल फ्लोरोसिस आदि।
मैंगनीज	**बौद्धिक विकास का बाधित होना,** आदि।
यूरेनियम	**किडनी ख़राब होना,** कैंसर के खतरे में वृद्धि आदि।
नाइट्रेट	**ब्लू बेबी सिंड्रोम** (मेटेमोग्लोबिनेमिया); कोलोरेक्टल कैंसर; थायराइड रोग और न्यूरल ट्यूब विकार आदि का खतरा बढ़ जाता है।
PFAS	**भ्रूण और स्तनपान करने वाले शिशुओं के विकास पर नकारात्मक प्रभाव; वृषण और किडनी का कैंसर;** लीवर की क्षति; प्रतिरक्षा प्रणाली और थायरॉयड संबंधी प्रभाव; कोलेस्ट्रॉल संबंधी अन्य परिवर्तन।

[64] per- and poly- fluoroalkyl substances

- **प्रदूषण की घटना के प्रारंभिक चरणों के दौरान** संदूषक कम पारगम्य परतों में पहुंचकर स्थिर बने रह सकते हैं। बाद में, वह धीरे-धीरे पानी में मिलकर बाहर निकलते रहते हैं और स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं।

भारत में भूजल संदूषण की रोकथाम के समक्ष बाधाएं

- **सुरक्षित और स्वच्छ जल की उपलब्धता का अभाव:** भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग भूजल पर निर्भर है। यह उन्हें भूगर्भीय संदूषकों के प्रति अधिक सुभेद्य बनाता है।
- **प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों का अकुशल प्रवर्तन:** औद्योगिक स्तर पर रसायनों का अकुशल प्रबंधन किया जाता है और ऐसे रासायनिक अपशिष्ट को भूजल एवं जलभृतों में पर्याप्त रूप से उपचार किए बिना ही छोड़ दिया जाता है।
- भूजल गुणवत्ता निगरानी से संबंधित डेटा को एकत्र करने, विश्लेषण करने और प्रबंधित करने में आने वाली **तकनीकी और वित्तीय चुनौतियां।**
- **प्रदूषण के "नॉन-पॉइंट" स्रोतों जैसे कृषि क्षेत्रक से होने वाले नाइट्रेट प्रदूषण की खराब निगरानी एक अन्य प्रमुख बाधा है।**

भूजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भारत में उठाए गए कदम

- **केंद्रीय भूजल बोर्ड** (CGWB)[65]**:** यह क्षेत्रीय स्तर पर उथले जलभृतों की भूजल गुणवत्ता की नियमित रूप से निगरानी करता है। यह निगरानी लगभग 15000 अवलोकन कुओं के नेटवर्क के माध्यम से प्रत्येक वर्ष में एक बार की जाती है।
- **अटल भूजल योजना:** यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसमें सामुदायिक भागीदारी, मांग पक्ष के हस्तक्षेप और संधारणीय भूजल प्रबंधन के लिए जारी योजनाओं के साथ समन्वय पर बल दिया गया है।
- **भारतीय मानक ब्यूरो:** इसके द्वारा पेयजल में संदूषकों की सीमा को निर्धारित किया गया है।
- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत **औद्योगिक प्रदूषण के नियंत्रण हेतु प्रावधान किए गए हैं।**
- लघु उद्योग इकाइयों के समूह हेतु **साझा बहि:स्राव उपचार संयंत्र (CETPs)[66] की स्थापना की गई है।**

आगे की राह

- **इसके संबंध में संस्थागत सुदृढ़ीकरण के उपाय** किए जाने चाहिए। इसके तहत एक सुव्यवस्थित विधायी ढांचा, पर्याप्त बजट की व्यवस्था, प्रासंगिक विशेषज्ञों की भर्ती तथा सार्वजनिक रिपोर्टिंग एवं सूचना साझाकरण आदि के साथ एक जवाबदेह फ्रेमवर्क की स्थापना जैसे उपाय किए जा सकते हैं।
- जलभृत के माध्यम से प्रदूषकों के संचरण को नियंत्रित करने वाली प्रक्रियाओं को समझने हेतु **कॉन्सेप्चुअल हाइड्रो जियोलॉजिकल मॉडल का उपयोग करना चाहिए।**
- जल के नमूनों, प्रयोगशाला विश्लेषण और डेटा प्रोसेसिंग के माध्यम से **भूजल गुणवत्ता की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए।** इससे पेयजल हेतु उपयुक्त स्रोतों की पहचान करने में सहायता मिलेगी।
- त्वरित सर्वेक्षणों और आपातकालीन जल आपूर्ति संबंधी हस्तक्षेपों के माध्यम से **प्राकृतिक संदूषण के प्रभावों को कम करने का प्रयास करना चाहिए।**
- **तकनीकी हस्तक्षेप** जैसे- फिल्ट्रेशन सिस्टम और जैवोपचारण आदि को अपनाया जाना चाहिए।
- **स्वस्थाने उपचार, परमेबल रिएक्टिव बैरियर्स आदि** जैसी तकनीकों के माध्यम से **मानव जनित प्रदूषण का उपचार किया जा सकता है।**
- **भूजल प्रबंधन की सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाना, जैसे-**
  - अनिवार्य भूजल निगरानी (इससे संदूषण का शीघ्र पता लगाना संभव हो पाता है);
  - भूजल का सहभागिता आधारित प्रबंधन;
  - नए रसायनों से संबंधित सूची को सक्रिय रूप से तैयार करना (अनुकूलन प्रतिक्रिया को साकार बनाने हेतु),
  - स्वैच्छिक उपचार आदि को प्रोत्साहित करने वाली विनियामक व्यवस्था को अपनाना।

5.6. शुष्कता विसंगति आउटलुक सूचकांक (Aridity Anomaly Outlook Index)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा जुलाई माह के लिए शुष्कता विसंगति आउटलुक सूचकांक जारी किया गया। इसके अनुसार, पूरे भारत में कम से कम 85% जिले शुष्कता की स्थिति का सामना कर रहे हैं।

शुष्कता सूचकांक में विसंगति	कृषिगत सूखे की गहनता
1 – 25	हल्का
26 – 50	मध्यम
> 50	गंभीर

[65] Central Ground Water Board

[66] Common Effluent Treatment Plants

शुष्कता विसंगति आउटलुक सूचकांक के बारे में

- **शुष्कता विसंगति सूचकांक: यह सामान्य मान** की तुलना में **शुष्कता सूचकांक के मान में हुए परिवर्तन को दर्शाता है।** इसको प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है।
    - **शुष्कता सूचकांक:** यह **उपलब्ध नमी** (वर्षा और मृदा की नमी में) **की कमी** के कारण **बढ़ते पादपों द्वारा सामना किए गए जल अभाव** को दर्शाता है। इसकी गणना वार्षिक स्तर पर जल की आवश्यकता से वार्षिक स्तर पर जल की कमी या वार्षिक संभावित वाष्पन-वाष्पोत्सर्जन के प्रतिशत के रूप में की जाती है।
- इस सूचकांक के आधार पर IMD **साप्ताहिक शुष्कता विसंगति मानचित्र/रिपोर्ट तैयार करता है।** यह रिपोर्ट बढ़ते पादपों द्वारा सामना की गई नमी की कमी का आकलन करने और देश में **कृषि संबंधी सूखे की स्थिति की निगरानी करने में मदद करती है।**

सूखे की निगरानी के लिए IMD द्वारा उपयोग किया जाने वाला अन्य सूचकांक

- **मानकीकृत वर्षण सूचकांक (SPI)**[67]**:** यह सूखे को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सूचकांक है और यह केवल वर्षण पर आधारित है। यह सूचकांक ऋणात्मक मान सूखे की स्थिति और धनात्मक मान आर्द्र स्थिति को दर्शाता है।

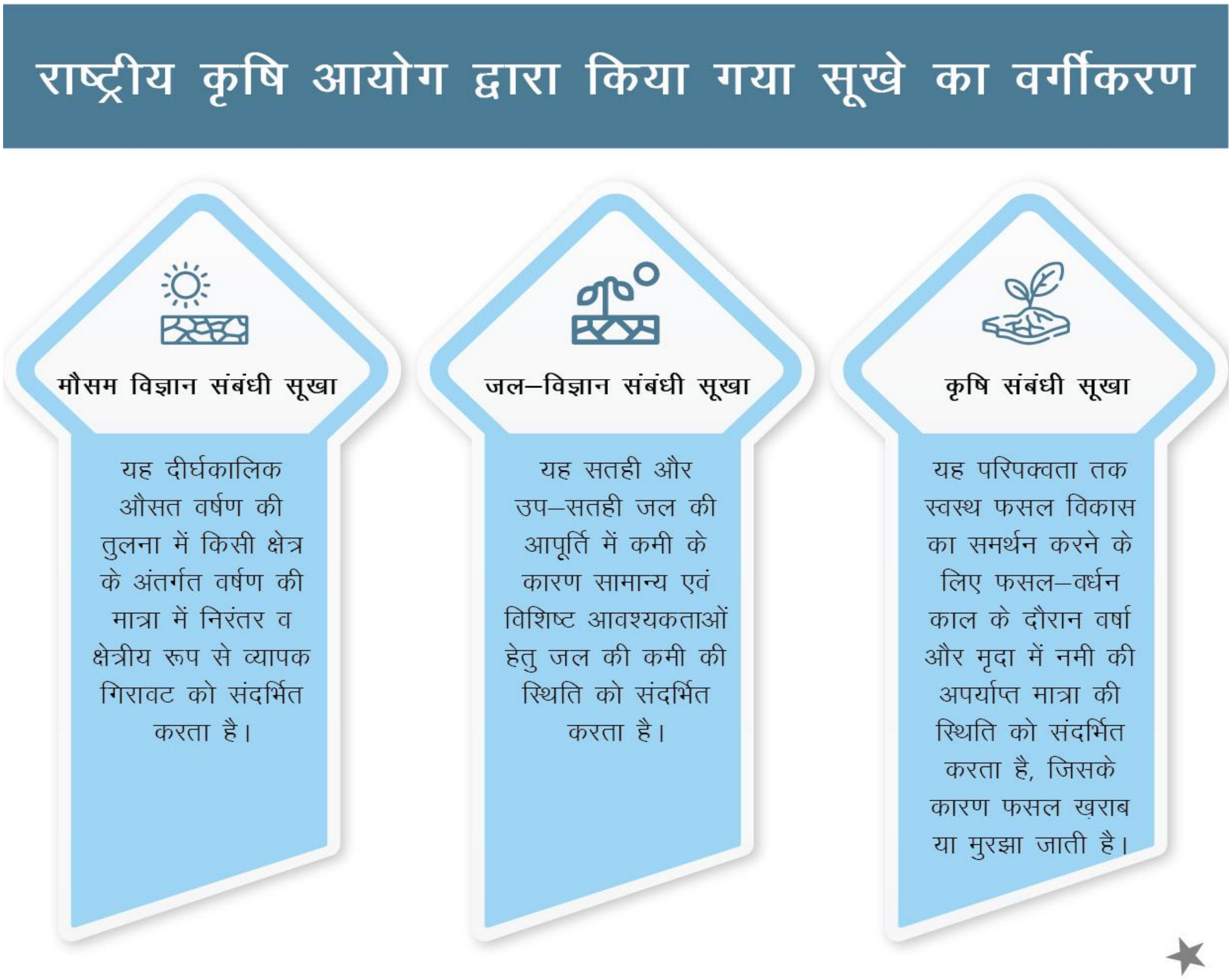

- इस सूचकांक के आधार पर एक **साप्ताहिक सूखा आउटलुक** भी जारी किया जाता है। यह आने वाले सप्ताह के दौरान देश में **संभावित सूखे की स्थिति के बारे में संकेत देता है।**

[67] Standardized Precipitation Index

- **सूचकांक के प्रमुख निष्कर्ष:**
    - **756 में से केवल 63 जिले शुष्क नहीं थे, जबकि 660 जिले अलग-अलग पैमाने** (जैसे- अल्प, मध्यम और गंभीर) **पर शुष्कता का सामना कर रहे थे।**
    - **लगभग 196 जिले सूखे की 'गंभीर' स्थिति का सामना कर रहे हैं और इनमें से 65 जिले उत्तर प्रदेश में स्थित हैं।**
    - **बिहार शुष्क परिस्थितियों का सामना करने वाले जिलों की संख्या (33) के मामले में दूसरे स्थान पर था।**

सूखे के बारे में

- सामान्य शब्दों में, **लंबे समय तक जल की उपलब्धता में कमी को सूखे की स्थिति कहते हैं। इस स्थिति के लिए मुख्य रूप से अपर्याप्त वर्षा** और वर्षण या असाधारण रूप से उच्च तापमान तथा **कम आर्द्रता उत्तरदायी है। इसके परिणामस्वरूप** फसलें सूख जाती हैं और संग्रहीत जल संसाधनों की हानि होती है।
- **सूखे और शुष्कता के बीच अंतर:**
    - शुष्कता वस्तुतः **जलवायु का एक स्थायी अभिलक्षण** है, जबकि सूखा **बार-बार घटित होने वाला और सामान्य स्थिति की तुलना में एक अस्थायी परिवर्तन है।**
    - शुष्कता मुख्यतः कम वर्षा वाले क्षेत्रों तक ही सीमित होती है। हालांकि, **सूखा सभी जलवायु प्रकारों के अंतर्गत पड़ सकता है।** सूखे का प्रसार और गंभीरता कई कारकों पर निर्भर करते हैं। इसमें सतही और भूजल संसाधनों की स्थिति; कृषि-जलवायु विशेषताएं; स्थानीय आबादी की सामाजिक-आर्थिक सुभेद्यताओं की स्थिति आदि शामिल हैं।
- भारत के लगभग 68% भाग पर अलग-अलग पैमाने के सूखे का खतरा रहता है।
- **सूखे के प्रभाव:**
    - **आर्थिक प्रभाव:** इसमें कृषि और संबंधित क्षेत्रकों में उत्पादन की हानि, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, आयात पर निर्भरता में वृद्धि आदि शामिल है।
    - **पर्यावरणीय प्रभाव:** इसमें भूजल और सतही जल की मात्रा में गिरावट, मृदा की लवणता, वन्यजीवों का प्रवास, मानव-पशु संघर्षों में वृद्धि और जैव विविधता की हानि आदि शामिल है।
    - **सामाजिक प्रभाव:** इसमें सूखा प्रभावित क्षेत्रों से आबादी का पलायन, स्कूल छोड़ने की दर में वृद्धि, अधिक ऋणग्रस्तता, भूमि और पशुधन को छोड़ना, कुपोषण एवं भुखमरी आदि शामिल है।

भारत में सूखा प्रबंधन के लिए की गईं पहल

- **राष्ट्रीय कृषि संबंधी सूखा आकलन और निगरानी प्रणाली (NADAMS)[68]:** यह राज्य/जिला/उप-जिला स्तर पर कृषि संबंधी सूखे की व्यापकता, गंभीरता के स्तर और निरंतरता पर वास्तविक समय के आधार पर जानकारी प्रदान करती है।
- **सूखे की अग्रिम चेतावनी प्रणाली** (DEWS)[69]: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर द्वारा प्रबंधित एक वास्तविक समय आधारित सूखा निगरानी प्लेटफार्म है।
- **आत्मनिर्भर कृषि ऐप:** यह ऐप किसानों को कार्रवाई करने योग्य कृषि संबंधी जानकारी देने और अग्रिम मौसम चेतावनी से लैस है।
- **राष्ट्रीय जल नीति 2012:** यह बाढ़/सूखे की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों पर बल देती है।
- **राहत संबंधी उपाय:** राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के माध्यम से मुआवजा तथा प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत फसलों का बीमा आदि।
- **सूखा का शमन करने संबंधी कार्यक्रम (Drought Mitigation Programmes):**
    - भूजल संरक्षण के लिए **अटल भूजल योजना**;
    - जल शक्ति अभियान: वर्षा जल संचयन के लिए **कैच द रेन अभियान**;
    - सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए **प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY);**
    - वर्षा सिंचित/निम्नीकृत भू-क्षेत्रों और बंजर भूमि का पुनरुद्धार करने के लिए **एकीकृत जलग्रहण विकास कार्यक्रम** (IWMP)[70]; आदि।

भारत में सूखा प्रबंधन से संबंधित मुद्दे

- **इसके तहत सूखे के बाद की कार्रवाई एवं राहत केंद्रित दृष्टिकोण को महत्व दिया जाता है। दूसरी ओर शमन, अनुकूलन तथा तैयारी करने संबंधी पहलुओं पर सीमित ध्यान दिया जाता है।**
- **जलवायु की स्थिति से संबंधित जानकारी का सीमित उपयोग ही हो पाता है।** इसके लिए अकुशल परस्पर संचार, भाषा संबंधी बाधा, जटिल प्रारूपों, पूर्वानुमान संबंधी विलंब और अंतिम उपयोगकर्ताओं (सरकारी एजेंसियों और समुदाय दोनों) की कम क्षमता जैसे मुद्दे उत्तरदायी हैं।

---

[68] National Agricultural Drought Assessment and Monitoring System

[69] Drought Early Warning System

[70] Integrated Watershed Management Programme

- **जलवायु का पूर्वानुमान लगाने वाले कंप्यूटर आधारित मॉडल से संबंधित अनिश्चितता और जटिलता** के कारण जल, जलवायु मापदंडों आदि पर सटीक और विश्वसनीय डेटा का अभाव है।
- कुशल योजना, अलग-अलग संबंधित इकाइयों के बीच समन्वय और जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन **का अभाव है।**
- पारंपरिक जल संचयन संरचनाओं की कमी, शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में भी जल गहन फसलों की खेती आदि के कारण भारत में **जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन नहीं हो पाता है।**

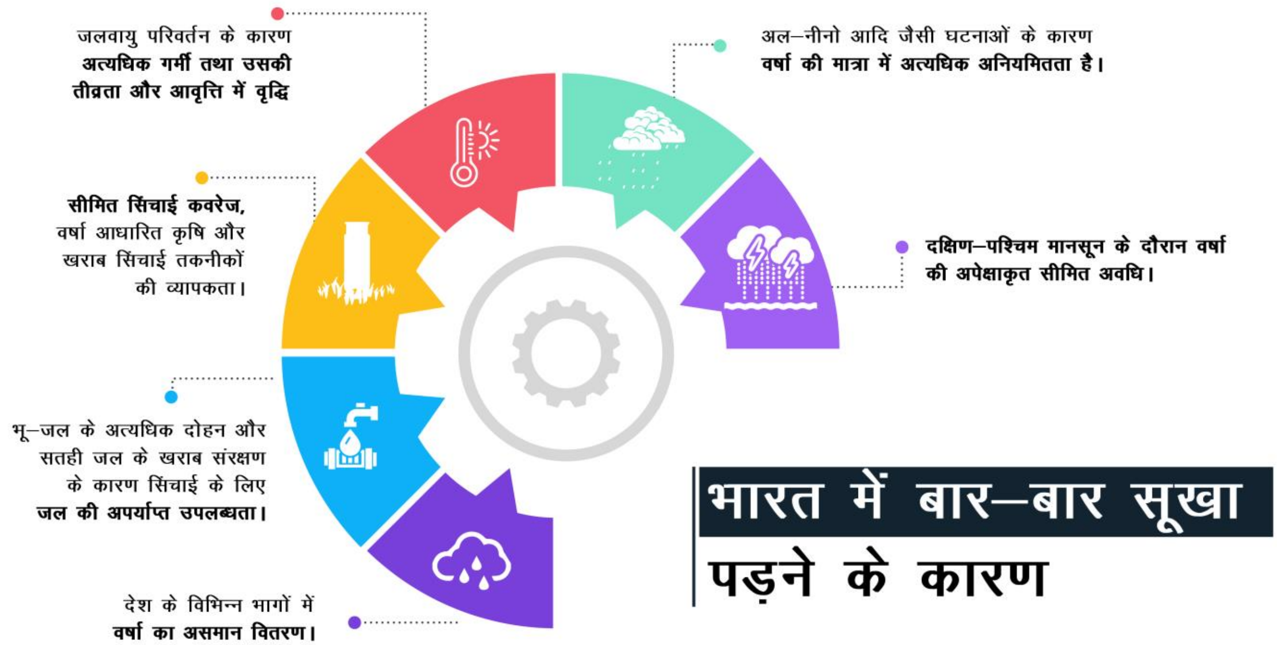

आगे की राह

- सूखे का निवारण, शमन एवं तैयारी और अनुकूलन संबंधी रणनीतियों पर आधारित **एकीकृत प्रबंधन को अपनाना चाहिए।**
- बेहतर समझ के लिए स्थानीय भाषा सहित **संदर्भ विशिष्ट और आवश्यकता आधारित सूखा पूर्वानुमान के लिए तंत्र विकसित करना चाहिए।**
- **शमन नीतियों और उपायों** जैसे- फसल विविधीकरण, सूक्ष्म सिंचाई और जल संचयन आदि से संबंधित **शिक्षा एवं जागरूकता को बढ़ावा देना चाहिए।**
- सूखे के प्रति बेहतर प्रत्यास्थता के लिए सभी स्तरों पर **मानव क्षमता निर्माण हेतु संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए।**
- सूखा-रोधी क्षमता को बढ़ाने के लिए **पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय पद्धतियों** का पता लगाना और उन्हें लागू करना चाहिए।
- **सटीक पूर्वानुमान लगाने के लिए तकनीकी क्षमताओं को बेहतर करने के संबंध में पर्याप्त निवेश करना चाहिए।**

सूखा प्रबंधन पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के दिशा-निर्देश

आकलन और अग्रिम चेतावनी (Assessment and Early Warning)	• व्यापक रिपोर्टिंग के लिए **भूमि-आधारित और अंतरिक्ष-आधारित जानकारी को एकीकृत करना।** • मृदा में नमी के स्तर की निगरानी करना। • फसल की पैदावार के **त्वरित आकलन के वैकल्पिक तरीकों** का विकास करना।
रोकथाम, तैयारी और शमन (Prevention, Preparedness and Mitigation)	• **स्वचालित मौसम स्टेशन और वर्षामापी (रेन-गेज)** का उपयोग करके सूक्ष्म स्तर पर विश्लेषण और पूर्वानुमान करना। • **सूखे को सहन करने में सक्षम फसल किस्मों का विकास करना।** • फसल विविधीकरण, स्प्रिंकलर/ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग, बायो-डीजल प्रजातियों को शामिल करते हुए वनीकरण करना आदि जैसी **पद्धतियों को बढ़ावा देना।** • शमन के संभावित उपाय के रूप में **क्लाउड-सीडिंग का प्रयोग करने पर विचार करना।**

क्षमता का विकास (Capacity Development)	• **सूखा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण** और क्षमता निर्माण कार्यक्रम। • **शिक्षा के पाठ्यक्रम में सूखा प्रबंधन को शामिल करना।** • प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ऋण, बीमा, सूक्ष्म सिंचाई, कृषि वानिकी आदि क्षेत्रों के संबंध में **किसानों, समुदायों और अन्य हितधारकों को संवेदनशील बनाना और प्रशिक्षण देना।**
सूखा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और प्रतिक्रिया (Relief and Response in drought-affected areas)	• तालाबों और कुओं जैसी परिसंपत्तियों का निर्माण करना। ○ ये सूखे के प्रभाव को कम करने के साथ-साथ रोजगार भी पैदा करते हैं। • **वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना।** • **अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रम का विस्तार करना।**

5.7. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts)

5.7.1. स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण तक पहुंच सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषित (Access to Clean and Healthy Environment as Universal Human Right)

- भारत ने महासभा के एक **संकल्प के पक्ष में मतदान** किया है। यह संकल्प स्वच्छ, स्वस्थ और सतत पर्यावरण के अधिकार को मानवाधिकार का दर्जा प्रदान करता है।
  - संकल्प में यह भी स्वीकार किया गया है कि **स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित** है। यह इस बात की भी पुष्टि करता है कि इसके प्रसार के लिए पर्यावरण से जुड़े बहुपक्षीय समझौतों को पूर्णतः लागू करना जरुरी है।
  - यह संकल्प **कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं** है।
  - इसे **मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, 1948 में शामिल नहीं** किया गया है।
- इससे पहले वर्ष 2021 में, जेनेवा में **संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद** ने एक संकल्प पारित किया था। यह संकल्प स्वस्थ और सतत पर्यावरण तक पहुंच को सार्वभौमिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान करता है।
  - **वर्ष 1972 में आयोजित स्टॉकहोम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन का समापन पर्यावरण के मुद्दों को वैश्विक स्तर पर रखने के संकल्प** के साथ हुआ था।
- **संकल्प का महत्व**
  - **पर्यावरणीय अन्याय और संरक्षण में भेद-भाव को कम करने** में मदद मिलेगी।
  - यह **लोगों को सशक्त करेगा,** विशेष रूप से जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में रहने वाले लोगों को। इनमें पर्यावरणीय मानवाधिकार रक्षक, बच्चे, युवा, महिलाएं और देशज लोग शामिल हैं।
  - यह संकल्प **पृथ्वी के तिहरे संकट,** अर्थात् जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता को नुकसान और प्रदूषण से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है।
  - यह देशों की उनके **पर्यावरण और मानवाधिकार संबंधी दायित्वों तथा प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने में मदद** करेगा।

- **पर्यावरण और मानवाधिकार से संबंधित संवैधानिक प्रावधान**
  - **अनुच्छेद 21:** यह जीवन के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। इसमें बीमारी और संक्रमण के खतरे से मुक्त पर्यावरण का अधिकार भी शामिल है।
  - **अनुच्छेद 48A:** राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करेगा तथा देश के वनों एवं वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।
  - **अनुच्छेद 51A(g):** प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करे।

5.7.2. संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन (UN Ocean Conference: UNOC)

- दूसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन **"लिस्बन घोषणा-पत्र"** के साथ समाप्त हुआ। यह एक राजनीतिक घोषणा है। इसका शीर्षक है- **"आवर ओशन, आवर फ्यूचर: कॉल फॉर एक्शन।"**
  - इसे **केन्या और पुर्तगाल की सह-मेजबानी में लिस्बन** में आयोजित किया गया था।

- **पहला संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन वर्ष 2017 में न्यूयॉर्क** स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित किया गया था। इसकी मेजबानी **फिजी और स्वीडन** ने की थी।

- इसके एक भाग के रूप में, विश्व के **150 से अधिक देशों ने** महासागरीय आपात को दूर करने के लिए **विज्ञान आधारित और नवाचारी कार्रवाइयों** को आगे बढ़ाने हेतु सामूहिक रूप से सहमति व्यक्त की है। यह सहमति **सतत विकास लक्ष्य-14 (जल के नीचे जीवन)** के कार्यान्वयन का समर्थन करती है।
  - यह **'सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान का संयुक्त राष्ट्र दशक (2021-2030)'** के अनुरूप है।
- **मुख्य निष्कर्ष**
  - **पेरिस समझौते (2015) और ग्लासगो जलवायु समझौते** को लागू करने के विशेष महत्व पर बल दिया गया। यह महासागर की बेहतरी, उत्पादकता, संधारणीय उपयोग और सहन क्षमता को सुनिश्चित करने में मदद करेगा।
  - भाग लेने वाले देशों ने वर्ष 2030 तक समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के भीतर वैश्विक महासागर के **कम से कम 30% भाग के संरक्षण या सुरक्षा और अन्य प्रभावी क्षेत्र-आधारित संरक्षण उपायों** के लिए स्वैच्छिक प्रतिबद्धताएं व्यक्त की हैं।

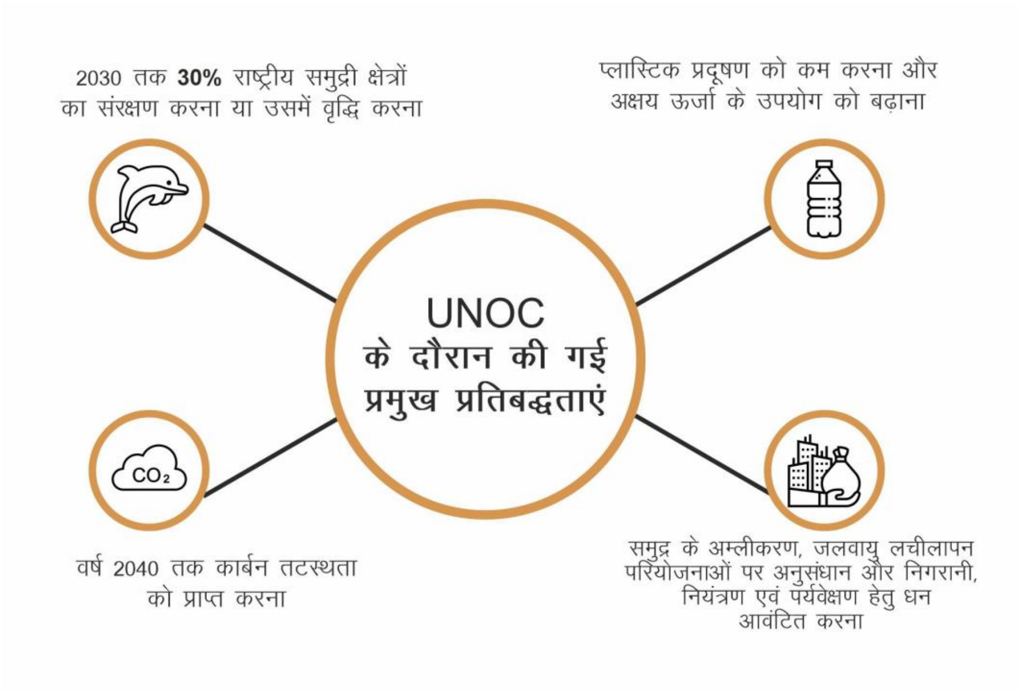

  - भारत ने **तटीय स्वच्छ समुद्र अभियान** के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। साथ ही, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में कार्य करने की भी घोषणा की।
- यूनेस्को ने इस सम्मेलन के दौरान अपनी प्रमुख रिपोर्ट **'स्टेट ऑफ द ओशन'** (प्रायोगिक संस्करण) जारी की। **इसकी मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं:**
  - **महासागर विज्ञान और नीति** के बीच के संबंधों को मजबूत बनाना चाहिए।
  - राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर और इसके परे **संधारणीय महासागर योजना निर्माण तथा प्रबंधन** के लिए सैद्धांतिक आधार बनाने की दिशा में कार्य करने चाहिए।

5.7.3. उष्ण कटिबंध के ऊपर ओजोन छिद्र (Ozone Hole Over The Tropics)

- वैज्ञानिकों ने उष्ण कटिबंध के ऊपर **समताप मंडल के निचले क्षेत्र में एक विशाल तथा सभी मौसमों में सक्रिय ओज़ोन छिद्र (All-Season Ozone Hole)** का पता लगाया है। यह ओजोन छिद्र लंबवत रूप से अंटार्कटिका के ऊपर बने ओज़ोन छिद्र के बराबर है। हालांकि, क्षेत्रफल के मामले में यह उससे लगभग सात गुना बड़ा है।
  - **सभी मौसमों में सक्रिय ओजोन छिद्र** सामान्य दशाओं में मौजूद वायुमंडलीय ओजोन की तुलना में 25% से अधिक ओजोन की हानि वाला क्षेत्र होता है।
- समताप मंडल में **उच्च ओजोन सांद्रता वाले क्षेत्र को ओजोन (O3) परत** कहते हैं। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है।
  - ओजोन परत के क्षरण की पुष्टि **वर्ष 1985 में दक्षिणी गोलार्ध में वसंत मौसम के दौरान** अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र के बनने से हुई थी।
    - ओजोन छिद्र के लिए **निम्नलिखित रसायनों के उत्सर्जन को जिम्मेदार माना जाता है:**

- क्लोरीन और ब्रोमीन,
- क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFC),
- हैलोन और
- कार्बन टेट्राक्लोराइड।

- **ओजोन परत की रक्षा के लिए की गई पहलें**
  - **ओजोन परत के संरक्षण पर वियना अभिसमय 1985:** इसका उद्देश्य ओजोन परत पर शोध और मानव गतिविधियों की निगरानी को बढ़ावा देना है।
  - **मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल:** इसे वर्ष 1987 में अपनाया गया था। इसका उद्देश्य ओजोन परत की रक्षा के लिए उन रसायनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है, जो इसे नुकसान पहुंचाते हैं।
  - **किगाली समझौता:** इसे वर्ष 2016 में अपनाया गया था। यह वर्ष 2019 में लागू हुआ था। इसने **वर्ष 2047 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFC) की खपत में 80% की कमी** करने के मार्ग का सुझाव दिया है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ओजोन क्षय के लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन इसमें वैश्विक तापवृद्धि की उच्च क्षमता मौजूद है।

ओजोन परत के क्षरण का प्रभाव

- धरातल पर पराबैंगनी (UV) विकिरण के प्रभाव को बढ़ाता है। इससे मनुष्यों में **त्वचा का कैंसर और मोतियाबिंद** का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा, मानव प्रतिरक्षा प्रणाली भी कमजोर हो जाती है।
- कृषि उत्पादकता कम हो जाती है।
- यह **स्थलीय और जलीय जैव-भू-रासायनिक चक्रों** को प्रभावित करता है।

5.7.4. पांच नई आर्द्रभूमियों को 'अंतर्राष्ट्रीय महत्व' का दर्जा मिला (5 Wetlands Get 'International Importance' Tag)

- रामसर स्थल का दर्जा प्राप्त करने वाली भारत की **पांच नई आर्द्रभूमियां निम्नलिखित हैं:**

आर्द्रभूमि	राज्य	विशेषताएं
करीकिली पक्षी अभयारण्य	तमिलनाडु	• यहां **जलकाग, सफ़ेद बगुला, धूसर बगुला, खुली चोंच वाला सारस, डार्टर, स्पूनबिल, सफेद इबनिस, निशाचर बगुला, ग्रेब, ग्रे पेलिकन** आदि पक्षी पाए जाते हैं।
पल्लिकरनई मार्श रिज़र्व फॉरेस्ट	तमिलनाडु	• यह चेन्नई शहर में **अंतिम बची प्राकृतिक आर्द्रभूमियों में से एक** है।
पिचवरम मैंग्रोव	तमिलनाडु	• यह भारत के सबसे बड़े मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है। यह **समुद्र तटीय और दलदली वनों से युक्त** पर्यावास भी है। • यह **वेल्लार और कोल्लीडम नदियों के मुहाने के बीच** स्थित है। • यहां के **वृक्ष कुछ फीट पानी के नीचे** स्थायी रूप से जड़ें जमा लेते हैं।
पाला आर्द्रभूमि	मिजोरम	• यह मिजोरम में **सबसे बड़ी प्राकृतिक आर्द्रभूमि** है। • यह एक **गहरी झील** (16 मीटर से अधिक गहरी) है। यह जानवरों की कई प्रजातियों को आश्रय प्रदान करती है। • यह सांभर हिरण, जंगली सूअर और भौंकने वाले हिरणों के लिए एक अनुकूल पर्यावास प्रदान करती है। • यहां **एंडेंजर्ड हूलॉक गिब्बन** और **फायरेस लीफ मंकी** पाए जाते हैं। • स्थानीय **मारा समुदाय** इसे पवित्र मानता है।
साख्य सागर	मध्य प्रदेश	• इसे वर्ष 1918 में **मनियर नदी** से बनाया गया था। • यह मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में **माधव राष्ट्रीय उद्यान** के निकट स्थित है।

- भारत में अब 54 रामसर स्थल हैं।
- आर्द्रभूमि को ऐसे **किसी भी भू-क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो मौसमी या स्थायी रूप से जलमग्न रहता है।** उदाहरण के लिए; झीलें, जलभृत और दलदली भूमि, मैंग्रोव, पीट भूमि, ज्वारनदमुख, प्रवाल भित्तियाँ आदि।
- **रामसर स्थल दर्जे के लिए मानदंड:** रामसर दर्जे के लिए किसी आर्द्रभूमि को रामसर अभिसमय द्वारा परिभाषित **9 मानदंडों में से कम से कम 1 मानदंड को पूरा करना होता है। कुछ प्रमुख मानदंड निम्नलिखित हैं:**
    - यह वल्नरेबल, एंडेंजर्ड या क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्रजातियों या संकटापन्न पारिस्थितिक समुदायों को आश्रय प्रदान करती हो, या
    - यह नियमित रूप से 20,000 या अधिक जल पक्षियों को आश्रय प्रदान करती हो।
- **रामसर अभिसमय एक अंतर-सरकारी संधि है।** इसे **वर्ष 1971** में अपनाया गया था। यह आर्द्रभूमि और इसके **संसाधनों के संरक्षण एवं बुद्धिमानी से उपयोग के लिए एक फ्रेमवर्क** प्रदान करती है।

5.7.5. रेडियोकार्बन डेटिंग या कार्बन-14 डेटिंग (Radiocarbon Dating or Carbon-14 Dating)

- **जीवाश्म ईंधन के दहन** से वायुमंडलीय कार्बन-डाइऑक्साइड में रेडियोधर्मी तत्व 'कार्बन-14' के अनुपात में गिरावट आई है। इससे **कार्बन-14 डेटिंग (तिथि निर्धारण) की प्रभावशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव** पड़ा है।
- कार्बन-14 डेटिंग तकनीक **जीवित जीवों से उत्पन्न कार्बन-आधारित सामग्रियों के लिए 'वस्तुनिष्ठ आयु अनुमान' (Objective Age Estimates)** प्रदान करती है।
- **इसके अनुसार:**
    - **सभी सजीव** वातावरण और खाद्य स्रोतों से रेडियोधर्मी तत्व कार्बन-14 सहित अन्य **कार्बन को अवशोषित** करते हैं।
    - जब **किसी सजीव की मृत्यु हो जाती है**, तो वह कार्बन का **अवशोषण करना बंद कर देता है,** किन्तु उसके द्वारा जमा किए गए **रेडियोधर्मी कार्बन-14 का क्षय** होता रहता है।
    - **शेष बची हुई मात्रा** को मापने से **यह अनुमान लगाया जाता है, कि कोई सजीव कितने समय से मृत है।**

5.7.6. राइट टू रिपेयर (Right to Repair)

- उपभोक्ता मामलों का विभाग **'राइट टू रिपेयर' पर एक व्यापक फ्रेमवर्क** तैयार करेगा। इसका उद्देश्य सतत उपभोग के माध्यम से **लाइफ/ LiFE (पर्यावरण के लिए जीवनशैली) मूवमेंट** पर बल देना है।
    - **इस फ्रेमवर्क के लिए निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गयी है:**
        - कृषि उपकरण,
        - मोबाइल फोन/ टैबलेट,
        - उपभोक्ता वस्तुएं और
        - ऑटोमोबाइल तथा ऑटोमोबाइल उपकरण।
- 'राइट टू रिपेयर' आंदोलन निर्माताओं से **उपभोक्ताओं को प्रामाणिक पुर्जे उपलब्ध कराने की मांग** करता है। इससे उपभोक्ता किसी भी वर्कशॉप पर अपने उपकरण की मरम्मत करवा सकते हैं।
    - 'राइट टू रिपेयर' को **संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के देशों सहित कई देशों में मान्यता** दी गई है।
- **'राइट टू रिपेयर' आंदोलन की आवश्यकता:**
    - उपकरणों की मरम्मत करने वाली छोटी वर्कशॉप्स के व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा।
    - वर्तमान में उपकरण **'योजनाबद्ध अप्रचलन'** (planned obsolescence) की संस्कृति के तहत बाजार में लाए जाते हैं। ये उपकरण इस तरह डिज़ाइन किये जाते हैं कि एक निश्चित समय के बाद इन्हें बदलना पड़ता है।
    - पर्यावरण पर **अत्यधिक दबाव और प्राकृतिक संसाधनों के विवेकहीन इस्तेमाल को कम करेगा।**
    - उपभोक्ता के धन और समय की बचत करेगा।

- **राइट टू रिपेयर से संबद्ध चिंताएं**
  - एप्पल, टेस्ला आदि जैसी बड़ी टेक कंपनियों ने इस अधिकार के खिलाफ तर्क दिया है। उनके अनुसार **राइट टू रिपेयर** से उपकरणों की मरम्मत करने वाला **कोई तीसरा पक्ष उनकी बौद्धिक संपदा तक पहुँच प्राप्त** कर लेगा।
  - उनकी यह भी चिंता है कि **अनुभवहीन व्यक्तियों द्वारा मरम्मत** करने से उनके उपकरणों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।

- **पर्यावरण के लिए जीवनशैली (लाइफ/LiFE) आंदोलन के बारे में**
  - LiFE का विचार **ग्लासगो** में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 के पक्षकारों के 26वें (COP 26) सम्मेलन के दौरान भारतीय **प्रधान मंत्री** ने प्रस्तुत किया था।
  - इसका विज़न एक **ऐसी जीवन शैली जीना है, जो हमारे ग्रह के अनुरूप हो** और इसे हानि न पहुंचाए। ऐसी जीवन शैली जीने वाले लोगों को **"प्रो-प्लैनेट पीपल (P3)"** कहा जाता है।
  - यह मिशन एक ऐसे पारिस्थितिकी-तंत्र का निर्माण करने पर लक्षित है, जो **पर्यावरणीय रूप से अनुकूल व्यवहारों को स्व-संधारणीय बनने के लिए प्रबल व सक्षम बनाएगा।**

5.7.7. 'हरित ऊर्जा मुक्त पहुंच' नियम (Green Energy Open Access Rules)

- **विद्युत मंत्रालय ने 'हरित ऊर्जा तक मुक्त पहुंच' से जुड़े नियम अधिसूचित किए।**
- **विद्युत (हरित ऊर्जा तक मुक्त पहुंच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन) नियम, 2022** का उद्देश्य देश के नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों में तेजी लाना है।
- **नियमों की मुख्य विशेषताएं**
  - सभी उपभोक्ताओं को **हरित ऊर्जा तक पहुंच** प्रदान की गयी है। हरित ऊर्जा के लिए ओपन एक्सेस ट्रांजेक्शन की सीमा **1 मेगावाट से घटाकर 100 किलोवाट** कर दी गई है। इससे छोटे उपभोक्ता भी मुक्त पहुंच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा खरीद सकते हैं।
  - उपभोक्ता को विद्युत् वितरण कंपनी (डिस्कॉम) से **हरित ऊर्जा की आपूर्ति की मांग करने का अधिकार** है।
  - वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ता **स्वेच्छा से हरित ऊर्जा खरीद सकते हैं।**
  - वितरण लाइसेंसधारियों के क्षेत्र में सभी बाध्य संस्थाओं के लिए **एक समान नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व (RPO)** का प्रावधान किया गया है। RPO मानदंड को पूरा करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन/ ग्रीन अमोनिया को भी शामिल किया गया है।
  - हरित ऊर्जा का उपभोग करने वाले **उपभोक्ताओं को हरित प्रमाण-पत्र** दिया जाएगा।
- **इन नियमों का महत्व**
  - सभी के लिए **किफायती, विश्वसनीय, सतत और हरित ऊर्जा तक पहुंच** सुनिश्चित होगी।
  - हरित ऊर्जा के **उत्पादन, खरीद और उपभोग को बढ़ावा** देंगे। इसमें **'अपशिष्ट से ऊर्जा' संयंत्रों द्वारा उत्पादित ऊर्जा भी शामिल** है।
  - हरित ऊर्जा तक मुक्त पहुंच के लिए **प्रक्रियाओं को सरल करेंगे।**
  - **वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित 500 GW ऊर्जा उत्पादन की क्षमता** को हासिल करने के भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेंगे।

5.7.8. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (Great Indian Bustard: GIB)

- **क्रिटिकली एनडेंजर्ड 'ग्रेट इंडियन बस्टर्ड' (गोडावण) अब 100 से भी कम बचे हैं**
- गुजरात और राजस्थान ने **ओवरहेड केबल को अंडरग्राउंड पावर ट्रांसमिशन से प्रतिस्थापित नहीं** किया है। इसके कारण ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या घट रही है।
- **अप्रैल 2021 में उच्चतम न्यायालय** ने उपर्युक्त दोनों राज्यों की बिजली कंपनियों को **हाई टेंशन बिजली की तारों को भूमिगत करने का आदेश** दिया था। इससे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बिजली की तारों में नहीं फंस सकेंगे।
  - इस कार्य की व्यवहार्यता के परीक्षण के लिए एक **तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति** का भी गठन किया गया था।
- हालांकि, केंद्र और राजस्थान सरकार ने इस **आदेश पर आपत्ति** प्रकट करते हुए कहा है कि **ऐसा करना संभव नहीं है। इसके लिए राज्यों ने निम्नलिखित कारण बताये हैं:**
  - बिजली की तारों को भूमिगत करने से सुरक्षा संबंधी खतरा हो सकता है,
  - इससे कार्य की लागत अधिक आएगी,
  - बिजली क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और

- जीवाश्म ईंधन के स्थान पर ऊर्जा के अन्य स्रोत को अपनाने में बाधा पैदा होगी आदि।
    - ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के पर्यावास क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रक के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
- **ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के समक्ष कुछ अन्य खतरों में शामिल हैं-** शिकार, पर्यावास को नुकसान, 'हरियाली' परियोजनाएं (जो शुष्क घास के मैदानों को वन्य क्षेत्रों में बदल रही हैं), शिकारियों द्वारा इनके अण्डों का शिकार आदि।
- **ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए उठाए गए कदम:**
  - यह प्रजाति **वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास के तहत प्रजातियों की रिकवरी कार्यक्रम** में शामिल है। इस एकीकृत विकास कार्यक्रम का संचालन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर रहा है।
  - इसे **राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना** (2002-2016) के तहत शामिल किया गया है।

- **ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में**
  - **पर्यावास:** शुष्क और अर्ध-शुष्क घास के मैदान, कांटेदार झाड़ियों वाला खुला क्षेत्र, लंबे घासों से युक्त कृषि भूमि क्षेत्र आदि। यह सिंचित क्षेत्रों में जाने से बचता है।
  - **राजस्थान में इसकी संख्या सबसे अधिक** है।
  - यह **भारतीय उपमहाद्वीप की स्थानीय** प्रजाति है।
  - **IUCN स्थिति: क्रिटिकली एनडेंजर्ड।**
  - **प्रमुख स्थल:** डेजर्ट नेशनल पार्क (राजस्थान), नलिया (गुजरात), वरोरा (महाराष्ट्र), बेल्लारी (कर्नाटक) आदि।

5.7.9. मोनार्क तितली (Monarch Butterfly)

- **अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN)** ने पहली बार प्रवासी मोनार्क तितली को **संकटापन्न प्रजातियों की अपनी लाल सूची** में शामिल किया है। IUCN ने इसे इस सूची में **"एंडेंजर्ड"** के रूप में वर्गीकृत किया है।
- यह विश्व **में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली तितलियों** में से एक है।
- **उत्तरी अमेरिका** में लाखों मोनार्क तितलियां सबसे लंबा प्रवास करती हैं। यह प्रवास विज्ञान में ज्ञात किसी भी कीट प्रजाति द्वारा किए जाने वाले प्रवास की तुलना में बहुत अधिक है।
- **खतरे:** पर्यावास का नुकसान, कृषि के लिए शाकनाशी और कीटनाशकों का बढ़ता उपयोग तथा जलवायु परिवर्तन।
- **इनकी संख्या में वृद्धि के उपाय:** मिल्कवीड का रोपण किया जाना चाहिए। यह एक ऐसा पौधा है, जिस पर कैटरपिलर (इल्लियां) निर्भर करते हैं।

5.7.10. हिम तेंदुआ (Snow Leopard)

- भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण के एक अध्ययन के अनुसार, हिम तेंदुआ अपनी **शाकाहारी शिकार प्रजातियों जैसे- साइबेरियन आइबेक्स (Siberian ibex) और नीली भेड़** (**Blue Sheep**) की आबादी को नियंत्रित करता है।
  - इसलिए, **हिम तेंदुओं की लंबे समय तक अनुपस्थिति** वनस्पति आच्छादन (vegetation cover) की कमी का कारण बन सकती है।
- **हिम तेंदुए के बारे में**
  - यह **भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची- I** में शामिल प्रजाति है।
  - **IUCN की लाल सूची में स्थिति:** वल्नरेबल।
  - **पर्यावास:** यह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम सहित मध्य एशिया के पहाड़ी भू-भाग तक विस्तृत है।
  - **संकट:** प्राकृतिक शिकार प्रजातियों (Prey Species) का नुकसान, मानव-वन्यजीव संघर्ष तथा इसके फर और हड्डियों का अवैध व्यापार।

5.7.11. लाइट-मेंटल्ड अल्बाट्रॉस (फोबेट्रिया - पैल्पब्रेट) {Light-mantled Albatross (Phoebetria palpebrate)}

- एशिया में पहली बार '**लाइट-मेंटल्ड अल्बाट्रॉस**' की उपस्थिति दर्ज की गई है। यह **अंटार्कटिक समुद्र का स्थानिक पक्षी** है। इसे **रामेश्वरम तट (तमिलनाडु)** के निकट देखा गया है।
- इस पक्षी का पर्यावास अंटार्कटिक समुद्र का परिध्रुवीय (circumpolar) क्षेत्र है। यह अपने भोजन की तलाश में ठंडे अंटार्कटिका का विचरण करता है।
- **IUCN स्थिति:** नियर थ्रेटेन्ड।

5.7.12. आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2022 के लिए वैश्विक मंच {Global Platform for Disaster Risk Reduction 2022 (GP2022)}

- हाल ही में, इंडोनेशिया के **बाली में संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (UNDRR)** ने GP2022 के सातवें सत्र का आयोजन किया था।
    - GP2022, आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर **सेंडाइ फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन पर हुई प्रगति का आकलन और चर्चा करने** के लिए मुख्य वैश्विक मंच है।
- **'बाली एजेंडा फॉर रेजिलिएंस' में वर्णित GP2022 के मुख्य निष्कर्ष:**
    - आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) में **पूरे समाज को शामिल करने का दृष्टिकोण** अपनाने की आवश्यकता है। इसमें **"कोई भी पीछे न छूटे"** के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए।
    - **आपदा जोखिम न्यूनीकरण को विकास और वित्तीय नीतियों तथा कानून एवं योजनाओं के केंद्र** में होना चाहिए। यह सतत विकास एजेंडा, 2030 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगा।
    - आपदा जोखिम न्यूनीकरण योजना निर्माण और कार्यान्वयन में एक **सहभागिता तथा मानवाधिकार-आधारित दृष्टिकोण अपनाना जरूरी** है। ऐसा इसलिए, क्योंकि लोग आपदाओं से भिन्न-भिन्न तरह से प्रभावित होते हैं।
    - **आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन के साझा उद्देश्य हैं-**
        - सुभेद्यता को कम करना तथा
        - क्षमता और लचीलापन (रेजिलिएंस) बढ़ाना।

- **संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (UNDRR) के बारे में:**
    - यह आपदा जोखिम में कमी के लिए **संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की एक विशेष एजेंसी** है। यह **सेंडाइ फ्रेमवर्क का संरक्षक** भी है।
    - यह सेंडाइ फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन, निगरानी और प्रगति की समीक्षा में देशों एवं समाजों का समर्थन करता है।
- **आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाइ फ्रेमवर्क**
    - यह **वर्ष 2015 के विकास एजेंडे के बाद पहला बड़ा समझौता** था।
    - यह आपदा जोखिम से विकासात्मक लाभों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सदस्य देशों को मजबूत कार्रवाई उपाय उपलब्ध करवाता है।

5.7.13. तटरेखा अपरदन (Coastline Erosion)

- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के अनुसार पिछले 28 वर्षों से भारत के 34% समुद्र तट, अपरदन के अलग-अलग स्तरों का सामना कर रहे हैं।
- **राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (NCCR)** वर्ष 1990 से **तटरेखा अपरदन की निगरानी** कर रहा है। इसके लिए यह सुदूर संवेदन डेटा और भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) आधारित मैपिंग तकनीकों का उपयोग कर रहा है। NCCR, **पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय** है।
    - वर्ष 1990 से वर्ष 2018 की अवधि के लिए देश की मुख्य भूमि की **6907.18 कि.मी. लंबी तट रेखा का विश्लेषण** किया गया है।
    - **26% समुद्र तट का विस्तार** देखा जा रहा है, जबकि **40% स्थिर अवस्था में** है।
    - **पश्चिम बंगाल को सबसे अधिक अपरदन** का सामना करना पड़ा है। इसके बाद केरल, तमिलनाडु और गुजरात का स्थान है।
- समुद्री तट रेखा के समीप तलछट और चट्टानों के **लंबी अवधि में क्रमिक रूप से कम होते जाने को तटीय अपरदन** कहा जाता है। इस अपरदन के कारण समुद्री लहरें, ज्वार, जल धाराएं, पवन संचालित जल आदि जैसे प्राकृतिक कारक हैं।
    - NCCR की **'भारतीय तट से सटी तटरेखा में परिवर्तन का राष्ट्रीय आकलन'** रिपोर्ट के अनुसार, **निम्नलिखित मानव गतिविधियों ने भी तटीय अपरदन को बढ़ावा दिया है:**
        - तट के समीप संरचनाओं का निर्माण,
        - समुद्र तट पर रेत खनन,
        - अपतटीय ड्रेजिंग आदि।
- **तटीय अपरदन के प्रभाव**
    - **जानवरों और पौधों के पर्यावास नष्ट** हो जाते हैं। साथ ही, तट अपनी सुंदरता भी खो देते हैं।
    - तटीय जीवों पर निर्भर **मत्स्य उद्योग** पर इसका **प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव** पड़ता है।
    - **उपजाऊ भूमि का नुकसान** होता है।
    - **परिवहन अवसंरचना को नुकसान** पहुंचता है। इससे पर्यटन प्रभावित होता है।
- **तटीय अपरदन को रोकने के लिए किए गए उपाय**
    - भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) ने **तटीय सुभेद्यता सूचकांक (CVI)** का मानचित्र तैयार किया है। यह भारतीय तटों के समुद्र स्तर में वृद्धि के प्रभावों का आकलन प्रदान करता है।

- तटीय प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम सतत उपयोग सुनिश्चित करने के लिए **एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना (ICZM)** बनाई गयी है।
- चेन्नई में **राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र (NCSCM)** स्थापित किया गया है। यह तटीय संसाधनों और पर्यावरण सहित तटीय क्षेत्र प्रबंधन के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करेगा।

5.7.14. भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना (India's Largest Floating Solar Power Project)

- राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (NTPC) ने **भारत की सबसे बड़ी तैरती (फ्लोटिंग) सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की है।**
- NTPC **तेलंगाना के रामागुंडम में 100 मेगावाट** की तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का संचालन कर रहा है।
- यह परियोजना **उन्नत प्रौद्योगिकी** के साथ-साथ पर्यावरण के अनुकूल सुविधाओं **से भी संपन्न है।**

5.7.15. एशिया-पैसिफ़िक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 (Asia Pacific Sustainability Index 2021)

- इसे **एक वैश्विक संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक** ने जारी किया है।
- चार भारतीय शहर **बेंगलुरु (शीर्ष पर), दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई** ने शीर्ष 20 संधारणीय शहरों की सूची में जगह बनायी है।
- इस सूचकांक में **शहरीकरण के दबाव, जलवायु जोखिम, कार्बन उत्सर्जन और सरकारी पहलों के आधार** पर 36 शहरों का मूल्यांकन किया गया है।
- भारत वर्ष 2021 में जारी किये गए **हरित बॉन्ड की कुल राशि** के मामले में **एशिया प्रशांत में छठा सबसे बड़ा देश है।**
  - **हरित बॉन्ड एक प्रकार की निश्चित आय वाला साधन है।**
  - इसे विशेष रूप से **जलवायु और पर्यावरण परियोजनाओं के लिए वित्त जुटाने** के लिए जारी किया जाता है।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **पर्यावरण** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

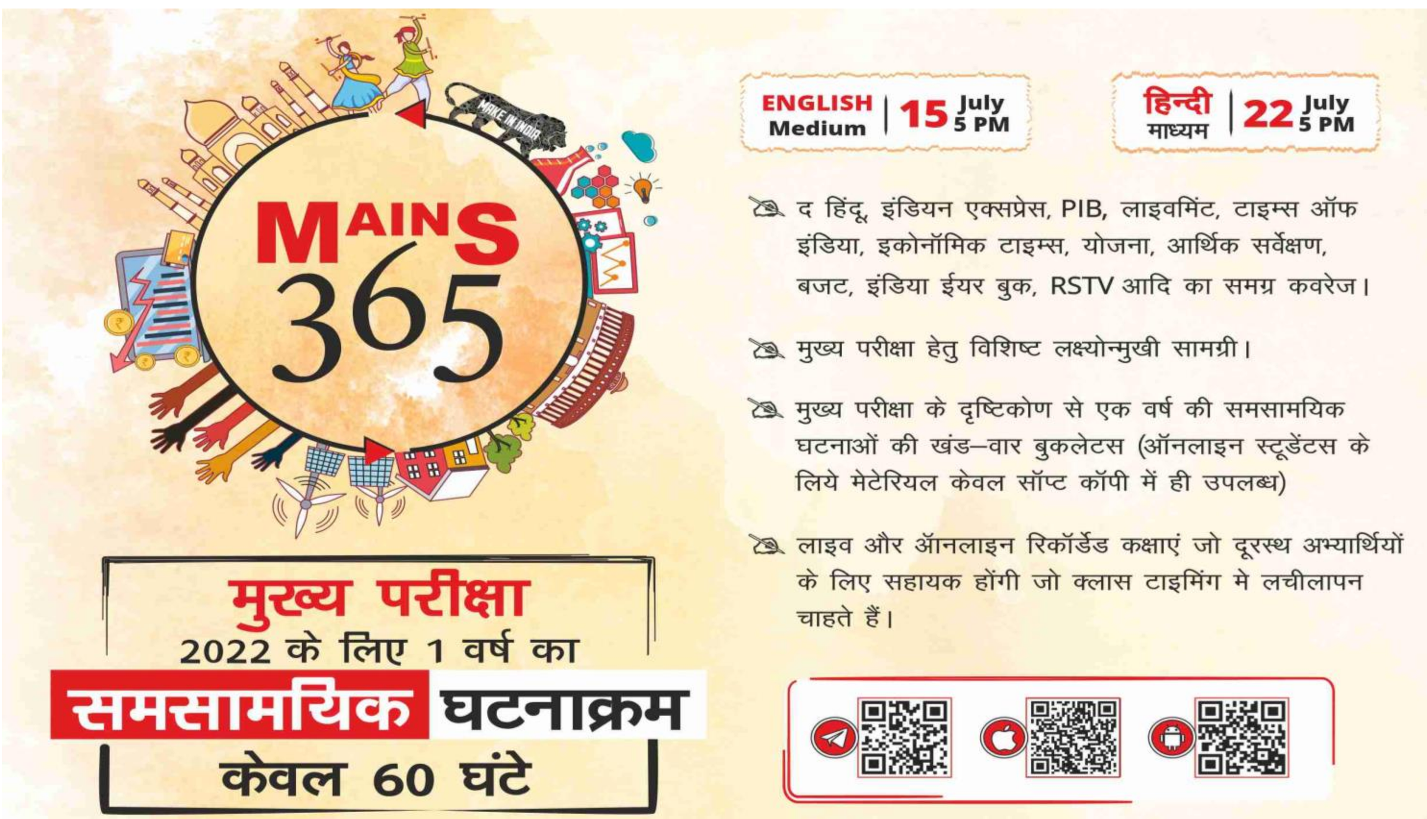

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

6.1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 {National Education Policy (NEP), 2020}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की दूसरी वर्षगांठ पर कई पहलों की शुरुआत की है।

शुरू की गई प्रमुख पहलें

- **प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के लिए IKS-MIC कार्यक्रम की शुरुआत:** यह भारतीय ज्ञान प्रणाली (IKS) प्रभाग और शिक्षा मंत्रालय के नवाचार प्रकोष्ठ (इनोवेशन सेल) द्वारा शुरू किया गया एक संयुक्त कार्यक्रम है। इसे भारतीय पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों से प्रेरित एवं विकसित उत्पादों और प्रक्रियाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है।
- **राष्ट्रीय नवाचार और उद्यमिता नीति:** इसका उद्देश्य स्कूलों में विचार एवं समाधान तथा नवाचार और उद्यमिता (IIE) की संस्कृति को बढ़ावा देना है।
- **IGNOU के साथ स्किल इंडिया भागीदारी:** इसे प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के तहत तीन वर्षीय डिग्री प्रोग्राम उपलब्ध कराने और स्किल हब की स्थापना के लिए आरंभ किया गया है।
- **विज्ञान और गणित हेतु 750 वर्चुअल लैब्स व 75 स्किलिंग ई-लैब्स की स्थापना:** सिमुलेटेड लर्निंग के परिवेश को बढ़ावा देने के लिए इसे वर्ष 2022-23 में स्थापित किया जाएगा।
- विभिन्न क्षेत्रों के तहत **राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF)**[71] के अनुरूप सौ से अधिक भावी कौशल योग्यताओं को विकसित किया जाएगा।
- **स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल (NISHTHA)[72] तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ECCE)[73]:** इसका उद्देश्य आंगनबाड़ियों में उच्च गुणवत्ता वाले ECCE शिक्षकों का एक प्रारंभिक कैडर तैयार करना है।

---

[71] National Skills Qualifications Framework

[72] National Initiative for School Heads and Teachers Holistic Advancement

[73] Early Childhood Care and Education

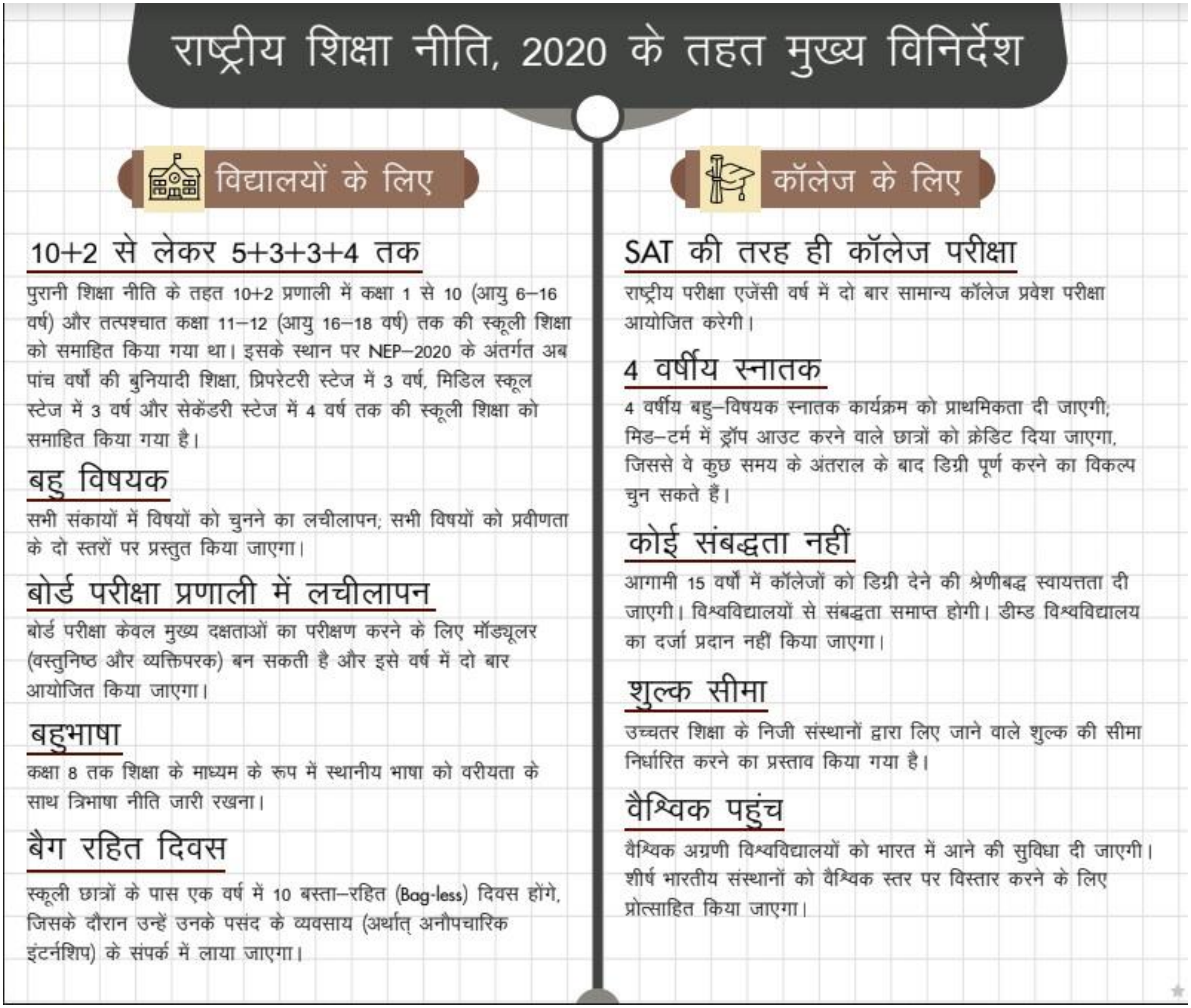

- **स्कूलों में 75 भारतीय खेलों का शुभारंभ:** PT शिक्षकों के माध्यम से प्रत्येक माह स्कूलों में मौसम के अनुसार उपयुक्त भारतीय खेल शुरू किये जायेंगे।
- **राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा (NCF)[74] के लिए सार्वजनिक परामर्श सर्वेक्षण:** इस सर्वेक्षण को 23 भाषाओं में एक सार्वजनिक परामर्श सर्वेक्षण आयोजित करने हेतु आरंभ किया गया है। इसके तहत 1 करोड़ लक्षित उत्तरदाताओं/नागरिकों के साथ NCF के विकास के लिए आकड़ों को एकत्रित और सुझाव प्राप्त करने हेतु प्रयास किया जाएगा।

NEP 2020 के बारे में

- इसे **NEP, 1986** (1992 में संशोधित) को **प्रतिस्थापित करने के लिए** लांच किया गया था। इसका उद्देश्य **भारत को एक जीवंत एवं ज्ञान संपन्न समाज में परिवर्तित करना है। साथ ही, ज्ञान के क्षेत्र में वैश्विक महाशक्ति के रूप में** भारत को स्थापित करना है। इस उद्देश्य को स्कूली और कॉलेज शिक्षा दोनों को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुकूल, अधिक समग्र, लचीला तथा बहु-विषयक बनाकर पूरा किया जाएगा।
- **इसे पहुंच, निष्पक्षता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों के आधार पर तैयार किया गया है।** साथ ही, इस नीति को सतत विकास **एजेंडा 2030 के अनुरूप विकसित** किया गया है।

---

[74] National Curriculum Framework

NEP, 2020 के तहत अब तक की गई पहलें

- **स्कूली शिक्षा:** राष्ट्रीय संचालन समिति के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा को विकसित करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। स्कूली शिक्षा में, बालवाटिका में गुणवत्तापूर्ण ECCE का संचालन, **निपुण भारत** (समझ के साथ पढ़ने तथा संख्या गणना में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल) जैसी पहलों को अधिगम परिणामों के लिए अपनाया जा रहा है। साथ ही अधिगम परिणामों को बढ़ावा देने के संदर्भ में विद्या प्रवेश, परीक्षा सुधार और कला-एकीकृत शिक्षा, खिलौना-आधारित शिक्षाशास्त्र आदि जैसी अभिनव शिक्षण पहलों को भी अपनाया जा रहा है।
- **भारतीय भाषाओं का प्रचार:** राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA)[75] ने 13 भाषाओं में JEE परीक्षा आयोजित की है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE)[76] ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)-आधारित अनुवाद ऐप विकसित किया है तथा अध्ययन सामग्री का भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है।
- **मल्टी मॉडल शिक्षा:** स्वयं (SWAYAM), दीक्षा (DIKSHA), स्वयं-प्रभा (SWAYAM PRABHA), आभासी लैब (Virtual Labs) और अन्य ऑनलाइन संसाधन पोर्टल्स द्वारा नेत्रहीनों के लिए सांकेतिक भाषा व ऑडियो प्रारूपों सहित कई भारतीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री प्रदान की जा रही है। एक कार्यक्रम में ऑनलाइन सामग्री की अनुमत सीमा को भी बढ़ाकर 40% कर दिया गया है।
- **उच्चतर शिक्षा में बहुविषयकता:** लचीलेपन और आजीवन सीखने के लिए मल्टीपल एंट्री-एग्जिट के साथ-साथ डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म पर एकेडमिक बैंक ऑफ़ क्रेडिट की सुविधा को शुरू किया गया है। इससे अब छात्रों के लिए उनकी सुविधा और पसंद के अनुसार अध्ययन को संभव बनाया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त UGC ने भी कुछ दिशा-निर्देश प्रकाशित किए हैं। इसके अनुसार छात्र एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं।
  - एकेडमिक बैंक ऑफ़ क्रेडिट वस्तुतः छात्रों के डेटा रिकॉर्ड को रखने हेतु निर्मित एक वर्चुअल स्टोर-हाउस है।
- **नवाचार और स्टार्टअप:** NEP के साथ संरेखित 'नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग' (ARIIA)[77] को वर्ष 2021 में अनुसंधान, इन्क्यूबेशन और स्टार्टअप की संस्कृति के निर्माण हेतु आरम्भ किया गया था।

NEP के सफल कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियां

- **भारतीय शिक्षा क्षेत्र की विविधता:** भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक शैक्षिक पारितंत्र वाला देश है। यहां लगभग 34 करोड़ से अधिक बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे में NEP का देशव्यापी कार्यान्वयन अत्यंत जटिल हो सकता है।
- **वित्तीय संसाधन:** यद्यपि NEP में शिक्षा बजट के लिए मौजूदा प्रतिबद्धता (शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6% व्यय करने के उपबंध) पर जोर दिया गया है, लेकिन इसमें इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि कैसे शिक्षा बजट को 3.5% के मौजूदा स्तर से 6% के लक्ष्य तक पहुंचाया जाएगा।
- **पहले से चले आ रहे मुद्दे:** भारत की शिक्षा प्रणाली व्यापक नौकरशाही व्यवस्था से प्रभावित रही है। साथ ही, यह नवाचार की क्षमता और स्केल अप किए जाने की क्षमता की कमी से भी ग्रस्त है। साथ ही, गैर-लचीली सामग्री पर आधारित रटंत विद्या प्रणाली से अनुभवात्मक शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए नौकरशाही, शिक्षकों व अभिभावकों सहित हितधारकों के दृष्टिकोण में क्रांतिकारी बदलाव की आवश्यकता होगी।
- **संघवाद:** तमिलनाडु जैसे कई राज्यों ने NEP के अनेक प्रमुख प्रावधानों और उन्हें लागू करने के तरीके पर कड़ी आपत्ति जताई है।
- **अधिगम क्षति:** विश्व बैंक के अनुसार भारत में, लर्निंग पॉवर्टी (अधिगम निर्धनता) 54% से बढ़कर 70% हो गई है। यह रचनात्मक अधिगम की प्राप्ति को अत्यंत कठिन बना सकता है।
  - लर्निंग पॉवर्टी का तात्पर्य 10 वर्ष की आयु तक आयु के अनुरूप पाठ को पढ़ने और समझने में असमर्थ होने से है।
- **बहुभाष्यता:** मातृभाषा में पढ़ाने से बच्चों की सीखने की क्षमता में सुधार होता है। लेकिन ऐसी बहुभाषी शिक्षण पद्धति के प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता को सुनिश्चित कर पाना कठिन होगा।

आगे की राह

- **वित्तीय संसाधन:** कंपनियों को शिक्षा क्षेत्र में निवेश करने के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) निधि का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पूर्व छात्रों द्वारा दिए जाने वाले धन पर कर आरोपित नहीं किया जाना चाहिए। हार्वर्ड और MIT की तरह, भारत के

---

[75] National Testing Agency

[76] All India Council for Technical Education

[77] Atal Ranking of Institutions on Innovation Achievements

उच्चतर शिक्षण संस्थानों को भी कल्याण कोष (endowment funds) स्थापित करने और बहुराष्ट्रीय निगम में हिस्सेदारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए।

- **सहभागी दृष्टिकोण:** NEP के कार्यान्वयन के लिए राज्य, जिला, उप-जिला और ब्लॉक स्तर पर निजी क्षेत्र सहित प्रमुख हितधारकों के मध्य साझी जिम्मेदारी को बढ़ावा देने तथा स्वामित्व निर्माण हेतु प्रयास किए जाने चाहिए।
- **विनियामक संस्था:** मौजूदा विनियामक प्रणाली के रूपांतरण हेतु भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (HECI)[78] को NEP में शामिल किया गया है। हालांकि, अति शीघ्र इस निकाय को स्थापित किया जाना चाहिए।
- **सहकारी संघवाद:** GST परिषद के समान, शिक्षा पर भी एक परिषद का गठन किया जाना चाहिए। यह परिषद, कार्यान्वयन के मुद्दों पर चर्चा करने और उनका समाधान करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य कर सकती है।
- **निजी क्षेत्रक:** सरकार और विनियामक निकायों के लिए अनिवार्य रूप से एक व्यावहारिक संस्थागत तंत्र का निर्माण किया जाना चाहिए। यह निजी क्षेत्रक के योगदान का उपयोग करने और उन्हें NEP प्रक्रिया में समान भागीदार के रूप में मान्यता प्रदान करने में मदद करेगा।
- **महामारी के बाद उत्पन्न हुए अधिगम अंतराल को कम करना: इसके तहत विशेष रूप से स्कूली बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है जो लर्निंग कर्व के स्तर पर पीछे रह गए हैं।**

6.1.1. भारत में उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता (Quality of Higher Education in India)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में शिक्षा, महिलाओं, बच्चों, युवा कार्य और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने 'शिक्षा मानकों की समीक्षा, मान्यता प्रक्रिया, अनुसंधान, परीक्षा सुधार और शैक्षणिक परिवेश' पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

भारतीय उच्चतर शिक्षण संस्थानों (HEI) के बारे में

- उच्चतर शिक्षण संस्थानों के अंतर्गत **विश्वविद्यालय, कॉलेज और स्टैंडअलोन संस्थानों** (विश्वविद्यालयों से असंबद्ध) को शामिल किया गया है।
- अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE)[79] के अनुसार, भारत में लगभग 1,043 विश्वविद्यालय, 42,343 कॉलेज और 11,779 स्टैंडअलोन संस्थान मौजूद हैं।
  - **इनमें से लगभग 78.6% निजी क्षेत्रक** (सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त कॉलेज) के अधीन हैं, जबकि केवल 21% ही सरकारी क्षेत्रक द्वारा शासित हैं।

भारत में उच्चतर शिक्षा के समक्ष आने वाली चुनौतियाँ

- **वित्तपोषण का निर्धारित मानक से कम होना:** पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा पर भारत का व्यय सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 3.1% रहा है। इसके अलावा, भारतीय अनुसंधान एवं विकास व्यय (GDP का लगभग 0.62%) उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में सबसे कम रहा है।
- **कम छात्र नामांकन:** भारत में उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER)[80] **वैश्विक औसत (36.7%)** की तुलना में काफी कम रहा है। वर्ष 2019-20 में भारत का उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात लगभग 27.1% रहा है।
- **अपर्याप्त सरंचना:** अधिकांश कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं जैसे प्रयोगशाला, अनुसंधान उपकरण, कंप्यूटर, पुस्तकालय, छात्रावास, परिवहन, खेल सुविधा आदि का अभाव है।

---

[78] Higher Education Commission of India

[79] All-India Survey of Higher Education

[80] Gross Enrolment Ratio

- **खराब मानव संसाधन क्षमता:** उच्चतर शिक्षण संस्थानों (HEI) में फैकल्टी के 30-40% तक पद रिक्त हैं, जिन पर नियुक्ति नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, योग्य फैकल्टी की अनुपलब्धता, **महिला नेतृत्व की कमी** (भारत में 7% से कम महिला कुलपति) इत्यादि चुनौतियां विद्यमान हैं।
- **खराब प्रमाणन प्रणाली:** वर्तमान में, लगभग 50,000 शैक्षणिक संस्थानों में से मुश्किल से 20% ने ही औपचारिक प्रमाणन प्राप्त किया होगा। अति-केंद्रीकरण, जवाबदेही और पारदर्शिता की कमी तथा कई विनियामकीय संगठनों की मौजूदगी, विनियामक परिवेश को जटिल तथा गैर मानकीकृत बनाता है।
- **व्यवसायीकरण:** अधिकांश शिक्षण संस्थान निजी स्वामित्व और प्रबंधन के अधीन आ रहे हैं, जहां सामान्यतः लाभ कमाने के उद्देश्य से ही निवेश किया जाता है। हाल ही में, सरकार ने एडटेक (Edtech) कंपनियों को चेतावनी जारी की थी। यह एडटेक (शिक्षा प्रौद्योगिकी) कंपनियों द्वारा भ्रामक विज्ञापनों का प्रचार करने व उनके द्वारा अनुचित व्यापार प्रथाओं में लिप्त होने के कारण जारी की गई थी।
- **अनुपयोगी शिक्षण पद्धति और तकनीकी पिछड़ापन:** ज्ञान और जीविकोपार्जन की खोज से संबंधित मांगों को पूरा करने के क्रम में पाठ्यक्रम की समीक्षा और उसे अपडेट करने के लिए कोई भी तंत्र मौजूद नहीं है।

संबंधित तथ्य

शिक्षा मंत्रालय ने उच्चतर शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2022 जारी की है।

- इस वर्ष **राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) 2022 रैंकिंग** के छठे संस्करण में 6,000 कॉलेजों और विश्वविद्यालयों ने भाग लिया है।
- IIT मद्रास, IISc बैंगलोर और IIT- बॉम्बे ने वर्ष 2022 की रैंकिंग में शीर्ष तीन रैंक हासिल की हैं।
- **शिक्षा मंत्रालय द्वारा नवंबर 2015 में** राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) को लॉन्च किया गया था।
  - वर्ष 2018 से **सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों के लिए NIRF में भाग लेना अनिवार्य** कर दिया गया है।
- रैंकिंग फ्रेमवर्क में **पांच व्यापक श्रेणियों** के तहत संस्थानों का मूल्यांकन किया जाता है।
  - **अध्यापन, अधिगम/लर्निंग और संसाधन (0.30),**
  - **अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास (0.30),**
  - **स्नातक परिणाम (0.20),**
  - **आउटरीच और समावेशिता (0.10), तथा**
  - **धारणा (0.10).**
- **NIRF रैंकिंग का महत्व**
  - यह **छात्रों को सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय चुनने में** मदद करती है।
  - संस्थानों की रैंक, कंपनियों और संगठनों को **कैंपस प्लेसमेंट** के लिए आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

आगे की राह

- **वित्तपोषण:** NEP, 2020 द्वारा अधिदेशित शिक्षा व्यय (सकल घरेलू उत्पाद का 6%) को धीरे-धीरे बढ़ाया जाना चाहिए। व्यक्तियों, पूर्व छात्रों और संस्थानों द्वारा दिए जाने वाले दान को 100% कर कटौती योग्य होना चाहिए। दानकर्ता की कुल कर योग्य आय में से दान की राशि घटाई जानी चाहिए, जिससे दानकर्ता को अंततः कम कर देना पड़े।
  - **शिक्षा को विनिर्माण क्षेत्र के समान वरीयता** दी जानी चाहिए। इससे उच्चतर शिक्षा से जुड़े बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए बैंकों तथा वित्तीय संस्थान के ऋणों तक पहुंच प्राप्त करने में मदद मिलेगी।`
  - कॉर्पोरेट क्षेत्र से धन प्राप्त करने के लिए **उद्योग-अकादमिक सहयोग को बढ़ावा** दिया जाना चाहिए। साथ ही, यह सहयोग छात्रों को विभिन्न इंटर्नशिप कार्यक्रमों के माध्यम से अपने कौशल को बढ़ाने में मदद करेगा। साथ ही, यह उद्योगों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लीक से हटकर समाधान खोजने में भी मदद करेगा।
- **शिक्षण पद्धति:** पाठ्यक्रम की समीक्षा और इसे अपडेट करने के लिए एक स्थायी तंत्र उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
  - साथ ही, हाइब्रिड प्रारूप में बाधा रहित शिक्षा प्रदान करने के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर विचार किया जाना चाहिए। हाइब्रिड प्रारूप को वर्तमान में **फिजिटल (फिजिकल प्लस डिजिटल)** के रूप में संदर्भित किया जाता है।
- **मान्यता:** मान्यता के महत्व को ध्यान में रखते हुए (जैसाकि यह मानकीकरण और न्यूनतम मापदंडों को अपनाने पर जोर देता है) संस्थानों को मान्यता प्रणाली के तहत लाने के लिए और अधिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए। यह संस्थानों की मान्यता प्रणाली के संदर्भ में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

* **विनियामकीय सुधार:** राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयासों के माध्यम से सिंगल विंडो सिस्टम को विकसित किया जाना चाहिए। इससे विभिन्न विनियामक प्राधिकरणों की अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी आएगी। साथ ही, इससे निजी/डीम्ड/अन्य विश्वविद्यालयों की प्रमाणन आवश्यकता को शीघ्रता से पूरा किया जा सकेगा।
    * **एडटेक (Edtechs) के लिए, ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने संबंधी मानदंडों में सुधार** करना चाहिए। साथ ही, विनियामक निकायों को मौजूदा सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप समायोजित करने के लिए उन्हें अपडेट किया जाना चाहिए।
* **नवोन्मेषकों को समर्थन:** CAG और वित्त मंत्रालय के परामर्श से एक तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। इससे सरकारी निविदा से संबंधित बोली प्रक्रिया में नवोन्मेषकों और इनक्यूबेटर्स के सुगम प्रवेश को सुनिश्चित किया जा सकेगा।
    * ऐसे नवोन्मेषकों और उद्यमियों को अवसर प्रदान करने से उन्हें कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने में मदद मिलेगी।

भारत में उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए की गई अन्य प्रमुख पहलें

* **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020:** इसका उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार लाकर "भारत को ज्ञान के क्षेत्र में वैश्विक महाशक्ति" के रूप में स्थापित करना है।
* **स्वयं (SWAYAM):** भारत का यह मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स (MOOC) प्लेटफॉर्म लगभग सभी विषयों पर मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है।
* **उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (HEFA)[81], 2018:** यह शिक्षा मंत्रालय और केनरा बैंक का एक संयुक्त उद्यम है। यह शिक्षा के लिए बाजार से धन, दान और CSR फंड को एकत्रित करती है। साथ ही, यह इन निधियों का उपयोग भारत के प्रमुख उच्चतर शिक्षण संस्थानों में शैक्षिक बुनियादी ढांचे के अनुसंधान और विकास के लिए करती है।
* **HEFA द्वारा वित्त पोषित रिवाइटलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजुकेशन (RISE) योजना:** इसका उद्देश्य प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान और संबंधित बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ाना है।
* **पीएम रिसर्च फेलोशिप (PMRF) योजना:** इसे तकनीकी अनुसंधान की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आरंभ किया गया था।
* **वैश्विक अकादमिक नेटवर्क पहल (GIAN)[82] और VAJRA/वज्र (विजिटिंग एडवांस ज्वाइंट रिसर्च):** इन योजनाओं को अंतर्राष्ट्रीय निकायों को आकर्षित करने हेतु शुरू किया गया था।
* **स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम:** इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए भारत को एक प्रमुख शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करना है।

* **शिक्षा संकायों (फैकल्टी) की गुणवत्ता को बढ़ाना:** यह शैक्षणिक नियोजन व भर्ती के तरीकों में सुधार करके किया जा सकता है। इन तरीकों में हेडहंटिंग (नियोजन हेतु श्रेष्ठ व्यक्तियों की पहचान करना), प्रतिधारण रणनीति, स्टाफ विकास और प्रशिक्षण, व्यक्तिगत एवं पेशेवर परामर्श, अध्यापन अधिगम केंद्र (TLC) की स्थापना आदि शामिल हैं।
* **संस्थागत नेतृत्व कार्यक्रम:** अधिक प्रभावी संस्थागत नेतृत्व सुनिश्चित करने के क्रम में उच्चतर शिक्षा संस्थानों के कुलपतियों, प्रधानाचार्यों और शासी निकायों के सदस्यों की निर्णयन क्षमता के विकास पर जोर देना चाहिए। साथ ही, विभिन्न स्तरों पर संरचित शैक्षणिक कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

6.2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक {State Ranking Index (SRI) for National Food Security Index}

सुर्खियों में क्यों?

केंद्रीय खाद्य मंत्री ने **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA)[83], 2013 के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक (SRI)** का प्रथम संस्करण जारी किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

* **इस सूचकांक में ओडिशा, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश** क्रमशः शीर्ष तीन स्थानों पर हैं।
* **त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम** ने विशेष श्रेणी के राज्यों (पूर्वोत्तर, हिमालयी और द्वीपीय राज्यों) में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।

मापदंड जिन पर राज्य रैंकिंग सूचकांक आधारित है:

* राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का **कवरेज** तथा अधिनियम के तहत सभी **प्रावधानों का उचित लक्ष्यीकरण और कार्यान्वयन।**
* **आपूर्ति मंच:** इसमें खाद्यान्नों के आवंटन, उनका परिवहन और उचित मूल्य की दुकानों तक (अंतिम छोर तक) उनका वितरण करना शामिल है।
* **विभाग की पोषण संबंधी पहलें।**

---

81 Higher Education Financing Agency

82 Global Initiative of Academic Networks

83 National Food Security Act

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के बारे में:

- NFSA 2013 के अधिनियमन से खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण में एक रूपांतरणकारी बदलाव लाने में मदद मिली है। यह कल्याण-आधारित दृष्टिकोण से अब अधिकार-आधारित दृष्टिकोण की ओर केंद्रित हो गया है।
    - NFSA **खाद्यान्न वितरण के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) प्लेटफॉर्म के उपयोग की परिकल्पना** करता है।
        - **TPDS (1997) एक संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)** है। इसे **गरीब परिवारों को लक्षित करने के लिए विकसित** किया गया था।
- NFSA का उद्देश्य **मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण के तहत खाद्य और पोषण सुरक्षा का प्रावधान करना है।** इससे लोगों को गरिमापूर्ण जीवनयापन हेतु उनके वहनीय मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन तक पहुंच सुनिश्चित की जा सकेगी।

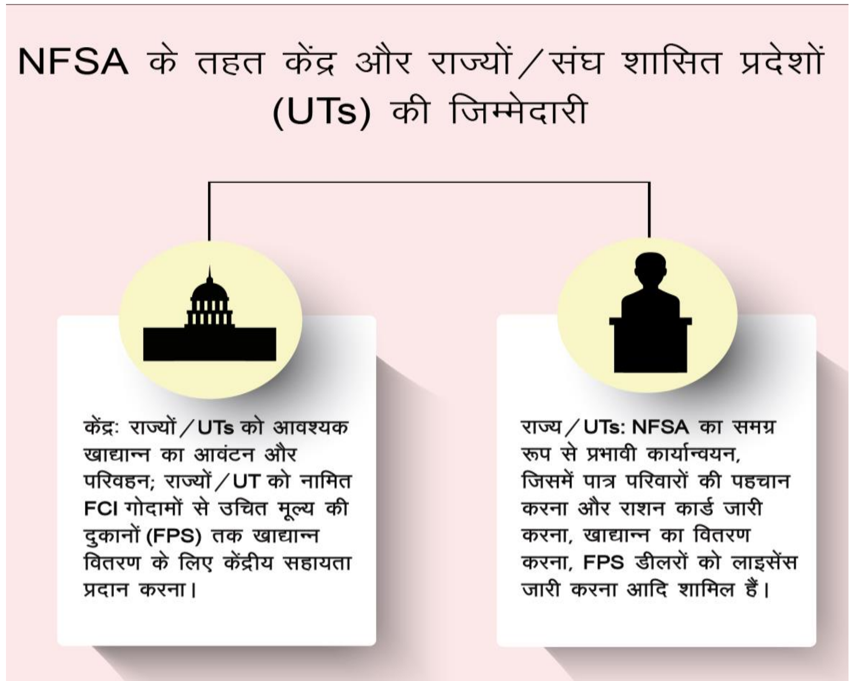

- अब इसे सभी **36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों** में लागू कर दिया गया है। इसके तहत लगभग 81 करोड़ लोगों को कवर किया गया है।

NFSA की मुख्य विशेषताएं:

प्रावधान	विवरण
खाद्यान्न पात्रता	• **पात्र परिवारों को रियायती मूल्य पर 3/2/1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से क्रमशः चावल,गेहूं और मोटे अनाज का वितरण किया** जाता है। ○ इन्हें **केंद्रीय निर्गम मूल्य (CIP)**[84] पर वितरित किया जाता है।
जनसंख्या का कवरेज	• NFSA, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुमानों के आधार पर TDPS के तहत अत्यधिक रियायती मूल्य पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी (जनसंख्या का 67%) को कानूनी अधिकार प्रदान करता है। ○ अधिनियम के तहत, **पात्र परिवारों को दो श्रेणियां के अधीन शामिल किया गया है- अंत्योदय अन्न योजना (AAY) परिवार और प्राथमिकता वाले परिवार (PHH)**[85]। ▪ **खाद्यान्न पात्रता:** प्रत्येक AAY परिवार को प्रति माह 35 किलोग्राम तथा प्रत्येक PHH व्यक्ति को प्रति माह 5 किलोग्राम अनाज प्रदान किया जाता है।
मातृत्व अधिकार के लिए परिवारों की पहचान	• **गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं** को कम से कम 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ प्रदान किया जाता है। • एकीकृत बाल विकास सेवाओं (ICDS)[86] और मध्याह्न भोजन (MDM)[87] योजनाओं के तहत **निर्धारित पोषण मानदंडों के अनुसार गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं तथा बच्चों** (6 महीने से 14 वर्ष तक के) को भोजन का अधिकार प्रदान किया गया है।
खाद्य सुरक्षा भत्ता	• **खाद्यान्न की आपूर्ति न होने की स्थिति में यह पात्र लाभार्थियों को दिया जाता है।**
TPDS में सुधार	• केंद्र और राज्य द्वारा TDPS का पूर्ण रूप से कंप्यूटरीकरण करने, विशिष्ट पहचान के लिए आधार का लाभ उठाने आदि जैसे सुधारों को उत्तरोत्तर बढ़ावा दिया जाएगा।

[84] central issue prices

[85] Priority Households

[86] Integrated Child Development Services

[87] Mid-Day Meal

मुद्दे और चुनौतियां:

- **लाभार्थियों की पहचान:** वर्तमान NFSA और TDPS पहलों को कई कारणों से आलोचना का सामना करना पड़ा है। इन कारणों में निम्नलिखित शामिल हैं- शहरी विभेद, समावेशन व बहिष्करण त्रुटियां और बेघर, प्रवासियों, आदिवासियों आदि जैसे लाभार्थियों को लक्षित करने की दिशा में खराब प्रदर्शन करना इत्यादि।
- **रिसाव और उद्देश्य से इतर उपयोग[88]:** खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा किए गए मूल्यांकन अध्ययनों में **आपूर्ति श्रृंखला के लगभग प्रत्येक बिंदु पर खाद्यान्न के रिसाव, चोरी और उद्देश्य से इतर उपयोग को दर्शाया** गया है। इसमें राज्य के गोदामों में भंडारण से लेकर आवंटन तक और लाभार्थियों को उनके FPS के माध्यम से अंतिम वितरण तक आपूर्ति श्रृंखला के लगभग सभी बिंदु शामिल हैं।
  - चोरी, मल्टीप्ल हैंडलिंग, रिसाव आदि के कारण **खाद्यान्नों के परिवहन के दौरान नुकसान** उठाना पड़ता है।
- **अपर्याप्त भंडारण अवसंरचना:** FCI द्वारा खाद्यान्न की खरीद के बाद, पर्याप्त बुनियादी ढांचे के अभाव में और अवैज्ञानिक प्रबंधन के कारण **खाद्यान्न की बर्बादी** (फफूंदी, चूहों आदि द्वारा) जैसी चुनौतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं।
  - इसके अलावा, **भंडारण के बुनियादी ढांचे में व्यापक स्तर पर क्षेत्रीय असमानता** मौजूद है। साथ ही अधिकांश भंडारण क्षमता पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश आदि जैसे अत्यधिक खरीद करने वाले राज्यों तक सीमित है।
- **भारी राजकोषीय बोझ:** सरकार द्वारा NFSA के तहत 67 फीसदी आबादी को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सब्सिडी के रूप में सालाना लगभग 1.70 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा **केंद्रीय निर्गम मूल्य (CIP) या खाद्यान्नों के रियायती मूल्यों में संशोधन भी नहीं** किया गया है।
  - **प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अतिरिक्त आवंटन का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।** इसने सरकार पर बोझ को और बढ़ा दिया है।
- **लाभार्थियों का अपडेशन नहीं किया जाना:** NFSA के तहत लाभार्थियों की संख्या वर्ष 2013 के स्तर पर बनी हुई है। हालांकि, तब से हुई जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए, NFSA के तहत एक वार्षिक अपडेशन प्रणाली को अपनाकर सूची को अपडेट करने की मांग की जा रही है।
- **केवल अनाज सुरक्षा तक सीमित होना:** अधिनियम में शामिल खाद्य वस्तुओं के अंतर्गत मुख्य रूप से चावल और गेहूं को ही सम्मिलित किया गया है। इसमें दाल, सब्जियों आदि को शामिल नहीं किया गया है।
- **खाद्य वस्तुओं पर मुद्रास्फीति का दबाव:** सरकार द्वारा खाद्यान्नों की निरंतर और बढ़ी हुई खरीद के परिणामस्वरूप खुले बाजार में बिक्री के लिए अल्प मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हो पाते हैं। इससे इनकी कीमतें बढ़ जाती हैं।

[88] Leakages and diversion

- **डिजिटलीकरण से जुड़े मुद्दे:** दूर-दराज के क्षेत्रों में सीमित इन्टरनेट कनेक्टिविटी तथा खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए डिजिटलीकरण, आधार सीडिंग और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया बोझिल है। इसके कारण **निरक्षर गरीब, आदिवासी और महिलाएं खाद्यान्नों की प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं।**
- **अन्य:** अन्य मुद्दों के अंतर्गत उचित दर पर खाद्यान्नों की अनुपलब्धता, गरीबों द्वारा खाद्यान्न का वहन न कर पाना, गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्नों की कमी आदि शामिल हैं।

आगे की राह

- शून्य अपवर्जन (Exclusion) त्रुटि के लक्ष्य के साथ **वैज्ञानिक तरीके से प्राथमिकता वाले परिवारों की पहचान** की जानी चाहिए।
- फर्जी लाभार्थियों और लीकेज को रोकने के लिए **सूचना प्रौद्योगिकी सहायता के साथ लक्षित लाभार्थियों की विशिष्ट पहचान** हेतु प्रयास किए जाने चाहिए।
- खाद्यान्नों के उत्पादन में संधारणीय वृद्धि के लिए कृषि एवं जैव-प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। साथ ही, खाद्यान्नों की गुणवत्ता में सुधार हेतु उन्नत फसलोत्तर प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाना चाहिए।
- अपशिष्ट न्यूनीकरण कार्यक्रमों पर प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए और इस संबंध में जागरूक बनाना चाहिए। साथ ही, **कोष्ठागार (silos), शीत भंडारण श्रृंखला तथा खाद्यान्नों के भंडारण के स्वदेशी तरीकों को विकसित करके भंडारण क्षमता को भी बढ़ाया जाना चाहिए।**
- NFSA के तहत दालों और दुग्ध उत्पादों को शामिल करने के लिए **खाद्यान्न के दायरे को बढ़ाया** जाना चाहिए।
- राजकोषीय बोझ को कम करने के लिए **राष्ट्रीय ग्रामीण और शहरी कवरेज अनुपात** को कम किया जाना चाहिए। इस अनुपात को **नीति आयोग द्वारा सुझाए गए दायरे** (मौजूदा 75-50 से कम करके 60-40 तक) **के अधीन लाया** जाना चाहिए।
    - **CIP को पुनः निर्धारित किया जाना चाहिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में भी इसकी अनुशंसा** की गई थी।
- खाद्यान्न उपलब्ध कराने की जगह **लाभार्थियों के बैंक खाते में खाद्य सब्सिडी के प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण की योजना का विस्तार** किया जा सकता है। इससे खाद्यान्नों की भौतिक आवाजाही को कम करने तथा रिसाव को रोकने आदि में मदद मिलेगी।
    - **वर्तमान में इसे तीन केंद्र शासित प्रदेशों** यथा चंडीगढ़, पुडुचेरी तथा दादरा और नगर हवेली (शहरी क्षेत्रों) **में पायलट आधार पर लागू किया गया है।**

6.3. प्रारूप राष्ट्रीय दिव्यांगजन नीति {Draft National Policy on Persons with Disabilities (PwDs)}

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन नीति का प्रारूप जारी किया है। इसे सार्वजनिक विचार प्राप्त करने के लिए जारी किया गया है।

प्रस्तावित प्रारूप राष्ट्रीय दिव्यांगजन नीति के बारे में

- इसे **नि:शक्तजनों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2006 के स्थान पर लागू** किया जाएगा।
- **इस प्रारूप नीति का उद्देश्य** एक ऐसी प्रणाली की स्थापना करना है, जो **दिव्यांगजनों के समावेशन और सशक्तीकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को** प्रदर्शित करती हो। साथ ही, जो समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी को सुनिश्चित करे और उन्हें **उत्पादक, सुरक्षित व गरिमापूर्ण जीवनयापन** करने में मदद करे।

PwDs के बारे में

- **दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी अक्षमता से प्रभावित व्यक्ति को दिव्यांगजन (PwDs)** कहा जाता है। इन अक्षमताओं से समाज में उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी नहीं हो पाती है।
- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में **दिव्यांगों की संख्या लगभग 2.68 करोड़** है। भारत की आबादी में इनकी कुल हिस्सेदारी **लगभग 2.2%** है।
    - कुल PwD में से 36% हिस्सा कहीं न कहीं कार्यरत/नियोजित है। इनमें 47% पुरुष और 23% महिलाएं हैं।
- **PwDs के संबंध में अब तक चार प्रमुख राष्ट्रीय कानून** निर्मित किए गए हैं। इनमें शामिल हैं:
    - भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992;
    - ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु-दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999;
    - दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016;
    - मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 आदि (इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था)।

- **अनेक कारकों के चलते इस प्रारूप नीति की आवश्यकता महसूस की गई है। इनमें शामिल हैं:**
    - भारत द्वारा वर्ष 2007 में **नि:शक्तजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCRPD)**[89] पर हस्ताक्षर किए गए थे।
    - **दिव्यांगजन अधिकार (RPD) अधिनियम, 2016** का अधिनियमन। इसके तहत दिव्यांगता के विद्यमान प्रकारों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है।
    - समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने वाली **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020** लागू की गई है।
    - **"दिव्यांगजनों के लिए एशिया-प्रशांत दशक हेतु इंचियोन रणनीति 2013-2022" के** एक पक्षकार के रूप में भारत का शामिल होना। इसे **एशिया एवं प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (UNESCAP)** के तत्वावधान में तैयार किया गया है।
        - इस इंचियोन रणनीति के तहत सतत विकास लक्ष्य (SDG) 2030 के अनुरूप दिव्यांगजनों के समावेशन और सशक्तीकरण को सुनिश्चित करने के लिए **एशिया-प्रशांत देशों हेतु 10 लक्ष्यों** को चिन्हित किया गया है।

- **नीति के प्रमुख प्रावधान**

विनिर्देश	विवरण
दिव्यांगता की रोकथाम पर व्यापक राष्ट्रीय कार्यक्रम	• **दिव्यांगजन अधिकार (RPD) अधिनियम के तहत दिव्यांगता के सभी पहलुओं और** अन्य चिकित्सा स्थितियों को शामिल किया गया है। इसके तहत उन्हीं चिकित्सा स्थितियों को शामिल किया गया है, जिन्हें जोखिमपूर्ण अवस्था के रूप में मान्यता प्रदान की गई हो। साथ ही, जिनसे किसी भी रूप में दिव्यांगता के प्रकट होने की संभावना हो।
प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप	• **यदि शुरुआत में ही पहचान कर ली जाए तो बच्चों की अधिकांश दिव्यांगताओं में से एक तिहाई** की रोकथाम की जा सकती है।
सभी प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप केन्द्र (Cross Disability Early Intervention Centres: CDEICs)	• प्रत्येक जिले में विभिन्न दिव्यांगताओं के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह **स्क्रीनिंग और पहचान तथा पुनर्वास सेवाओं के लिए रेफरल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद करेंगे।** • दिव्यांगता के आकलन और प्रमाणन के लिए अभिभावक की मदद करने हेतु प्रारंभिक हस्तक्षेप केन्द्र (EIC) को **विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पोर्टल तक पहुंच** प्रदान की जाएगी।
प्रमाणीकरण	• दिव्यांगजन अधिकार (RPD) अधिनियम, 2016 के अधीन शामिल दिव्यांगता के आधार पर **बाधारहित दिव्यांगता प्रमाणन की सुविधा** प्रदान की जाएगी।

[89] United Nations Convention on Rights of Person with Disabilities

©Vision IAS

शिक्षा	• राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों **को शैक्षिक संस्थानों को अनुमति/मान्यता प्रदान करते समय दिव्यांगजन अधिकार (RPD) अधिनियम के अनुपालन संबंधी प्रावधानों को शामिल करना चाहिए एवं उन पर जोर देना** चाहिए।
राष्ट्र स्तरीय रोजगार पोर्टल	• दिव्यांगजनों को विभिन्न स्थानों पर कौशल प्रशिक्षण, रिक्तियों, पात्रता, भर्ती आदि जैसी जानकारी प्रदान करने हेतु एक पोर्टल विकसित किया जाएगा।
समर्पित दिव्यांगता खेल केंद्र	• प्रत्येक जोन/क्षेत्र में दिव्यांगजनों को प्रशिक्षित करने तथा जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर **पैरालंपिक खेलों को प्रोत्साहित करने** के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं की स्थापना की जाएगी।
परिवहन	• सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय **दिव्यांगजनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले व्यक्तिगत वाहनों से जुड़े आवश्यक संशोधनों** के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करेगा।
कला	• संस्कृति विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के बीच **ललित कला और प्रदर्शन कला को प्रोत्साहित करने** के लिए एक योजना विकसित की जाएगी।
आत्मनिर्भरता	• अनुसंधान पर जोर देते हुए, यह दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरणों के विनिर्माण के लिए **आत्मनिर्भर भारत अभियान को प्रोत्साहित** करेगा।
स्वास्थ्य	• आयुष्मान भारत - प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना **को दिव्यांगजन अधिकार (RPD) अधिनियम के उद्देश्य के साथ समायोजित** किया जाएगा और दिव्यांगजनों के लिए सार्वभौमिक कवरेज को सुनिश्चित किया जाएगा।
दिव्यांगता डेटा प्रबंधन	• सरकार द्वारा **दिव्यांगजनों के एक राष्ट्रीय डेटाबेस के निर्माण हेतु पहले से ही विशिष्ट दिव्यांगता पहचान-पत्र परियोजना को क्रियान्वित** किया गया है। ○ इस डेटाबेस को निकट भविष्य में उपयुक्त एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) एकीकरण की मदद से सभी सेवा वितरण तंत्रों के साथ जोड़ा जाएगा। ○ व्यक्तिगत नागरिकों के लिए बनाई गई सभी योजनाओं और कार्यक्रमों द्वारा दिव्यांगता पर उपलब्ध पृथक डेटा को एकीकृत करने का प्रयास किया जाएगा।
अनुसंधान एवं विकास	• कम लागत वाले, स्वदेशी सहायक साधनों और सहायक उपकरणों के विकास हेतु **भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (ALIMCO)**[90] को अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए।

उठाए जाने वाले कदम

- **भागीदारी बढ़ाना:** कुछ राज्यों ने स्थानीय स्तर पर भागीदारी बढ़ाने के लिए कदम उठाये हैं। उदाहरण के लिए, **छत्तीसगढ़** ने प्रत्येक पंचायत में **कम से कम एक दिव्यांग व्यक्ति को मनोनीत करने हेतु एक पहल की शुरूआत** की है।
    - यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति निर्वाचित नहीं होता है, तो उसे संबंधित कानून में बदलाव के अनुसार पंचायत सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाएगा।
- **क्षमता निर्माण:** दिव्यांगजनों के संगठनों की क्षमता के निर्माण हेतु प्रयास किए जाने चाहिए तथा उनके सदस्यों को सशक्त बनाया जाना चाहिए। यह चुनावी प्रणाली, सरकारी संरचना और बुनियादी संगठनात्मक व जीवन कौशल संबंधी क्षेत्रों में उनके प्रशिक्षण के माध्यम किया जा सकता है।
- **अधिकार-आधारित दृष्टिकोण: 'दान-आधारित दृष्टिकोण' से 'अधिकार-आधारित दृष्टिकोण' की ओर बढ़ने** की आवश्यकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकांश लोग, दिव्यांग व्यक्तियों को 'सहानुभूति' और 'दया' के पात्र के रूप में देखते हैं। इस कारण से

90 Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India

उनके साथ तीसरे दर्जे के नागरिक के रूप में व्यवहार किया जाता है।

- **समन्वय:** दिव्यांगजनों, उनके रोजगार, उनकी शिक्षा आदि के संबंध में पर्याप्त डेटा प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को अन्य हितधारकों के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। साथ ही, उन्हें प्रदान किए गए अधिकारों के वास्तविक क्रियान्वयन हेतु प्रयास करने चाहिए।

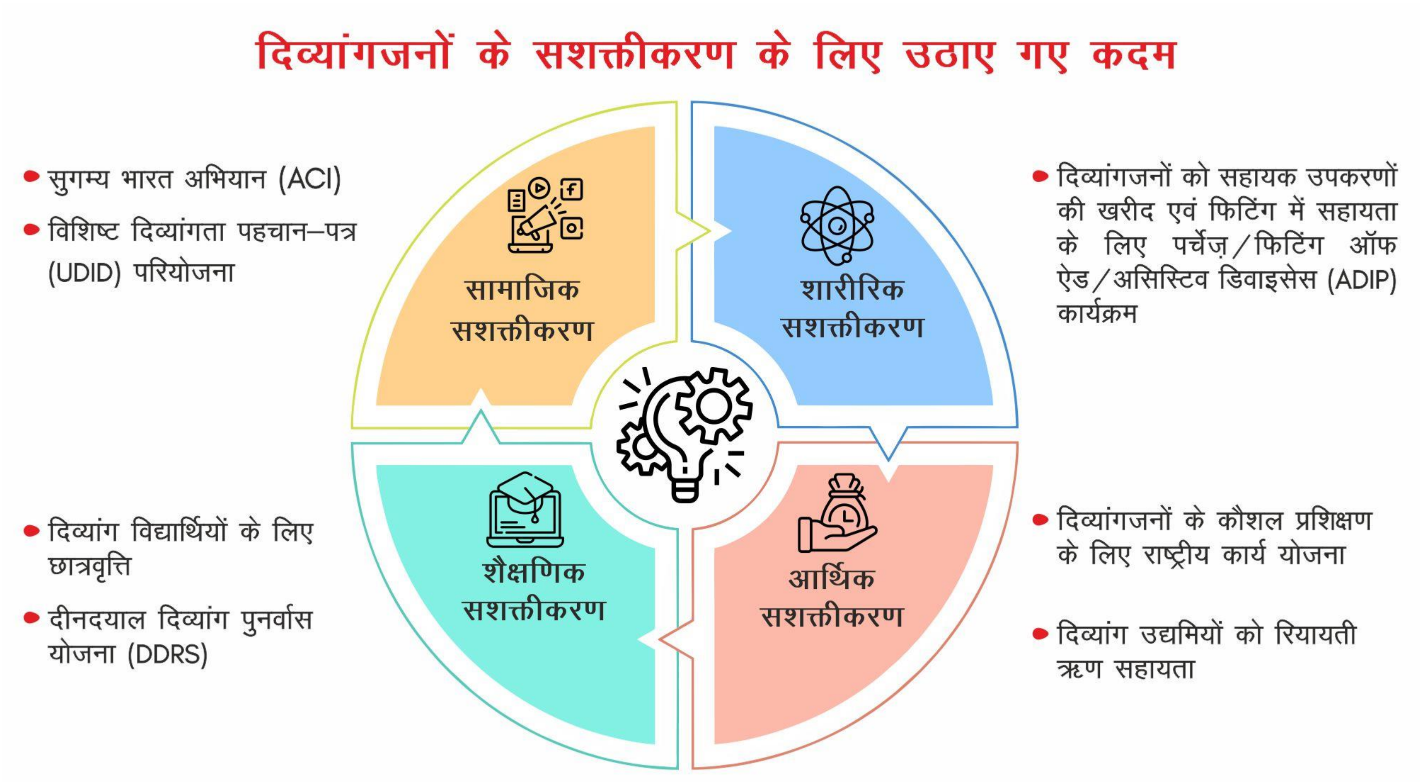

  - इसके अतिरिक्त UNCRPD, इंचियोन रणनीति, सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) आदि जैसे **अंतर्राष्ट्रीय साधनों तथा नए घरेलू कानूनों के मध्य नीतिगत समन्वय स्थापित करने** हेतु भी प्रयास किए जाने चाहिए।
- **जागरूकता बढ़ाना:** पारस्परिक सम्मान और समझ वस्तुतः समावेशी समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। इसलिए, **दिव्यांगता के प्रति सार्वजनिक समझ में सुधार व नकारात्मक धारणाओं का निराकरण किया जाना** चाहिए। साथ ही, **दिव्यांगता को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना अत्यंत आवश्यक है।**
  - उदाहरण के लिए, शिक्षा अधिकारियों को स्कूल को समावेशी बनाने हेतु प्रयास करने चाहिए। साथ ही, स्कूलों में विविधता को महत्व देने की भावना भी होनी चाहिए।

6.4. प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पी.एम. स्वनिधि) (Prime Minister Street Vendors Atmanirbhar Nidhi: PM SVANidhi)

सुर्खियों में क्यों?

सरकार ने **प्रधान मंत्री स्वनिधि योजना की सफलता के उपलक्ष्य में एक सांस्कृतिक उत्सव ('स्वनिधि महोत्सव')** का शुभारंभ किया है।

पीएम स्वनिधि के बारे में

- यह **सूक्ष्म ऋण प्रदान करने हेतु संचालित योजना है।** यह 10,000 रुपये के कार्यशील पूंजी ऋण (संपार्श्विक मुक्त ऋण) की सुविधा प्रदान करती है। इसके तहत 7% की दर से ब्याज सब्सिडी के साथ 20,000 रुपये और 50,000 रुपये तक के ऋण प्रदान किए जाते हैं।
  - यह **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के** अधीन संचालित एक **केंद्रीय क्षेत्र की योजना** है

- इसे **कोविड-19 महामारी से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स (पथ-विक्रेता/रेहड़ी-पटरी वालों) को सहायता प्रदान करने के लिए जुलाई 2020 में लॉन्च किया** गया था। इसे मार्च 2022 तक संचालित किया जाना था। हालांकि, इसे दिसंबर 2024 तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।

- **उद्देश्य**
  - इसके उद्देश्यों में **स्ट्रीट वेंडर्स को कार्यशील पूंजी ऋण की** सुविधा प्रदान करना;
  - **नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करना;**
  - **कैशबैक सुविधा के माध्यम से डिजिटल लेन-देन को पुरस्कृत** करना इत्यादि शामिल हैं।
- **पात्रता**
  - **24 मार्च, 2020 को या उससे पहले से विक्रय में शामिल शहरी क्षेत्रों के सभी स्ट्रीट वेंडर्स इस योजना का लाभ ले सकते हैं।**
  - हालांकि, केवल उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स को ही इस योजना का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, जहां **पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 के अंतर्गत** नियमों एवं योजनाओं को अधिसूचित किया गया है।
- **योजना की विशेषताएं**
  - ऋण के लिए, **कोई संपार्श्विक नहीं लिया जाएगा।**
  - समय पर या ऋण को शीघ्र चुकाने पर, विक्रेता **कार्यशील पूंजी ऋण के अगले चक्र के लिए पात्र होंगे। साथ ही, अगले चक्र हेतु स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कार्यशील पूंजी ऋण की सीमा को भी बढ़ा दिया जाएगा।**
  - **ब्याज दरों को प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप निर्धारित** किया जाएगा। इसके अतिरिक्त गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के मामले में ब्याज दरें भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित ऋणदाता श्रेणी के लिए दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित होंगी।
  - यदि कोई स्ट्रीट वेंडर ऋण की मासिक क़िस्त का समय पर भुगतान और आवश्यक संख्या में डिजिटल लेन-देन करता है, तो उसे **ब्याज सब्सिडी तथा कैशबैक लाभ प्रदान** किया जाएगा। साथ ही, इससे **ऋण को ब्याज मुक्त बनाने में भी मदद** मिलेगी।
  - **कार्यान्वयन भागीदार:** भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में स्ट्रीट वेंडर्स का महत्व

- **पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014[91] के अनुसार, स्ट्रीट वेंडर्स में निम्नलिखित शामिल हैं:**
  - ऐसा व्यक्ति जो **सड़क, फुटपाथ, पैदल पथ आदि स्थानों पर या क्षेत्र में** अस्थायी दुकानों से या एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमकर **प्रतिदिन के उपयोग की वस्तुएं, सामान, माल व खाद्य पदार्थों के विक्रय का कार्य करता है या जनता को सेवाएं प्रदान करने में लगा हुआ** है।
- स्ट्रीट वेंडर्स **देश के लघु उद्यमी (nano entrepreneurs) हैं, जो वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते** हैं।
- वे **औपचारिक अर्थव्यवस्था के साथ संबंध रखते हुए भारत के आर्थिक विकास के एक** अनिवार्य अंग के रूप में शामिल हैं।
- **अनुमानित तौर पर** भारत में स्ट्रीट वेंडर्स की संख्या लगभग **1 करोड़ है। इनमें लगभग 11% शहरी श्रमिक भी शामिल हैं।**
- **पथ विक्रय की अर्थव्यवस्था में प्रतिदिन की हिस्सेदारी लगभग 80 करोड़ रुपये है।** साथ ही, प्रत्येक पथ उद्यमी या व्यापारी औसतन तीन अन्य उद्यमियों या व्यापारियों को सहयोग प्रदान करता है।
- **स्ट्रीट वेंडर्स के लिए अन्य पहलों में शामिल हैं:**
  - **पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम 2014** को सरकार द्वारा शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के अधिकारों के संरक्षण हेतु तथा पथ विक्रय गतिविधियों को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
  - शहरी स्ट्रीट वेंडर्स की सहायता हेतु दीनदयाल अंत्योदय योजना के एक घटक के रूप में **दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)** की शुरुआत की गई है।
  - 125 शहरी स्थानीय निकायों **में स्वनिधि से समृद्धि (SVANidhi se Samriddhi) पहल** को आरंभ किया गया है।

योजना के कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियां

- **पथ विक्रेता अधिनियम 2014 का असमान कार्यान्वयन:** देश भर के राज्यों द्वारा वर्ष 2014 के इस अधिनियम को असमान रूप से लागू किया गया है। यह स्थिति वेंडर्स के सर्वेक्षण की आवश्यकता को प्रदर्शित करती है, ताकि उन्हें स्ट्रीट वेंडर्स प्रमाण-पत्र प्रदान किया जा सके।
- **केवल एक चौथाई स्ट्रीट वेंडर्स को कवर किया गया है:** भारत में अनुमानित 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स में से केवल एक चौथाई स्ट्रीट वेंडर्स को ही कवर किया गया है। योजना के उद्देश्य के तहत अभी आधे स्ट्रीट वेंडर्स (यानी 50 लाख) की पहचान की जानी शेष है।

[91] Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014

- **अनुशंसा पत्र (LOR)[92] का अभाव:** स्वनिधि ऋण योजना के लिए आवेदन करने वालों में से लगभग 85% लोगों के पास स्थानीय नगर निगम द्वारा जारी किया जाने वाला अनुशंसा पत्र उपलब्ध नहीं था।
- **बैंकों द्वारा संशयपूर्ण प्रवृत्ति प्रदर्शित करना:** बैंक कमजोर वेंडर्स को ऋण प्रदान करने में संकोच करते हैं या इस तरह के ऋण प्रदान करने से बचते हैं।
    - साथ ही, कुछ नगरपालिकाएं भी अनुशंसा पत्र जारी करने में सुस्त रही हैं। **इससे ऋण की प्राप्ति हेतु सैकड़ों वेंडर्स को महीनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती** है।
- **प्रणालीगत बाधाएं:**
    - **विभिन्न वेंडर्स के मोबाइल नंबर अब तक उनके आधार कार्ड से लिंक नहीं किए गए हैं।**
    - कई वेंडर्स को **नौकरशाही और पुलिस की उदासीनता जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है।** इसके अतिरिक्त, पुलिस द्वारा कोविड संबंधी प्रतिबंधों की आड़ में, उन्हें परेशान किया गया और उन्हें अपना कारोबार बंद करने के लिए विवश किया गया था।
- **राज्य स्तरीय असमानता:** योजना के कार्यान्वयन के विषय में राज्यों के मध्य असमानता मौजूद है। साथ ही, कुछ क्षेत्रों में वितरण के लिए निर्धारित ऋण को जानबूझकर कम रखा गया है।

आगे की राह

- **संधारणीय योजना:** इस योजना को कोविड जनित आजीविका संबंधी संकट के समाधान के लिए अल्पकालिक उपाय के रूप में शुरू किया गया था। लेकिन **इसे "अति सूक्ष्म उद्योगों" (स्ट्रीट वेंडर्स) के लिए एक संधारणीय विकास योजना के रूप में नए सिरे से पुनः तैयार किया जाना चाहिए।** इससे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए संधारणीय आधार पर ऋण प्राप्त करना संभव हो सकेगा।
- **सभी विक्रेताओं के लिए अनुशंसा पत्रों का प्रावधान:** विक्रेताओं की "C" और "D" श्रेणियों को योजना में शामिल नहीं किया गया है। ये वे हैं जिनके सर्वेक्षण में शामिल किए जाने की संभावना कम है, क्योंकि उनके पास शहरी स्थानीय निकायों से जारी किए जाने वाले विक्रय प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है। अतः ऐसे में उन्हें अनुशंसा-पत्र प्रदान किया जाना चाहिए।
- **स्थानीय प्रशासन की सक्रिय भूमिका:** वर्ष 2014 के इस अधिनियम में टाउन वेंडिंग समितियों के गठन की परिकल्पना की गई थी। यह सरकार द्वारा चिन्हित सभी स्ट्रीट वेंडर्स को मानदंडों के अधीन विक्रय जोन (वेंडिंग जोन) में समायोजित करने हेतु किया गया है।
- **निजी क्षेत्रक की वर्धित भूमिका:** निजी बैंक जो वर्तमान में कुल वितरित ऋण राशि का केवल 2% ही प्रदान करते हैं, वे इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं।

6.5. संक्षिप्त सुर्खियाँ (News in Shorts)

6.5.1. विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति (SOFI) रिपोर्ट, 2022 {The State of Food Security And Nutrition in The World (Sofi) Report, 2022}

- यह रिपोर्ट **निम्नलिखित संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार** की गयी है:
    - खाद्य और कृषि संगठन,

[92] letter of recommendation

- कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष,
- संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ),
- संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम, और
- विश्व स्वास्थ्य संगठन।

- **इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष**
  - वर्ष 2021 में वैश्विक स्तर पर **82.8 करोड़ लोग भुखमरी के पीड़ित** थे। यह संख्या वर्ष 2020 से लगभग 4.6 करोड़ अधिक है।
  - वर्ष 2030 तक भुखमरी, खाद्य असुरक्षा और कुपोषण को उसके सभी रूपों में समाप्त करने का सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लेकिन, इस रिपोर्ट से प्रतीत होता है कि विश्व इस **लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में** आगे नहीं बढ़ रहा है।
  - **खाद्य असुरक्षा और कुपोषण के लिए उत्तरदायी कारक हैं:** संघर्ष, चरम जलवायु स्थितियां, आर्थिक संकट और बढ़ती असमानता ।
- **भारत से संबंधित निष्कर्ष**
  - **कुल जनसंख्या में अल्पपोषण:** 16.3%
  - **5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में दुर्बलता (लंबाई की तुलना में कम वजन):** 17.3%
  - **5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में ठिगनापन (आयु के हिसाब से छोटा कद):** 30.9%
  - **विशेष रूप से स्तनपान करने वाले शिशु:** 58%
- **खाद्य असुरक्षा और कुपोषण से निपटने के लिए सुझाव**
  - **पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन, आपूर्ति और उपभोग को प्रोत्साहित करना** चाहिए। इससे, स्वस्थ आहार को कम खर्चीला, अधिक वहनीय और सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
  - **व्यापार बाधाओं को कम करना** चाहिए। इससे फल, सब्जियों और दालों जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों की कीमत कम करने में मदद मिलेगी।
  - **छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों तथा नागरिक समाज समूहों की भागीदारी** बढ़ायी जानी चाहिए। इससे कृषि खाद्य प्रणालियों के भीतर असमान शक्तियों को संतुलित करने में मदद मिलेगी।।

6.5.2. वैश्विक लैंगिक अंतराल (GGG) रिपोर्ट, 2022 {Global Gender Gap (GGG) Report, 2022}

- **विश्व आर्थिक मंच (WEF)** ने वैश्विक लैंगिक अंतराल (GGG) रिपोर्ट, 2022 जारी की है।
- वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक **चार प्रमुख आयामों पर लैंगिक समानता की वर्तमान स्थिति और उसके विकासक्रम** पर आधारित है (इन्फोग्राफिक देखें)।
  - इस सूचकांक के प्रत्येक चार उप-सूचकांकों और समग्र सूचकांक पर GGG 0 और 1 के बीच अंक प्रदान करता है। जहां **अंक 1 पूर्ण लैंगिक-समानता की स्थिति** दिखाता है, वहीं **0 पूर्ण लैंगिक असमानता की स्थिति** दिखाता है।
  - इस सूचकांक को वर्ष 2006 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य लैंगिक अंतराल को समाप्त करने के लिए **सबसे प्रभावी नीतियों की पहचान करने में सहायता** करना है।
- **रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष**
  - वर्ष 2022 में, विश्व स्तर पर **लगभग 68.1% लैंगिक अंतराल समाप्त हो जाएगा।** वर्ष 2021 की तुलना में यह मामूली सुधार है।
  - रिपोर्ट के अनुसार **मौजूदा प्रगति की दर पर** पूर्ण लैंगिक समानता प्राप्त करने में **132 वर्ष** लगेंगे।
  - अभी तक **किसी भी देश ने पूर्ण लैंगिक समानता हासिल नहीं की** है। विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने लगभग 80% लैंगिक अंतराल समाप्त कर दिया है।
- **भारत से संबंधित निष्कर्ष**
  - भारत **"स्वास्थ्य और उत्तरजीविता"** (health and survival) उप-सूचकांक में **विश्व में सबसे खराब प्रदर्शन** करने वाला देश है। इस उप-सूचकांक में भारत **146वें स्थान** पर है।
  - **राजनीतिक सशक्तीकरण** उप-सूचकांक में भारत के अंक में **गिरावट** दर्ज की गयी है। इसका कारण यह है कि भारत में बहुत कम समय के लिए महिलाएं राज्य प्रमुख के पद पर रही हैं।

○ **पड़ोसी देशों की रैंकिंग भारत से बेहतर** है- बांग्लादेश (71), नेपाल (96), श्रीलंका (110), मालदीव (117) और भूटान (126)।

वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत का प्रदर्शन

सूचकांक/उप-सूचकांक	2022 (146) देश		2021 (156) देश	
	रैंक	स्कोर	रैंक	स्कोर
वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक	135	0.629	140	0.625
राजनीतिक सशक्तीकरण	48	0.267	51	0.276
आर्थिक भागीदारी और अवसर	143	0.350	151	0.326
शिक्षा प्राप्ति	107	0.961	114	0.962
स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता	146	0.937	155	0.937

स्त्रोतः विश्व आर्थिक मंच

6.5.3. प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन क्षमता {Replacement Level Fertility (RLF)}

- हाल ही में, केंद्रीय मंत्री ने **राष्ट्रीय परिवार नियोजन शिखर सम्मेलन 2022** को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत ने प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन क्षमता हासिल कर ली है। साथ ही, देश के **31 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की कुल प्रजनन दर 2.1** या उससे कम है।
  - प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन क्षमता (Replacement level fertility: RLF) प्रजनन क्षमता का वह स्तर है, जिस पर एक जनसंख्या **एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वयं को उतने ही अनुपात में बदल लेती है।**
  - **वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2022** के अनुसार, भारत **वर्ष 2023** में चीन को पीछे छोड़कर **विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश** बन जाएगा।
- कार्यक्रम के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने **भारत परिवार नियोजन 2030 विजन दस्तावेज** भी जारी किया। **इसमें निम्नलिखित विषयों का उल्लेख किया गया है:**
  - **किशोर आयु में बच्चे को जन्म देना और जल्दी/ बाल विवाह:** राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 (NFHS-4) से NFHS-5 के बीच, किशोरियों द्वारा गर्भधारण में मामूली गिरावट दर्ज की गयी है। वर्ष 2015-16 में यह दर 7.9% थी, जो वर्ष 2019-21 में कम होकर 6.8% हो गई थी।
  - **प्रवासन और गर्भ निरोधकों तक पहुंच में कमी:** यह ज्यादातर प्रवासी पति के आने से पहले गर्भनिरोधक तैयारियों की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच नहीं होने आदि के कारण है।
  - जागरूकता कार्यक्रमों में **पुरुषों की कम भागीदारी** होती है।
  - आधुनिक गर्भनिरोधक उपलब्ध कराने में **निजी क्षेत्र की भागीदारी** होनी चाहिए।
- **जनसंख्या नियंत्रण के लिए भारत द्वारा किए गए उपाय**
  - वर्ष 1952 में परिवार नियोजन के लिए **राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत दुनिया का पहला देश** बना था।
  - वर्ष 2000 में **राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन** किया गया था।
  - भारत **परिवार नियोजन (FP) 2020** का सदस्य है। इसे अब **FP 2030** में बदल दिया गया है। यह **परिवार नियोजन के लिए एक वैश्विक पहल** है।

6.5.4. बाल श्रम (Child Labour)

- श्रम पर संसद की स्थायी समिति को सूचित किया गया था कि केंद्र के पास बाल श्रम पर कोई नया डेटा उपलब्ध नहीं है।
- पहली बार एक संसदीय समिति **राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP)** की विस्तृत जांच कर रही है।
  - NCLP योजना का **समग्र शिक्षा अभियान** में विलय कर दिया गया था। इस विलय के बाद NCLP के लिए **बजट की कमी** हो गई थी। इसी कारण बल श्रम से जुड़ा कोई नया डेटा उपलब्ध नहीं हो सका।
- **बाल श्रम के बारे में**
  - **वर्ष 2011 की जनगणना** के अनुसार, भारत में 5-14 वर्ष की आयु के **10.1 मिलियन कामकाजी बच्चे** हैं।

- **बाल श्रम के प्रमुख कारण हैं:** कर्ज का बोझ, सशस्त्र संघर्ष, उपभोक्तावाद, जबरन श्रम आदि।

- **बाल श्रम उन्मूलन के लिए की गई पहलें**
  - भारत ने **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के बाल श्रम के सबसे बुरे रूपों पर अभिसमय-182 और नियोजन के लिए न्यूनतम आयु पर अभिसमय-138** की पुष्टि की है।
  - **बाल श्रम (निषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम 2016:** यह बच्चों (14 वर्ष से कम आयु) के सभी व्यवसायों में और किशोरों (18 वर्ष से कम आयु) के खतरनाक व्यवसायों में नियोजन पर रोक लगाता है।
  - **बाल श्रम निषेध के प्रभावी प्रवर्तन के लिए मंच (पेंसिल/PENCiL):** यह बाल श्रम के पीड़ितों को **बचाने और उनके पुनर्वास** के लिए एक पोर्टल है।

- **बाल श्रम पर संवैधानिक प्रावधान**
  - **अनुच्छेद 21(A) और 45:** इनमें 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है।
  - **अनुच्छेद 23:** यह मानव तस्करी और बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाता है और इसे अपराध घोषित करता है।
  - **अनुच्छेद 24:** 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खदानों और खतरनाक रोजगार में नियोजित करने पर रोक लगाता है।
  - **अनुच्छेद 39:** यह अनुच्छेद राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि कामकाजी लोगों के स्वास्थ्य और क्षमता तथा बच्चों की नाजुक आयु का शोषण न हो।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **सामाजिक मुद्दे** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

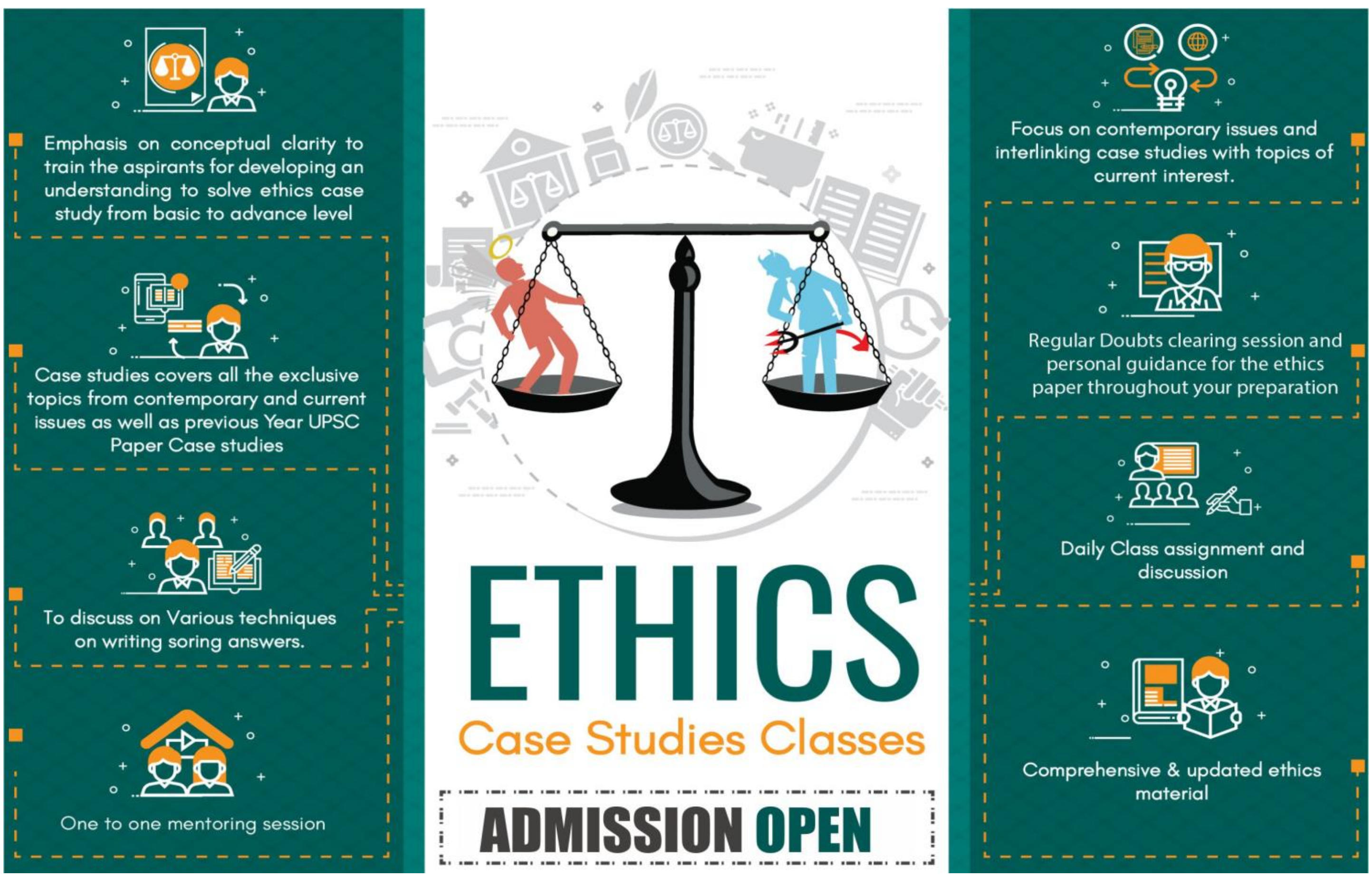

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology)

7.1. क्रिस्पर-कैस 9 (CRISPR-CAS 9)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, क्रिस्पर-कैस 9 एडिटिंग तकनीक का मार्ग प्रशस्त करने वाले शोध-पत्र को प्रकाशित हुए दस साल पुरे हुए हैं। इस शोध-पत्र को सूक्ष्मजीव विज्ञानी इमैनुएल चारपेंटियर और जीव रसायन विज्ञानी जेनिफर डॉडना द्वारा प्रकाशित किया गया था।

महत्वपूर्ण परिभाषाएं

DNA: DNA या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, अधिकांश जीवित प्रजातियों में पाई जाने वाली एक आनुवंशिक सामग्री है।

RNA: RNA या राइबोन्यूक्लिक एसिड अणु एकल स्ट्रैंड वाले न्यूक्लिक एसिड होते हैं। यह कुछ वायरस में पाए जाने वाली आनुवंशिक सामग्री होती है।

जीन: जीन DNA का एक 'विशिष्ट' खंड होता है। यह RNA (ट्रांसक्रिप्शन) या प्रोटीन (ट्रांसलेशन) के निर्माण में मदद करता है।

जीनोम: किसी सजीव के DNA के संपूर्ण सेट को जीनोम कहते हैं। इसमें सभी गुणसूत्र (इसमें DNA होता है) और जीन शामिल होते हैं।

आणविक कैंची: यह DNA के अवांछित हिस्से को काटने हेतु प्रयोग की जाने वाली एक कैंची है। इसे प्रतिबंधन एंजाइम (Restriction Enzymes) भी कहते हैं, क्योंकि ये गाइडेड RNA द्वारा चिन्हित स्थान से अवांछित जीन को हटाने में सहयोग करते हैं।

क्लस्टर्ड रेग्युलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिनड्रॉमिक रिपीट्स (CRISPR)[93] क्या है?

CRISPR वस्तुतः बैक्टीरिया (जीवाणुओं) में पाया जाने वाला एक आनुवंशिक कोड या अनुक्रम है। ये अनुक्रम जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज द्वारा निर्मित होते हैं।

- जीवाणु, अपने पर हमला करने वाले प्रत्येक वायरस को याद रखने के लिए CRISPR अनुक्रम का उपयोग करते हैं। वायरस को याद रखने के लिए जीवाणु **स्वयं के जीनोम में वायरस के DNA को शामिल** कर लेते हैं।
- उपर्युक्त विधि जीवाणु को समान वायरस द्वारा फिर से हमला करने की स्थिति में संरक्षण या प्रतिरक्षा प्रदान करने में सहयोग करती है।
- Cas 9 जीन हमेशा CRISPR अनुक्रम के पास स्थित होते हैं।
- ये जीन सक्रिय हो जाने पर विशेष एंजाइम निर्मित करते हैं, जो CRISPR के साथ विकसित हुए प्रतीत होते हैं। **Cas एंजाइम "आणविक कैंची (Molecular Scissors)" के रूप में कार्य करते हैं जो DNA के हिस्से को काटने में मदद करते हैं।** इसलिए Cas एंजाइम महत्वपूर्ण होते हैं।

CRISPR तकनीक कैसे कार्य करती है?

CRISPR-Cas9 प्रक्रिया में निम्नलिखित 3 प्रमुख तत्व शामिल हैं:

- **गाइड RNA:** यह RNA का एक खंड/हिस्सा होता है, जो लक्षित जीन को चिन्हित करने में मदद करता है। इसे प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है।
- **CRISPR संबद्ध प्रोटीन 9 (Cas9):** यह एक कैंची के रूप में कार्य करता है, जो DNA के अवांछित हिस्से को काटकर हटाने में मदद करता है।
- **DNA:** DNA के वांछित हिस्से को काटे गए स्थान में जोड़ दिया जाता है।

CRISPR के लाभ

- **निदानात्मक और निवारक स्वास्थ्य देखभाल:** इससे, दुर्लभ आनुवंशिक रोगों को जल्द और कुशल तरीके से ठीक करने में मदद मिल सकती है। इससे आनुवंशिक रोगों से संबंधित महामारी विज्ञान (Epidemiology) के निर्धारण में भी मदद मिलेगी। इससे किफायती तरीके से आनुवंशिक परीक्षण तथा आनुवंशिक कैंसर का कुशल निदान आदि संभव हो सकेगा।
- **खाद्य सुरक्षा:** यह **जल की कम आवश्यकता वाली फसलों** और पादपों एवं प्राणियों की **उच्च उत्पादक किस्मों को** तैयार कर दुनिया भर में खाद्य असुरक्षा के समाधान में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।
    - ऐसे प्रयासों के परिणामस्वरूप, फसलों को सूखा और पर्यावरणीय प्रभाव का सामना करने में सक्षम बनाकर **कृषि को अधिक कुशल एवं उत्पादक** बनाया जा सकता है।

[93] Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats

©Vision IAS

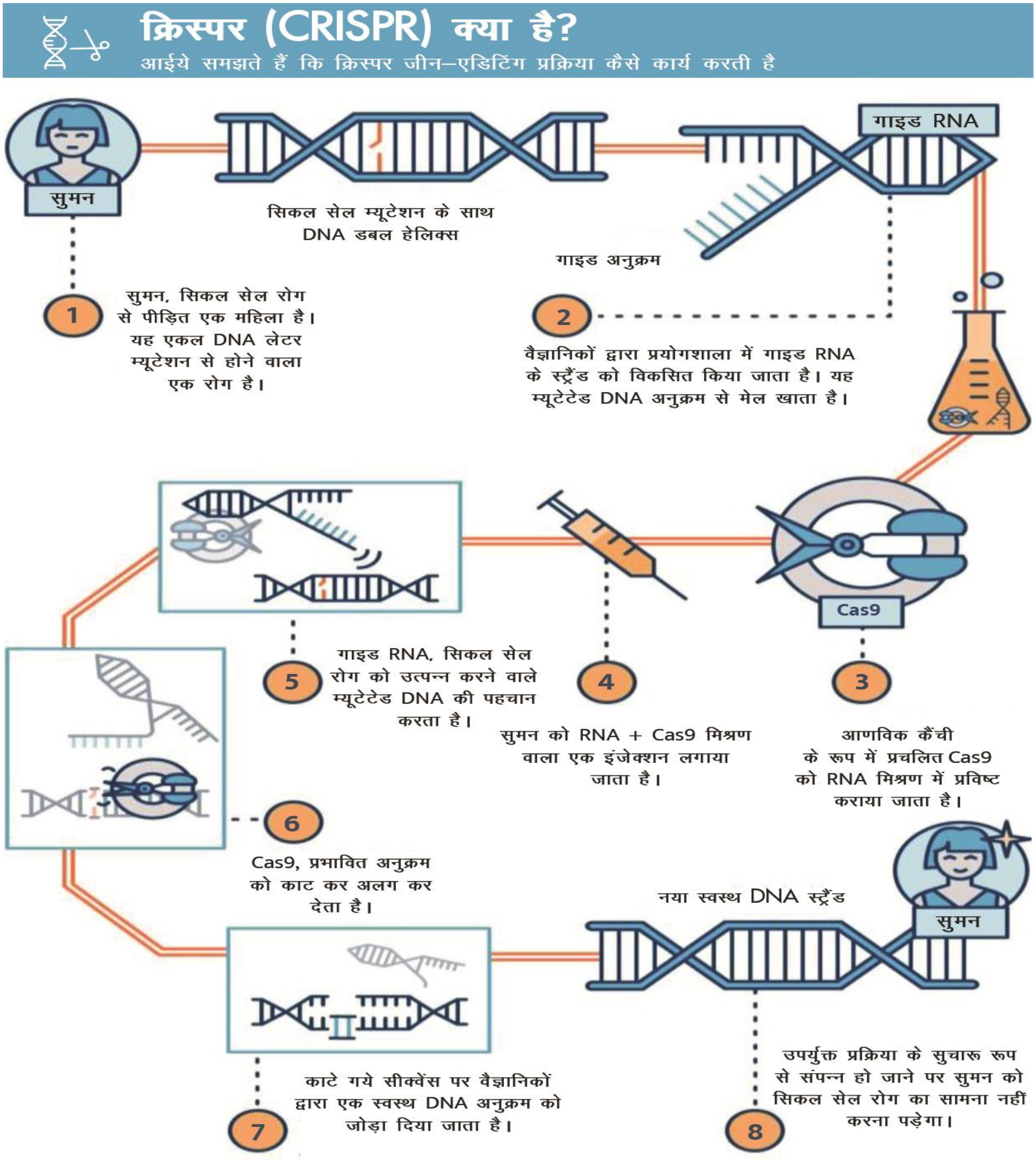

- **फार्मास्यूटिकल और जैव प्रौद्योगिकी:** CRISPR की मदद से बाजार और व्यक्ति विशेष के अनुरूप थेरेपी (उपचार) उपलब्ध कराया जा सकता है।
    - CRISPR द्वारा अर्जित ज्ञान की मदद से दवा खोजने संबंधी पारंपरिक प्रक्रिया में भी तेजी लाई जा सकती है।
- **जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल:** यह कृषि संबंधी उत्सर्जन को कम करने और फसलों को अधिक परिवर्तनशील तथा चरम जलवायु को सहन करने में सक्षम बनाने में मदद कर सकता है। साथ ही, यह अधिक मात्रा में कार्बन को अवशोषित करने और पृथक्करण हेतु फसलों तथा मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीवों का उपयोग करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

CRISPR-Cas9 संबंधी वैज्ञानिक उपलब्धियां

- **कैंसर:** चीन में CRISPR के पहले मानव परीक्षण को शुरू किया गया है। यह परीक्षण **कई प्रकार के कैंसर के इलाज** पर केंद्रित है।
- **HIV:** जापान में कोबे विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा **HIV** को संक्रमित मानव की कोशिकाओं में **फैलने से रोकने** के लिए CRISPR तकनीक का इस्तेमाल किया गया है।
- **पार्किंसन:** संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित बायोफार्मास्युटिकल कंपनी सीलोस थेरेप्यूटिक्स ने पार्किंसन रोग के लिए SLS-004 जीन एडिटिंग थेरेपी का पेटेंट हासिल कर लिया है।
- **आनुवंशिक हेरफेर (Genetic Manipulation):** वर्ष 2015 में, चीन के वैज्ञानिकों ने मायोस्टेटिन जीन को निष्क्रिय करके एक सुपर मस्कुलर बीगल (कुत्ते की एक प्रजाति) को विकसित किया था। मायोस्टेटिन जीन मांसपेशियों को सामान्य आकार में विकसित होने के लिए निर्देशित करता है।

CRISPR-Cas9 प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत द्वारा की गई प्रगति

- **सिकल सेल एनीमिया:** दिल्ली के **इंस्टीट्यूट ऑफ जिनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी** के वैज्ञानिक जीन-एडिटिंग टूल का उपयोग करके आनुवंशिक सिकल सेल एनीमिया रोग को रोकने हेतु समाधान खोजने की दिशा में प्रयासरत हैं।
- **कृषि-खाद्य: राष्ट्रीय कृषि-खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान (NABI)**[94] के शोधकर्ताओं ने CRISPR CAS-9 का उपयोग कर केले के जीनोम में वांछित बदलाव किया है। यह बदलाव केले की **पोषण गुणवत्ता और रोगजनक संबंधी प्रतिरोधक क्षमता** में सुधार करने हेतु किया गया है।
- **दुष्प्रभाव को कम करना: "ऑफ-टारगेटिंग" की समस्याओं** को दूर करने के लिए, व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले **स्ट्रेप्टोकोकस पाइोजेन्स कैस 9**[95] की जगह प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले बैक्टीरिया **फ्रांसिसेला नोविसिडा (Francisella Novicida)** के उपयोग पर शोध किया जा रहा है।
    - **ऑफ-टारगेट प्रभाव:** इसे गैर-लक्षित जीनोम स्थानों पर अवांछित कटाव और उत्परिवर्तन (mutations) के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह लक्षित जीनोम के समान, लेकिन उसकी तुलना में अलग अनुक्रम विशेषता प्रदर्शित करता है।

चुनौतियां

- **नैतिक चुनौतियां:**
    - **'अनुवांशिक रूप से तैयार किए गए शिशुओं (Designer Babies)' से जुड़ी चिंताएं:** मानव भ्रूण से जुड़े अनुवांशिक संशोधन, डिज़ाइनर बेबीज के उद्देश्यों को साकार करने की संभावना प्रस्तुत करते हैं। इनके तहत **भ्रूण में अनुवांशिक संशोधन को चिकित्सा कारणों की बजाए सामाजिक कारणों से बढ़ावा** मिल सकता है। उदाहरण के लिए- उंचाई या बुद्धिमता-क्षमता को बढ़ाने के संदर्भ में।
    - **न्याय और समानता संबंधी मुद्दे:** इससे अमीर और गरीब के बीच मौजूदा अंतराल में और बढ़ोतरी हो सकती है। इसके तहत केवल अमीर ही बेहतर बुद्धिमता या बेहतर रंग के लिए जीन एडिटिंग संबंधी व्यय को वहन कर पाएंगे।
- **जोखिम और लाभ संतुलन:** केवल सैद्धांतिक रूप से संभव कई चिकित्सा उपचार अब व्यावहारिक रूप में भी संभव हो रहे हैं। यह स्थिति इस तकनीक के निम्नस्तरीय या गैर-मानकीकरण उपयोग के साथ-साथ संबंधित शिकायत निवारण समस्याओं को बढ़ावा दे सकती है।
- **पारिस्थितिक प्रभाव:** इससे पर्यावरणीय जीन भंडार को अपरिवर्तनीय स्थायी नुकसान पहुंच सकता है। यह पूरी आबादी में **नकारात्मक लक्षणों वाले जीनों** के समूह के प्रसार को बढ़ावा दे सकता है, जिससे गंभीर पारिस्थितिक परिणामों के साथ पूरी लक्षित आबादी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकती है।

आगे की राह

- **परोपकारी विज्ञान:** इससे संबंधित अनुसंधान को **मानव स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने** के अनुसार डिजाइन किया जाना चाहिए। इस तकनीक के संबंध में अनिश्चित और अर्ली स्टेज संबंधी अनुप्रयोग से बचा जाना चाहिए, ताकि इससे संबंधित जोखिम को कम किया जा सके। इससे संबंधित **अनुसंधान के लाभ और बोझ को व्यापक तथा समान रूप से वितरित करना चाहिए।**
- **सहमति-आधारित इस्तेमाल:** जैव-नैतिकतावादी और शोधकर्ताओं का मानना है कि जनन उद्देश्यों के लिए मानव जीनोम एडिटिंग का प्रयास तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि **सुरक्षित एवं प्रभावी शोध द्वारा इसकी पुष्टि न कर दी जाए।** साथ ही, इस पर सामाजिक सहमति को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

---

[94] National Agri-Food Biotechnology Institute

[95] Streptococcus Pyogenes Cas9

©Vision IAS

- **उपचार हेतु अंतिम उपाय: ह्यूमन जर्मलाइन एडिटिंग** संबंधी सभी नैदानिक परीक्षणों की अनुमति केवल तभी दी जानी चाहिए जब रोग के निवारण के लिए कोई उचित विकल्प उपलब्ध न हो।
  - **जर्मलाइन एडिटिंग:** इसके तहत **आनुवंशिक परिवर्तन हेतु किसी व्यक्ति के जीनोम में काट छांट** की जाती है।
- **औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम**[96]**, 1940** में यह प्रावधान किया गया है कि भारत में सभी नैदानिक परीक्षणों (Clinical Trials) हेतु **बेलमोंट रिपोर्ट** द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। यह **व्यक्तियों के लिए सम्मान, सहयोगात्मक और न्याय** के बुनियादी नैतिक सिद्धांत पर आधारित है।

7.2. अंतरिक्ष पर्यटन (Space Tourism)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इसरो **अंतरिक्ष पर्यटन संबंधी क्षमताओं को विकसित करने की दिशा में प्रयासरत** है। इसके तहत **निम्न भू-कक्षाओं** (LEO)[97] में मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमताओं के प्रदर्शन के लिए कार्य किया जा रहा है।

अंतरिक्ष पर्यटन (स्पेस टूरिज्म) के बारे में

- अंतरिक्ष पर्यटन, अंतरिक्ष यात्रा का ही एक प्रकार है। यह **आम लोगों को मनोरंजन, रोमांच या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष की यात्रा करने का अवसर प्रदान करता है।**
  - इस उद्योग का आकार वर्ष 2019 में 350 मिलियन डॉलर था। **वर्ष 2040 तक इसका आकार 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो जाने की संभावना है।**
- अंतरिक्ष पर्यटन का उद्देश्य **उन लोगों के लिए अंतरिक्ष की यात्रा को अधिक सुलभ बनाना है, जो एस्ट्रोनॉट्स नहीं हैं** तथा जो गैर-वैज्ञानिक कारणों से अंतरिक्ष की यात्रा करने के इच्छुक हैं।
- **तीन निजी कंपनियों,** यथा- ब्लू ओरिजिन, वर्जिन गेलेक्टिक और एलोन मस्क की स्पेसएक्स **के अतिरिक्त कुछ अन्य कंपनियां भी अंतरिक्ष पर्यटन के क्षेत्र में कार्यरत हैं।**
- अंतरिक्ष पर्यटन को **अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है।** इसमें **कक्षीय, उप-कक्षीय और चंद्र पर्यटन (Lunar Tourism)** शामिल हैं।

क्या आप जानते हैं?

- **फेडेरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनेल** (एयरोनाटिक और **अंतरिक्ष** यात्री रिकॉर्ड के लिए वैश्विक स्तर पर एक शासी निकाय) के अनुसार, अंतरिक्ष पृथ्वी की सतह से **100 कि.मी. (लगभग 62 मील)** की ऊंचाई पर आरंभ होता है।
- **'कर्मन रेखा' पर वायुमंडलीय उत्थान किसी उड़ने वाली वस्तु के लिए सहायक नहीं** होता है। उस वस्तु को कक्षीय वेग प्राप्त करना होता है अन्यथा उसके पृथ्वी पर वापस गिरने का जोखिम होगा।

	उप-कक्षीय पर्यटन	**कक्षीय पर्यटन**
ऊंचाई	लगभग **100 किलोमीटर**	**400 किलोमीटर** से अधिक
अंतरिक्ष में समय	यात्रियों को **अंतरिक्ष में कुछ मिनट** व्यतीत करने का अवसर प्रदान किया जाता है।	अंतरिक्ष में **कई दिन या एक सप्ताह से भी अधिक** समय व्यतीत करने का अवसर प्रदान किया जाता है।
वेग	• **उप-कक्षीय उड़ान के लिए** (कक्षीय की तुलना में) **तुलनात्मक रूप से कम गति की आवश्यकता होती** है। ऐसे यानों में कक्षीय वेग को प्राप्त करने की क्षमता नहीं होती है। • इसके तहत अंतरिक्ष यान अपनी क्षमता के अनुसार **एक निश्चित ऊंचाई तक उड़ान भरता है।** इसके बाद इंजन बंद करके यान पृथ्वी की ओर गति करने लगता है।	• **कक्षीय अंतरिक्ष यान को कक्षीय वेग** (अर्थात् किसी पिंड को ग्रह के चारों ओर कक्षा में बने रहने के लिए आवश्यक गति) **प्राप्त करना होता** है। 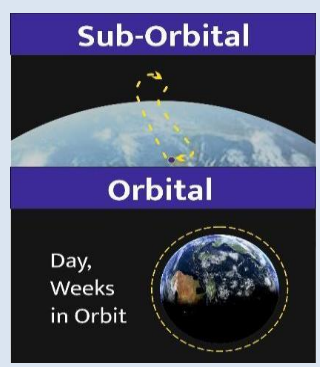

[96] Drugs and Cosmetics Act

[97] Low Earth Orbit

अंतरिक्ष पर्यटन से संबंधित चिंताएं

- **मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव:** यात्रियों को अंतरिक्ष की असामान्य परिस्थितियों से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके तहत यान की सामान्य उड़ान के दौरान भी यात्रियों को तीव्र त्वरण और गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
- **अंतरिक्ष पर्यटन के गवर्नेंस से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय नियमों का अभाव:** इससे संबंधित वाणिज्यिक उत्पादों, सेवाओं, कर्मियों और सुविधाओं के प्रमाणीकरण के लिए नए नियमों की आवश्यकता पड़ सकती है। हालांकि, इससे पहले अंतरिक्ष परियोजनाओं के लिए ऐसे नियमों पर विचार नहीं किया गया था।
- **पर्यावरण पर प्रभाव:** शोधकर्ताओं का मानना है कि, तेजी से बढ़ते अंतरिक्ष पर्यटन उद्योग द्वारा नियमित प्रक्षेपण से ओजोन क्षरण में सुधार हेतु शुरू की गई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधी प्रगति प्रभावित हो सकती है।
- **यात्री दायित्व:** अंतर्राष्ट्रीय संधियों और अभिसमयों का उद्देश्य अंतरिक्ष के संबंध में हस्ताक्षरकर्ता देशों का विनियमन करना है। हालांकि, इन संधियों और अभिसमयों के तहत अंतरिक्ष के संबंध में निजी संस्थाओं के दायित्व को प्रबंधित करने वाले प्रावधान शामिल नहीं हैं।
- **अंतरिक्ष पर्यटक की अस्पष्ट स्थिति:** किसी भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून द्वारा अंतरिक्ष पर्यटकों को परिभाषित नहीं किया गया है। बाह्य अंतरिक्ष संधि[98], रेस्क्यू एग्रीमेंट आदि जैसी मौजूदा अंतरिक्ष संधियाँ केवल एस्ट्रोनॉट्स, मानवता के दूतों या अंतरिक्ष यान के कर्मियों पर ही लागू होती हैं।
- **उच्च लागत:** आम लोगों के लिए अंतरिक्ष पर्यटन को साकार करने हेतु इसकी लागत को काफी कम करना पड़ेगा।

आगे की राह

- निजी अभिकर्ताओं के विनियमन सहित **अंतरिक्ष पर्यटन के मुद्दों को विनियमित करने वाले कानूनों और नियमों को तैयार** किया जाना चाहिए।
- **उप-कक्षीय उड़ानों से संबंधित खतरों को देखते हुए यात्रियों के लिए मेडिकल फिटनेस से संबंधित नियम बनाए जाने की आवश्यकता** है। इससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
- इस तेजी से बढ़ते उद्योग से होने वाली जलवायु सम्बन्धी क्षति को कम करने के लिए **पर्यावरण विनियमन के निर्माण पर ध्यान** दिया जाना चाहिए।
- इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रासंगिक **अंतरिक्ष कानूनों और विनियमों** का निर्माण करना चाहिए। इसके तहत निजी क्षेत्रक को तकनीकी व व्यावसायिक रूप से विकसित होने के लिए **प्रोत्साहित और सहायता** प्रदान की जानी चाहिए।

भारत की पहलें

- **गगनयान मिशन** को वर्ष 2024-25 के मध्य तक **प्रक्षेपित करने की योजना है।**
- **भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe)[99]:** इसका उद्देश्य एंड-टू-एंड अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्रक की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना है। साथ ही, इसके तहत अंतरिक्ष पर्यटन को भी शामिल किया गया है।

[98] Outer Space Treaty

[99] Indian National Space Promotion and Authorisation Centre

अंतरिक्ष अन्वेषण के बारे में और अधिक जानकारी के लिए हमारे इस वीकली फोकस डॉक्यूमेंट को पढ़ें।		
अंतरिक्ष अन्वेषण: बदलती परिस्थितियां और भविष्य के लिए विकल्प	विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के संदर्भ में, अंतरिक्ष अन्वेषण ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे-जैसे यह क्षेत्र वृद्धि कर रहा है, इस क्षेत्रक में आपसी सहयोग की आवश्यकता भी बढ़ गई है। चूंकि भारत इस क्षेत्रक की उभरती हुई शक्ति है, यह अंतरिक्ष सहयोग स्थापित करने और उसे सक्षम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।	

7.3. राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम, 2022 (National Anti-Doping ACT, 2022)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद ने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम, 2022 पारित किया है।

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम, 2022 के बारे में

- यह अधिनियम देश में आयोजित होने वाले **खेलों में डोपिंग की रोकथाम** और डोपिंग रोधी गतिविधियों के लिए **एक कानूनी ढांचा** प्रदान करता है।
- **इस अधिनियम की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र**
  - **डोपिंग पर रोक:** यह अधिनियम खेल के दौरान खिलाड़ियों, सहायक कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों को डोपिंग में शामिल होने से रोकता है। यदि किसी खिलाड़ी या उसके सहायक द्वारा डोपिंग रोधी नियम का उल्लंघन किया जाता है, तो ऐसे में उसे निम्नलिखित परिणामों का सामना करना पड़ेगा:
    - **उसके पदकों, पॉइंट्स और पुरस्कारों को जब्त कर लिया जाएगा।** खेल से संबंधित परिणामों को रद्द कर दिया जाएगा।
    - एक तय अवधि के लिए **किसी प्रतिस्पर्धा या कार्यक्रम में भाग लेने हेतु अयोग्य ठहराया** जा सकता है।
    - **आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।**
    - ऐसे मामले की सुनवाई के बाद **राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अनुशासनात्मक समिति**[100] द्वारा सजा निर्धारित की जाएगी।

---

[100] National Anti-Doping Disciplinary Panel

- **राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA)[101] का गठन:** इस अधिनियम में NADA के काम-काज को वैधानिक ढाँचा प्रदान करने हेतु प्रावधान किए गए हैं। इससे **NADA को भारतीय खेल जगत में नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के उपायों को मजबूत बनाने तथा इसके विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त** होगा।
  - इसे **केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त महानिदेशक** के माध्यम से शासित किया जाएगा।
  - NADA की स्थापना **सोसायटी पंजीकरण अधिनियम** के तहत एक सोसायटी के तौर पर हुई थी। हालांकि, अब इसे भंग करके इसका पुनर्गठन किया जाएगा।

इस कानून के विरोध में उठाए गए मुद्दे

NADA के महानिदेशक की स्वायत्तता के संबंध में:

WADA के अनुसार, ऐसे संगठनों को अपने परिचालन से संबंधित निर्णयों को लेने में स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए। हालांकि, इस अधिनियम के प्रावधान NADA की केंद्र सरकार से स्वायत्तता को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं करते हैं।

अनुशासनात्मक और सुनवाई पैनल से संबंधित स्वतंत्रता के बारे में:

इस अधिनियम में निष्कासन के आधार निर्धारित नहीं किए गए हैं। इसमें बोर्ड को विनियमों के माध्यम से निष्कासन के आधार निर्धारित करने का विवेकाधिकार प्रदान किया गया है।

अनुशासनात्मक और सुनवाई पैनल के सदस्यों की योग्यता के बारे में:

WADA के दिशा–निर्देशों में सुनवाई पैनल के सदस्यों के पास डोपिंग रोधी अनुभव को अनिवार्य किया गया है। हालांकि, इस कानून में इस तरह का कोई प्रावधान शामिल नहीं है।

- **खेल में डोपिंग की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना और गठन:** यह डोपिंग रोधी नियम-कानून और डोपिंग की रोकथाम पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुपालन के संबंध में सरकार को सुझाव देगा।
  - बोर्ड, एजेंसी की गतिविधियों पर नजर रखेगा और उसे निर्देश देगा।
  - डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन की स्थिति में सजा को निर्धारित करने के लिए यह बोर्ड **एक राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अनुशासनात्मक पैनल का गठन** करेगा।
  - बोर्ड एक **राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अपील पैनल का भी गठन** करेगा। इसमें एक अध्यक्ष और चार उपाध्यक्षों (सभी कानूनी विशेषज्ञ) के अलावा दस सदस्य (चिकित्सक और सेवानिवृत्त प्रमुख एथलीट) शामिल होंगे।
- **डोप परीक्षण प्रयोगशाला:** मौजूदा **राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (NDTL)[102]** ही प्रमुख डोप परीक्षण प्रयोगशाला के रूप में कार्य करेगी। केंद्र सरकार अतिरिक्त राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना कर सकती है।

राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (NDTL)

- NDTL की स्थापना खेलों में प्रतिबंधित मादक पदार्थों की जाँच उद्देश्यों से की गई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य इस कार्य में इसे **अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC)** और **WADA** द्वारा स्थायी मान्यता दिलाना था।
- **विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (World Anti-Doping Agency: WADA) ने NDTL को पुनः मान्यता** प्रदान कर दी है। वर्ष 2019 में इसकी मान्यता को निलंबित कर दिया गया था।
  - मान्यता वापस मिलने से **खेल में उत्कृष्टता के उच्चतम वैश्विक मानकों को प्राप्त करने के भारत के प्रयासों को बढ़ावा** मिला है।

डोपिंग के बारे में

- खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए कुछ **ऐसे पदार्थों/दवाओं का सेवन करते हैं जो प्रतिबंधित** है। इसे ही डोपिंग कहा जाता है।
  - इन पदार्थों के सेवन से खिलाड़ियों का प्रदर्शन दूसरे की तुलना में बेहतर हो जाता है। इन पदार्थों/दवाओं का सेवन खिलाड़ियों के स्वास्थ्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। इसलिए इन्हें खेल नियामक निकायों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है।
  - डोपिंग से एक खिलाड़ी को अनुचित लाभ मिलता है, जबकि निष्पक्षता या समानता की भावना को खेल का आधार माना जाता है।

[101] National Anti-Doping Agency

[102] National Dope Testing Laboratory

- **डोपिंग में निम्नलिखित प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है:**

पदार्थ / तरीके	मिलने वाले लाभ
एंड्रोजेनिक एजेंट जैसे एनाबॉलिक स्टेरॉयड्स	• यह एथलीटों को कठोर ट्रेनिंग लेने और उनके गठीले बदन के निर्माण में मदद करता है।
उत्तेजना बढ़ाने वाले पदार्थ (Stimulants)	• यह एथलीटों को अधिक सतर्क बनाने में सहयोग करता है। इसके अलावा यह हृदय की गति और रक्त प्रवाह को बढ़ाकर थकान को कम कर देता है।
डाइयुरेटिक और मास्किंग एजेंट (Diuretics and masking agents)	• इसका इस्तेमाल शरीर से तरल पदार्थ को निष्कासित करने के लिए किया जाता है। यह मुक्केबाजी और घुड़दौड़ जैसे खेलों में प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन को छिपाने में सहयोग कर सकता है। इससे, प्रतिद्वंद्वियों को "मानक वजन के भीतर अपने को समायोजित करने में" मदद मिलती है।
नारकोटिक एनाल्जेसिक्स और कैनाबिनोइड्स	• इसे चोट या थकान के कारण होने वाले दर्द को छिपाने के लिए प्रयोग किया जाता है।
पेप्टाइड हार्मोन	• **एरिथ्रोपोइटिन (EPO) जैसे पदार्थ** शरीर के वजन, क्षमता/शक्ति और लाल रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने में मदद करते हैं। इससे एथलीटों को अधिक ऊर्जा प्राप्त होने लगती है। इसके अतिरिक्त **ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन (HGH)** मांसपेशियों के निर्माण में सहयोग करते हैं।
अन्य	• **जीन डोपिंग:** इसके तहत प्रदर्शन को सुधारने वाले पदार्थों का इस्तेमाल करके शरीर की कोशिकाओं या जीन में फेरबदल किया जाता है। • **ब्लड डोपिंग:** इसके तहत रक्त को शरीर से निकाल दिया जाता है और ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाने के लिए पुनः प्रविष्ट कराया जाता है। • **ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स** गंभीर चोटों को छिपाने में मदद करते हैं क्योंकि ये सूजनरोधी होते हैं और चयापचय (metabolism) को प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त ये ग्लाइकोजन और रक्तचाप के स्तर को भी नियंत्रित करते हैं। • तीरंदाजी और निशानेबाजी जैसे खेलों में **बीटा ब्लॉकर्स** जैसे पदार्थों/औषधियों को प्रतिबंधित किया गया है क्योंकि ये हृदय गति को मंद और हाथों के कंपन को कम कर देते हैं।

- **खेलों में डोपिंग की निगरानी**
    - **विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (WADA)** सभी प्रकार के प्रतिस्पर्धी खेलों में डोपिंग की निगरानी करती है।
        - WADA को एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के तौर पर वर्ष 1999 में स्थापित किया गया था। इसमें दुनिया भर के खेल संगठन और सरकारें शामिल हैं जिनके द्वारा समान रूप से आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है।
    - WADA समय-समय पर प्रतिबंधित पदार्थों और तरीकों की सूची को अपडेट करती रहती है। इनमें, स्टेरॉयड, एनाबॉलिक स्टेरॉयड्स, उत्तेजना बढ़ाने वाले पदार्थ, और जीन डोपिंग शामिल हैं।
        - जैसा कि बताया गया है, चिकित्सीय उपयोग के लिए यदि आवश्यक हो तो निषिद्ध पदार्थों के उपयोग से छूट दी गई है।
    - **WADA, विश्व डोपिंग रोधी संहिता[103] के आधार पर खेलों में डोपिंग की निगरानी करती है।**
        - इस संहिता में खेल संगठनों और सरकारी संस्थाओं के लिए डोपिंग रोधी नीतियाँ, विनियमन और नियमों के निर्माण के लिए एक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराया गया है।
        - **राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेने वाले किसी भी खिलाड़ी को खेल आयोजन के दौरान** डोपिंग रोधी एजेंसी या खेल आयोजन समिति द्वारा किसी भी समय **अपने रक्त और/या मूत्र के नमूने** देने के लिए कहा जा सकता है।
        - प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के दौरान और उसके बाद भी खिलाड़ी की जाँच की जा सकती है।
        - WADA प्रत्यक्ष रूप से स्वयं ऐसे जाँच/परीक्षण नहीं करता है, बल्कि यह **उन प्रयोगशालाओं को अधिकृत** करता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनिवार्य मानकों का पालन करती हैं।
    - **भारत में इसे NADA द्वारा शासित किया जाता है।** यह केंद्रीय खेल मंत्रालय के अधीन संचालित एक स्वतंत्र निकाय है।

[103] World Anti-Doping Code

शिक्षा, महिलाओं, बच्चों, युवाओं और खेलों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने देश में डोपिंग रोधी व्यवस्था को बेहतर तथा मजबूत बनाने के लिए निम्नलिखित उपायों की सिफारिश की है:

- **जमीनी स्तर पर शिक्षा, नियमित परामर्श को बढ़ावा देना तथा जागरूकता बढ़ाने संबंधी उपायों** को अपनाना।
- प्रसिद्ध खिलाड़ियों/ एथलीटों के बीच इसके परिणामों के संबंध में जागरूकता को बढ़ाना।
- इन क्षेत्रों में योग्य कर्मियों की कमी को दूर करने के लिए मेडिकल कॉलेजों/ विश्वविद्यालयों में **खेल विज्ञान और खेल चिकित्सा से जुड़े पाठ्यक्रमों की शुरूआत करना।**
- खिलाड़ियों द्वारा नियमित रूप से सेवन किए जाने वाले सप्लीमेंट्स या न्यूट्रास्यूटिकल्स के लिए **स्वतंत्र निकायों द्वारा 'डोप-मुक्त' प्रमाण-पत्र** को अनिवार्य किया जाना चाहिए।
- नियम बनाते समय **नाबालिग एथलीटों के लिए पृथक प्रावधान** किया जाना चाहिए, ताकि उन तक एक सुरक्षात्मक व्यवस्था उपलब्ध हो सके।
- **आरंभिक पहचान प्रणाली** और एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए आयोजित सभी खेल शिविरों में कम-से-कम एक प्रमाणित स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर की नियुक्ति के प्रावधान को अनिवार्य किया जाना चाहिए।
- खेलों की अखंडता की सुरक्षा के लिए **एथलीटों को उनके दायित्वों के बारे** बताया जाना चाहिए।

7.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts)

7.4.1. ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (Polar Satellite Launch Vehicle: PSLV)

- PSLV ने अपने 55वें मिशन (PSLV-C53) के तहत **सिंगापुर के तीन उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण** किया। यह **न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL)** का दूसरा वाणिज्यिक मिशन भी है।
    - NSIL भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो/ISRO) की **वाणिज्यिक शाखा** है। इसका प्राथमिक उत्तरदायित्व भारतीय उद्योगों को अंतरिक्ष से संबंधित **उच्च प्रौद्योगिकी क्रियाकलापों को करने में सक्षम** बनाना है।

> - **PSLV के बारे में (इसरो का वर्कहॉर्स)**
>   - यह भारत की **तीसरी पीढ़ी** का प्रक्षेपण यान है। यह **तरल चरण से युक्त भारत का पहला प्रक्षेपण यान** है।
>   - यह 600 कि.मी. की ऊंचाई पर **सूर्य-तुल्यकालिक** (Sun-Synchronous) ध्रुवीय कक्षाओं में **1,750 किलोग्राम तक का पेलोड** ले जा सकता है।
>   - PSLV का उपयोग अलग-अलग उपग्रहों को **भू-तुल्यकालिक** (Geosynchronous) और **भू-स्थिर** (Geostationary) कक्षाओं में प्रक्षेपण करने के लिए भी किया जाता है।

- उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने के अलावा, इसरो ने **PSLV कक्षीय प्रयोगात्मक मॉड्यूल** (PSLV Orbital Experimental Module: POEM) का सफल प्रक्षेपण भी किया है। यह एक प्लेटफॉर्म है, जो **PSLV के अंतिम (चौथे) चरण का उपयोग** करके कक्षा में वैज्ञानिक प्रयोगों को संभव बनाता है।
    - PSLV एक **चार चरणों वाला** प्रक्षेपण यान है। इसका **पहला और तीसरा चरण ठोस प्रणोदक वाला जबकि दूसरा और चौथा चरण तरल प्रणोदक** वाला है। उपयोग कर लिए गए **पहले तीन चरण वापस समुद्र में** गिर जाते हैं, वहीं अंतिम चरण **अंतरिक्ष मलबा** बन जाता है।
    - चौथे चरण का उपयोग उन मिशनों में किया जा सकता है, **जिनका भार हल्का होता है।** यह स्टार्टअप्स तथा छात्र और वैज्ञानिक समुदायों की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद कर सकता है।
- POEM में एक **समर्पित नेविगेशन मार्गदर्शन और नियंत्रण प्रणाली** है। यह प्रणाली इसे निर्धारित सटीकता के साथ स्थिर करने के लिए **इसके मस्तिष्क** के रूप में कार्य करेगी।
    - POEM को ऊर्जा इसमें लगे **सौर पैनलों और ली. आयन बैटरी** से प्राप्त होगी।

7.4.2. जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (James Webb Space Telescope: JWST)

- **नासा के 'जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप' (JWST) ने ब्रह्मांड की अभी तक की सबसे गहरी अवरक्त तस्वीर खींची है।**
- इस तस्वीर को वेब की **पहली डीप फील्ड** कहा जा रहा है। यह तस्वीर **आकाशगंगा समूह 'SMACS 0723'** को दर्शाती है। यह समूह 4.6 बिलियन वर्ष पहले प्रकट हुआ था।

- JWST का लक्ष्य **बिग बैंग के बाद निर्मित शुरुआती आकाशगंगाओं या चमकदार पिंडों की खोज करना है।** इसके अलावा, यह आकाशगंगाओं के विकास, तारों के निर्माण आदि पर भी अध्ययन करता है।
- JWST, नासा (NASA) की 'इन्फ्रारेड फ्लैगशिप' वेधशाला है। यह **नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है।**
  - इसे **'सूर्य-पृथ्वी लैग्रेंज बिंदु-2' (L2)** में स्थापित किया गया है।
- JWST को **'हबल स्पेस टेलीस्कोप' (HST) का अगला चरण माना जा रहा है।**

	हबल	JWST
पृथ्वी से दूरी	507 कि.मी.	दूसरे सूर्य-पृथ्वी लैग्रेंज बिंदु पर 1.5 मिलियन कि.मी.
प्राइमरी मिरर डायमीटर	2.4 मीटर	6.5 मीटर
खोज का विषय	युवा आकाशगंगाएँ (12.5 अरब वर्ष पूर्व)	ब्रह्मांड के निर्माण के समय बनी (न्यूबोर्न) आकाशगंगाएँ (13.5 अरब वर्ष पूर्व)
सर्विसेबल (मरम्मत योग्य)	हाँ	नहीं
तरंग दैर्ध्य	दृश्यमान, पराबैंगनी, निकट-अवरक्त (Near-Infrared) का हिस्सा	निकट और मध्यम अवरक्त

7.4.3. डार्क मैटर डिटेक्टर LUX-ZEPLIN (LZ) {LUX-ZEPLIN (LZ) Dark Matter Detector}

- संयुक्त राज्य अमेरिका में **LZ डिटेक्टर** के परीक्षण से यह पता चला है कि यह अब तक बनाया गया **सबसे संवेदनशील डार्क मैटर डिटेक्टर** है।
- जो **ब्रह्मांड** हमें दिखाई देता है, उसमें **पृथ्वी, सूर्य, अन्य तारे और आकाशगंगाएं** शामिल हैं। यह दृश्यमान ब्रह्मांड **प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉनों** से बना है। ये सभी परमाणुओं में एक साथ बंधे हुए हैं।
  - बेरियोनिक पदार्थ को "ऑर्डिनरी (साधारण) मैटर" भी कहा जाता है। यह पदार्थ **ब्रह्मांड के द्रव्यमान के 5 प्रतिशत से भी कम है। ब्रह्मांड में दृश्यमान पदार्थ को ही बेरियोनिक पदार्थ** कहा जाता है।

- **LUX-ZEPLIN (LZ) डिटेक्टर के बारे में**
  - यह एक भूमिगत डिटेक्टर है। इसे **कमजोर रूप से अंतर्क्रिया करने वाले विशालकाय कणों (WIMPs)** के रूप में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  - इस डिटेक्टर में एक **विशाल टाइटेनियम टैंक** है। इसमें अत्यंत शुद्ध तरल ज़ेनान भरा होता है।
  - LZ का केंद्र पृथ्वी के **सबसे शुद्ध स्थानों में से एक** है। यहां सबसे शुद्ध स्थान का अर्थ है विकिरण और धूल से मुक्त स्थान।
  - इस डिटेक्टर में **संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, पुर्तगाल और कोरिया** के वैज्ञानिक एवं संस्थान सहयोग कर रहे हैं।

  - **शेष ब्रह्मांड** एक रहस्यमय अदृश्य पदार्थ से बना हुआ है। इस अदृश्य पदार्थ को ही **डार्क मैटर** कहा जाता है। **डार्क मैटर** ब्रह्मांड का 25% भाग है। ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण को पीछे हटाने वाला (विकर्षित करने वाला) बल **डार्क एनर्जी** कहलाता है। ब्रह्मांड का 70 प्रतिशत भाग डार्क एनर्जी से निर्मित है।
- ऑर्डिनरी मैटर के विपरीत, डार्क मैटर **विद्युत चुम्बकीय बल के साथ अंतर्क्रिया नहीं** करता है। इसका अर्थ है कि यह न तो प्रकाश को अवशोषित करता है तथा न ही परावर्तित (Reflect) या उत्सर्जित करता है। इस कारण **इसे पहचानना अत्यधिक कठिन** हो जाता है।
  - वैज्ञानिक **दिखाई देने वाले पिंडों पर डार्क मैटर के पड़ने वाले प्रभावों का अवलोकन करके** डार्क मैटर का अध्ययन करते हैं।
- **डार्क मैटर के अध्ययन का महत्व**
  - यह आकाशगंगाओं के भीतर **तारों की अस्पष्ट गतियों के लिए जिम्मेदार** हो सकता है।
  - यह ब्रह्मांड के विकास और तारों, ग्रहों आदि की उत्पत्ति को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।

 ©Vision IAS

- **यह निम्नलिखित को निर्धारित करने में भी मदद करेगा:**
  - ब्रह्मांड **मुक्त** है (अर्थात् विस्तार जारी है), या
  - **बंद** है (एक बिंदु तक विस्तार करता है और फिर समाप्त हो जाता है) या
  - **सपाट** है (विस्तार करता है और फिर संतुलन तक पहुंचने पर रुक जाता है)।

7.4.4. पेंटाक्वार्क और टेट्राक्वार्क (Pentaquarks and Tetraquarks)

- **लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर ब्यूटी (LHCb)** प्रयोग ने यूरोपियन ऑर्गनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च (CERN/ सर्न) में **तीन नए कणों को खोजा है।**
  - **एक नए प्रकार का पेंटाक्वार्क** और पहली बार खोजे गए **युग्म टेट्राक्वार्क** नए हैड्रॉन की सूची में शामिल तीन कण हैं।
  - ये भौतिकविदों को **बेहतर ढंग से यह समझने में मदद करेंगे कि क्वार्क मिश्रित कणों में** एक साथ कैसे **आबद्ध होते हैं।**
- **क्वार्क मूल कण होते हैं। ये सामान्यतः दो और तीन के समूहों में संयोजित होकर** हैड्रॉन का निर्माण करते हैं, जैसे प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन मिलकर परमाणु के नाभिक का निर्माण करते हैं।
  - ये **चार-क्वार्क और पांच-क्वार्क कणों में भी संयोजित हो सकते हैं।** इन्हें टेट्राक्वार्क और पेंटाक्वार्क कहा जाता है।

7.4.5. फाइबराइजेशन (Fiberisation)

- सरकार ने **टेलीकॉम एयरवेव्स के लिए 5जी स्पेक्ट्रम नीलामी** शुरू की है। हालांकि, इस क्रम में फाइबराइजेशन के लिए जरूरी अवसंरचना संबंधी चुनौतियां सामने आ रही हैं।
- **फाइबराइजेशन (Fiberisation),** ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से रेडियो टावरों को एक दूसरे से जोड़ने की प्रक्रिया है।
  - यह नेटवर्क का वह हिस्सा है, जो **5G** सेवाओं में उपयोग किए जाने वाले डेटा की बड़ी मात्रा के संचार के लिए **नेटवर्क के कोर को एक छोर से जोड़ता है।**
  - इसके अलावा, यह **अतिरिक्त बैंडविड्थ और मजबूत बैकहॉल** आधार भी प्रदान करता है।
  - भारत में, वर्तमान में **केवल 33% टावर फाइबर केबल से जुड़े** हुए है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और चीन में यह अनुपात 80% से 90% के बीच है।
  - 5G सेवा शुरू करने के लिए, भारत को कम से कम **16 गुना अधिक फाइबर की आवश्यकता** है।
- **फाइबराइजेशन से संबंधित चुनौतियां**
  - **पूंजी संबंधी बाधा:** भारत में 70% टावरों को फाइबर युक्त बनाने के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता है।
  - **समय की कमी:** देश के प्रत्येक गांव को 1000 दिनों में ऑप्टिकल फाइबर केबल (OFC) से जोड़ने के लिए, एक दिन में 1251 किमी की गति से केबल बिछाए जाने की आवश्यकता है। यह वर्तमान गति से लगभग 3.6 गुना अधिक है।

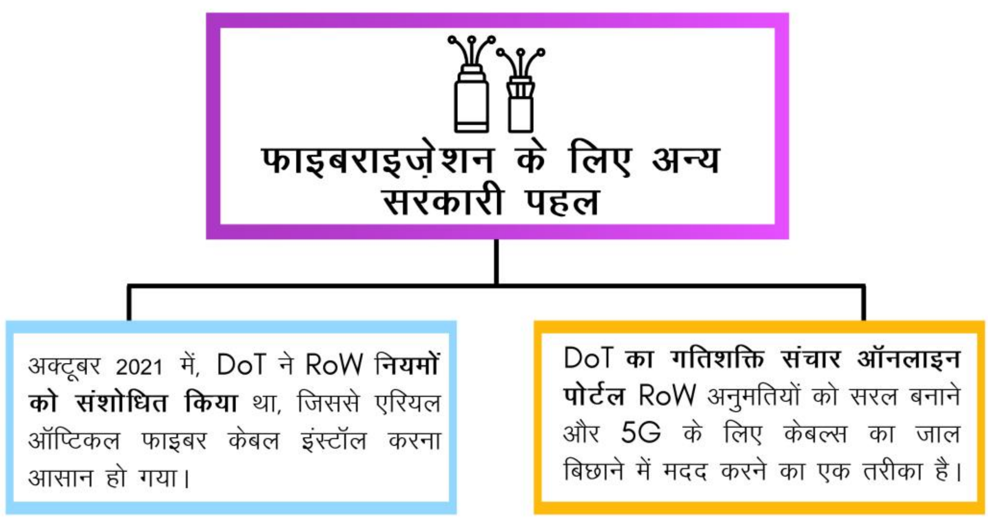

  - **भारतीय टेलीग्राफ का मार्ग का अधिकार (Right of Way: RoW) नियम 2016 का अप्रभावी कार्यान्वयन:** ये नियम ओवरग्राउंड टेलीग्राफ लाइन (OTL) की स्थापना के लिए एकमुश्त मुआवजे और एक समान प्रक्रिया का प्रावधान करते हैं।

7.4.6. तिहान (टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनॉमस नेविगेशन) {TiHAN (Technology Innovation Hub on Autonomous Navigation)}

- भारत के पहले स्वायत्त नेविगेशन सुविधा केंद्र **तिहान** का उद्घाटन **आईआईटी हैदराबाद** में किया गया है। इसे मानव रहित जमीनी और हवाई वाहन परीक्षण दोनों के लिए विकसित किया गया है।
- तिहान विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक **बहु-विषयक पहल है।** इसका उद्देश्य भारत को **भविष्य और अगली पीढ़ी की 'स्मार्ट मोबिलिटी' तकनीक** में एक वैश्विक दिग्गज बनाना है।
- **तिहान उद्योगों,** अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं तथा शिक्षाविदों को **स्वायत्त नेविगेशन में अनुसंधान के लिए एक मंच प्रदान करेगा।**
- तिहान **राष्ट्रीय अंतःविषय साइबर भौतिक प्रणाली (NM-ICPS)** मिशन के तहत **25 प्रौद्योगिकी नवाचार** केंद्रों में से एक है।

7.4.7. क्रिप्टोजैकिंग (Cryptojacking)

- क्रिप्टोजैकिंग, एक साइबर हमला है। इसका पता लगाना मुश्किल है। इसमें एक कंप्यूटिंग डिवाइस को हमलावर हैक कर लेता है। इसके बाद वह अवैध रूप से क्रिप्टोकरेंसी के 'कॉइन माइनिंग' के लिए इसके संसाधनों का उपयोग करता है।
- कॉइन माइनिंग **एक वैध व प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया** है। इसका उपयोग **नए क्रिप्टो क्वाइन्स को प्रचलन** में लाने या **नए लेन-देन को सत्यापित करने** के लिए किया जाता है।
  - इसमें ब्लॉकचेन में जोड़े जाने वाले **सत्यापित लेन-देन के ब्लॉक्स** उत्पन्न करने के लिए **जटिल कम्प्यूटेशनल समस्याओं को हल करना** शामिल है।

7.4.8. बैटरी प्रमाणन और गुणवत्ता नियंत्रण (Battery certification and Quality Control)

- **इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है।** इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने बैटरी प्रमाणन और गुणवत्ता नियंत्रण पर प्रक्रियाएं तैयार करने के लिए एक कार्यदल का गठन किया है।
- इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों में **निम्नलिखित कारणों से आग लगने का खतरा** पैदा हो सकता है:
  - विनिर्माण दोष,
  - बाह्य क्षति,
  - दोषपूर्ण चार्जिंग,
  - बैटरी प्रबंधन प्रणाली को स्थापित करने में दोष आदि।
- जलवायु परिवर्तन की बढ़ती चिंता और कच्चे तेल के आयात बिल में कमी लाने के प्रयासों को ध्यान में रखते हुए सरकार **यात्री वाहन मालिकों को इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए प्रोत्साहित** कर रही है।
  - इलेक्ट्रिक वाहनों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए **अलग-अलग प्रकार की बैटरियां** उपलब्ध हैं। जैसे **ली. आयन, सॉलिड स्टेट, निकल-मेटल हाइड्राइड** आदि।
  - हालांकि, इनमें से **ली. आयन बैटरियों को सबसे अधिक पसंद** किया जाता है। **इसके निम्नलिखित कारण हैं:**
    - वजन की तुलना में अधिक ऊर्जा अनुपात,
    - उच्च ऊर्जा दक्षता,
    - कम स्वतः-डिस्चार्ज आदि।
- **बैटरी सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम**
  - **भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)** ने EV बैटरियों के लिए **प्रदर्शन मानक** तैयार किए हैं।
  - आग लगने की घटनाओं के कारणों की जांच करने के लिए एक **जांच समिति का गठन** किया गया है।
  - **रिजेनेरेटिव ब्रेकिंग प्रणाली** शुरू की गयी है, जो ऊर्जा की पुनर्प्राप्ति के द्वारा बैटरी की रेंज को बढ़ाती है।
  - कारखानों और घरेलू ऊर्जा बैटरी भंडारण प्रणालियों में **EV बैटरियों के फिर से उपयोग को बढ़ावा** दिया जा रहा है।

7.4.9. जीनोमिक्स तक त्वरित पहुंच पर रिपोर्ट (Report on Accelerating Access to Genomics)

- WHO की **साइंस काउंसिल ने वैश्विक स्वास्थ्य के लिए जीनोमिक्स तक पहुंच में तेजी लाने पर केंद्रित अपनी पहली रिपोर्ट जारी** की है। इसमें तर्क दिया गया है कि समृद्ध देशों की तुलना में कम संसाधन वाले देशों को ऐसी तकनीकों तक देर से पहुंच प्राप्त होती है। यह नैतिक या वैज्ञानिक रूप से उचित नहीं है।
    - साइंस काउंसिल की स्थापना वर्ष 2021 में WHO के महानिदेशक ने की थी। इसका उद्देश्य WHO की **विज्ञान और अनुसंधान रणनीति पर मार्गदर्शन प्रदान** करना है।
- **रिपोर्ट की सिफारिशें चार विषयों पर केंद्रित हैं:**
    - जीनोमिक्स को बढ़ावा देने का **समर्थन;**
    - जीनोमिक पद्धतियों का **कार्यान्वयन;**
    - जीनोमिक्स में कार्यरत संस्थाओं के बीच **सहयोग; तथा**
    - जीनोमिक्स से पैदा हुए **नैतिक, कानूनी और सामाजिक मुद्दों (ELSIs) पर ध्यान केंद्रित करना।**
- **जीनोमिक्स जीवों के संपूर्ण जीनोम** और उससे बड़ी मात्रा में उत्पन्न संबंधित जानकारियों का **अध्ययन** है।
    - दूसरी ओर, **जेनेटिक्स, आनुवंशिकी के अध्ययन से भी संबंधित** है।
- **जीनोमिक्स के अनुप्रयोग और उपयोग:**
    - **चिकित्सा संबंधी उद्देश्यों के लिए मानव जीनोमिक्स:** आनुवंशिक विकारों की रोकथाम, निदान, पूर्वानुमान, प्रबंधन, निगरानी और उपचार।
    - **चिकित्सा संबंधी उद्देश्यों के लिए माइक्रोबियल जीनोमिक्स:** संक्रामक अभिकारकों की पहचान, वैक्सीन डिजाइन आदि।
    - **कृषि और जलीय कृषि जीनोमिक्स:** नए लक्षणों की पहचान और रोगों के प्रति संवेदनशीलता आदि।
    - **जैविक और चिकित्सा अनुसंधान:** दवा विकास, रोग को प्रभावित करने वाले जीन की खोज आदि।
    - **अन्य:** फोरेंसिक विज्ञान, वंशावली का आकलन आदि।

भारत में जीनोमिक्स संबंधी पहलें:

- जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT), **'जीनोम इंडिया: कैटलॉगिंग द जेनेटिक वेरिएशन इन इंडियंस'** परियोजना संचालित कर रहा है।
- वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) द्वारा **इंडीजेन (IndiGen) कार्यक्रम चलाया जा रहा है।**
- **भारतीय सार्स-कोव-2 (SARS-CoV-2) जीनोमिक्स कंसोर्टियम** (INSACOG) आयोजित किया जाता है।

7.4.10. 'औषधि, चिकित्सा उपकरण और प्रसाधन सामग्री विधेयक-2022' का प्रारूप (Draft 'Drug, Medical Devices, and Cosmetics Bill-2022')

- इस विधेयक में **बदलती जरूरतों और तकनीक के साथ तालमेल** बनाए रखने के लिए सख्त विनियामकीय दिशा-निर्देश निर्धारित किये गए हैं। यह विधेयक पारित होने के बाद **वर्ष 1940 के 'औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम'** का स्थान लेगा।
    - भारत, **विश्व में चिकित्सा उपकरणों के शीर्ष 20 बाजारों में** शामिल है।
    - इस बाजार का मूल्य वर्ष 2020 के 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर **वर्ष 2025 तक 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर** होने की संभावना है।
- **इस प्रारूप विधेयक की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं-**
    - इसमें क्लिनिकल ट्रायल, ओवर-द-काउंटर दवाएं, दवा निर्माताओं, चिकित्सा उपकरणों, नई दवाओं, जैव उपलब्धता अध्ययन (Bioavailability Study), नई दवा की जांच और आयातित नकली दवाओं के लिए **नई परिभाषाएँ** तय की गई हैं।
    - राज्य और केंद्रीय स्तर पर दवा प्रयोगशालाओं की तरह **'चिकित्सा उपकरण परीक्षण केंद्र'** बनाने का प्रावधान किया गया है।
    - **ऑनलाइन फार्मेसी और चिकित्सा उपकरणों के लिए विनियमन** का प्रावधान किया गया है।
    - दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के नैदानिक परीक्षण के लिए **'केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण'** की अनुमति आवश्यक होगी।
    - सुझाव देने के लिए एक अलग **'औषधि प्रौद्योगिकी सलाहकार बोर्ड' और 'चिकित्सा उपकरण तकनीकी सलाहकार बोर्ड'** का गठन किया जाएगा।
    - केंद्र जनहित में किसी नए चिकित्सा उपकरण का निर्माण या आयात के लिए **आवश्यक नैदानिक परीक्षण नहीं करने की अनुमति** दे सकेगा।

- दवाओं के नैदानिक परीक्षण के दौरान **चोट लगने या मृत्यु के मामले में कारावास और मुआवजे का प्रावधान** किया गया है।
- एक **'वैज्ञानिक अनुसंधान बोर्ड'** की स्थापना की जाएगी। यह बोर्ड **आयुर्वेद, सिद्ध, सोवा-रिग्पा, यूनानी और होम्योपैथी की नवीन औषधियों के विकास में** सहायक होगा।

7.4.11. मंकीपॉक्स (Monkeypox)

- मंकीपॉक्स संक्रमण, WHO के अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (IHR), 2005 के तहत (Public health emergency of international concern: **PHEIC) की शर्तों को पूरा करता है।**
- IHR के अनुसार, किसी बीमारी के प्रकोप को **PHEIC** तभी घोषित किया जाता है, यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है:
  - यह **असामान्य या अप्रत्याशित** है,
  - इसका संक्रमण **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल सकता** है, और
  - अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर **कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता** है।
    - एक बार जब यह प्रकोप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल जाता है, तो इसे **महामारी (Pandemic)** घोषित कर दिया जाता है।

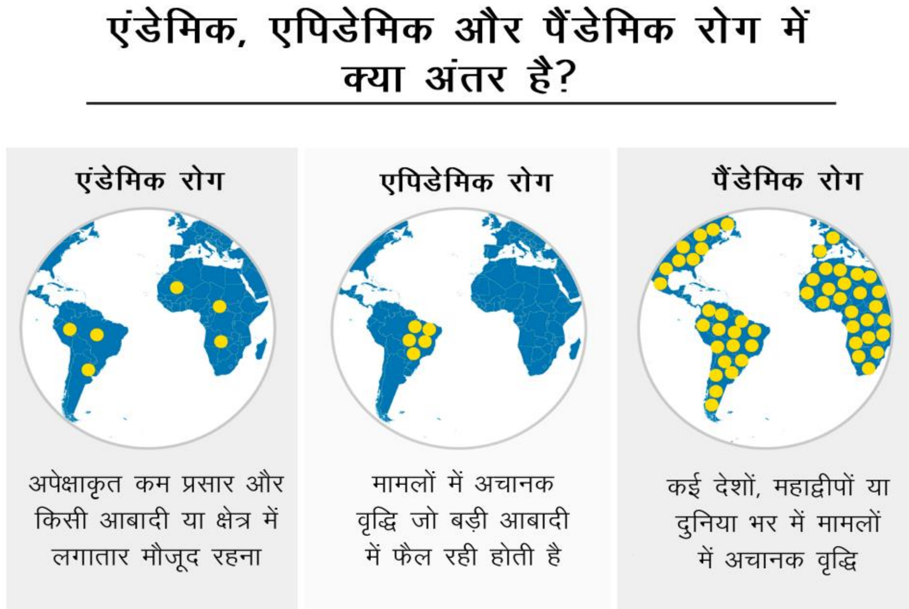

- PHEIC विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी की जाने वाली उच्चतम स्तर की चेतावनी है। इसकी घोषणा के बाद टीकों और उपचारों को साझा करने पर सहयोग करने के लिए **धन आवंटन तथा वैश्विक प्रयास शुरू** कर दिए जाते हैं।
  - इस वर्ष अब तक **60 से अधिक देशों में मंकीपॉक्स के 15000 मामले** सामने आ चुके हैं।

मंकीपॉक्स, कोरोना वायरस, जीका और इबोला जैसी कई बीमारियां सर्वप्रथम एशिया या अफ्रीका में ही क्यों उत्पन्न होते हैं?

- इन **महाद्वीपों में मनुष्यों की सघन आबादी वाले क्षेत्रों की अधिकता** के कारण इनके जानवरों के संपर्क में आने की संभावना बढ़ जाती है।
- गौरतलब है कि जैव विविधता समृद्ध **उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ऐसे रोगजनक सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं।** ऐसे में इन क्षेत्रों में नए रोगजनकों के उत्पन्न होने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है।
- **शहरीकरण और अवसंरचना विकास में तीव्र वृद्धि** के साथ-साथ जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों के विनाश ने पिछले कुछ दशकों में **प्रजातियों के मध्य अन्तःक्रिया** को बढाया है।
- इन दोनों महाद्वीपों में अधिकांश **परिवार जीवन निर्वाह कृषि और सीमित पशुधन संसाधनों की आपूर्ति पर निर्भर** हैं। अतः ऐसी परिस्थितियों में यहां पशुओं के **रोग नियंत्रण, चारा और उनके आवास उपलब्धता को सुनिश्चित कर पाना अत्यंत कठिन** हो जाता है।

- **मंकीपॉक्स के बारे में**
  - यह एक **वायरल** रोग है। यह संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क में आने से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति में **फ्लू जैसे लक्षण** दिखाई देते हैं और **त्वचा पर मवाद से भरे घाव** बन जाते हैं।
  - अफ्रीका के बाहर **मंकीपॉक्स** का वर्तमान संक्रमण पिछले संक्रमण से बिलकुल अलग है। वर्तमान में **एक व्यक्ति-से दूसरे व्यक्ति में निरंतर संक्रमण** देखा जा रहा है।
  - अफ्रीका के बाहर वर्तमान संक्रमण के मामले मुख्य रूप से **पुरुषों के साथ लैंगिक संबंध रखने वाले पुरुषों में** ही देखे जा रहे हैं। अफ्रीका में यह स्थानिक (एंडेमिक) रोग है।
- **अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (IHR), 2005 के बारे में**
  - यह एक **बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय कानूनी समझौता** है। इस समझौते में **WHO के सभी सदस्य देशों सहित दुनिया भर के 196 देश** शामिल हैं।

7.4.12. अफ्रीका का पहला मलेरिया टीका (Africa's 1st Malaria Vaccine)

- वैश्विक वैक्सीन गठबंधन **(GAVI)** ने वर्ष 2022-2025 के बीच अफ्रीका में पहला मलेरिया टीकाकरण संचालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन में 160 मिलियन डॉलर की घोषणा की है।
  - अफ्रीका में मलेरिया के टीके की पहली खुराक **घाना, केन्या और मलावी** में दी जाएगी। वर्ष 2019 में इन्हीं देशों में इस टीके का प्रायोगिक परीक्षण किया गया था। इनके बाद मलेरिया प्रभावित अन्य देशों में इसका विस्तार किया जायेगा।
- मलेरिया, **प्लाज्मोडियम परजीवी** के कारण होने वाली बीमारी है। तेज बुखार आना इसका प्रमुख लक्षण है। यह संक्रमित **मादा एनाफिलीज मच्छरों के काटने से** लोगों में फैलती है।
  - WHO की विश्व मलेरिया रिपोर्ट (WMR) 2021 के अनुसार, वर्ष 2020 में दुनिया भर में **मलेरिया के अनुमानित 241 मिलियन मामले** थे। साथ ही, इसी वर्ष इस रोग की वजह से **6,27000 लोगों की** मृत्यु हुई थी।
  - मलेरिया **उप-सहारा अफ्रीका में बचपन में बीमारी और मृत्यु का प्रमुख कारण** बना हुआ है।
- **भारत में मलेरिया:**
  - WHO के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र (WMR 2021) में मलेरिया के **83% मामले** और इससे होने वाली **सभी मौतों के लगभग 82% मामले भारत में दर्ज** किये गए हैं।
  - भारत ने मलेरिया रोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए '**राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन रूपरेखा (NFME), 2016-2030** लागू की है।
    - इसका लक्ष्य **वर्ष 2027 तक मलेरिया के स्थानीय मामलों को शून्य** करना है। साथ ही, **वर्ष 2030 तक इसे पूरी तरह से समाप्त** करना है।
    - **प्रमुख उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:**
      - आरंभ में ही उपचार,
      - गहन उपचार,
      - एकीकृत रोगाणु-वाहक प्रबंधन,
      - सामुदायिक एकजुटता, आदि।

7.4.13. सुर्ख़ियों में रहे प्रमुख वायरस (Viruses in News)

- **ह्यूमन पैपिलोमा वायरस**
  - देश की पहली **क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन (qHPV) 'सर्वेवैक' (Cervavac) को बाजार में बेचने के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मंजूरी** प्रदान कर दी है। इसे **सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया** ने विकसित किया है।
  - HPV एक यौन संचारित वायरस है। यह **सर्वाइकल कैंसर** का कारण बन सकता है। भारत में, **सभी प्रकार के कैंसर के मामलों में** सर्वाइकल कैंसर के कुल **9.4%** मामले हैं। वर्ष 2020 में कैंसर के नए मामलों में **सर्वाइकल कैंसर** के 18.3% (1,23,907) मामले थे।
  - सर्वाइकल कैंसर **काफी सीमा तक रोकथाम योग्य** है। इसके बावजूद **यह भारत में महिलाओं को होने वाला दूसरा सबसे आम कैंसर** है।
  - सर्वाइकल कैंसर को समाप्त किया जा सकता है। इसके लिए विश्व स्तर पर सभी लड़कियों को उनकी यौवन अवस्था आरंभ होने से पहले उन्हें HPV वैक्सीन देनी होगी।
- **एपस्टीन बार वायरस (EBV)**
  - वैज्ञानिकों को पता चला है कि **कैंसरकारी EBV मानव तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं को संक्रमित** कर सकता है। इससे **केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का रोग और मस्तिष्क का कैंसर** हो सकता है।
  - EBV वायरस **मानव आबादी में व्यापक रूप से मौजूद हैं।**
  - यह वायरस **आमतौर पर हानिकारक नहीं** होता है। लेकिन, यह **शरीर के अंदर कुछ असामान्य स्थितियों** जैसे प्रतिरक्षा से जुड़े तनाव या इम्यूनोकॉम्पीटेंट (सामान्य प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया) अवस्था में **पुन: सक्रिय** हो जाता है।
  - यह अध्ययन IIT इंदौर के वैज्ञानिकों ने **'फंड फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ एस एंड टी इंफ्रास्ट्रक्चर (FIST) योजना'** के तहत किया था।

- **मारबर्ग वायरस रोग (MVD)**
    - घाना ने MVD के पहले संदिग्ध मामले की सूचना दी है।
    - यह एक **अत्यधिक संक्रामक वायरल रक्तस्रावी बुखार** है। इसमें **मृत्यु दर 88 प्रतिशत** तक है।
    - यह **इबोला वायरस के कुल से संबंधित है।**
    - इससे जुड़ा पहला मामला **सबसे पहले वर्ष 1967 में जर्मनी के मारबर्ग और फ्रैंकफर्ट** में सामने आया था।
    - **टेरोपोडिडे कुल के फलाहारी चमगादड़** (Fruit bats) इस रोग के प्रमुख वाहक हैं।
    - यह रोग **इन चमगादड़ों से लोगों में फैलता** है। फिर यह मानव-से-मानव संचरण के माध्यम से अन्य मनुष्यों में फैलता है।
    - वर्तमान में MVD के लिए कोई **स्वीकृत टीका या एंटीवायरल उपचार उपलब्ध नहीं है।**

7.4.14. सुर्ख़ियों में रहे प्रमुख रोग (Diseases in News)

कालाजार

- इस रोग को **ब्लैक फीवर या विसेरल लीशमैनियासिस** के रूप में भी जाना जाता है। यह एक **प्रोटोजोआ परजीवी जनित रोग** है। यह **सैंडफ्लाई के काटने से फैलता** है। ये मक्खियां 'लीशमैनिया डोनोवानी' नामक परजीवी से संक्रमित होती हैं।
    - यह रोग **कुपोषण, जनसंख्या विस्थापन, आवास की खराब स्थितियों, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली और पर्यावरणीय परिवर्तनों** से संबंधित है।
    - इस रोग का उपचार और निदान संभव है।
- भारत में, यह रोग **बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल** में स्थानिक है।
    - इस रोग को नियंत्रित करने के लिए **राष्ट्रीय कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम** शुरू किया गया था।
    - सरकार का लक्ष्य **वर्ष 2015 तक भारत से इस रोग को समाप्त** करना था। लेकिन, अभी तक इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका है।

अफ्रीकन स्वाइन फीवर (ASF)

- **बिहार** से ASF के मामले सामने आए हैं। इसके कारण राज्य सरकार ने सूअर, सूअर के मांस, सूअर के मांस उत्पाद तथा सुअर से प्राप्त खाद के परिवहन पर 30 दिनों तक प्रतिबंध लगा दिया है।
- ASF एक **अत्यधिक संक्रामक और घातक वायरल रोग** है। यह सूअरों और जंगली सूअरों को प्रभावित करता है। इसमें मृत्यु दर 100% तक होती है।
    - ASF **मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं है। यह सूअरों से मनुष्यों में संचारित नहीं होता है।**
    - वर्तमान में, ASF के लिए **कोई प्रभावी टीका उपलब्ध नहीं** है।
    - इसके लक्षण तेज बुखार, उल्टी, दस्त इत्यादि हैं।
    - इस रोग को **भारत में पहली बार वर्ष 2019 में रिपोर्ट किया** गया था।

7.4.15. बायोप्लास्टिक (Bioplastics)

- हाल ही में, एक ब्रिटिश कंपनी ने दावा किया है कि उसने **दुनिया का पहला बायोप्लास्टिक विनाइल रिकॉर्ड बनाया है।** इससे कंपनी यह उम्मीद कर रही है कि अब अत्यधिक विषाक्त पॉलीविनाइल क्लोराइड (PVC) की मांग कम हो जाएगी।
- बायोप्लास्टिक्स तेल या गैस की बजाय **शर्करा और स्टार्च जैसे स्रोतों से प्राप्त होते हैं।** इनके उत्पादन के दौरान कोई विषाक्त अपशिष्ट नहीं बनता है।
    - ये **शत-प्रतिशत अपघटनीय है।** साथ ही, **समान रूप से प्रतिरोधी और बहु उपयोगी** प्रकृति के होते हैं। इनका पहले से ही कृषि, वस्त्र उद्योग, दवा, कंटेनर, पैकेजिंग बाजार आदि में उपयोग किया जा रहा है।

7.4.16. पोप-फेम (POP-FAME)

- संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिकों ने **बैक्टीरिया** से ईंधन विकसित किया है। इस ईंधन को **पोप-फेम** नाम दिया गया है।

- **पोप-फेम** से तात्पर्य **पॉलीसाइक्लोप्रोपेनेटेड फैटी एसिड मिथाइल एस्टर** से है। यह एक नया ईंधन अणु है। इसे **साइक्लोप्रोपेन रिंग्स के सात सेट्स** से बनाया गया है।
    - **साइक्लोप्रोपेन** प्राकृतिक रूप से **बैक्टीरिया** द्वारा निर्मित होता है। यह बैक्टीरिया **स्ट्रेप्टोमाइसेस** नामक कुल से संबंधित होता है।
    - इसमें **तीन-कार्बन युक्त रिंग** होता है। इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु दो अन्य तत्वों **(ज्यादातर हाइड्रोजन)** के साथ संयोजन करता है।

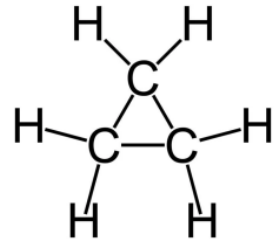

- पोप-फेम में **50 मेगाजूल (MJ) से अधिक ऊर्जा घनत्व** पाया गया है। यह **पेट्रोल के लिए 32 MJ और RP-1 (केरोसिन आधारित रॉकेट ईंधन) के लिए 35 MJ** की तुलना में अधिक है। इसका (पोप-फेम) यही गुण इसे आदर्श **रॉकेट ईंधन** बनाता है।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

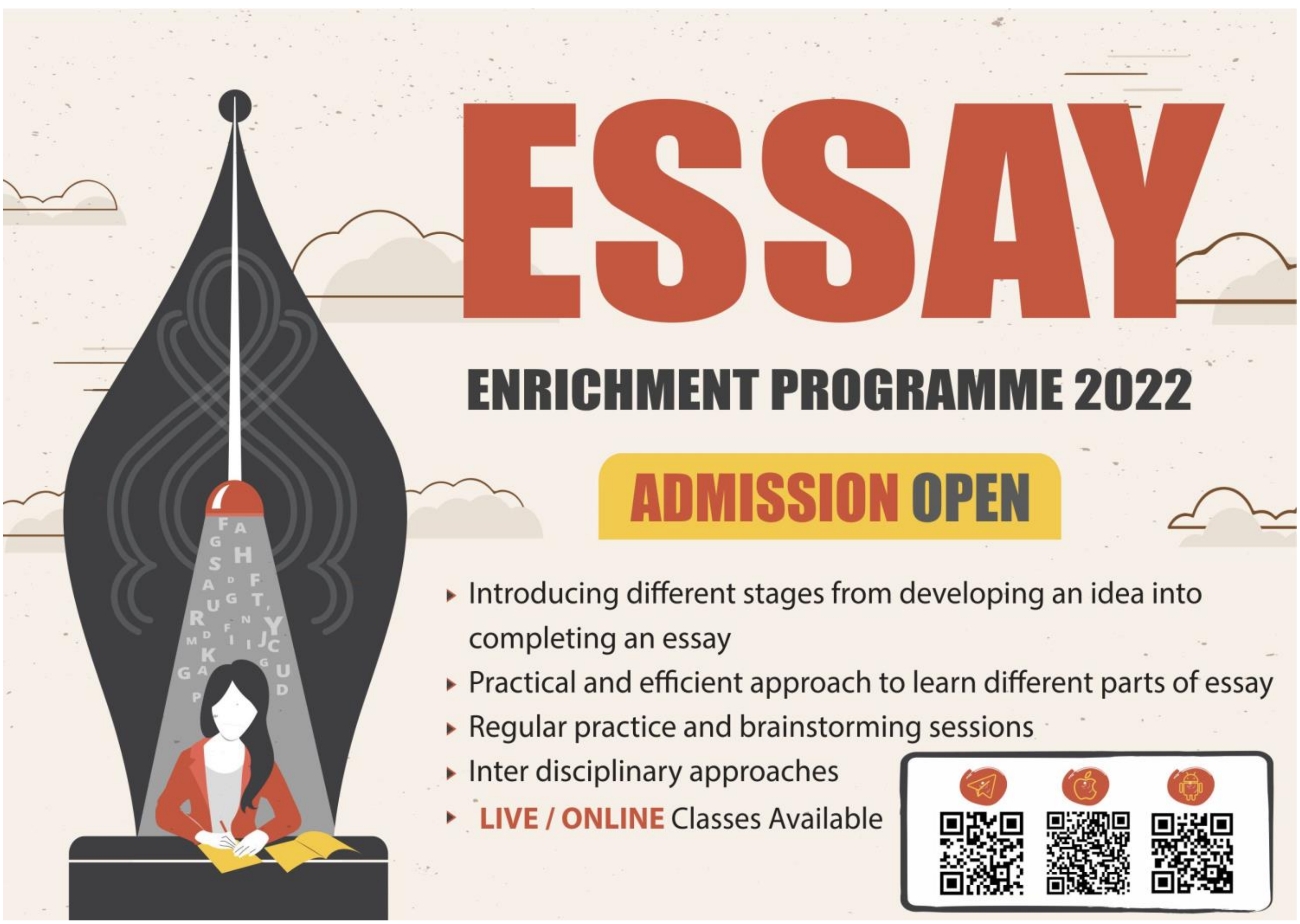

8. संस्कृति (Culture)

8.1. अल्लूरी सीताराम राजू (Alluri Sitarama Raju)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने **आंध्र प्रदेश के भीमावरम में महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती** के अवसर पर एक वर्ष तक चलने वाले जयंती समारोह का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर प्रधान मंत्री ने अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का भी अनावरण किया।

अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में

- अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म **1897 ई. में मद्रास प्रेसीडेंसी के पश्चिमी गोदावरी जिले के मोगल्लु गांव** में हुआ था।
- आदिवासी उन्हें अपना भगवान मानते थे। ऐसा माना जाता था कि वह एक चमत्कारिक पुरुष हैं तथा उनके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं, जो मानवों में नहीं होतीं हैं।
- उन्हें **मन्यम वीरुडु'** के रूप में भी जाना जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है- **'जंगलों का नायक'।**
- सीताराम राजू की पहुंच केवल **रम्पा क्षेत्र तक ही सीमित नहीं थी**, उन्होंने **पूरे भारत में लोगों के साथ अपना संपर्क स्थापित किया** था।
  - वह **कलकत्ता सीक्रेट सोसाइटी के सदस्य** थे, जहाँ उन्होंने **बम बनाना सीखा था।**
  - उन्होंने **चटगांव में क्रांतिकारियों की एक बैठक में भी भाग लिया था, जहां कई अन्य क्रांतिकारी एकजुट हुए थे।**
  - उन्होंने रम्पा क्षेत्र में अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपने संघर्ष में **पूरे भारत से हथियार और गोला-बारूद एकत्र किए थे।**
- सीताराम राजू ने **पहाड़ी क्षेत्र (रम्पा और गुडेम) में असहयोग आंदोलन के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।**
- वह एक **शानदार रणनीतिज्ञ** थे, जिन्हें वहां की भौगोलिक स्थितियों का भली भांति ज्ञान था। उन्होंने **अंग्रेजों के साथ गुरिल्ला युद्ध** में शामिल होने के लिए अपने **भौगोलिक ज्ञान का प्रयोग** किया था।

रम्पा विद्रोह के बारे में (अगस्त 1922 - मई 1924)

- रम्पा विद्रोह को **'मन्यम विद्रोह'** भी कहा जाता है। यह एक आदिवासी विद्रोह था।
- **विद्रोह को जन्म देने वाले कारक**
  - **मुत्तदार** इस क्षेत्र के **वास्तविक शासक** थे। उन्हें जबरदस्ती **औपनिवेशिक ढांचे** के अधीन लाकर उनकी **सामाजिक-आर्थिक स्थिति को चुनौती दी** गई थी।
  - नए औपनिवेशिक शासन के तहत **'पोडु खेती' (स्थानांतरित खेती) को अवैध घोषित** कर दिया गया था।
  - औपनिवेशिक शासन ने स्थानीय लोगों के **लघु वनोपज एकत्र करने के अधिकारों को भी छीन लिया था।**
  - आदिवासियों को जबरन **वेट्टी, अर्थात अवैतनिक श्रम** में लगाया जाता था।
- अल्लूरी सीताराम राजू ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि वे ही वन उपज के एकमात्र स्वामी हैं। इस आधार पर उन्हें दमनकारी **'मद्रास वन अधिनियम, 1882'** के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया।

आंदोलन का घटनाक्रम

- अल्लूरी सीताराम राजू का मानना था कि आधुनिक हथियारों से लैस ब्रिटिश सेना के विरुद्ध पारंपरिक हथियारों से नहीं लड़ा जा सकता है। इसलिए, **आधुनिक हथियार प्राप्त करने के लिए उन्होंने पुलिस थानों से हथियारों को लूटना शुरू कर दिया।**
- हथियारों के लिए पहला हमला विशाखापत्तनम एजेंसी क्षेत्र के चिंतापल्ली पुलिस स्टेशन पर किया गया था।
- प्रत्येक हमले के बाद, अल्लूरी **अपने द्वारा लिखे गए एक पत्र को पीछे छोड़ देते थे।** इसमें पुलिस को उसके हमले के विवरण के बारे में सूचित किया जाता था।
- उनके द्वारा किए जाने वाले हमलों की एक और पहचान यह थी कि वह अगले **हमले की तारीख व समय की घोषणा करते हुए पुलिस को चेतावनी देते थे।**

- ब्रिटिश सेना द्वारा अथक प्रयास करने के बाद 7 मई, 1924 को उन्हें पकड़ लिया गया और उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद अंग्रेजों ने दमनात्मक और हिंसात्मक कार्यवाही करते हुए आंदोलन को दबा दिया था।

विद्रोह का महत्व

- **रम्पा विद्रोह** ने अपने **गुरिल्ला युद्ध** के माध्यम से **केवल अंग्रेजों को निशाना बनाया था।** इससे यह साबित करने का प्रयास किया गया था कि **यह आंदोलन प्रकृति में** स्थानीयकृत आदिवासी विद्रोह न होकर, **उपनिवेशवाद के विरुद्ध एक संग्राम है।**
- यह आंदोलन रम्पा क्षेत्र के लोगों के बीच से उभरा था। लोगों को इससे जोड़ने के लिए **लोकप्रिय मान्यताओं और मिथकों को एक उपकरण के रूप में** प्रयोग किया गया था।
- यह आंदोलन **राष्ट्रवादी विचारधाराओं से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित** था। उदाहरण के लिए, **अल्लूरी सीताराम राजू ने खादी को अपनाया** था, जो औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ प्रतिरोध का एक प्रतीक था। यह समकालीन **असहयोग आंदोलन के साथ एकजुटता** दिखाने का प्रयास था।

8.2. भारत के राजकीय प्रतीक (National Symbols of India)

राजकीय प्रतीक

<table>
<tr>
<td>राष्ट्रीय ध्वज
 </td>
<td colspan="3">राष्ट्रीय चिन्ह
भारत का राजचिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है, जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। इस प्रतीक को भारतीय गणराज्य की मुहर के रूप में प्रयोग किया जाता है।

• मूल स्तंभ में शीर्ष पर चार सिंह हैं, जो एक-दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। इसके नीचे घंटे के आकार के पदम के ऊपर एक चित्र वल्लरी में एक हाथी, चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा, एक सांड तथा एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियां हैं, इसके बीच-बीच में चक्र बने हुए हैं। एक ही पत्थर को काट कर बनाए गए इस सिंह स्तंभ के ऊपर 'धर्मचक्र' रखा हुआ है।
• भारत सरकार ने यह चिन्ह 26 जनवरी, 1950 को अपनाया। इसमें केवल तीन सिंह दिखाई पड़ते हैं, चौथा दिखाई नहीं देता। पट्टी के मध्य में उभरी हुई नक्काशी में चक्र है, जिसके दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा है। दाएं तथा बाएं छोरों पर अन्य चक्रों के किनारे हैं। आधार का पदम छोड़ दिया गया है। फलक के नीचे मुण्डकोपनिषद का सूत्र "सत्यमेव जयते" देवनागरी लिपि में अंकित है, जिसका अर्थ है- "सत्य की ही विजय होती है"।</td>
</tr>
<tr>
<td>राष्ट्रगान
भारतीय राष्ट्रीय गान जन-गण-मन की रचना रवींद्रनाथ टैगोर ने मूल रूप से बंगाली भाषा में की थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसके हिंदी संस्करण को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था।</td>
<td colspan="2">राष्ट्रीय गीत
वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में की गई थी। यह गीत बंकिम चंद्र की रचना आनंद मठ (1882) का एक हिस्सा है।</td>
<td>राष्ट्रीय पंचांग
शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। भारत में सभी आधिकारिक कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका पहला माह चैत्र से आरंभ होता है। इसका एक सामान्य वर्ष 365 दिनों का होता है।</td>
</tr>
<tr>
<td>राष्ट्रीय पक्षी:
भारतीय मयूर (पावो क्रिस्टेटस)।
 </td>
<td>राष्ट्रीय पशु:
भारतीय बाघ
(पैंथेरा टाइग्रिस)।
 </td>
<td>राष्ट्रीय पुष्प:
कमल (नीलंबो न्यूसिफ़ेरा)।
 </td>
<td>राष्ट्रीय वृक्ष:
भारतीय बरगद (फाइकस बेंगालिंसेस)।
 </td>
</tr>
</table>

8.2.1. भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन (Amendments To Flag Code of India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- नए संशोधन के अनुसार, राष्ट्रीय ध्वज को अब **खुले में या किसी नागरिक के घर पर दिन-रात फहराया जा सकता है।** इससे पहले, तिरंगे को केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराने की अनुमति थी।
  - भारतीय ध्वज संहिता को **दिसंबर 2021** में भी संशोधित किया गया था। इसमें **हाथ से काते गए व हाथ से बुने गए ऊनी/ सूती/ सिल्क/ पॉलिस्टर या खादी के कपड़े से बने ध्वज** के उपयोग की अनुमति दी गई थी।
- नया संशोधन का उद्देश्य **सरकार के 'हर घर तिरंगा' अभियान को गति** प्रदान करना है।
  - 'हर घर तिरंगा' अभियान को '**आजादी के अमृत महोत्सव' के** अवसर पर शुरू किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को **भारत की आजादी के 75वें वर्ष का उत्सव मनाने के लिए अपने घर पर तिरंगा फहराने** हेतु प्रोत्साहित करना है।
- **डाक विभाग को 'हर घर तिरंगा' अभियान** के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करके देश भर में अपनी पहुंच और कार्यबल का उपयोग करने का कार्य सौंपा गया था।

भारतीय ध्वज संहिता, 2002

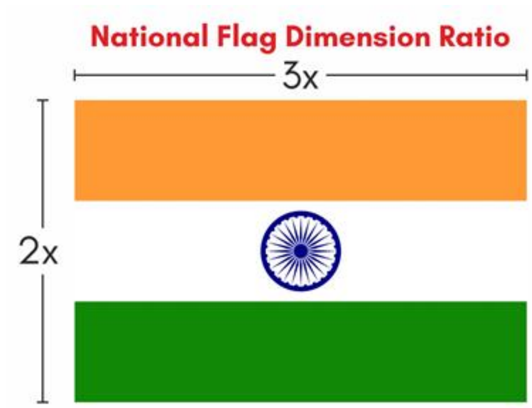

- भारतीय ध्वज संहिता, **भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग, प्रदर्शन और फहराने** के संदर्भ में **कानूनों, परंपराओं, प्रथाओं तथा निर्देशों का एक समूह** है। इसे **26 जनवरी 2002** को लागू किया गया था।
  - राष्ट्रीय ध्वज को भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था।
- यह निजी, सार्वजनिक और सरकारी संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज के **प्रदर्शन को शासित करता है।**
- **राष्ट्रीय ध्वज का आकार और माप:** यह **आयताकार** होगा। यह किसी भी आकार का हो सकता है, लेकिन **राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और ऊंचाई का अनुपात 3:2** होना चाहिए।
- **घर पर राष्ट्रीय ध्वज: सार्वजनिक या निजी संगठन या शैक्षणिक संस्थान** का कोई सदस्य राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और सम्मान के अनुसार **सभी दिनों या अवसरों पर राष्ट्रीय ध्वज** को फहरा सकता है।

8.2.2. भारत का राजकीय प्रतीक (State Emblem of India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने **राजकीय प्रतीक** का अनावरण किया है। इसे **नवनिर्मित संसद भवन के शीर्ष पर** स्थापित किया गया है।

राजकीय प्रतीक के पीछे का इतिहास

- मौर्य सम्राट अशोक ने **250 ईसा पूर्व में सिंह-शीर्ष स्तंभ** का निर्माण करवाया था। इसे उस स्थान (सारनाथ) को चिह्नित करने के लिए निर्मित करवाया गया था, जहां बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत अपना पहला उपदेश दिया था। इस उपदेश में उन्होंने चार-महान सत्यों की व्याख्या की थी। इस घटना को **धर्मचक्र प्रवर्तन** कहा जाता है।
- **राजकीय प्रतीक** सारनाथ के सिंह-शीर्ष स्तंभ का **चित्रात्मक रूपांकन** है। यह मूल रूप से सारनाथ में अशोक स्तंभ (सिंह स्तंभ) के शीर्ष पर स्थित है। इसके नीचे लिखा गया वाक्य **राष्ट्रीय आदर्श वाक्य** है।
- प्रसिद्ध कलाकार **नंदलाल बोस के पांच छात्रों** ने इस प्रतीक को बनाया है। इनमें **जगदीश मित्तल, कृपाल सिंह शेखावत, गौरी भांजा और दीनानाथ भार्गव** शामिल थे।

संविधान सभा ने सारनाथ के सिंह स्तंभ को ही राजकीय प्रतीक के रूप में क्यों अपनाया?

- यह महसूस किया गया था कि यह स्तंभ **स्वतंत्र राष्ट्र की शक्ति, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है।**
- यह प्रतीक **एक द्वि-आयामी मूर्तिकला को दर्शाता है।** इसमें निर्मित सिंहों के नीचे **देवनागरी लिपि में मुंडक उपनिषद** से लिया गया वाक्य '**सत्यमेव जयते' (केवल सत्य की ही जीत होती है)** उत्कीर्ण किया गया है।

राजकीय प्रतीक का डिज़ाइन

- **पशु आकृति**
  - **गर्जना करते हुए चार राजसी सिंह और चार मुख्य दिशाओं की ओर उनके मुख शक्ति, साहस, गर्व व आत्मविश्वास को दर्शाते हैं।** ये सिंह समग्र रूप से **जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और न्याय** पर जोर देने के प्रतीक हैं।
  - चक्रों के बीच में चार पशुओं को **चारों दिशाओं के संरक्षक** के रूप में माना जाता है। ये पशु शीर्ष फलक (Abacus) में चक्रों को घुमाते हुए दिखाई देते हैं।
    - **हाथी** राजकुमार सिद्धार्थ के अपनी माता के **गर्भ में आने** को दर्शाता है।
    - **वृषभ** राजकुमार सिद्धार्थ की **युवावस्था** का प्रतिनिधित्व करता है।
    - **अश्व** के माध्यम से सिद्धार्थ को **ज्ञान की तलाश** में अपने शाही **जीवन को त्यागते** हुए दर्शाया गया है।
    - **सिंह** पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को **ज्ञान प्राप्त करने और बुद्ध के रूप में उनके परिवर्तन** का चित्रण करता है।
- **धर्म चक्र या अशोक चक्र** 'कानून का पहिया' है, जो धर्म (सद्‌गुण) को दर्शाता है।
  - **चक्र की 24 तीलियाँ एक दिन में घंटों की संख्या** का प्रतिनिधित्व करती हैं, और समय बीतने को दर्शाती हैं। तीलियाँ **जीवन में आगे बढ़ने का संकेत** देती हैं और इस प्रकार **व्यक्ति मन-मस्तिष्क की स्थिरता से बच सकता है।**

8.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts)

8.3.1. अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (ICH) की सुरक्षा के लिए अभिसमय {Convention for Safeguarding of Intangible Cultural Heritage (ICH)}

- **भारत** को यूनेस्को के **'अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (ICH) की सुरक्षा के लिए अभिसमय-2003' की** अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है।
- इस **समिति में 24 सदस्य** होते हैं। इन सदस्यों को समान भौगोलिक प्रतिनिधित्व और रोटेशन पद्धति के अनुसार चुना जाता है।
  - भारत **वर्ष 2022-2026 अवधि के लिए** चुना गया है। भारत का कुल मिलाकर तीसरी बार चयन किया गया है।
  - इससे पहले, भारत **यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति** (2021-2025) के लिए भी चुना गया था।

अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के बारे में

- इसका अर्थ है **अभ्यास, प्रदर्शन,** अभिव्यक्ति, ज्ञान, कौशल तथा इनसे जुड़े **उपकरण, वस्तु, कलाकृतियां और उनसे जुड़े सांस्कृतिक क्षेत्र;** जिन्हें समुदाय, समूह एवं व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक विरासत के एक हिस्से के रूप में पहचानते हैं।
- अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में **14 भारतीय विरासत** शामिल हैं। इनमें **दुर्गा पूजा (2021), कुंभ मेला (2017) तथा योग (2016)** सबसे बाद में जोड़े गए हैं।

- **समिति के कुछ मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:**
  - अभिसमय (कन्वेंशन) के **उद्देश्यों को बढ़ावा** देना,
  - सर्वोत्तम प्रथाओं पर **मार्गदर्शन** प्रदान करना और
  - अमूर्त सांस्कृतिक **विरासत की सुरक्षा** के लिए सिफारिशें करना।
- यह समिति अमूर्त विरासत की सूची में किसी नयी **विरासत को शामिल करने के अनुरोधों की भी जांच** करती है। इस समिति को **अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्रदान** करने का कार्य भी सौंपा गया है।
- **यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अभिसमय, 2003 के बारे में:**
  - इसका उद्देश्य **परंपराओं और जीवंत अभिव्यक्ति के साथ-साथ अमूर्त विरासत की सुरक्षा भी** करना है।

- **इसके निम्नलिखित 4 प्राथमिक लक्ष्य हैं:**
  - अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना,
  - अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के लिए सम्मान सुनिश्चित करना,
  - अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना तथा
  - अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहायता प्रदान करना।
- वर्ष 2003 के अभिसमय के बाद, **अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची को पांच व्यापक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है:**
  - अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के वाहक के रूप में भाषा सहित मौखिक परंपराएं और अभिव्यक्तियां,
  - निष्पादन (प्रदर्शन) कलाएं,
  - सामाजिक प्रथाएं, अनुष्ठान और उत्सव कार्यक्रम,
  - प्रकृति और ब्रह्मांड से संबंधित ज्ञान एवं अभ्यास तथा
  - पारंपरिक शिल्प कौशल।

8.3.2. वर्ष 2022 में विश्व के 50 सर्वश्रेष्ठ स्थान (World's 50 Greatest Places of 2022)

- टाइम मैगज़ीन ने वर्ष 2022 के 'विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों' की अपनी सूची जारी की है। इस सूची में **अहमदाबाद और केरल** शामिल हैं।
- **अहमदाबाद के बारे में**
  - यह चारदीवारी (परकोटा) वाला शहर **भारत का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर शहर** है।
    - यूनेस्को के विश्व धरोहर शहर (WHC) कार्यक्रम का उद्देश्य उसके पक्षकार देशों को उनकी शहरी **धरोहर की सुरक्षा और प्रबंधन की चुनौतियों में सहायता** करना है।
    - विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के लिए स्थानों को **निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:**
      - उस स्थान को उल्लेखनीय **सार्वभौमिक/ वैश्विक मूल्य** वाला होना चाहिए और
      - **दस चयन मानदंडों में से कम से कम एक को पूरा** करना चाहिए।
  - इसकी स्थापना **15वीं शताब्दी में सुल्तान अहमद शाह ने साबरमती नदी** के पूर्वी तट पर की थी।
  - इस शहर को पहले **आशा भील की आशावल; कर्णदेव की कर्णावती, जैन धर्म की राजधानी राजनगर** आदि नामों से जाना जाता था।
  - **शहर के महत्वपूर्ण स्थापत्य निम्नलिखित हैं:**
    - भद्र किला,
    - फोर्ट सिटी की दीवारें और द्वार,
    - मस्जिद और मकबरे,
    - बाद के समय के महत्वपूर्ण हिंदू और जैन मंदिर।
  - यहां की **इमारती लकड़ी पर आधारित स्थापत्यकला** असाधारण महत्व की है। यह इसकी **विरासत का सबसे अनूठा पहलू** है।
  - अहमदाबाद शहर की बसावट की योजना निवास योग्य परिवेश के बेहतर अनुक्रम में है। सड़कों के साथ-साथ सामुदायिक स्थान भी एक उत्तम अनुक्रम में हैं। बसावट की यह योजना **स्थानीय ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है और मजबूत सामुदायिक बंधन की भावना को दर्शाती है।**

8.3.3. मानगढ़ पहाड़ी (Mangarh hillock)

- सरकार **मानगढ़ पहाड़ी** को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने पर विचार कर रही है। यह कदम देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले **आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि** है। यह पहाड़ी **राजस्थान के बांसवाड़ा जिले** में स्थित है।
  - यह **गुजरात-राजस्थान सीमा** पर स्थित है। यह अब पवित्र स्थल बन गया है। इसे मानगढ़ धाम के नाम से जाना जाता है।
- **मानगढ़ नरसंहार के बारे में**
  - वर्ष 1913 में कुछ **भीलों ने एक समाज सुधारक गोविंद गुरु** (एक स्थानीय आदिवासी) और **पुंजा के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह** किया था।
  - **गोविंद गुरु ने भीलों के बीच 'भगत आंदोलन'** शुरू किया था। इसके तहत लोगों को शाकाहार का पालन करने और सभी प्रकार के नशे से दूर रहने के लिए कहा गया था।

- **नवंबर 1913** में, सैकड़ों आदिवासी **मानगढ़ पहाड़ी पर** शांतिपूर्ण सभा के लिए एकत्र हुए थे। उसी समय उन्हें **ब्रिटिश सैनिकों ने** घेर लिया और **गोली मार दी**।
  - इस घटना को **" छोटा जलियांवाला बाग नरसंहार "** के नाम से भी स्मरण किया जाता है।

- **भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (AMASR) अधिनियम, 1958** के तहत स्थलों/स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने पर विचार करता है, बशर्ते वे कुछ मानदंडों को पूरा करते हों (बॉक्स देखें)।
  - वर्तमान में **राष्ट्रीय महत्व के 3650 से अधिक प्राचीन स्मारक, पुरातात्विक स्थल तथा अवशेष** हैं।
- **राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने के लिए मानदंड**
  - प्राचीन स्मारक या पुरातात्विक स्थल 100 वर्ष से कम पुराना नहीं है;
  - इसका विशेष ऐतिहासिक, पुरातात्विक या कलात्मक महत्व है;
  - यह AMASR अधिनियम, 1958 की परिभाषा के प्रावधानों के तहत पात्रता प्राप्त करता है;
  - हितधारक जनता को ऐसे स्थल को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने में कोई बड़ी आपत्ति नहीं है।

संबंधित तथ्य

- राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने **निम्नलिखित दो स्थलों की सिफारिश** की है:
  - पहला स्थल, **वडोदरा में संकल्प भूमि वटवृक्ष परिसर** है। यहां डॉ. अम्बेडकर ने 23 सितंबर, 1917 को अस्पृश्यता उन्मूलन का संकल्प लिया था।
  - दूसरा स्थल, महाराष्ट्र के सतारा में **प्रताप राव भोसले हाई स्कूल** है। यहां डॉ. अम्बेडकर ने अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी।

8.3.4. कनगनहल्ली (Kanaganahalli)

- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने **कर्नाटक में कनगनहल्ली** (सन्नति स्थल का हिस्सा) के निकट **एक प्राचीन बौद्ध स्थल के संरक्षण की योजना** बनायी है।
  - सन्नति **भीमा नदी के किनारे बसा एक छोटा-सा गाँव** है।
  - यह स्थल **एक बौद्ध महास्तूप और सम्राट अशोक के पाषाण-चित्र (Stone-Portrait)** की खोज के लिए प्रसिद्ध है। इस महास्तूप को **अधोलोक महा चैत्य** के रूप में भी संबोधित किया जाता है।
    - यह माना जाता है कि इस **स्तूप का निर्माण तीन चरणों में हुआ** था। ये चरण थे- मौर्य काल, आरंभिक-सातवाहन और उत्तर-सातवाहन काल (तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी)।
    - इस पाषाण-चित्र को **सम्राट अशोक की एकमात्र अब तक सही अवस्था में रही छवि** माना जाता है। इस पर **ब्राह्मी लिपि में 'राय अशोक' उत्कीर्ण** है।

8.3.5. सफेद प्याज (White Onion)

- **अलीबाग (महाराष्ट्र) के सफेद प्याज** को भौगोलिक संकेतक दर्जा प्राप्त हुआ है।
  - अलीबाग के किसानों के अनुसार, सफेद प्याज को सदियों से केवल पारंपरिक पद्धतियों और असली बीजों के साथ उगाया जाता है।
  - साथ ही, इस **क्षेत्र की भू-जलवायु परिस्थितियों** के कारण इसमें एक अद्वितीय स्वाद, सुगंध और आकार विकसित हुआ है।
- **भौगोलिक संकेतक (GI)[104] दर्जे के बारे में**
  - ये संकेतक **सामूहिक और प्रमाणन चिह्नों के रूप में पंजीकृत** होते हैं। इन्हें आम तौर पर **दस-वर्ष की अवधि के लिए संरक्षित किया जाता** है। हालांकि, इस अवधि के बाद इनका **नवीनीकरण** किया जा सकता है।
  - भारत में GI टैग को **'माल के भौगोलिक संकेतक (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999'** के अंतर्गत विनियमित किया जाता है।

8.3.6. भारतीय ज्ञान प्रणाली' (IKS) पहल {Indian Knowledge Systems (IKS) initiative}

- केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि वह 'भारतीय ज्ञान प्रणाली' (IKS) पहल के तहत स्कूलों में **75 स्वदेशी खेलों** को शुरू करेगी। इनमें राजा मंत्री चोर सिपाही, पोशम पा, गिल्ली डंडा आदि जैसे खेल शामिल हैं।

---

[104] Geographical Indication

 ©Vision IAS

- IKS, **शिक्षा मंत्रालय के तहत** 'अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद' (AICTE) में स्थापित **एक अभिनव प्रकोष्ठ है।**
- इसे IKS के सभी पहलुओं पर **अंतर्विषयक अनुसंधान को बढ़ावा** देने तथा भविष्य के अनुसंधान और सामाजिक अनुप्रयोगों के लिए **IKS को संरक्षित एवं प्रसारित करने** के लिए स्थापित किया गया है।
- इसका उद्देश्य कला और साहित्य, कृषि, बुनियादी विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, स्थापत्यकला, प्रबंधन, अर्थशास्त्र आदि के क्षेत्र में **समृद्ध विरासत और पारंपरिक ज्ञान का प्रसार करना** है।

8.3.7. फील्ड्स मेडल (Fields Medal)

- **यूक्रेन की गणितज्ञ मैरीना वियाज़ोवस्का** फील्ड्स मेडल जीतने वाली दूसरी महिला बन गयी हैं।
- फील्ड्स मेडल को सामान्यतः **गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार** के रूप में वर्णित किया जाता है।
  - **यह अंतर्राष्ट्रीय गणित संघ (IMU)** द्वारा दिया जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी और गैर-लाभकारी वैज्ञानिक संगठन है। यह गणित के क्षेत्र में **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है।**
  - **यह पुरस्कार प्रत्येक चार वर्ष में 40 वर्ष से कम आयु** के गणितज्ञों को दिया जाता है।
  - पुरस्कार के रूप में **एक स्वर्ण पदक (14 कैरेट स्वर्ण)** दिया जाता है। साथ ही, **15,000 कैनेडियन डॉलर का नकद पुरस्कार** भी प्रदान किया जाता है।
  - फील्ड्स मेडल संगोष्ठी का आयोजन **कनाडा के टोरंटो में स्थित फील्ड्स इंस्टीट्यूट** करता है।

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **संस्कृति** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

9. नीतिशास्त्र (Ethics)

9.1. भारत में मद्यपान (Alcoholism in India)

परिचय

भारत में शराब का बढ़ता सेवन, **स्वास्थ्य** और **समाज के लिए एक प्रमुख खतरा** बनता जा रहा है। हाल ही में, गुजरात के बोटाड जिले में जहरीली शराब पीने के कारण 40 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना ने शराबबंदी से जुड़ी खामियों को उजागर किया है। साथ ही, यह घटना बढ़ती शराब की खपत को कम करने की दिशा में सुधार की आवश्यकता को भी रेखांकित करती है।

मद्यपान और शराबबंदी के संदर्भ में प्रमुख हितधारक कौन हैं और उनसे संबंधित मुद्दे क्या हैं?

हितधारक	संबंधित मुद्दे
सरकार	• इस मामले में **राज्य और व्यक्ति के बीच संबंधों को लेकर नैतिक दुविधा** की स्थिति देखने को मिलती है। यह दुविधा इस बात को लेकर है कि **मौलिक अधिकारों** के तहत **व्यक्तिगत स्वतंत्रता** या **स्वायत्तता** की रक्षा की जानी चाहिए या सार्वजनिक स्वास्थ्य मामलों में हस्तक्षेप कर DPSP के तहत प्रदत्त **संवैधानिक जिम्मेदारियों** को पूरा किया जाना चाहिए। ○ शराब के सेवन से कई स्थायी स्वास्थ्य समस्याओं, सामाजिक हिंसा और सड़क दुर्घटनाओं (वर्ष 2020 में 8,355 दुर्घटनाएं) को बढ़ावा मिला है। • जहाँ शराब की बिक्री से **सरकारी राजस्व** (राज्य सरकार के लिए) में वृद्धि होती है, वहीं **गरीब, सुभेद्य** और **अतिसंवेदनशील व्यक्तियों** की रक्षा का दायित्व भी राज्य के ऊपर ही है। ऐसे में **नैतिक दुविधा** की स्थिति स्वाभाविक है।
व्यक्ति और परिवार	• **व्यक्तिगत चयन की स्वतंत्रता** और **निजता के अधिकार** से जुड़े मुद्दे। • नशे की स्थिति में बच्चों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले **घरेलू हिंसा को कम करने की आवश्यकता।** • विशेष रूप से गरीबों द्वारा शराब पर किए जाने वाले अतिरिक्त व्यय को कम करके उन्हें **ऋणग्रस्तता से बचाना।** ऋणग्रस्तता के कारण उन्हें भूमि की बिक्री, बंधुआ मजदूरी, तस्करी आदि जैसी चुनौतियों से जूझना पड़ता है।
शराब उद्योग	• **शराब की मार्केटिंग** से व्यक्तियों और परिवारों पर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होता है। दूसरी ओर, अधिकाधिक लाभ कमाने के लिए **वैध तरीके से मद्यपान को प्रोत्साहित किया जा रहा है।** इस प्रकार, लाभ कमाने और सामाजिक दायित्व के पालन को प्रोत्साहित करने को लेकर नैतिक दुविधा की स्थिति है। • **शराब उद्योग** पर इस बात को लेकर भी दबाव है कि वे शराबबंदी के कारण शराब के बढ़ते अवैध कारोबार से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को दूर कर शराब उद्योग में नौकरियों की रक्षा करें।
स्थानीय प्रशासन	• गैर-कानूनी शराब उद्योग पर अंकुश लगाने के लिए **कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू करना।** • शराब के सेवन से होने वाली बीमारियों के बारे में **लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ाने के लिए प्रयास करना।** • नशा करने वालों द्वारा किए जाने वाले अपराधों को कम करने में मदद करना।
समाज	• **समाज में इस बात को लेकर नैतिक दुविधा की स्थिति है कि** रिश्तों और परिवारों की रक्षा के लिए **सामाजिक मानदंडों / सामाजिक दबाव का उपयोग किया जाए** या इसे **व्यक्तियों के व्यक्तिगत विवेक पर छोड़ दिया जाए।** • इसके अलावा, समाज के भीतर, **शराब पीने या न पीने को लेकर अलग-अलग सामाजिक समूहों के अलग-अलग विचार हैं।** एक तरफ कुछ समूह इसे सामाजिक-धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा मानते हैं, तो वहीं अन्य इसे प्रतिबंधित करने की वकालत करते हैं।

शराबबंदी क्या है और यह कितनी प्रभावी है?

- शराबबंदी का आशय कानूनी रूप से शराब की खरीद या बिक्री या शराब पीने पर लगाए गए रोक से है।
- **भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत,** राज्य को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह भारत में नशीले पेय पदार्थों के उपभोग को रोकने का प्रयास करेगा। हालांकि, दवाओं और अन्य औषधीय उद्देश्यों के लिए इसके प्रयोग की अनुमति दी गई है।

 ©Vision IAS

- मादक पेय के उत्पादन, विनिर्माण, भंडारण, परिवहन, खरीद-बिक्री और उत्पाद शुल्क को **सातवीं अनुसूची की सूची II (राज्य सूची) के अंतर्गत** रखा गया है।
    - वर्तमान में, भारत के **चार राज्यों (गुजरात, बिहार, मिजोरम** और **नागालैंड)** तथा **एक केंद्र शासित प्रदेश (लक्षद्वीप)** में शराबबंदी को लागू किया गया है।
    - अतीत में कुछ राज्यों (जैसे कि हरियाणा और आंध्र प्रदेश) में शराबबंदी को लागू किया गया था। इसके अलावा, महाराष्ट्र सरकार ने भी अपने यहाँ 3 जिलों में इसे प्रतिबंधित करने का प्रयास किया था।

ऐतिहासिक साक्ष्यों से पता चलता है कि **शराबबंदी लोगों को जिम्मेदार बनाने और उचित मात्रा में शराब पीने या शराब छोड़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं** करती है। उदाहरण के लिए- संयुक्त राज्य अमेरिका में वहां के संविधान में 18वें संशोधन के बाद 1920 में शराबबंदी को लागू किया गया था। इसके कारण शराब के उपभोग में आंशिक गिरावट तो आई, लेकिन काफी संख्या में लोग हॉस्पिटलाइजेशन की समस्या से पीड़ित हो गए। परिणामस्वरूप इसे निरस्त करना पड़ा था।

भारत में शराबबंदी से जुड़े प्रमुख मुद्दे और चुनौतियां क्या हैं?

- शराबबंदी के बाद गुजरात और बिहार में क्रमश: दमन और नेपाल से **शराब की कालाबाजारी में वृद्धि** हुई है।
- इसके चलते शराबबंदी वाले राज्यों को **कर राजस्व की हानि** हुई है तथा राज्य पर्यटन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इससे उन्हें **राजकोषीय नुकसान** का सामना करना पड़ा है। उदाहरण के लिए- राजस्व नुकसान तथा बढ़ते बजटीय घाटे के कारण वर्ष 1997 में आंध्र प्रदेश में शराबबंदी को हटा दिया गया था।
- जहाँ देश के न्यायालयों में कानूनी मामलों (cases/वाद) की संख्या पहले से अधिक है, वहीं शराबबंदी के कारण **न्यायालयों पर और बोझ बढ़ गया** है। उदाहरण के लिए- बिहार में शराबबंदी के परिणामस्वरूप **3.5 लाख मामलों** में चार लाख से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है।
- शराबबंदी से अवैध या देशी शराब या अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री में वृद्धि से **त्रासदीपूर्ण घटनाओं और लोगों की मृत्यु में वृद्धि** हुई है।
- इससे **प्रशासनिक भ्रष्टाचार** में भी बढ़ोतरी हुई है। शराब की तस्करी या अवैध शराब की बिक्री करने वालों ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है।
- कठोर कानूनों या सामाजिक मानदंडों के माध्यम से राज्य और समाज द्वारा **लोगों के व्यक्तिगत चयन के अधिकार को सीमित** करने का प्रयास किया गया है।
- **अन्य चुनौतियां:** हालांकि शराबबंदी एक नैतिक दायित्व आरोपित करती है, लेकिन कई व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण इसे प्रतिबंधित कर पाना कठिन हो गया है (इन्फोग्राफिक देखें)।

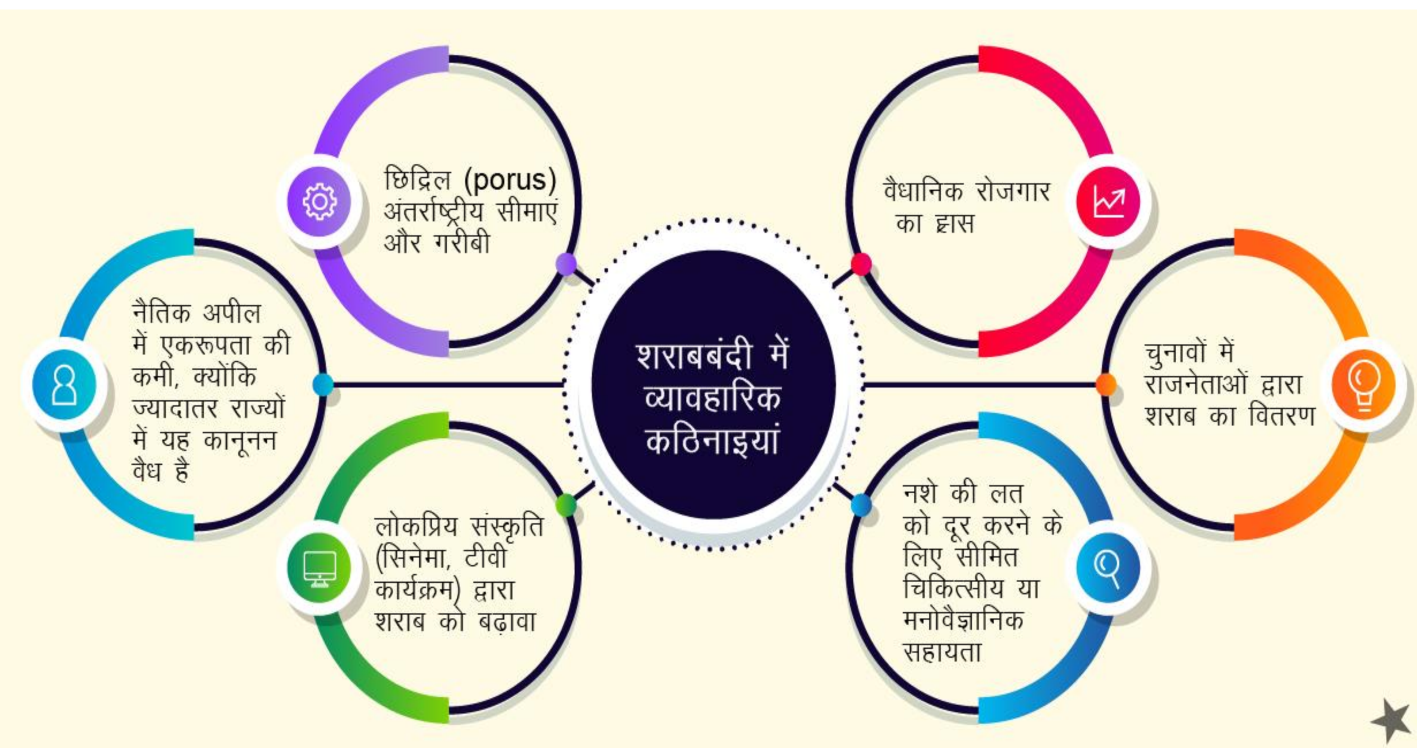

क्या किया जा सकता है?

अलग-अलग सामाजिक-धार्मिक विचारों और विभिन्न हितधारकों द्वारा सामना की जाने वाली दुविधाओं के मद्देनजर, **उचित सार्वजनिक नीति** का निर्माण किया जाना चाहिए। इस हेतु **सबकी भागीदारी को सुनिश्चित करने वाला दृष्टिकोण** महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यह निम्नलिखित प्रयासों के माध्यम से एक ऐसे माहौल के निर्माण में मदद करेगा, जहां व्यक्ति सहित प्रत्येक हितधारक को उनके दायित्वों के प्रति जिम्मेदार बनाया जा सकता है:

- ऐसे **कानून** बनाए जा सकते हैं जो (i) दायित्वपूर्ण व्यवहार और अनुपालन को प्रोत्साहित करते हों; और (ii) घरेलू हिंसा, शराब पीकर गाड़ी चलाने या अवैध शराब उद्योग या इसकी तस्करी के खिलाफ कठोर कार्यवाही को सुनिश्चित करते हों।
  - उदाहरण के लिए- पूरे देश में **शराब पीने की आयु से जुड़े कानून को समान** बनाया जाना चाहिए। साथ ही, कम आयु के किसी भी व्यक्ति को शराब खरीदने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- शराब की खपत को बढ़ावा देने वाली अप्रत्यक्ष मार्केटिंग रणनीति (जैसे कि सरोगेट या छद्म विज्ञापन) से बचने के लिए **शराब उद्योग को विनियमन** के अधीन लाया जाना चाहिए।
- लोगों को सूचित निर्णय लेने में मदद करने के लिए पर्याप्त नोटिस और सावधानी के साथ **लेबल मानकों को लागू** किया जाना चाहिए।
- पर्यटन और MICE[105]क्षेत्रक पर शराबबंदी से जुड़े नकारात्मक परिणामों से निपटने के क्रम में **मनमाना या विवेकाधीन कदम उठाने** से बचना चाहिए।
- उचित मद्यपान सुनिश्चित करने और नशा मुक्ति संबंधी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए **कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व का उपयोग** किया जाना चाहिए।
- व्यसन/नशे से बचने और व्यसन से पीड़ित लोगों के पुनर्वास के लिए **सामुदायिक समर्थन प्राप्त करने हेतु प्रयास** किया जाना चाहिए।
- शराब के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए राज्य और जिला प्रशासन द्वारा **सूचना, शिक्षा और जागरूकता (IEC)**[106] अभियान को आयोजित किया जाना चाहिए, जैसा कि आदि शंकराचार्य ने कहा है:

"धार्मिक कर्म अज्ञान को नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यह अज्ञान के विरोध में नहीं है। केवल ज्ञान ही अज्ञान को नष्ट करता है, जैसे प्रकाश घने अंधकार को नष्ट करता है।"

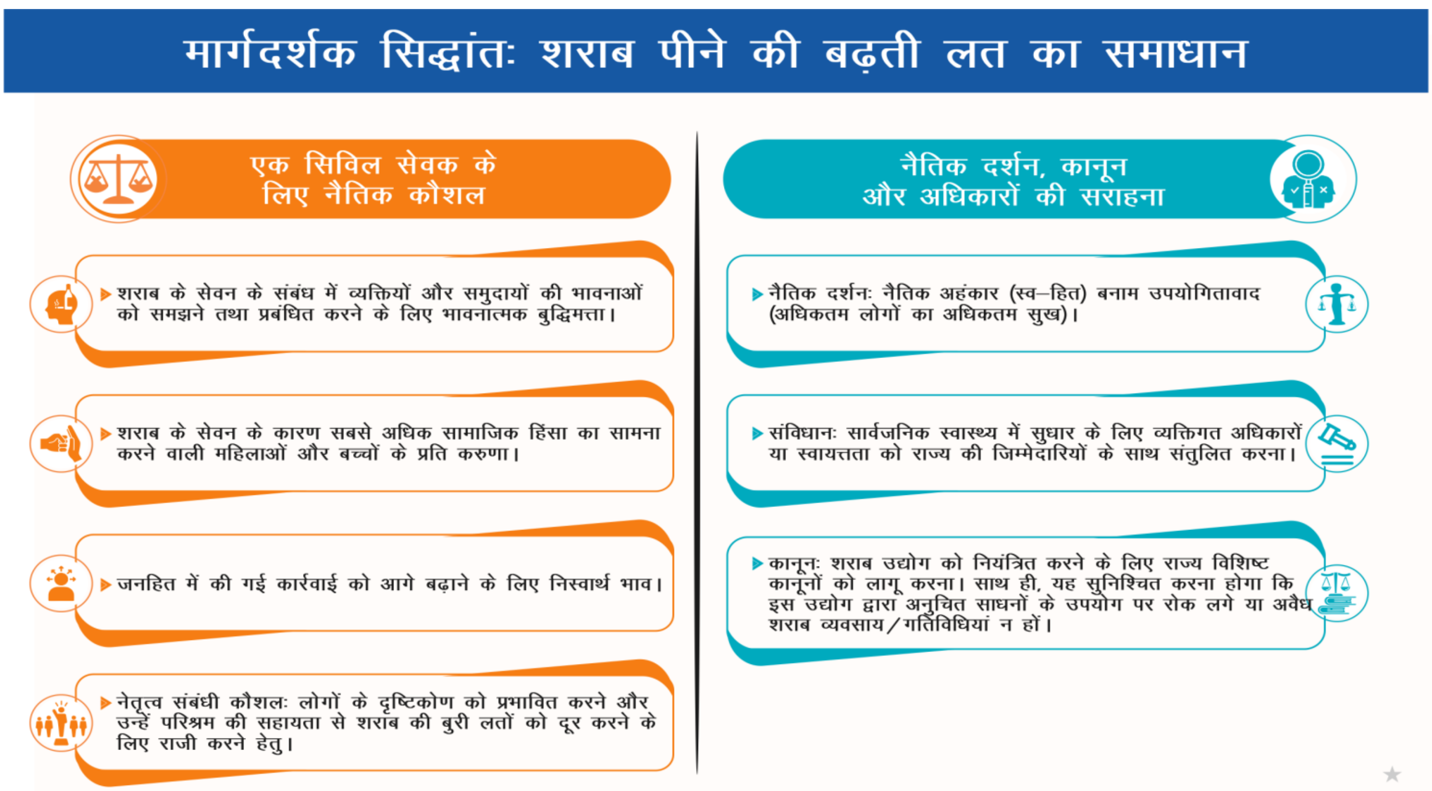

---

105 meetings, incentives, conferences and exhibitions / बैठक, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनी

106 Information, Education and Awareness

10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

10.1. मिशन वात्सल्य (Mission Vatsalya)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे बच्चों के संरक्षण तथा इस दिशा में किए जा रहे सभी प्रयासों को संगठित करने के लिए “मिशन वात्सल्य” आरंभ किया गया है। इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है। ऐसे बच्चों में लापता, अनाथ, परित्यक्त और अवैध व्यापार वाले बच्चे शामिल हैं।

मिशन वात्सल्य-

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं

• यह कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे **बच्चों के परिवार आधारित गैर-संस्थागत देखभाल को बढ़ावा** देता है। यह अंतिम उपाय के रूप में **बच्चों के संस्थागतकरण के सिद्धांत पर** आधारित है।
• **आवश्यक सेवाएं सुनिश्चित करना और आपातकालीन पहुँच** को बेहतर बनाना, परिवार एवं समुदाय के भीतर गैर-संस्थागत देखभाल करना, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य व जिला स्तरों पर संस्थागत देखभाल परामर्श एवं सहायता सेवाओं की व्यवस्था करना।
• बच्चों की **उत्तरजीविता, विकास, संरक्षण और भागीदारी के अधिकार को सुनिश्चित करना।**
• कानून की संरचना के अंतर्गत बच्चों का समर्थन करने के लिए **निजी क्षेत्र की भागीदारी** और हस्तक्षेप **को प्रोत्साहित करना।**
• **जन जागरूकता बढ़ाना** तथा बाल अधिकारों, सुभेद्यताओं और सरकार द्वारा प्रायोजित सुरक्षा उपायों के बारे में जनता को शिक्षित करना। साथ ही, बच्चों के सर्वोत्तम हित को सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर समुदाय को हितधारक के रूप में शामिल करना।
• ध्यान देने योग्य मुद्दों के निरंतर मूल्यांकन के लिए पंचायतों और स्थानीय नगर पालिकाओं की भागीदारी बढ़ाना। बच्चों के लिए एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा जाल विकसित करने हेतु उचित
	• **विज़न:**
	  ○ भारत में प्रत्येक बच्चे के लिए स्वस्थ और खुशहाल बचपन सुरक्षित करना,
	  ○ बच्चों को उनकी पूरी क्षमता का आकलन करने में सक्षम बनाने के लिए अवसर सुनिश्चित करना,
	  ○ उनकी प्रत्येक क्षेत्र में विकास के लिए सहायता प्रदान करना आदि।
	
	• मिशन वात्सल्य अंतर्राष्ट्रीय संधियों के तहत भारत के दायित्वों को रेखांकित करता है। उदाहरण के लिए **संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय, 1992 और बाल दत्तक ग्रहण पर हेग अभिसमय, 1993 आदि।** ये संधियां देश में किशोर न्याय प्रणाली के प्रणालीगत विकास और सुदृढ़ीकरण को अनिवार्य बनाती हैं।
	  ○ मिशन वात्सल्य एक **रोडमैप** है जो **सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के अनुरूप बाल विकास और संरक्षण प्राथमिकताओं को प्राप्त करने** में मदद करता है।
	• **बाल संरक्षण सेवा (CPS) योजना को वर्ष 2021-22 से मिशन वात्सल्य के तहत समाहित कर दिया गया है।**
	  ○ CPS भारत सरकार द्वारा संचालित एक प्रमुख कार्यक्रम था। इसका उद्देश्य देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बालकों तथा कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों को निवारक एवं वैधानिक देखभाल व पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना है। कानून का उल्लंघन करने वाले बालकों को **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम** में परिभाषित किया गया है।
	• **केंद्र प्रायोजित योजना:** फंड-शेयरिंग पैटर्न को निम्नलिखित अनुपात में निर्धारित किया जाएगा:
	  ○ राज्य और विधान सभा वाले केंद्र शासित प्रदेश के साथ 60:40 के अनुपात में।
	  ○ पूर्वोत्तर के आठ राज्यों के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए 90:10 के अनुपात में।
	  ○ शेष केंद्र शासित प्रदेशों (जहां विधान सभा नहीं है) के लिए केंद्र द्वारा 100% वित्तपोषण प्रदान किया जाएगा।
	• **राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (SARA):** इसे देश के प्रत्येक राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। यह दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने तथा **अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण के विनियमन की दिशा में केंद्रीय दत्तक ग्रहण** संसाधन प्राधिकरण (CARA)[107] को आवश्यक सहयोग प्रदान करने में मदद करेगा।
	• **राज्य बाल संरक्षण समिति (SCPS)[108]:** यह इस योजना के मानचित्रण एवं नियोजन सहित उसके **क्रियान्वयन** में मदद करेगी।

[107] Central Adoption Resource Authority

हस्तक्षेप करना। साथ ही, नियमित निगरानी करना।	• **राज्य बाल कल्याण और संरक्षण समिति:** यह राज्य बाल संरक्षण सोसायटी (SCPS) की मदद से मिशन वात्सल्य के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी।
	• **जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU)**[109]: यह जिला मजिस्ट्रेट के समग्र पर्यवेक्षण में कार्य करेगी। साथ ही, यह जिले में बच्चों को सेवाएं प्रदान करने और उनकी देखभाल एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेगी
	• **पालना (शिशु स्वागत केंद्र)**[110]: इन केंद्रों की स्थापना प्रत्येक जिले में कम से कम एक विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी के रूप में की जाएगी। इसकी मदद से त्याग दिए गए या अवैध व्यापार के लिए सुभेद्य शिशुओं की देख-रेख की जाएगी।
	• **बाल कल्याण समिति (CWC):** यह जिले में **देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास** के मामलों का निपटारा करने के लिए प्राधिकरण के रूप में स्थापित की जाएगी। साथ ही, यह उनकी बुनियादी जरूरतों का ध्यान रखेगी और उनके मानवाधिकारों को सुरक्षा भी प्रदान करेगी।
	• **मिशन वात्सल्य पोर्टल:** यह कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों से संबंधित विभिन्न प्रबंधन सूचना प्रणालियों (MIS) के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। निम्नलिखित को शामिल करते हुए इस पोर्टल को विकसित किया जाएगा:
	  ○ **ट्रैक चाइल्ड** (लापता/पाए गए बच्चों के लिए),
	  ○ **केयरिंग्स** (बच्चों को गोद लेने के लिए),
	  ○ **ICPS पोर्टल** (योजना की निगरानी के लिए) तथा
	  ○ **खोया-पाया** (लापता और पाए गए बच्चों के लिए नागरिक केंद्रित मोबाइल ऐप्लिकेशन)।
	• **वात्सल्य सदन:** यह एक **एकीकृत गृह परिसर** होगा। साथ ही, यह बाल गृह, पर्यवेक्षण गृह, विशेष गृह और सुरक्षा स्थल के रूप में भी कार्य करेगा। **किशोर न्याय अधिनियम, 2015** के कार्यान्वयन के लिए **किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण संस्थान** को एक ही परिसर में स्थापित किया जाएगा। राज्यों को प्रत्येक गृह में 75 बच्चों के लिए इस तरह की संरचना का प्रस्ताव देने के लिए कहा गया है।
	• **बाल गृह:** देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों के साथ-साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए लिंग और आयु के आधार पर अलग बाल गृह स्थापित किए जाएंगे। साथ ही, ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए भी अलग बाल गृह स्थापित किए जाएंगे।
	• **पी.एम. केयर्स (PM CARES) के तहत बालकों के लिए प्रावधान:**
	  ○ **गैर-संस्थागत** देखभाल के लिए बच्चों को **4,000 रुपये प्रति माह (प्रति बालक)** (अभिभावक के खाते में) की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
	  ○ **संस्थागत देखभाल के अधीन बच्चों के देख-रेख के लिए बाल देखभाल संस्थानों** को **3,000 रुपये प्रतिमाह** अनुदान दिया जाएगा।
	  ○ **राज्य योजना के तहत बच्चों के जीवन निर्वाह सहायता के लिए अलग से कोई अन्य प्रावधान भी किया जा सकता है।**
	• **24×7 हेल्पलाइन सेवा:** राज्यों और जिलों के साथ साझेदारी में मिशन वात्सल्य के तहत बच्चों के लिए एक 24×7 हेल्पलाइन सेवा आरंभ की जाएगी। जैसा कि इसके लिए किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत निर्देशित किया गया है।
	• **मिशन वात्सल्य परियोजना अनुमोदन बोर्ड (PAB): महिला एवं बाल विकास (WCD) सचिव** की अध्यक्षता में इस मिशन के तहत यह बोर्ड राज्यों के लिए निधियों को स्वीकृत करेगा।
	• **राज्यों के लिए दायित्व:** योजना के तहत केंद्रीय निधि और लाभों को प्राप्त करने के लिए राज्यों को उस आधिकारिक नाम को बनाए रखना होगा, जो केंद्र द्वारा दिया गया है।

10.2. मिशन शक्ति (Mission Shakti)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) ने 'मिशन शक्ति'** योजना हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• हिंसा से प्रभावित एवं पीड़ित महिलाओं को **तत्काल और व्यापक रूप से निरंतर देखभाल**, समर्थन व सहायता प्रदान करना। • सहायता की आवश्यकता वाली महिलाओं तथा	• **यह महिला सशक्तीकरण हेतु संचालित एक एकीकृत कार्यक्रम है।** इसे **महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण के लिए** एक अम्ब्रेला योजना के रूप में शुरू किया गया था • इस मिशन को **2021-22 से 2025-26 (15वें वित्त आयोग की अवधि) के दौरान लागू** किया जाएगा।

[108] State Child Protection Society

[109] District Child Protection Unit

[110] Cradle baby reception centres

 ©Vision IAS

अपराध एवं हिंसा पीड़ितों के बचाव, **संरक्षण और पुनर्वास के लिये गुणवत्तापूर्ण तंत्र स्थापित करना।**
- विभिन्न स्तरों पर महिलाओं के लिए उपलब्ध विभिन्न **सरकारी सेवाओं तक पहुंच में सुधार करना।**
- **सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के साथ-साथ कानूनी प्रावधानों के बारे में लोगों को जागरूक करना। इससे वे दहेज, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न** आदि जैसी **सामाजिक बुराइयों** से लड़ सकेंगे। साथ ही, इससे **लैंगिक समानता** आदि को बढ़ावा दिया जा सकेगा।
- विभिन्न योजनाओं/कानूनों के तहत पदाधिकारियों/कर्तव्यपालकों की **क्षमता का निर्माण करना एवं प्रशिक्षण प्रदान करना।**
- नीतियों, कार्यक्रमों/योजनाओं में परस्पर समन्वय हेतु **सहयोगी मंत्रालयों/विभागों**/राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ सहयोग करना। सभी क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तीकरण हेतु सार्वजनिक-निजी भागीदारी के लिये सक्षम परिवेश बनाना।
- **महिलाओं और लड़कियों के प्रति सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन** को बढ़ावा देने के लिए जनता के बीच जागरूकता पैदा करना।
- लैंगिक पक्षपात के आधार पर जेंडर चयन को रोकना।
- यह मिशन **महिलाओं को जीवन पर्यंत प्रभावित करने वाले मुद्दों के समाधान** में मदद करता है।
- यह मिशन **महिलाओं पर देखभाल के बोझ को कम करने** का प्रयास करता है। साथ ही कौशल विकास, क्षमता निर्माण, वित्तीय साक्षरता, सूक्ष्म ऋण तक पहुंच आदि को बढ़ावा देकर **महिला श्रम बल** की भागीदारी को बढ़ाने का प्रयास करता है।

मिशन शक्ति की **दो उप-योजनाएं** हैं:

- **संबल:** इसमें महिलाओं की **रक्षा और सुरक्षा** से संबंधित योजनाएं शामिल हैं। यह **केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित योजना** है। इसके घटक हैं:
    - **वन स्टॉप सेंटर (OSC):** इसे वर्ष 2015 से लागू किया जा रहा है। इसके तहत **निजी और सार्वजनिक दोनों जगहों पर हिंसा से प्रभावित व पीड़ित** महिलाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत सहयोग एवं सहायता प्रदान की जाती है।
    - **महिला हेल्पलाइन (WHL):** यह ऐसी महिलाओं, जिन्हें **आपातकालीन सेवाओं के लिए** सहायता और सूचना की आवश्यकता होती है, को 24 घंटे टोल-फ्री दूरसंचार सेवा प्रदान करती है। इन आपातकालीन सेवाओं में पुलिस/अग्निशमन/एम्बुलेंस सेवाओं और वन स्टॉप सेंटर जैसी सभी सेवाएं शामिल होती हैं।
    - **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP):** इसे वर्ष 2015 में **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD), शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के त्रि-मंत्रालयी प्रयास** के रूप में लॉन्च किया गया था।
        - अब, इसमें कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय तथा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को भी शामिल किया गया है।
        - इस अभियान के घटक बहु-क्षेत्रीय हस्तक्षेपों के माध्यम से देश के **सभी जिलों को कवर** करेंगे। यह अभियान पहले **केवल 405 जिलों में** ही लागू था।
        - इस योजना का **उद्देश्य शून्य बजट को बढ़ावा देना** और जमीनी स्तर पर प्रभाव वाली गतिविधियों पर अधिक खर्च को प्रोत्साहित करना है। उदाहरण के लिए लड़कियों के बीच खेलों को बढ़ावा देना तथा लड़कियों के लिए शौचालय और आत्मरक्षा शिविरों का निर्माण करना इत्यादि।
    - **नारी अदालत**– यह महिलाओं को **वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र** प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक नई योजना है। इसमें महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले छोटे मोटे (उत्पीड़न, निष्कासन इत्यादि) मामलों को **ग्राम पंचायत स्तर पर** हल किया जाएगा।
- **सामर्थ्य:** इसमें महिला सशक्तीकरण हेतु संचालित योजनाएं शामिल हैं। योजना के तहत पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच 90:10 के अनुपात में वित्त को साझा किया जाएगा। अन्य राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र के साथ वित्त को 60:40 के अनुपात में साझा किया जाएगा। बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह योजना पूरी तरह से (100%) केंद्र द्वारा वित्त पोषित होगी। इसके घटकों में निम्नलिखित शामिल हैं:
    - **शक्ति सदन-** एकीकृत राहत और पुनर्वास गृह। इसमें तत्कालीन स्वाधार गृह और उज्ज्वला योजना भी शामिल हैं।
    - **मानव तस्करी विरोधी इकाइयां:** ये तस्करी और व्यावसायिक लैंगिक शोषण से पीड़ितों के **'पुनर्एकीकरण तथा समाज में पुनर्वापसी'** की सुविधा प्रदान करेंगी।
    - **विधवाओं के लिए घर:** यह महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण के लिए संचालित अम्ब्रेला योजना का एक केंद्रीय क्षेत्रक घटक है।
    - **सखी निवास (Sakhi Niwas)- कामकाजी महिला छात्रावास:** कामकाजी महिलाओं और उच्चतर शिक्षा या प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली अन्य महिलाओं के लिए **सुरक्षित व**

	सुविधाजनक आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा योजना को संशोधित किया गया है। इन महिलाओं को पेशेवर प्रतिबद्धताओं के कारण अपने परिवारों से दूर रहना पड़ता है। ○ **पालना- क्रेच सुविधा (Creche Facility):** सभी माताओं को क्रेच की सुविधा प्रदान करना, चाहे उनकी रोजगार की स्थिति कुछ भी हो। इसमें **सेवाओं का** एक **एकीकृत पैकेज शामिल जैसे कि:** ▪ सोने की सुविधा सहित **डे केयर सुविधाएं,** ▪ 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक देख-भाल, ▪ 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्री-स्कूल शिक्षा व पूरक पोषण (स्थानीय रूप से प्रदान किया जाएगा), ▪ **विकास निगरानी और स्वास्थ्य जांच,** ▪ **मिशन पोषण 2.0 के साथ अभिसरण में टीकाकरण** किया जाएगा। ○ **प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY):** इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के आधार पर वर्ष 2017 से लागू किया जा रहा है। इसे **एकीकृत बाल विकास सेवाओं (ICDS)** के तहत लागू किया गया है। यह योजना गर्भवती और **स्तनपान कराने वाली माताओं को नकद प्रोत्साहन** प्रदान करती है। यह उनके **पारिश्रमिक में होने वाले नुकसान के आंशिक मुआवजे के रूप में प्रदान किया जाता है।** इससे महिलाओं के लिए बच्चे के जन्म से पहले और जन्म के बाद पर्याप्त आराम तथा पोषण की उपलब्धता को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। ○ **महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए हब (HEW):** इसे **केंद्र तथा राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और जिला स्तर** पर महिलाओं के लिए बनाई गई योजनाओं एवं कार्यक्रमों के अंतर-क्षेत्रीय समन्वय की सुविधा हेतु बनाया जा रहा है। ○ इस घटक के तहत **जेंडर बजटिंग तथा अनुसंधान एवं प्रकाशन और निगरानी से संबंधित योजनाओं** को शामिल किया गया है। ▪ इसमें आर्थिक सशक्तीकरण हेतु **गैप फंडिंग का एक नया घटक** भी जोड़ा गया है। साथ ही, महिला शक्ति केंद्र (MSK) और महिला पुलिस स्वयंसेवकों (MPV) की मौजूदा उप-योजनाओं को समाप्त कर दिया गया है। ▪ **जेंडर बजटिंग को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005-06** में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए एक उपकरण के रूप में अपनाया गया था। साथ ही, इसका उद्देश्य सरकारी योजना और बजट के माध्यम से निरंतर निवेश सुनिश्चित करना था। **लैंगिक समानता के लिए वित्तपोषण** लैंगिक असमानताओं को कम करने का मुख्य उपाय है। जेंडर बजटिंग इस प्रयास में एक महत्वपूर्ण रणनीति है।

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

सुर्ख़ियों में रहे स्थलः भारत

राजस्थान
- मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने पर रिपोर्ट सौंपी गई।
- 'वस्त्र को पर्यटन से जोड़ने' के तहत आमेर को शिल्प ग्राम के रूप में शामिल किया गया।

जम्मू और कश्मीर
- केंद्रीय गृह मंत्री ने श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा 'स्टैच्यू ऑफ पीस' का अनावरण किया।

पश्चिम बंगाल
- पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग पांच वर्षों में 20 रेड पांडा को वनों में छोड़ने का कार्यक्रम शुरू किया है।

अरुणाचल प्रदेश
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने 'चकमाओं' के उत्पीड़न पर रिपोर्ट मांगी है।

मध्य प्रदेश
- बुरहानपुर देश का पहला 'हर घर जल' प्रमाणित जिला बना।
- साख्य सागर आर्द्रभूमि को 'अंतर्राष्ट्रीय महत्व' का दर्जा मिला।

असम
- असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को कम करने के लिए 'नमसाई घोषणा' पर हस्ताक्षर किए।

गुजरात
- प्रधान मंत्री ने गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया।
- गुजरात वन विभाग आने वाले वर्ष में 10,000 हेक्टेयर बन्नी घासभूमियों की पुनर्स्थापन करेगा।
- टाइम मैगज़ीन ने "वर्ष 2022 में विश्व के 50 सर्वश्रेष्ठ स्थानों" की सूची में अहमदाबाद को शामिल किया है।

मणिपुर
- मणिपुर सरकार ने 'लोकटक झील' पर तैरते हुए घरों और मछली पकड़ने के लिए बने ढांचों को हटाने का आदेश दिया।

मिजोरम
- पाला आर्द्रभूमि को 'अंतर्राष्ट्रीय महत्व' का दर्जा मिला।

ओडिशा
- 'वस्त्र को पर्यटन से जोड़ने' के तहत रघुराजपुर को शिल्प ग्राम के रूप में शामिल किया गया।

महाराष्ट्र
- जवाहरलाल नेहरू पोर्ट (JNP) 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला महापत्तन (Major Port) बना।

आंध्र प्रदेश
- 'वस्त्र को पर्यटन से जोड़ने' के तहत तिरुपति को शिल्प ग्राम के रूप में शामिल किया गया।

तमिलनाडु
- पप्पनकुडी गांव में ग्रे वाटर प्रबंधन प्रणाली को 100% स्तर पर लागू कर दिया गया है।
- तीन आर्द्रभूमियों (करीकिली पक्षी अभयारण्य, पल्लिकरनई मार्श रिज़र्व फॉरेस्ट, पिचवरम मैंग्रोव) को 'अंतर्राष्ट्रीय महत्व' का दर्जा मिला।
- 'वस्त्र को पर्यटन से जोड़ने' के तहत महाबलीपुरम को शिल्प ग्राम के रूप में शामिल किया गया।

कर्नाटक
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने कनगनहल्ली (सन्नति स्थल का हिस्सा) के निकट एक प्राचीन बौद्ध स्थल के संरक्षण की योजना बनायी है।
- 'वस्त्र को पर्यटन से जोड़ने' के तहत अनेगुंडी को शिल्प ग्राम के रूप में शामिल किया गया।

केरल
- टाइम मैगज़ीन ने "वर्ष 2022 में विश्व के 50 सर्वश्रेष्ठ स्थानों" की सूची में केरल को शामिल किया है।
- केरल में मंकीपॉक्स का पहला मामला सामने आया है।

सुर्ख़ियों में रहे स्थलः विश्व

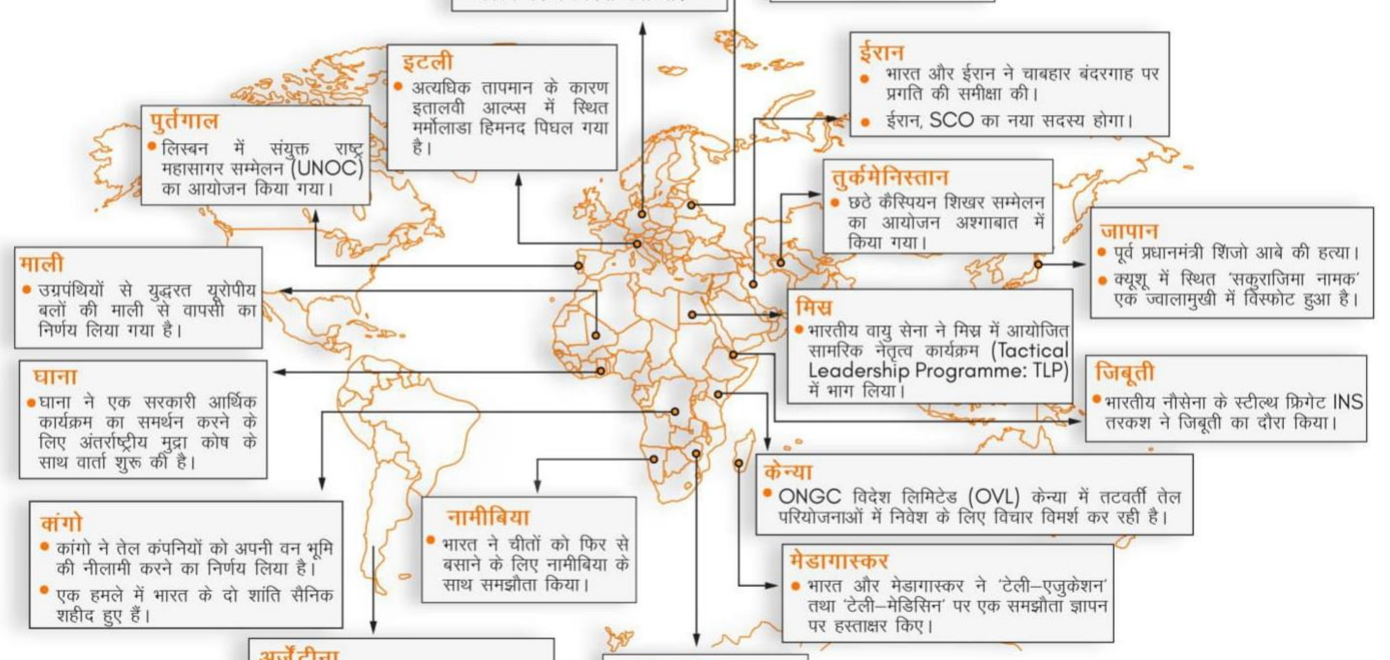

जर्मनी
- नॉर्ड स्ट्रीम–1 को समय–समय पर किये जाने वाले रखरखाव कार्य के कारण बंद कर दिया गया था।

बेलारूस
- बेलारूस, शंघाई सहयोग संगठन (SCO) का नया सदस्य होगा।

इटली
- अत्यधिक तापमान के कारण इतालवी आल्प्स में स्थित मर्मोलाडा हिमनद पिघल गया है।

ईरान
- भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह पर प्रगति की समीक्षा की।
- ईरान, SCO का नया सदस्य होगा।

पुर्तगाल
- लिस्बन में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन (UNOC) का आयोजन किया गया।

तुर्कमेनिस्तान
- छठे कैस्पियन शिखर सम्मेलन का आयोजन अश्गाबात में किया गया।

जापान
- पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या।
- क्यूशू में स्थित 'सकुराजिमा नामक' एक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है।

माली
- उग्रपंथियों से युद्धरत यूरोपीय बलों की माली से वापसी का निर्णय लिया गया है।

मिस्र
- भारतीय वायु सेना ने मिस्र में आयोजित सामरिक नेतृत्व कार्यक्रम (Tactical Leadership Programme: TLP) में भाग लिया।

घाना
- घाना ने एक सरकारी आर्थिक कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ वार्ता शुरू की है।

जिबूती
- भारतीय नौसेना के स्टील्थ फ्रिगेट INS तरकश ने जिबूती का दौरा किया।

केन्या
- ONGC विदेश लिमिटेड (OVL) केन्या में तटवर्ती तेल परियोजनाओं में निवेश के लिए विचार विमर्श कर रही है।

कांगो
- कांगो ने तेल कंपनियों को अपनी वन भूमि की नीलामी करने का निर्णय लिया है।
- एक हमले में भारत के दो शांति सैनिक शहीद हुए हैं।

नामीबिया
- भारत ने चीतों को फिर से बसाने के लिए नामीबिया के साथ समझौता किया।

मेडागास्कर
- भारत और मेडागास्कर ने 'टेली–एजुकेशन' तथा 'टेली–मेडिसिन' पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

अर्जेंटीना
- ब्यूनस आयर्स शहर ने स्कूलों में लैंगिक–समावेशी भाषा के उपयोग पर रोक लगा दी है।

जिम्बाब्वे
- जिम्बाब्वे ने सोने के सिक्कों को वैध मुद्रा के रूप में प्रस्तुत किया है।

सुर्ख़ियों में रहे प्रमुख व्यक्ति

व्यक्तित्व	विवरण	प्रदर्शित नैतिक मूल्य
 छत्रपति संभाजी	• छत्रपति संभाजी (1657–1689) ▪ महाराष्ट्र सरकार **ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहरों के नाम बदलकर क्रमशः छत्रपति संभाजीनगर और** धाराशिव करने की मंजूरी दे दी है। ▸ **औरंगाबाद को मूल रूप से खड़की कहा जाता था।** इसे 1610 ई. में मलिक अंबर ने बसाया था। ▸ दक्कन पर औरंगजेब के शासन के दौरान यह उसका मुख्यालय बन गया था। इस कारण इसका नाम बदलकर औरंगाबाद कर दिया गया था। • **संभाजी छत्रपति शिवाजी** (मराठा साम्राज्य के संस्थापक) **के सबसे बड़े पुत्र** थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद वे मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक बने। ▪ संभाजी को अपने लोगों और धर्म की रक्षा हेतु अपने जीवन का बलिदान देने के लिए याद किया जाता है। • **संभाजी द्वारा लिखित पुस्तकें:** ▪ संस्कृत ग्रंथ **बुधभूषण–राजनीति।** ▪ **नायिकाभेद, नखशिख तथा सातसतक।** ▪ **उन्होंने इन पुस्तकों की रचना ब्रजभाषा में की थी।**	**वीरता और बलिदान** ▪ उन्होंने आक्रमणकारियों के खिलाफ एक ठोस रक्षा–पंक्ति तैयार की। ▪ लोगों के लिए उनके बलिदान और युद्ध जीतने की रणनीति ने उन्हें महान बना दिया।
 राजा सरफोजी द्वितीय	• **राजा सरफोजी और उनके पुत्र शिवाजी की 19वीं सदी की एक** दुर्लभ पेंटिंग का एक अमेरिकी संग्रहालय में होने का पता चला है। इस पेंटिंग को तंजावुर के सरस्वती महल से चुराया गया था। • राजा सरफोजी द्वितीय **भोंसले राजवंश के वंशज थे। ये तंजावुर की मराठा रियासत के शासक थे।** ▪ तंजावुर मराठा वंश की स्थापना छत्रपति शिवाजी के सौतेले भाई व्यंकोजी ने 1675 ई. में की थी। • **राजा सरफोजी का योगदान:** ▪ उन्होंने धन्वंतरि महल की स्थापना की थी। यह एक अस्पताल था, जिसमें सभी प्रकार के रोगियों की देखभाल की जाती थी। ▸ इन्होंने **नेत्र–चिकित्सा संबंधी कार्य** भी किये थे। ▸ सरफोजी द्वितीय ने **सरभेंद्र वैद्य प्रणाली** नामक एक चिकित्सा पुस्तक का संकलन किया था। ▪ उन्होंने **नवविद्या कलानिधि शाला** की स्थापना की थी। इस स्कूल के माध्यम से **महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा** दिया जाता था। ▪ उन्होंने तमिलनाडु में प्रथम प्राणी उद्यान का निर्माण करवाया था।	**दूरदृष्टि:** ▪ उन्होंने नए प्रशासनिक और शैक्षिक सुधारों का प्रयास किया। उनके प्रयासों ने तंजावुर को अन्य रियासतों से आगे बढ़ने और एक नए युग में प्रवेश करने तथा यूरोपीय राष्ट्रों के लिए एक उपयुक्त प्रतियोगी के रूप में उभरने में मदद की।
 गोपाल गणेश आगरकर	• इनका जन्म वर्ष 1856 में महाराष्ट्र में हुआ था। वे एक **समाज सुधारक** थे। वे वोल्टेयर और रूसो जैसे दार्शनिकों से प्रभावित थे। • **योगदान–** ▪ उन्होंने महिला शिक्षा सहित **महिलाओं के अधिकारों** का समर्थन किया। उन्होंने प्रेस की भूमिका बढ़ाने के लिए भी कार्य किया। ▪ उन्होंने बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर **न्यू इंग्लिश स्कूल, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्ग्युसन कॉलेज की स्थापना** का विचार प्रस्तुत किया था। ▪ वे तिलक के साप्ताहिक पत्र **'केसरी' के संपादक** थे। ▪ उन्होंने आवधिक पत्र **'सुधारक' की स्थापना** की थी।	**तर्कवाद और सामाजिक न्याय** ▪ उनका मानना था कि शिक्षा और प्रेस बुद्धिवाद, समानता और मानवतावाद के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ▪ वह महिलाओं की मुक्ति, अंधविश्वासों के उन्मूलन, जातिगत भेदभाव को दूर करने और और वैज्ञानिक सोच का प्रसार करने के पक्षधर थे।
 आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय	• उन्हें **"भारतीय रसायन विज्ञान के पिता"** के रूप में जाना जाता है। • उन्होंने **वर्ष 1896 में स्थिर यौगिक 'मर्क्यूरस नाइट्राइट' की खोज की थी।** वर्ष 1901 में उन्होंने भारत की पहली दवा कंपनी **'बंगाल केमिकल एंड फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड'** की स्थापना की थी। • उन्होंने सल्फर, डबल सॉल्ट, होमोमोर्फिज्म और फ्लोरिनेशन युक्त कार्बनिक यौगिकों पर शोध किया था। • उन्होंने **"द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री"** का प्रकाशन किया था। इसमें प्राचीन भारत में धातुकर्म और चिकित्सा का व्यापक ज्ञान शामिल है। • उन्होंने **जाति व्यवस्था का विरोध** किया था तथा खादी सामग्री को बढ़ावा दिया था। उन्होंने बंगाल में अकाल और बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद की थी। • उन्हें वर्ष **1920 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष** के रूप में चुना गया था।	**वैज्ञानिक सोच और सेवा भाव:** ▪ उन्होंने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में अपने शोध के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दिया। ▪ वे तर्कवादी व्यक्ति थे। वे पूरी तरह से जाति व्यवस्था और अन्य तर्कहीन सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ थे।

व्यक्तित्व	विवरण	प्रदर्शित नैतिक मूल्य
 कुमारस्वामी कामराज	• **कामराज** का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। वे **एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे।** • उन्होंने **नमक कानून तोड़ो आंदोलन और 'भारत छोड़ो' आंदोलन में** भाग लिया था। • वे **वर्ष 1937 में और वर्ष 1946 में मद्रास प्रेसीडेंसी विधायिका के लिए चुने गए** थे। वे वर्ष 1954 में मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। • उन्होंने अनिवार्य शिक्षा की शुरुआत की थी। इसके अलावा, उन्होंने छात्रों के लिए भोजन और निशुल्क यूनिफार्म देने की व्यवस्था की थी। • वर्ष 1963 में उन्होंने **'कामराज योजना'** के तहत कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उन्होंने स्वयं को **राष्ट्र की सेवा के प्रति समर्पित कर दिया था।**	**ईमानदारी और सादगीः** ▪ मद्रास (बाद में तमिलनाडु) के मुख्यमंत्री के रूप में, उन्होंने लोक स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर लोक नीतियों के लक्ष्यों को पूरा करने का त्रुटिहीन रिकॉर्ड बनाए रखा। ▪ बेहद विनम्र पृष्ठभूमि से आने के कारण उन्होंने कभी भी अपने निजी जीवन पर ध्यान नहीं दिया और बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत किया।
 स्वामी आत्मस्थानंद	• प्रधान मंत्री ने स्वामी आत्मस्थानंद को उनकी जन्मशती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। • वे **रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के 15वें अध्यक्ष थे।** ▪ रामकृष्ण मिशन की **स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ई.** में की थी। ▸ मिशन का उद्देश्य रामकृष्ण परमहंस द्वारा दी गयी **वेदांत दर्शन की शिक्षाओं का प्रचार** करना था। • **योगदानः** इन्होंने भारत, नेपाल और बांग्लादेश के अलग–अलग हिस्सों में व्यापक राहत एवं पुनर्वास सेवाएं दी थीं। इन्होंने बर्मा में टी.बी. रोग के अस्पताल की स्थापना आदि जैसे अनेक परोपकारी कार्य किए थे।	**भक्ति और समाज सेवाः** ▪ उन्होंने खुद से ऊपर उठकर समाज के लिए काम करने और उसी के लिए जीने पर बल दिया। ▪ उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न राहत कार्यों और सेवा गतिविधियों का संचालन किया।
 डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम	• 27 जुलाई, पूर्व राष्ट्रपति डॉ. कलाम की पुण्यतिथि के रूप में चिन्हित है। • डॉ. कलाम **जुलाई, 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति बने थे।** • **अंतरिक्ष के क्षेत्र में योगदानः** ▪ उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी 'उपग्रह प्रक्षेपण यान (SLV-III)' **को विकसित करने के लिए परियोजना निदेशक** के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ▪ उन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो/ISRO) के **'ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान' के विकास के लिए भी जाना** जाता है। ▪ उन्हें भारत का **"मिसाइल मैन"** उपनाम दिया गया है। उन्होंने **अग्नि व पृथ्वी मिसाइल** के विकास में अत्यधिक योगदान दिया था। ▪ उन्होंने **परमाणु ऊर्जा विभाग के सहयोग से पोखरण में द्वितीय परमाणु परीक्षण** में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था।	**दूरदर्शिता और सादगी** ▪ उन्होंने भारत में रॉकेट के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी दूरदर्शिता ने उन्हें महान परिणामों उत्पन्न करने वाली परियोजनाओं का नेतृत्व करने में मदद की। ▪ उन्होंने बहुत ही सादा और पवित्र जीवन जिया। उनका जीवन और विचार आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देते रहेंगे।
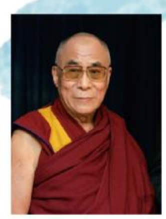 दलाई लामा	**दलाई लामा** • हाल ही में, तिब्बतियों के आध्यात्मिक प्रमुख **14वें दलाई लामा** (तेनजिन ग्यात्सो) ने अपना 87वां जन्मदिन मनाया है। • तिब्बती मान्यताओं के अनुसार, प्रत्येक **दलाई लामा अवलोकितेश्वर का पुनर्जन्म है। अवलोकितेश्वर को** बुद्ध के सभी रूपों में करुणा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। ▪ दलाई लामा का **चुनाव नही होता बल्कि इन्हें प्राप्त किया जाता है।** बौद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। इस प्रकार दलाई लामा को उस शरीर को चुनने में सक्षम माना जाता है, जिसमें इनका पुनर्जन्म होता है। • दलाई लामा **तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रमुख बौद्ध संत हैं।** वर्ष 1959 में चीन की सरकार द्वारा तिब्बत पर नियंत्रण किए जाने तक पारंपरिक रूप से तिब्बत के शासन के लिए उत्तरदायी रहे हैं। ▪ इनका आधिकारिक निवास तिब्बत की राजधानी **ल्हासा में पोटाला पैलेस था।** वर्ष 1959 के चीनी आक्रमण के बाद से दलाई लामा अंततः धर्मशाला में निर्वासित के रूप में रह रहे है। • **योगदानः** ▪ दलाई लामा ने पूरे विश्व की यात्रा की है। उन्होंने तिब्बतियों के कल्याण, पर्यावरण संरक्षण, महिलाओं के अधिकार, अहिंसा, अंतरधार्मिक संवाद आदि पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। ▪ चीनी सरकार के साथ अहिंसा की नीति बनाए रखने के लिए इन्हें वर्ष 1989 में **नोबेल शांति पुरस्कार मिला था।**	**करुणा और निस्वार्थता** ▪ उनके अनुसार सच्ची करुणा भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है बल्कि तर्क पर आधारित एक दृढ़ प्रतिबद्धता है। इसलिए, दूसरों के प्रति वास्तविक करुणामय व्यवहार नहीं बदलता है, भले ही वे नकारात्मक व्यवहार करें।

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION
अपनी तैयारी से जुड़े रहिए
सोशल मीडिया पर फॉलो करें
/c/VisionIASdelhi
/VisionIAS_UPSC
/vision_ias
/Vision_IAS
/visionias.upsc
www.visionias.in

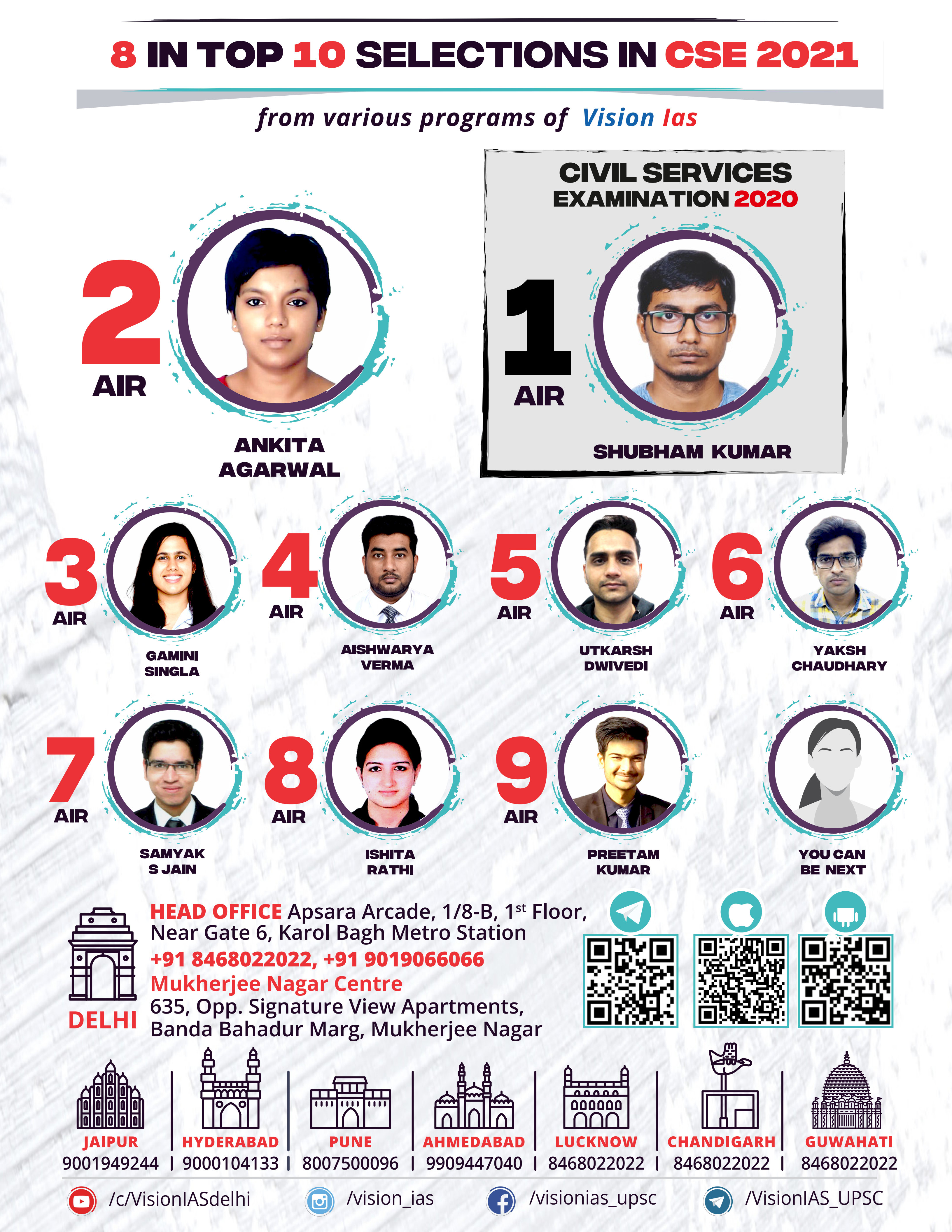

8 IN TOP 10 SELECTIONS IN CSE 2021
from various programs of Vision Ias
CIVIL SERVICES EXAMINATION 2020
1 AIR
SHUBHAM KUMAR
2 AIR
ANKITA AGARWAL
3 AIR
GAMINI SINGLA
4 AIR
AISHWARYA VERMA
5 AIR
UTKARSH DWIVEDI
6 AIR
YAKSH CHAUDHARY
7 AIR
SAMYAK S JAIN
8 AIR
ISHITA RATHI
9 AIR
PREETAM KUMAR
YOU CAN BE NEXT
DELHI
HEAD OFFICE Apsara Arcade, 1/8-B, 1st Floor, Near Gate 6, Karol Bagh Metro Station
+91 8468022022, +91 9019066066
Mukherjee Nagar Centre
635, Opp. Signature View Apartments, Banda Bahadur Marg, Mukherjee Nagar
JAIPUR 9001949244
HYDERABAD 9000104133
PUNE 8007500096
AHMEDABAD 9909447040
LUCKNOW 8468022022
CHANDIGARH 8468022022
GUWAHATI 8468022022
/c/VisionIASdelhi
/vision_ias
/visionias_upsc
/VisionIAS_UPSC